एकादश माला, खंड 18, अंक 1

बुधवार, 19 नवम्बर, 1997
28 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(भाग–एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 18 में अंक 1 से 4 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 19 नवम्बर, 1997 / 28 कार्तिक, 1919 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(vii)	19	श्री सी॰एन॰ भास्करप्पा	श्री सी॰एन भास्करप्पा
(viii)	नीचे से 9	श्री आर॰बी॰ राई	श्री आर॰बी॰ राई
5	1	पंडिम	पंडित

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम॰आर॰ खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 18, छठा सत्र, (भाग एक), 1997/1919 (शक)]

अंक 1, बुधवार, 19 नवम्बर, 1997/28 कार्तिक, 1919 (शक)

विषय	कालम
ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	iii
लोक सभा के पदाधिकारी	xii
मंत्रिपरिषद्	xiii—xiv
राष्ट्रगान-धुन बजाई गई	1
निधन संबंधी उल्लेख	1—7
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 - 20	7—38
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 218	38—314

ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक–दिल्ली)

अजय कुमार, श्री एस• (ओट्टापलम)

अडईकलराज, श्री एल• (तिरुचिरापल्ली)

अडसूल श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान (कुलाबा)

अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनन्त, श्री वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अनीस, श्री मुखतार (सीतापुर)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अरुणाचलम, श्री एम• (तेनकाशी)

अलागिरी, श्री सामी वी• (शिवकाशी)

अली, श्री मोहम्मद इदरीस (जंगीपुर)

अलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

अलेमाओ, श्री चर्धिल (मारमागाओ)

अवैद्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

अहमद, श्री ई• (मंजेरी)

अहमद श्री एम• कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहीर, श्री हंस राज (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहबाद)

आठवले, श्री नारायण (मुंबई उत्तर मध्य)

आदित्यन आर•, श्री धनुषकोडी (तिरूचेंदूर)

आवाडे, श्री कल्लप्पा (इचलकरांजी)

इ

इमचा, श्री (नागालैण्ड)

इस्लाम, श्री कमरुल (गुलबर्गा)

इस्लाम, श्री नुरुल (धूबरी)

इस्लेरी, श्री लुई (कोकराझार)

उ

उदयप्पन, श्री एस•पी• (रामनाथपुरम)

उपेन्द्र, श्री पी• (विजयवाडा)

उबोक, श्री मेजर सिंह (तरनतारन)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओ' ब्रायन, श्री नील एलायसियस (नामनिर्दिष्ट)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कंडासामी, श्री के• (रसिपुरम)

कंडासामी, श्री वी• (पोल्लाची)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा• वल्लभ भाई (राजकोट)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोडिया, श्री महेश कुमार एम• (पाटन)

कनौजिया, श्री जी•एल• (खीरी)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कर्मा, श्री महेन्द्र (बस्तर)

कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे)

कांशी राम, श्री (होशियारपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठल राव (उस्मानाबाद)

कामसन, प्रो• एम• (बाह्य मणिपुर)

कार, श्री गुलाम रसूल (बारामूला)

कारवेंधन, श्री एस•के• (पलानी)

कुंदूरकर, श्री जी•एम• (नांदेड़)

कुमार, श्री एम•पी• वीरेन्द्र (कालीकट)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग–दिल्ली)

कुमार, श्री वी• धनन्जय (मंगलौर)

कुमारस्वामी, श्री एच•डी• (कनकपुरा)

कुरियन, प्रो॰ पी॰जे॰ (मवेलीकारा)
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)
कुशवाहा, श्री सुखलाल (सतना)
कुसमरिया, डा॰ रामकृष्ण (दमोह)
कृष्णा, श्री (माण्डया)
कृष्णादास, श्री एन॰एन॰ (पालाकाड)
कोंडय्या, श्री के॰सी॰ (बेल्लारी)
कोटा, श्री सिद्दय्या (नरसारावपेट)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
कौजलगी, श्री शिवानंद एच॰ (बेलगाम)
कौर, श्रीमती सुखबंस (गुरुदासपुर)
कैकाला, श्री सत्यनारायण (मछलीपट्टनम)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)
खलप, श्री रमाकान्त डी॰ (पणजी)
खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (अकबरपुर)
खान, श्री सुनील (दुर्गापुर)
खालसा, श्री हरिन्दर सिंह (भटिंडा)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गढ़वी, श्री पी॰एस॰ (कच्छ)
गढ़वी, श्री बी॰के॰ (बनासकांठा)
गणेशन, श्री वी॰ (चिदंबरम)
गंमाग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गवली, श्री पुण्डलिकराव रामजी (वाशिम)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह (वडोदरा)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)
गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)
गेहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)
गोडसे, श्री राजाराम परशराम (नासिक)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
गोयल, श्री विजय (सदर-दिल्ली)
गोविन्दन, श्री टी॰ (कासरगोड)
गौड़ा, श्री वाई॰एन॰ रुद्रेश (हसन)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्दूमाजरा, प्रो॰ प्रेम सिंह (पटियाला)
चन्दूलाल, श्री अजमीरा (वारंगल)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा॰ (कराड़)
चाक्को, श्री पी॰सी॰ (मुकुन्दपुरम)
चारी, डा॰ एस॰ वेणुगोपाल (आदिलाबाद)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आणद)
चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)
चित्तूरी, श्री रविन्द्र (राजामुन्दरी)
चित्यन, श्री एन॰एस॰वी॰ (डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी॰ (शिवगंगा)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)
चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री परागी लाल (मिसरिख)
चौधरी, श्री बादल (त्रिपुरा पश्चिम)
चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्रीमती निशा ए॰ (साबरकांठा)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

चौहान, श्री जयसिंह (कपड़वंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्री गंगानगर)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगन्नाथ, डा॰ एम॰ (नागरकुरन्नूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा॰ सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश आर॰ (परभनी)

जायसवाल, डा॰ मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री एस॰पी॰ (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर॰एल॰ (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधन भाई (पोरबन्दर)

जिन्दल, श्री ओ॰पी॰ (कुरूक्षेत्र)

जेना, श्री मुरलीधर (भद्रक)

जेना, श्री श्रीकान्त (केन्द्रपाड़ा)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैसवाल, श्री प्रदीप (औरंगाबाद)

जोशी, डा॰ मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल (कोटा)

जोस, श्री ए॰सी॰ (इदुक्की)

ज्ञ

ज्ञानगुरुस्वामी, श्री आर॰ (पेरियाकुलम)

ट

टंडेल, श्री गोपाल (दमन और दीव)

टाडीपार्थी, श्रीमती शारदा (तेनाली)

टी॰ गोपाल कृष्ण, श्री (काकीनाड़ा)

ठ

ठाकरे, श्री राजाभाऊ (यवतमाल)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डार, श्री मोहम्मद मकबूल (अनन्तनाग)

डेनिस, श्री एन॰ (नगरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस॰ (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा॰ रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

त

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तीर्थरामन, श्री पी॰ (धर्मपुरी)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा॰ रमेश चन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि (देवरिया)

थ

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम (खम्माम)

थामस, प्रो॰ पी॰सी॰ (मुवत्तुपुजा)

थोराट, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अंचल (जाजपुर)

दास, प्रो॰ जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्री पी॰आर॰ (हावड़ा)

दाहाल, श्री भीम प्रसाद (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव (चिमूर)

दीवान, श्री पवन (महासमुंद)

देव, श्री वी॰ प्रदीप (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवदास, श्री आर॰ (सेलम)

देवी, श्रीमती सुभावती (बांसगांव)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भरूच)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नटरायन, श्री के॰ (करुर)

नरसिम्हन, श्री सी॰ (कृष्णागिरि)

नाईक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)

नागरत्नम, श्री टी॰ (श्रीपेरुम्बुदुर)

नामग्याल, श्री पी॰ (लद्दाख)

नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)

नायक, श्री राजा रंगप्पा (रायचूर)

नायडु, श्री के॰पी॰ (बोबीली)

'निडर', प्रो॰ ओमपाल सिंह (जलेसर)

निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक (सतारा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद (फतेहपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द (कांकेर)

नेलावाला, श्री सुब्रह्मण्यम (तिरुपति)

प

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)

पटरुधु, श्री अय्यन्ना (अन्नाकापल्ली)

पटवा, श्री सुन्दरलाल (छिंदवाड़ा)

पटेल, डा॰ ए॰के॰ (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)

पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)

पटेल, श्री बुद्धसेन (रीवा)

पटेल, श्री विजय (गांधीनगर)

पटेल, श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास (गोधरा)

पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)

परसुरामन, श्री के॰ (चेंगलपट्टू)

परांजपे, श्री दादा बाबूराव (जबलपुर)

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस॰एस॰ (तंजावूर)

पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पांडेय, डा॰ लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पांडेय, श्री मनहरण लाल (जांजगीर)

पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ (इरन्दोल)

पाटिल, श्री बी॰आर॰ (बीजापुर)

पाटिल, श्री मदन (सांगली)

पाटिल, श्री शिवराज वी॰ (लातूर)

पाटिल, श्रीमती रजनी (बीड)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पाल, डा॰ देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)

पाल, श्री सिबैस्टिअन (एरनाकुलम)

पावंती, श्रीमती एम॰ (ओंगोले)

पासवान, श्री कामेश्वर (नवादा)

पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रामानिक, प्रो० आर०आर० (मथुरापुर)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन०के० (क्विलोन)
प्रेमी, श्री मंगल राम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारुख, श्री एम०ओ०एच० (पाण्डिचेरी)
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलिक (अकोला)
फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस० (शिमोगा)
बंशीलाल, श्री श्याम लाल (टोंक)
बक्सला, श्री जोआचिम (अलीपुरद्वार)
बर्क, डा० शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)
बघदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी (कोपरगांव)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी०एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)
बलिराम, डा० (लालगंज)
बसु, श्री अनिल (आराम बाग)
बागूल, डा० साहेबराव सुकराम (धुले)
बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)
बाला, डा० असीम (नवद्वीप)
बालारमन, श्री एल० (वंडावासी)
बालासुब्रहमण्यन, श्री एस०आर० (नीलगिरी)
बालू, श्री टी०आर० (मद्रास-दक्षिण)
विश्वकर्मा, श्री महावीर लाल (हजारीबाग)
बिसवाल, श्री रनजीव (जगतसिंह पुर)
बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बेंदा, चौधरी रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बेगम नूर बानो (रामपुर)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैश्य, श्री वीरेन्द्र प्रसाद (मंगलडोई)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भगवती देवी, श्रीमती (गया)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भट्टाचार्य, श्री जयन्त (तामलुक)
भट्टाचार्य, श्री प्रदीप (सेरमपुर)
भास्करप्पा, श्री सी०एन० (तुमकुर)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भाटिया, श्री रघुनंदन लाल (अमृतसर)
भाटी, श्री महेन्द्र सिंह (बीकानेर)
भारती, डा० अमृत लाल (चैल)
भारथन, श्री ओ० (बडागरा)
भारद्वाज, श्री नीतीश (जमशेदपुर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर (श्रीनगर)
मल्लिकार्जुन, डा० (महबूब नगर)
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी० (दावणगेरे)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महन्त, श्री केशव (कलियाबोर)
महाजन, श्री प्रमोद (मुम्बई-उत्तर पूर्व)
महाजन, श्री सत (कांगड़ा)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)
महापात्र, श्री कार्तिक (बालासोर)
महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
माने, श्री शिवाजी ज्ञानोबाराव (हिंगोली)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)
मिर्धा, श्री भानुप्रकाश (नागौर)
मिश्र, श्री चतुरानन (मधुबनी)
मिश्र, श्री पिनाकी (पुरी)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मीणा, श्री भेरुलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर-प०बं०)
मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)
मुडे, श्री विजय अन्नाजी (वर्धा)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुर्मू, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री के०एस०आर० (अमलापुरम)
मेघवाल, श्री परस राम (जालौर)
मेघे, श्री दत्ता (रामटेक)
मेती, श्री एच०वाई० (बागलकोट)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री सनत (सुरेन्द्र नगर)
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र (मुम्बई दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री अमनन्द (शिवहर)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनिल कुमार (खगरिया)
यादव, श्री गिरधारी (बांका)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोंड्डा)
यादव, श्री डी०पी० (सम्भल)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद (गोपालगंज)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री सुरेन्द्र (खलीलाबाद)
येरननायडु, श्री किंजारप्पू (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डॉ० जयन्त (स्वशासी-जिला) (असम)
रमना, श्री एल० (करीमनगर)
रमेन्द्र कुमार, श्री (बेगूसराय)
रमैया, श्री पी० कोदंड (चित्रदुर्ग)
रमैया, डा० बोल्ला बुल्ली (एलरु)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राई, श्री आर०बी० (दार्जिलिंग)
राउत, श्री कचरु भाऊ (मालेगांव)
राघवन, श्री वी०वी० (त्रिचूर)
राजकुमार, श्री वांगचा (अरुणाचल पूर्व)
राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ०प्र०)
राजा, श्री ए० (पैरम्बलूर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी०वी० (मईलादुतुराई)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री एन॰जे॰ (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामालिंगम, डा॰ के॰पी॰ (तिरुचेंगोडे)

रामनाथन, श्री एम॰ (कोयम्बटूर)

रामसजीवन, श्री (बांदा)

रामसागर, श्री (बाराबंकी)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

राम बाबू, श्री ए॰जी॰एस॰ (मदुरै)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)

राय श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री बलाई चन्द्र (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

रायारेड्डी, श्री बासवाराज (कोप्पल)

रायुडु, श्री के॰एस॰ (नरसापुर)

राव, श्री आर॰ साम्बासिवा (गुंटूर)

राव, श्री पी॰वी॰ नरसिंह (बरहामपुर)

राव, श्री पी॰वी॰ राजेश्वर (सिकंदराबाद)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो॰ रासा सिंह (अजमेर)

रावले, श्री मोहन (मुम्बाई दक्षिण–मध्य)

रिबा, श्री तोमो (अरुणाचल–पश्चिम)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा–पूर्व)

रीगो, श्रीमती हैडविग माइकेल (नामनिर्दिष्ट)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री एन॰ रामकृष्ण (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एम॰ बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री एस॰ रामचन्द्र (हिन्दुपुर)

रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी॰ए॰ चरण (निजामाबाद)

रेड्डी, डा॰ टी॰ सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, डा॰ बी॰एन॰ (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री भूमा नागी (नान्दयाल)

रेड्डी, डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लहिड़ी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)

लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)

लोढा, जस्टिस गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री आर॰एल॰पी॰ (कोडरमा)

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)

वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा (मोहनलाल गंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)

वल्याल, श्री लिंगराज (शोलापुर)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ (मैसूर)

वानगा, श्री चिन्तामन (दहानू)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वेंकटरामन, श्री टिंडिवनाम जी॰ (टिंडिवनाम)

वेंकटेशन, श्री पी॰आर॰एस॰ (कुड्डालोर)

वेंकटेस्वरलु, डा॰ उमा रेड्डी (बापतला)

वेदान्ती, डा॰ राम विलास (मछलीशहर)

वेणुगोपाल, श्री डी॰ (तिरूपतूर)

वेलु, श्री ए॰एम॰ (अर्कोनम)

व्यास, डा॰ गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकर, श्री बी॰एल॰ (चिकमंगलूर)

शर्मा, डा॰ अरविन्द (सोनीपत)

शर्मा, श्री अशोक (राजनंदगांव)
शर्मा, डा॰ अरुण कुमार (लखीमपुर)
शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)
शर्मा, श्री नवल किशोर (अलवर)
शर्मा, डा॰ प्रवीन चंद्र (गुवाहाटी)
शर्मा, श्री मंगत राम (जम्मू)
शर्मा, कैप्टन सतीश (अमेठी)
शिवप्रकाशम, श्री डी॰एस॰ए॰ (तिरूनेलवेली)
शिवा, श्री पी॰एन॰ (पुडुक्कोट्टई)
शेरकर, श्री निवृत्ती सेठ नामदेव (खेड)
शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)
शेल्के, श्री मारूति देवराम (अहमदनगर)
शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)
शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)

ष

षण्मुगम, श्री पी॰ (वेल्लौर)
षणमुगा सुन्दरम, श्री वी॰पी॰ (गोविचेट्टिपालयम)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)
संगमा, श्री पूर्णो ए॰ (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी॰एम॰ (लक्षद्वीप)
सनदी, प्रो॰ आई॰जी॰ (धारवाड़-दक्षिण)
सम्पत, श्री ए॰ (चिरायिंकिल)
सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)
सरदार, श्री माधव (क्योंझर)
सरोदे, डा॰ जी॰आर॰ (जलगांव)
सवानूर, श्रीमती रत्नमाला डी॰ (चिकोडी)
सहाय, श्री हरिवंश (सलेमपुर)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द (फर्रूखाबाद)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
साहु, श्री अनादि चरण (कटक)
साहु, श्री ताराचन्द (दुर्ग)
सिंकु, श्री चित्रसेन (सिंहभूम)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)
सिंह, श्री अशोक (रायबरेली)
सिंह, श्रीमती कान्ति (विक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती केतकी देवी (गोण्डा)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्रभूषण (कन्नौज)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जसवंत (चित्तौड़गढ़)
सिंह, श्री ज्ञान (शहडोल)
सिंह, श्री तिलक राज (सिधी)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, श्री थ॰ चौबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दरबारा (जालंधर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, महारानी दिव्या (भरतपुर)
सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)
सिंह, श्री प्रहलाद (सिवनी)
सिंह, मेजर जनरल विक्रम (हमीरपुर) (हि॰प्र॰)
सिंह, श्री मोहन (फिरोजपुर)
सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री राजकेशर (जौनपुर)
सिंह, कर्नल राव राम (महेन्द्रगढ़)
सिंह, श्री रामबहादुर (महाराजगंज)
सिंह, डा॰ राम लखन (भिंड)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतीहारी)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (औरगांबाद)
सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद (बलिया) (बिहार)
सिंह, श्री शिवराज (विदिशा)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)
सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)
सिंह, श्री सोहनबीर (मुजफ्फरनगर)
सिंह, डा॰ हरि (सीकर)
सिंह देव, श्री के॰पी॰ (ढेंकानाल)
सिद्धराजु, श्री ए॰ (चामराजनगर)
सिन्हा, श्री मृनोज कुमार (गाजीपुर)
सिल्वेरा, डा॰ सी॰ (मिजोरम)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुधीरन, श्री वी॰एम॰ (अलेप्पी)
सुभाष, चन्द्र, श्री (भीलवाड़ा)
सुरेन्द्रनाथ, श्री के॰वी॰ (तिरुअनन्तपुरम)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री के॰डी॰ (शिमला)
सुशील चन्द्र, श्री (भोपाल)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सोनकर, श्री विद्यासागर (सैदपुर)
सोरेन, श्री शिबु (दुमका)
सेल्वारासु, श्री एम॰ (नागापट्टीनम)
सैकिया, श्री मुही राम (नौगांव)
सैनी, श्री प्रताप सिंह (अमरोहा)
सौम्य रंजन, श्री (भुवनेश्वर)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)
स्वामी, श्री आई॰डी॰ (करनाल)
स्वामी, श्री जी॰ वेंकट (पेद्दापल्ली)
स्वामी, श्री सी॰ नारायण (बंगलौर उत्तर)
स्वैल, श्री जी॰जो॰ (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना (तेजपुर)
हसन, श्री मुनव्वर (कैराना)
हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री पूर्णो ए॰ संगमा

उपाध्यक्ष

श्री सूरजभान

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी॰सी॰ चाक्को

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री पी॰एम॰ सईद

कर्नल राव राम सिंह

प्रो॰ रीता वर्मा

महासचिव

श्री एस॰ गोपालन

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

प्रधान मंत्री तथा निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी परमाणु ऊर्जा; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; शहरी कार्य और रोजगार; तथा अन्य मंत्रालय/विभाग जो किसी अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का आबंटित नहीं किये गए हैं, अर्थात् इलैक्ट्रानिकी; विदेश; जम्मू और कश्मीर मामले; महासागर विकास; विद्युत तथा अंतरिक्ष	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
कल्याण मंत्री	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
संचार मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री	श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
नागर विमानन मंत्री	श्री सी॰एम॰ इब्राहीम
कृषि मंत्री	श्री चतुरानन मिश्र
गृह मंत्री	श्री इन्द्रजीत गुप्त
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री एम॰ अरूणाचलम
रक्षा मंत्री	श्री मुलायम सिंह यादव
उद्योग मंत्री	श्री मुरासोली मारन
वित्त मंत्री	श्री पी॰ चिदम्बरम
वस्त्र मंत्री	श्री आर॰एल॰ जालप्पा
रेल मंत्री	श्री राम विलास पासवान
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एस॰ जयपाल रेड्डी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री एस॰आर॰ बोम्मई
पर्यावरण और वन मंत्री	श्री सैफुद्दीन सोज
पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री श्रीकान्त जेना
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री टी॰जी॰ वेंकटरामन
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	श्री किंजारप्पू येरननायडू

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	डा॰ बोला बुल्ली रमैया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री दिलीप कुमार राय
अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद
कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती कांति सिंह
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रमाकांत डी॰ खलप
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री	डा॰ उमारेड्डी वेंकटेस्वरलू
जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शीश राम ओला
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र के॰ अलघ

राज्य मंत्री

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती जयन्ती नटराजन
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती कमला सिन्हा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहम्मद मकबूल डार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री मुही राम सैकिया
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुका चौधरी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलीम इकबाल शेरवानी
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतपाल महाराज
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा॰एस॰ वेणुगोपालाचारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री टी॰आर॰ बालू

लोक सभा

बुधवार, 19 नवम्बर, 1997/28 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा को मदर टेरेसा और हमारे 10 अन्य परम मित्रों सर्वश्री चित्त बसु, एन॰बी॰एन॰ सोमू, महावीर प्रसाद यादव, पी॰ अंकिनीडू प्रसादराव, धर्मपाल सिंह गुप्ता, सतीश अग्रवाल, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, मंडाली वेंकट कृष्ण राव, पीटर जी॰ मरबनियांग तथा हरद्वारी लाल के निधन के बारे में सूचना देनी है।

मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त, 1910 को तत्कालीन यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक स्थान में एगनेज गौक्षहा बोजेक्षलू के रूप में हुआ। उनके माता-पिता अल्बेनियन थे। 12 वर्ष की युवा अवस्था में ही एगनेज को यह विश्वास हो गया कि उन्हें धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। प्रभु की इच्छा के समक्ष नतमस्तक होते हुये युवा एगनेज ने 18 वर्ष की आयु में लोरेटो भिक्षुणियों के सत्संग में प्रवेश ले लिया जो कि बंगाल में सेवा कर रही थीं। उन्होंने दार्जिलिंग में अपना परिवीक्षा-काल आरम्भ किया जहाँ उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में एक शिक्षक की भूमिका स्वीकार कर ली। 24 मार्च, 1931 को उन्होंने पहली शपथ ली और लीसियस के सेंट थैरेस के नाम पर उनका नाम थैरेस रखा गया। 24 मई, 1937 को उन्होंने अंतिम शपथ ली।

10 सितम्बर, 1946 "प्रेरणा दिवस" पर मदर के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया जब उन्होंने प्रभु की पुकार सुनी। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने निर्धनों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए कन्वेंट से बाहर रहने के लिए रोमन कांग्रिगेशन की अनुमति मांगी। 18 अगस्त, 1948 को उन्होंने अपनी लोरेटो की आदत को एक तरफ छोड़कर कन्धे से लटकते क्रास के साथ नीले बार्डर वाली सफेद साड़ी धारण कर ली जो उनकी चिरपरिचित छवि बन गई।

1948 में मदर ने भारत की नागरिकता ग्रहण की। विश्वास तथा असीमित प्यार देने की शक्ति के साथ उन्होंने कलकत्ता में निर्धनों के बीच प्रभु का कार्य आरम्भ किया। गंदी बस्ती में पहला स्कूल खोलकर उन्होंने भारी उत्साह के साथ अपने मिशन की शुरूआत की।

उन्होंने 'निर्मल हृदय' की स्थापना की जहाँ वह और उनकी सिस्टर मिशिनरीज बेसहारा लोगों के अंतिम दिनों में उनकी देखभाल करती थी।

मदर ने ईश्वरीय प्रेम तथा अनुकम्पा के साथ कई स्कूलों, अनाथालयों, कुष्ठ रोग केन्द्रों, अस्पतालों और राहत केन्द्रों की स्थापना की। आधी शताब्दी तक वह बेसहारा लोगों को कूड़े के ढेर में पड़े हुए निराश्रित शिशुओं को सहारा देती रहीं, कुष्ठ रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती रहीं और मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों की सहायता करती रहीं।

मानवता के प्रति उनकी सेवा के लिए विश्व ने उन्हें कई सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें नोबेल शान्ति पुरस्कार, पद्म श्री, भारत श्रेष्ठ, भारत रत्न तथा जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझ बूझ के लिए मेगसेसे अवार्ड तथा पोप जान तेईसवां शान्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।

मदर टेरेसा का निधन 5 सितम्बर, 1997 को कलकत्ता में 87 वर्ष की आयु में हुआ। वह विश्व भर में कोटि-कोटि लोगों के हृदयों में संत के रूप में आदर प्राप्त करती रहेंगी।

श्री चित्त बसु लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और पश्चिम बंगाल के बारसाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

इससे पहले 1957-62 के दौरान वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य थे। 1966-72 तथा 1985-89 के दौरान वह राज्य सभा के सदस्य थे। 1977-84 तथा 1989-96 के दौरान वह छठी, सातवीं, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री बसु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पक्के अनुयायी थे। उनकी साधारण जीवन-शैली, निष्कपटता, जिम्मेवारी की भावना, ईमानदारी, विश्वसनीयता, नम्र व्यवहार तथा लोगों के प्रति प्रेम की भावना के कारण उन्हें सब प्यार देते थे तथा उनका सम्मान करते थे। उन्हें वर्ष 1996 के लिए "सर्वोत्तम नागरिक" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

श्री चित्त बसु एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा विभिन्न किसान एवं ट्रेड यूनियन संगठनों से सम्बद्ध थे। उन्होंने संसद के वाद विवाद में भी काफी रुचि ली और अपने कड़े परिश्रम के कारण वह देश में एक बहुत सफल संसदविद् के रूप में उभरे। वह लोक सभा सभापति तालिका के सदस्य थे तथा सभा की कार्यवाहियों का शालीनता तथा निष्पक्षता से संचालन करते थे। वह विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य थे।

श्री बसु ने विभिन्न देशों का भ्रमण किया था और वह भारत के उस संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे जो बंगलादेश और भारत के बीच जल-बंटवारे के संबंध में बातचीत करने बंगलादेश गया था।

श्री बसु का निधन 72 वर्ष की आयु में 5 अक्तूबर, 1997 को मधुपुर बिहार में हुआ।

श्री चित्त बसु का निधन न केवल उनके अपने दल या संसद के लिए अपितु समूचे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है।

श्री एन•वी•एन• सोमू लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और तमिलनाडु के चेन्नई-उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री थे।

इससे पूर्व वह 1980-84 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1984-89 के दौरान वह आठवीं लोक सभा के भी सदस्य थे।

श्री सोमू पेशे से वकील थे और एक जाने-माने सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। वह 1968-73 के दौरान तत्कालीन मद्रास कार्पोरेशन के काउन्सिलर थे और उन्होंने वर्ष 1971-72 के दौरान चेन्नई के डिप्टी मेयर के रूप में कार्य किया।

श्री सोमू एक श्रमिक नेता थे तथा अनेक वर्षों तक "दी हिन्दू" के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे।

श्री सोमू एक विद्वान व्यक्ति थे। 1953-66 के दौरान वह "द्रविड़यन" नामक तमिल साप्ताहिक के उप संपादक थे।

श्री एन•वी•एन• सोमू का निधन 60 वर्ष की आयु में दुःखद परिस्थितियों में 14 नवम्बर, 1997 को अरूणाचल प्रदेश में लुंगर के निकट एक हेलीकोप्टर दुर्घटना में हुआ।

श्री महाबीर प्रसाद यादव आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 1984-89 के दौरान बिहार के मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1967-68 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। 1968 में वह राज्य सभा के शिक्षा तथा श्रम मंत्री रहे। वह एक राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बाल विवाह तथा जाति प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वह एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् थे तथा वह 1983-84 के दौरान पटना विश्वविद्यालय के प्रति उप-कुलपति रहे।

श्री महाबीर प्रसाद का निधन 13 अगस्त, 1997 को 70 वर्ष की आयु में बिहार के मधेपुरा में हुआ।

श्री पी• अंकिनीडू प्रसादराव वर्ष 1971-84 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के अंगोले तथा बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी, छठी तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व वह 1967-71 के दौरान आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे जहां वह इस दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे। वर्ष 1979 में वह केन्द्र में पर्यटन तथा नागर विमानन राज्य मंत्री रहे।

वह पेशे से एक कृषक थे तथा एक सक्रिय तथा योग्य संसदविद् थे। वह वाणिज्य, विदेश मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। वह भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी संयुक्त प्रवर समितियों के भी सदस्य रहे।

उन्होंने अनेक देशों को दौरा किया तथा वह 1974 में जापान में हुए अंतरसंसदीय सम्मलेन में सरकारी शिष्टमंडल के एक सदस्य थे।

श्री पी• प्रसादराव का निधन 27 अगस्त, 1997 को 68 वर्ष की आयु में विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में हुआ।

श्री धर्मपाल सिंह गुप्ता 1989-91 के दौरान मध्य प्रदेश के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व वह 1967-72 तथा 1977-80 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। 1967-72 के दौरान उन्होंने अपने राज्य में एक केबिनेट मंत्री के रूप में बखूबी अपना दायित्व निभाया।

श्री गुप्ता पेशे से एक कृषक थे तथा एक जाने माने राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह एक सक्रिय संसदविद् थे तथा 1990 के दौरान वह इस्पात और खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री गुप्ता एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काफी कार्य किया। वह दुर्ग स्थित दयानंद शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष थे।

श्री धर्मपाल सिंह गुप्ता का निधन 4 सितम्बर, 1997 को 72 वर्ष की आयु में मुम्बई में हुआ।

श्री सतीश अग्रवाल 1977-84 के दौरान राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे।

इससे पूर्व वह 1957-72 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा एक सुप्रसिद्ध संसदविद् थे। वह 1977-79 के दौरान केन्द्र में वित्त राज्य मंत्री रहे। 1980-81 के दौरान वह लोक लेखा समिति के सदस्य रहे तथा बाद में वह 1981-83 के दौरान इसी समिति के सभापति बने।

श्री अग्रवाल ने अनेक देशों की यात्रा की तथा वह 1971 में कुआलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन तथा 1977 में काठमांडू में, 1978 में वाशिंगटन में तथा 1979 में लंदन में हुए कोलम्बो प्लान सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। वह 1984 में जिनेवा को भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य थे तथा उन्होंने अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री सतीश अग्रवाल का निधन 10 सितम्बर, 1997 को 69 वर्ष की आयु में जयपुर, राजस्थान में हुआ।

पंडिल ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले उन्होंने वर्ष 1957-67 के दौरान मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री ज्योतिषी वर्ष 1952-57 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी एक योग्य संसदविद् थे। वह लोक लेखा समिति, याचिका संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और अन्य परामर्शदात्री समितियों के सदस्य थे।

पंडित ज्योतिषी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने वर्ष 1930-31 में छात्रावस्था में ही 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भी भाग लिया और जेल की यातना झेली।

वह एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर अनेक लेख लिखें। उनके प्रकाशनों में "कलरव", "पांचजन्य," "भगत राम" और "अजेय भारत" उल्लेखनीय है। वे हिन्दी दैनिक "नवभारत" के मुख्य सम्पादक थे और उन्होंने "विन्ध्य केसरी" नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अथक श्रम किया। वह "सदाचार प्रवर्तक समिति" के संस्थापक थे और उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया।

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी का 10 सितम्बर, 1997 को 88 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया।

श्री मंडाली वेंकट कृष्ण राव दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1957-62 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री राव वर्ष 1972, 1978 और 1983 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने समाज कल्याण और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री और शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य तथा सहकारिता मंत्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की।

श्री राव एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए।

श्री राव एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कठिन श्रम किया। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप गरीब और भूमिहीन लोगों को 'बंजर' भूमि वितरित की गई।

श्री राव एक विद्वान व्यक्ति थे। वह "नवीन आन्ध्र" नामक एक तेलुगु पाक्षिक के संपादक थे।

श्री राव का 27 सितम्बर, 1997 को 70 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया।

श्री पीटर जी॰ मरबनियांग 1989-96 के दौरान नौवीं तथा दसवीं लोक सभा में मेघालय के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

इस समय वह मेघालय विधान सभा के सदस्य थे तथा राज्य के समाज कल्याण मंत्री थे। इससे पहले भी वह 1972-83 तथा 1988-89 के दौरान मेघालय विधान सभा के सदस्य रह चुके थे। 1975-83 के दौरान एक मंत्री की हैसियत से उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। जिसके कारण उनकी ख्याति एक योग्य प्रशासक के रूप में हुई। वह 1988-89 के दौरान मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, तब मैं वहां का मुख्य मंत्री था।

श्री मरबनियांग एक योग्य संसदविद् थे तथा वह लोक सभा के चेयरमैन के पैनल में भी थे जहां उन्होंने अपनी कानूनी दक्षता तथा नियमों तथा विनियमों की गहरी जानकारी का परिचय दिया। वह कई संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, परिवहन तथा पर्यटन संबंधी समिति, कार्यमंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के भी सदस्य रहे।

श्री मरबनियांग ने अनेक देशों का दौरा किया तथा वह वर्ष 1988 में केनबरा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। उनका पूरी तरह से विश्व व्यापक दृष्टिकोण था, तथा वह पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे।

श्री पीटर जी॰ मरबनियांग का देहान्त 29 सितम्बर, 1997 को 58 वर्ष की आयु में शिलांग में हुआ। मुझे उनका शिष्य होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था तथा उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है।

श्री हरद्वारी लाल 1984-89 के दौरान आठवीं लोक सभा में हरियाणा के रोहतक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

इससे पहले वह 1962-67 के दौरान पंजाब तथा हरियाणा विधान सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने 1967 में हरियाणा राज्य के शिक्षा तथा योजना मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

वह एक योग्य सांसद थे तथा उन्होंने 1977-78 के दौरान हरियाणा में बाढ़ सलाहकार समिति के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया तथा 1982 में वह एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थाई समिति के सदस्य भी रहे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ एक जाने माने शिक्षाविद् भी थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया।

वह एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने 1965-66 के दौरान एक साप्ताहिक पत्रिका "पंजाब सेंटीनल" का सम्पादन भी किया। उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई जिनमें "चीफ मिनिस्टर रनस एमक" "555 डेज इन जेल" और "मिथ आफ लॉ आफ पार्लियामेंटरी प्रीविलेजज" शामिल हैं।

श्री लाल ने कई देशों का दौरा किया था और 1982 में वह कांउसिल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कामनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के सदस्य

भी थे। श्री हरद्वारी लाल का निधन चंडीगढ़ में 21 अक्तूबर, 1997 को 87 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि इन शोक संतप्त परिवारों को संवेदना व्यक्त करने में सभा हमारे साथ है।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं 18 नवम्बर, 1997 को उत्तरी दिल्ली में वजीराबाद के निकट यमुना नदी में एक स्कूल बस के गिर जाने से 30 स्कूली बच्चों की मृत्यु हो गई और करीब 70 बच्चे घायल हो गये। हम इस त्रासदी पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ क्षण के लिये मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री चित्त बसु ने अपने जीवनकाल के दौरान मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ अवसरों पर कहा कि यदि उनकी संसद के सत्र के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो वह नहीं चाहेंगे कि सभा स्थगित हो। दूसरी और यदि संसद में अधिक कार्य किया जाएगा तो उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी। माननीय सदस्य श्री अमर रायप्रधान द्वारा हस्ताक्षरित फारवर्ड ब्लॉक पार्टी द्वारा लिखित रूप से इस बात की पुष्टि की गई थी। मैंने यह पत्र कल राजनीतिक दलों की बैठक के समक्ष रखा और हमने मामले पर चर्चा की और राजनीतिक दलों ने उनकी इच्छा की प्रशंसा की।

लेकिन चूंकि आज हम न केवल श्री चित्त बसु की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं बल्कि मदर टेरेसा और जिस तरह से श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू की दुखद मृत्यु हुई है, के लिए भी शोक व्यक्त कर रहे हैं अतः राजनीतिक दलों ने कल यह निर्णय लिया है कि इन सब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सभा स्थगित करनी चाहिए।

अतः सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

*1. **श्री बी॰एम॰ सुधीरन :***

डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के मानसून सत्र के बाद प्रधान मंत्री ने अब तक किन-किन देशों की यात्रा की;

(ख) प्रधान मंत्री ने अपनी इन विदेश यात्राओं के दौरान किन-किन नेताओं के साथ बैठकें की;

(ग) इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किये गये प्रत्येक करारों/समझौता ज्ञापनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन करारों/समझौता ज्ञापनों से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ङ) प्रधान मंत्री ने अपनी यात्राओं के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर क्या रवैया अपनाया; और

(च) इन विदेश यात्राओं पर कुल कितनी राशि खर्च हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) संसद के मानसून के सत्र के बाद प्रधान मंत्री ने तंजानिया, न्यूयार्क, इटली, युगाण्डा, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र तथा एडिनबर्ग की यात्रा की।

(ख) **तंजानिया**

तंजानिया के राष्ट्रपति

न्यूयार्क

उक्रेन के राष्ट्रपति

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री

मोरक्को के प्रधान मंत्री

जमैका के प्रधान मंत्री

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

रूस के प्रधान मंत्री

चीन के उप-प्रधान मंत्री

फ्रांस के विदेश मंत्री

ईरान के विदेश मंत्री

मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त

इटली

इटली के राष्ट्रपति

इटली के प्रधान मंत्री

महामहिम पवित्र पोप के साथ दर्शक

युगाण्डा

युगाण्डा के राष्ट्रपति

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति

दक्षिण अफ्रीका के उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रीय एसेम्बली के स्पीकर

विदेश मंत्री

रक्षा मंत्री

गृह मंत्री

न्याय मंत्री

खनिज एवं ऊर्जा कार्य मंत्री

वित्त मंत्री

डाक मंत्री

लोक निर्माण मंत्री

गौतेंग प्रान्त के प्रधान मंत्री

क्वाजुलू-नाटाल प्रान्त के प्रधान मंत्री

मिस्र

मिस्र के राष्ट्रपति

मिस्र के प्रधानमंत्री

विदेश मंत्री

अरब लीग के महासचिव

एडिनबर्ग

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के 50 से अधिक नेताओं से मुलाकात की और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, बंगलादेश के प्रधान मंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति और मारीशस के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बातचीत की।

(ग) युगांडा

वायु सेवा संबंधी एक करार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

दक्षिण अफ्रीका

(i) भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार,

(ii) पर्यटन के संबंध में सहयोग पर करार,

(iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृषि एवं ग्रामीण विकास, मौलिक विज्ञान, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना विज्ञान, माइक्रो इलैक्ट्रानिक इत्यादि) के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम,

(iv) भारत दक्षिण अफ्रीका वाणिज्यिक संबंध का विचारार्थ विषय (इसमें क्षेत्रीय आधार पर सहयोग के संबंध में चर्चा करने के लिए दोनों सरकार और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं।)

मिस्र

(i) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर करार

(ii) सीमा शुल्क संबंधी मामलों में परस्पर सहायता और सहयोग पर करार,

(iii) सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग का कार्यकारी कार्यक्रम।

(घ) युगांडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ संपन्न करार से लोगों से लोगों के बीच संपर्क संवर्धित करने अपेक्षाकृत अधिक व्यापार और निवेश को सुसाध्य बनाने और कौशल तथा संसाधनों की संपूरकता का पता लगाने में सहायता मिलने की संभावना है।

2. पर्यटन के क्षेत्र में मिस्र के साथ संपन्न करार (क) पर्यटक यात्रा से संबद्ध क्रिया-विधियों को सरल बनाएंगे, (ख) ट्रेवल एजेंटों के क्रिया-कलापों, वाणिज्यिक यात्रा संचालकों, होटल श्रृंखलाओं को प्रोत्साहन देंगें और (ग) पर्यटन के क्षेत्र में स्थिर उद्यम लगाने की संभावना को सुसाध्य बनाएंगे। सीमा शुल्क के मामलों में परस्पर सहायता और सहयोग से संबद्ध करार ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगा जो आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं और यह कर्तव्यों के सही सही आकलन में तथा सीमा शुल्क कानूनों के प्रवर्तन में भी सहायक होगा। कृषि, शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग के कार्यकारी कार्यक्रम, सेमिनारों, पुस्तक मेलों, फिल्म महोत्सवों और छात्रवृत्ति अनुदानों के आयोजन के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच संपर्क को संवर्धित करेंगे।

(ङ) यात्राओं के दौरान कश्मीर के मसले पर प्रधान मंत्री का रवैया वैसा ही रहा जैसा कि विगत में सदन को बताया जा चुका है, अर्थात् जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है और भारत की संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता और धर्मनिरपेक्ष एकता के बारे में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री ने शिमला समझौता के आधार पर पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। जिन नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की उन सभी ने इस बात की पुष्टि की कि वे इसमें मध्यस्थता नहीं करना चाहते हैं और वे इसे एक ऐसा द्विपक्षीय मसला समझते हैं जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के दौरान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी और विदेश सचिव स्तर पर चल रही वार्ता पर विचार-विमर्श हुआ।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डेंगू

*2. डा॰ बलिराम :

डा॰ प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान राजधानी तथा देश के अन्य भागों में डेंगू वाइरस का प्रकोप हुआ था और इसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या कितनी है और कितने रोगियों की मृत्यु हो गई.

(ग) अस्पतालों में डेंगू के रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस रोग के इलाज और रोकथाम के लिए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) डेंगू वायरस का संक्रमण, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में व्याप्त है। अब तक 1997 के दौरान डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर से 16 मौतें होने की सूचना दी गई है।

(ख) राज्यवार सूचित घटनाओं और मौतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर एक विषाणुज रोग है और इनका कोई विशिष्ट उपचार नहीं हैं तथापि, इस रोग पर काबू पाने के लिए लाक्षणिक उपचार और समुचित रोगी प्रबंधन दो महत्वपूर्ण कार्यनीतियां हैं। सभी सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वे डेंगू के रोगियों को उपचार के लिए भर्ती करें। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को रोगी प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा डेंगू के प्रकोप पर कारगर ढ़ंग से काबू पाने के लिए एक कार्ययोजना और एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है और सभी राज्यों को मार्गदर्शन और अपनाने हेतु परिचालित की गई है। राष्टीय संचारी रोग संस्थाओं द्वारा 147 राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू के प्रबंधन और नियंत्रण कार्य से प्रशिक्षित किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997 में डेंगू/डेंगू रक्तस्रावी ज्वर के कारण हुई घटनाएं और मौतें जो सूचित की गई हैं

क्र॰सं॰	राज्य	रोगी	मौतें
1	2	3	4
1.	दिल्ली	271	1
2.	गुजरात	5	0
3.	हरियाणा	32	0
4.	कर्नाटक	257	4
5.	महाराष्ट्र	249*	5
6.	पंजाब	21	4
7.	राजस्थान	17	1
8.	उत्तर प्रदेश	29	1
	कुल	881	16

* डेंगू के संदिग्ध रोगी।

[अनुवाद]

नई रोजगार योजनाएं

*3. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई विशेष रोजगार योजना शुरू की है अथवा शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रोजगार अवसरों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(च) क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार का विचार श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ज) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन॰एस॰एस॰ओ॰) के द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में 1987-88 से 1993-94 की अवधि के दौरान कमी आई है, बेरोजगारी दर जो 1987-88 में 3.77 प्रतिशत थी घटकर 1993-94 में 2.56 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1987-88 एवं 1993-94 की राज्यवार शिक्षित बेरोजगारी विवरण के रूप में संलग्न है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में गहन उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उच्च बेरोजगारी

एवं अल्प बेरोजगारी बहुल क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रों, उप क्षेत्रों एवं प्रौद्योगिकियों पर बल देने से स्वतः ही अत्यधिक उत्पादक रोजगार विकासात्मक प्रक्रिया में सृजित होगा।

विवरण

राज्य-वार शिक्षित बेरोजगारी दर (%) 1987-88 एवं 1993-94

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1987-88 सामान्य वास्तविक स्तर	1993-94 सामान्य वास्तविक स्तर
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	14.24	9.18
2. अरूणाचल प्रदेश	0.55	5.19
3. असम	17.64	29.02
4. बिहार	11.30	11.19
5. गोवा		15.04
6. गुजरात	5.49	4.54
7. हरियाणा	13.69	7.98
8. हिमाचल प्रदेश	14.23	7.95
9. जम्मू और कश्मीर	10.77	7.05
10. कर्नाटक	10.60	9.00
11. केरल	34.98	25.20
12. मध्य प्रदेश	7.32	9.05
13. महाराष्ट्र	7.70	7.01
14. मणिपुर	10.00	7.92
15. मेघालय	1.33	1.80
16. मिजोरम	0.59	6.26
17. नागालैण्ड	6.81	5.93
18. उड़ीसा	21.87	17.24
19. पंजाब	10.17	6.02
20. राजस्थान	7.21	3.75
21. सिक्किम	6.39	4.34
22. तमिलनाडु	14.40	11.80
23. त्रिपुरा	18.82	16.69
24. उत्तर प्रदेश	7.20	5.12
25. पश्चिम बंगाल	15.98	15.17
26. अंडमान व निकोबार	7.73	14.76
27. चण्डीगढ़	9.60	9.50
28. दादर व नगर हवेली	6.36	3.08
29. दमन और दीव	15.46	3.71
30. दिल्ली	4.68	2.10
31. लक्षद्वीप	27.55	22.63
32. पांडिचेरी	16.54	11.98
अखिल भारत	11.86	9.56

स्रोत : रा•न•स•सं• - 43वां (1987-88) एवं 50वां (1993-94) दौर का सर्वेक्षण। (बेरोजगार श्रम बल की प्रतिशतता के अनुसार)

विद्युत वित्त निगम

*4. **श्री नारायण आठवले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कोई प्रचलनात्मक और वित्तीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के निष्पादन का राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में इन योजनाओं का मूल्यांकन/समीक्षा की है;

(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न योजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान दिए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के• अलघ) : (क) ओ•एफ•ए•पी• राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पी•एफ•सी• के साथ परामर्श करके तथा एक सलाहकार के सहयोग से निदानात्मक अध्ययन करने के पश्चात् तैयार किए जाते हैं। एक बार जब ओ•एफ•ए•पी• का प्रारूप तैयार कर लिया जाता है, इस पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा पी•एफ•सी• के साथ परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य विद्युत बोर्ड ओ•एफ•ए•पी• को संबंधित राज्य सरकार से अनुमोदित करवाता है। ओ•एफ•ए•पी• एक सतत् अनुक्रिया होने के कारण इसे एक विशिष्ट योजना अवधि के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्ड, जिनके पास पी•एफ•सी• के साथ एक उपयुक्त स्वीकार्य ओ•एफ•ए•पी• है, के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा वित्तपोषित राज्यवार स्कीमों पर मूल्यांकन/समीक्षा सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः नहीं किया जाता है। विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण महाराष्ट्र की स्कीमों समेत राज्यों की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, संचारण वितरण तथा अन्य मामलों जिनमें पी॰एफ॰सी॰ तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, पर राज्यवार बैठकों में की जाती है। पी॰एफ॰सी॰ वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की स्वीकृति/प्रबोधन/समीक्षा निगम द्वारा ही की जाती है। तथापि, सरकार इस निगम के कार्यकरण पर मासिक रिपोर्ट, तिमाही निष्पत्ति बैठकों तथा समय-समय पर आयोजित अन्य बैठकों के माध्यम से इस निगम द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं/स्कीमों समेत निगम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है।

(घ) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन ने 1997-98 (31.10.97 तक) निम्नवत् विवरण के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को 535.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है:-

(करोड़ रु॰ में)

क्र॰सं॰	कार्य-स्वरूप	स्वीकृत राशि
1.	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	11.20
2.	कैपेसिटर	16.60
3.	संचारण	157.80
4.	ताप विद्युत	350.00
	कुल	535.60

(ङ) महाराष्ट्र की केवल एक परियोजना अर्थात् पातालगंगा संयुक्त साईकल गैस-आधारित विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी है।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्ड जिनके पास पी॰एफ॰सी॰ के साथ उपयुक्त एक स्वीकार्य ओ॰एफ॰ए॰पी॰ के नाम

क्र॰सं॰	युटिलटी का नाम	से उपयुक्त ओ॰एफ॰ए॰पी॰
1	2	3
राज्य बिजली बोर्ड		
1.	एपीएसईबी*	जून, 95
2.	पीएसईबी*	जून, 96
3.	एमपीईबी	अप्रैल, 97
4.	केईबी*	जनवरी, 97
5.	जीईबी*	अप्रैल, 95
6.	एमएसईबी	जनवरी, 92
7.	एचपीएसईबी	मार्च, 92
8.	टीएनईबी*	अक्तूबर, 97
9.	आरएसईबी*	मार्च, 92
10.	यूपीएसईबी	जुलाई, 93
11.	एचएसईबी**	जून, 97
12.	केएसईबी	सितंबर, 95
13.	डब्ल्यूबीएसईबी	अप्रैल, 96
राज्य विद्युत उत्पादन निगम		
14.	ओपीजीसी	अगस्त, 91
15.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	फरवरी, 92
16.	टीवीएनएल	मार्च, 92
17.	बीएसएचपीसीएल	मार्च, 93
18.	डीपीएल	अगस्त, 93
19.	केपीसीएल	अगस्त, 94
20.	ओएचपीसीएल	दिसंबर, 95
नगर निगम		
21.	बेस्ट	मार्च, 94
विद्युत विभाग		
22.	नागालैंड	सितंबर, 95
23.	मिजोरम	फरवरी, 97
संयुक्त उद्यम		
24.	डीवीसी	अप्रैल, 96

* ओएफएपी संशोधित।

** राज्य जो सुधारों के लिए सहमत हैं के लिए सुधार ओ॰एफ॰ए॰पी॰।

इन्डो-नेपाल शांति और मैत्री संधि

*5. श्री रनजीब बिसवाल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि को रद्द करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार ने किन-किन विशिष्ट अनुच्छेदों को रद्द करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हुई दो दिवसीय वार्ता का क्या नतीजा निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जून में प्रधानमंत्री की नेपाल की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसरण में दोनों विदेश सचिवों ने 19-21 अगस्त, को दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की थी जिनमें द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और पारगमन, जल संसाधन, भारत नेपाल सीमा का प्रबन्ध और सीमांकन तथा 1950 की भारत नेपाल शान्ति और मैत्री संधि सहित विविध क्षेत्र शामिल थे। वार्ता के अंत में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल के महामहिम की सरकार के विदेश सचिव महामहिम श्री कुमार प्रसाद ग्यानली और भारत के विदेश सचिव श्री कृष्णन रघुनाथ के बीच 19-21 अगस्त, 1997 तक नई दिल्ली में बैठक हुई। नेपाल के विदेश सचिव, महामहिम के साथ महामहिम की सरकार के विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव श्री मुरारी राज शर्मा और नई दिल्ली में नेपाल के शाही राजदूतावास में कार्यदूत श्री राम भक्त ठाकुर थे। भारत के विदेश सचिव के साथ काठमाण्डु में भारत के राजदूत श्री के॰बी॰ राजन और विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे। बैठक में दोनों पड़ौसी देशों के बीच विदेश सचिव स्तर पर व्यापक परामर्श की परम्परा कायम रही।

भारत के प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल की 5-7 जून, 1997 तक की नेपाल यात्रा के दौरान जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्य में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसरण में दोनों विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की जिनमें द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और पारगमन, जल संसाधन, से संबंधित मामले, भारत-नेपाल सीमा के प्रबंध और सीमांकन के संबद्ध मसले और भारत तथा नेपाल के बीच 1950 की शान्ति और मैत्री संधि सहित विविध क्षेत्र शामिल थे।

यह सहमति हुई थी कि नेपाल और बंगलादेश के बीच फुलबारी होकर एक और पारगमन मार्ग के लिए कार्यकारी व्यवस्था का ब्यौरा भारत सरकार नेपाल के महामहिम को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएगी ताकि एक सितम्बर से मार्ग को चालू किया जा सके।

यह भी सहमति हुई थी कि सीमा प्रबंध पर संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में अक्तबूर माह में परस्पर सुविधाजनक तारीख को होगी। दोनों पक्षों ने मिलकर काम करने और आतंकवाद के अत्याचार से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और एक-दूसरे की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल निदेशित क्रिया कलापों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने देने की अनुमति न देने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई।

सीमा से सम्बद्ध भारत-नेपाल संयुक्त तकनीकी समिति का संयुक्त कार्यकारी दल काला-पानी क्षेत्र सहित पश्चिमी क्षेत्र में सीमा रेखांकन से संबंधित संगत पहलुओं पर अपनी चर्चा जारी रखेगा और सितंबर में नई दिल्ली में अपनी चौथी बैठक आयोजित करेगा।

आर्थिक सहयोग पर यह सहमति हुई कि एक पुलिस अकादमी की स्थापना में भारतीय सहायता के लिए नेपाल के अनुरोध पर तत्परता से कार्यवाही की जाएगी और यह कि गृह-सचिव स्तर की वार्ता के आगामी दौर से पूर्व दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों की बैठक में ब्यौरों पर चर्चा की जाएगी।

पंचेश्वर परियोजना के संबंध में दोनों विदेश सचिवों ने सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच पत्राचार के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में हो रही प्रगति को देखा और इस बात पर सहमत हुए कि संबंधित विशेषज्ञ दलों की यथाशीघ्र बैठक हो ताकि संगत सिफारिशों के साथ-साथ आगे की वास्तविक प्रगति को उच्च स्तरीय कार्य-दल के समक्ष अक्तूबर, 1997 में होने वाली उसकी 5वीं बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

नेपाली पक्ष ने बहु-प्रयोजनीय जल-विद्युत परियोजनाओं, जो नेपाल में निष्पादित की जा सकती हैं, से अनु-प्रवाह लाभों का प्रश्न उठाया। यह सहमति हुई थी कि इस मामले पर दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रालयों के बीच चर्चा होगी।

नेपाल में भारतीय विद्यालय और कालेज अध्यापकों की सेवाओं के विनियमन के प्रश्न के बारे में, जिस पर 1991 में सहमति हुई थी, नेपाल के विदेश सचिव ने भारत के विदेश सचिव को संक्षेप में महामहिम की सरकार द्वारा मामले पर विचार करने में हुई प्रगति की जानकारी दी। महामहिम की सरकार इस मामले पर निरन्तर ध्यान देती रहेगी।

बीरगंज में भारत का प्रधान कोंसलवास की स्थापना के अनुरोध के संबंध में नेपाल के विदेश सचिव ने कहा था कि यह नेपाल के महामहिम की सरकार के विचाराधीन है।

दोनों पक्षों ने भारत-नेपाल संबंधों को विकसित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक संरचना के रूप में 1950 की सन्धि की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों की आज की आवश्यकताओं और हित-चिंताओं को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ समीक्षा के लिए सुझावों के संदर्भ में संधि के विभिन्न पहलुओं की जांच की। यह सहमति हुई थी कि इससे संबद्ध विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

महामहिम नेपाल के विदेश सचिव भारत के वाणिज्य सचिव, जल संसाधन सचिव से भी मिलने गए।

बातचीत मैत्रीपूर्ण, मुक्त और सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि बैठक उपयोगी और रचनात्मक

रही और इससे महत्वपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान हुआ है। यह सहमति हुई थी कि इस वर्ष के अंत में परस्पर सुविधाजनक तारीखों पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता के अगले दौर में बातचीत जारी रहेगी।

[हिन्दी]

महिला कामगार

***6. श्री छीतुभाई गामीत :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत महिला कामगारों की संख्या के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कारखानों में काम कर रही महिला मजदूरों, घरों में काम करने वाली नौकरानियों तथा महिला बीड़ी कामगारों की अलग-अलग संख्या का भी पता लगाया है;

(घ) क्या सरकार ने उनकी साक्षरता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उन्हें दी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला कामगारों की संख्या 89,767,563 है। महिला कामगारों की संख्या के संबंध में राज्य-वार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

महिला कारखाना कामगारों की 1994 में संख्या 5.91 लाख थी। 1995 में संगठित क्षेत्र में बीड़ी बनाने के कार्य में 1.76 लाख महिलाएं नियोजित थीं। घरेलू महिला कामगारों की संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जब कि महिला कामगारों के बीच साक्षरता स्तर के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया, 1991 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की कुल साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत थी।

महिला कामगारों को दी जा रही सुविधाओं के ब्यौरे अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :-

(1) देश में स्थित 442 जिलों में समग्र साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत 15-35 वर्षों की आयु वर्ग वाली निरक्षर महिला कामगार भी कृत्यकारी साक्षरता प्राप्त कर सकती हैं।

(2) सहायकता अनुदान योजना के अंतर्गत, महिला कामगारों में जागरूकता सृजित करने के लिए भी स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

महिला श्रमिकों की राज्य-वार संख्या (1991 की जनगणना)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमान्त कर्मकारों सहित कुल महिला कर्मकार
1.	आंध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरूणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैण्ड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16,584
26.	चण्डीगढ़	29,443
27.	दादरा और नगर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	1,906
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911
	भारत	89,767,563

नोट : 1991 में जम्मू एवं कश्मीर में जनगणना नहीं करवायी गयी थी।

[अनुवाद]

भारत-पाक संबंध

*7. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी :
श्री ए॰सी॰ जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक संबंधों में और सुधार लाने हेतु भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में कोई प्रगति हुई है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्ता के दौरान विगत भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान में कैद युद्ध-बंदियों के मुद्दे पर भी चर्चा की गयी थी;

(घ) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने कश्मीर मुद्दे के संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कोई स्पष्ट बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ 12 मई, 1997 की माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान; 23 सितम्बर, 1997 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर; और 25 अक्तूबर, 1997 को एडिनबर्ग में उस समय जब राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक में दोनों प्रधान मंत्री मिले, द्विपक्षीय बातचीत की।

इन बैठकों में दोनों देशों के बीच चल रही उच्चतम राजनीतिक स्तर की बातचीत को नया आयाम मिला है जो कि अपने में महत्वपूर्ण है। इन बैठकों में उस समय पाकिस्तान के साथ विश्वास, मैत्री और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी इच्छा को दोहराने के लिए अवसर मिला, साथ ही हमने सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पाकिस्तानी कार्यवाहियों के संबंध में हमने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की।

प्रधान मंत्री ने घुसपैठ और जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और संवर्धन के संबंध में हमारी गंभीर चिंता से अवगत करा दिया है और ऐसी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है। प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अकारण गोलाबारी के बारे में अपनी गंभीर चिंता से भी अवगत करा दिया है। इस गोलाबारी से निर्दोष नागरिक हताहत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह जोर दिया कि अकारण गोलाबारी बन्द होनी चाहिए तथा जम्मू और कश्मीर में नियत्रंण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों की रक्षा सेनाओं के बीच बेहतर संचार और प्रबंध होना चाहिए। वार्ताओं के दौरान संबंधों के मानवीय पक्ष पर भी चर्चा की गई और दोनों देशों के लोगों से लोगों के बीच कार्यकलापों के संवर्धन की हमारी इच्छा को दोहराया गया। लोगों के बीच और अधिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए तथा अकादमियों, पत्रकारों, विद्वानों, व्यापारियों के बीच कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए हमने वीसा प्रणाली को उदार बनाने हेतु भी कदम उठाए हैं। दोनों देशों की जेलों में बन्द एक-दूसरे देश के मछुआरों को छोड़ने का भी निर्णय लिया गया। गुमशुदा भारतीय रक्षा कार्मिकों, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं, का मामला भी उठाया गया। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि पाकिस्तान की जेलों में कोई भी भारतीय युद्धबन्दी नहीं है।

दोनों देश इस समय विदेश-सचिव स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता का रूप निर्धारित करने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि ये क्रिया-विधियाँ इस प्रकार की हों जिनसे दोनों पक्षों के बीच व्यापक, रचनात्मक तथा सतत् वार्ताएं सुनिश्चित हो सकें। प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को *द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने की हमारी वचनबद्धता के बारे में सूचित किया।*

मोतियाबिंद जनित अंधता

*8. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दृष्टिहीन लोगों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या उनकी दृष्टिहीनता का मुख्य कारण मोतियाबिंद है;

(ग) क्या सरकार ने मोतियाबिंद का आपरेशन करने के लिए विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मोतियाबिंद नियंत्रण परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो मोतियाबिंद जनित अंधता के नियंत्रण के सिलसिले में अब तक की उपलब्धि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 1986-89 के आधार पर यह अनुमान है कि 12 मिलियन से अधिक व्यक्ति देश में आर्थिक रूप में दृष्टिहीन हैं। प्रतिवर्ष मोतियाबिंद के 12 मिलियन नए रोगी बढ़ जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों सहित अल्प-सेवित इलाकों में दो चरणों में निश्चित तारीखों की वृहत् नेत्र शिविर (मेगा आई कैम्प) आयोजित करने का निर्णय लिया है :-

चरण-I	1 से 6 अक्तूबर, 1997
चरण-II	30 जनवरी से 4 फरवरी, 1998

इन सप्ताहों के दौरान मोतियाबिंद के 5 लाख अतिरिक्त आपरेशन करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, हां। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त मोतियाबिंद दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1994 से कार्यान्वित की जा रही है।

(च) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत मोतियाबिंद के आपरेशनों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (लाख में)
1994-95	14.6	12.8 (88 प्रतिशत)
1995-96	15.5	15.0 (97 प्रतिशत)
1996-97	16.5	17.1 (103 प्रतिशत)

कृषि कामगार संबंधी कानून

*9. श्री एल॰ रमना :
श्री मदन पाटिल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कामगारों के कल्याण के लिए कानून बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कानून को कब तक पारित किए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि कामगारों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम समितियां गठित करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) देश में कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबंध के अंतर्गत पहले ही शामिल किया गया है। तथापि, कृषि कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान करने और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों को वित्तपोषित करने के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना हेतु एक व्यापक कानून बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा वह सरकार के विचाराधीन है। इस विषय पर एक विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तथा इसे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक योजना राशि

*10. श्री अय्यन्ना पटरूभु :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत उपक्रम अपनी वार्षिक निधि का पूरी तरह उपयोग नही कर रहे हैं जिससे विलंब हो रहा है तथा लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी तथा उनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) 1996-97 के लिए विद्युत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) परियोजना निर्माण/क्रियाकलापों संबंधी सीपीएसयू के पिछले 3 वर्षों के दौरान का वर्षवार योजनागत परिव्यय और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है :-

	1994-95		1995-96		1996-97	
	योजना परिव्यय	व्यय	योजना परिव्यय	व्यय	योजना परिव्यय	व्यय
	1	2	3	4	5	6
एनटीपीसी	2643.55	2519.54	1700.74	1572.25	1949.89	1252.89
एनएचपीसी	1277.91	833.82	1337.69	889.20	1136.02	494.54
पीजीसीआईएल	1110.75	935.56	1515.84	1470.71	1500.00	1557.05
डीवीसी	506.04	272.44	329.00	250.00	408.00	180.50

	1	2	3	4	5	6
टीएचडीसी	160.00	132.64	211.17	147.17	170.00	170.00
एनजेपीसी	566.33	416.04	530.00	415.01	521.17	496.13
नीपको	522.01	546.31	498.40	458.08	336.40	179.55

सीपीएसयू के लिए वर्षवार निधियों के आबंटन के बारे में निर्णय कार्य के संभावित स्रोत, वित्त पोषण के संभावित स्रोत तथा कार्य एवं नई परियोजनाओं के लिए भावी आयोजना के आधार पर किया जाता है इसलिए योजना परिव्यय सांकेतिक होते हैं। वास्तविक व्यय निर्माणाधीन कार्यों की वस्तुतः प्रगति, नई स्कीमों के अनुमोदन, अपेक्षित निधियां जुटाने के लिए सीपीएसयू की क्षमता, पूंजी बाजार में निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी प्रकार से पिछड़ जाने से बचने के लिए निधि सदुपयोग में प्रगति की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान 2868.50 मे॰वा॰ के लक्ष्य की अपेक्षा 1691.40 मे.वा. की विद्युत क्षमता जोड़ी गई। इसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 817.50 मे.वा. क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उपलब्धि 703.50 मे.वा. की थी।

उपग्रह कार्यक्रम

*11. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री बी॰एल॰ शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा छोड़े गए विभिन्न इन्सैट उपग्रहों का कालक्रमानुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपग्रहों में से प्रत्येक उपग्रह के संबंध में सफलता की दर क्या है;

(ग) क्या इन इन्सैट उपग्रहों में से किसी उपग्रह में प्रचालन संबंधी कोई खराबी आई थी तथा इसके क्या कारण थे;

(घ) इन पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ङ) क्या इन इन्सैट उपग्रहों के प्रक्षेपण से प्राप्त प्रौद्योगिकीय और अन्य लाभों का आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उन अत्याधुनिक उपग्रह कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो इस समय इसरो के समक्ष हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) :

(क) इन्सैट-1 ए – 10.04.1982 को प्रमोचित

इन्सैट-1 बी – 30.08.1983 को प्रमोचित

इन्सैट-1 सी – 22.07.1988 को प्रमोचित

इन्सैट-1 डी – 12.06.1990 को प्रमोचित

इन्सैट-2 ए – 10.07.1992 को प्रमोचित

इन्सैट-2 बी – 23.07.1993 को प्रमोचित

इन्सैट-2 सी – 07.12.1995 को प्रमोचित

इन्सैट-2 डी – 04.06.1997 को प्रमोचित

(ख) इन्सैट-1 ए – सितम्बर, 1982 में असफल।

इन्सैट-1 बी – अपनी निर्धारित 7 वर्ष की कालावधि से अधिक तक सफलतापर्वूक कार्य किया।

इन्सैट-1 सी – इसके प्रमोचन के 10 दिनों की अवधि में इसने अपनी क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत क्षति वहन की। शेष क्षमता के साथ लगभग 16 महीनों तक कार्य किया तथा उक्त अवधि के बाद इसे पूर्ण क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया।

इन्सैट-1 डी – इस समय कार्यशील है तथा अपनी निर्धारित कालावधि पूरी कर चुका है।

इन्सैट-2 ए – इसने 5.5 वर्षों से अधिक अवधि तक सफलतापूर्वक कार्य किया तथा अब यह प्रचालन के आनति कक्षीय विधा में विद्यमान है।

इन्सैट-2 बी – अपने प्रमोचन के समय से अभी तक सेवा प्रदान कर रहा है।

इन्सैट-2 सी – अपने प्रमोचन के समय से अभी तक सेवा प्रदान कर रहा है।

इन्सैट-2 डी – अक्तूबर 5, 1997 को कक्षा में असफल हो गया।

(ग) इन्सैट-1ए लघु विसंगतियों के जटिल पारस्परिक प्रभाव, जिससे ईंधन समाप्त हो गया के कारण विफल हो गया। इन्सैट-1सी

की अपनी आनुक्रमिक शंट यूनिट में एक पावर बस में शार्ट सर्किट हो गया और लगभग 1.5 वर्ष की अवधि तक आधी पावर पर कार्य करता रहा। बस प्रणाली में अतिरिक्त क्षमताओं की क्षति के कारण तथा इसके तापीय क्षेत्र के प्रबंध में कठिनाइयों के कारण भी उपग्रह ने अपनी दिशा खो दी और इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। इन्सैट-2डी की एक पावर बस में व्यापक शार्ट सर्किट हो गया, जिससे सौर व्यूह अवरूद्ध हो गया, जटिल तापीय समस्याएं हो गई तथा इसका ईंधन समाप्त हो गया।

(घ) इन पर हुआ कुल वित्तीय परिव्यय निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	अन्तरिक्षयान की लागत	प्रमोचन लागत और बीमा (वास्तविक)
इन्सैट-1ए और 1बी	55.29	30.41
इन्सैट-1सी	80.28	46.29
इन्सैट-1डी	79.58	61.55
इन्सैट-2ए, 2बी	329.94	198.30
इन्सैट-2सी, 2डी और 2ई	480.70	785.10

(ङ) और (च) इन्सैट प्रणाली ने स्वयं को देश के मूलभूत संचार और मौसम विज्ञानीय अवसंरचना के रूप में स्थापित किया है। इन्सैट प्रणाली में 280 से अधिक स्थलीय भू-केन्द्र, 800 टी.वी. ट्रांसमीटर, और 190 से अधिक आकाशवाणी के ट्रांसमीटर हैं, इन सभी को इन्सैट अन्तरिक्षयानों के माध्यम से नेटवर्क किया गया है। इन्सैट ने सुदूर और अगम्य क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों को संयोजकता प्रदान करने में सहायता की है। इसमें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सहित 5000 से भी अधिक निजी वीसैट उपयोगकर्ता हैं, जो इन्सैट के माध्यम से कार्य करते हैं। इन्सैट उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी तथा आपदा प्रबंध के लिए सुदूर प्लेटफार्मों के प्रतिदिन अत्यंत उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.) प्रतिबिम्बिकी और मौसम विज्ञानीय आंकड़े प्रदान करते हैं। आपदा चेतावनी प्रणाली, जो कि इन्सैट के माध्यम से एक अद्वितीय सेवा है, अत्यंत उपयोगी बन गई है और गत वर्षों में इसने कई हजार जीवन बचाए हैं। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान नेटवर्क (निकनेट) जैसे आंकड़ा नेटवर्कों ने न्यायपालिका सहित प्रशासन के सभी स्तरों पर बहुमूल्य लाभ पहुंचाया है। टी.वी. नेटवर्क के तीव्र विस्तार ने मनोरंजन प्रदान करने के अलावा निश्चित रूप से देश के प्रत्येक भाग में सूचना संबंधी क्रांति ला दी है। इन्सैट प्रणाली का शैक्षिक महत्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), प्रशिक्षण तथा विकास संचार नेटवर्क, झाबुआ विकास संचार परियोजना इत्यादि द्वारा इन्सैट के उपयोग से पर्याप्त रूप में सिद्ध किया जा चुका है।

इन्सैट कार्यक्रम के लिए अपनाई गई वर्तमान लेखाविधि प्रणाली में, प्रयोक्ता एजेंसियों से निधि का स्थानांतरण न होने के कारण प्रणाली से प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभों के सही आकलन की अनुज्ञा नहीं है। तथापि, यह विश्वास से कहा जा सकता है कि प्रणाली ने स्वयं लाभ देना शुरू कर दिया है। एक संतुलित अनुमान के आधार पर इस समय इन्सैट प्रणाली का वार्षिक राजस्व 350.00 करोड़ रुपये के लगभग है।

(छ) इन्सैट श्रृंखला में अगला उपग्रह इन्सैट-2ई का प्रमोचन जून/जुलाई, 1998 के लिए निर्धारित है। सरकार ने तृतीय पीढ़ी के उपग्रह (इन्सैट-3 श्रृंखला) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन्सैट-3 श्रृंखला में पांच उपग्रह शामिल होंगे, जो सन् 1999 तथा सन् 2002 के बीच प्रमोचित किए जाने हैं। इन्सैट-3 श्रृंखला के उपग्रह इन्सैट-2 श्रृंखला के उपग्रहों, जो कि अब अपनी कालावधि की समाप्ति पर हैं, को प्रतिस्थापित करेंगे तथा सम्पूर्ण संचार क्षमता का भी संवर्धन करेंगे। मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बन सेवाओं में भी गुणात्मक सुधार होगा।

[हिन्दी]

हिन्दी कम्प्यूटर का विकास

*12. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी कम्प्यूटर का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की गांवों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रसार करने की कोई योजना है;

(घ) क्या की-बोर्ड की वर्णमाला में हिन्दी अक्षरों के अव्यवस्थित होने के कारण कठिनाई आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों और कॉलेजों में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर पर कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन दे रहा है। प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

- उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र, पुणे नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था द्वारा ग्राफिक्स पर आधारित बुद्धिपरक लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट) का स्वदेश में ही विकास इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के कई संगठन भी हिन्दी के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों

का विकास एवं विपणन कर रहे हैं। इन प्रयासों से वैधकिक कम्प्यूटरों पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हुई है। कई दूसरे संगठनों द्वारा भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों के स्थानीयकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जबकि इस प्रकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक भाग के रूप में ऐसे परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जिनमें कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का प्रदर्शन शामिल हो।

(घ) और (ङ) जी नहीं, कम्प्यूटर में इनपुट मेकेनिज्म के रूप में भारतीय मानक (आई एस 13194 : 1991) के अनुरूप स्वीकृत इन्स्क्रिप्ट (भारतीय लिपि) कुंजीपटल अच्छावन का प्रयोग लोकप्रिय रूप से किया जा रहा है, जिसमें रोमन के साथ साथ भारतीय लिपि दोनों ही कर्णाक्षरों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है।

(च) और (छ) हालांकि कम्प्यूटर शिक्षण को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए स्कूलों और कॉलेजों से कम्प्यूटर शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

परमाणु हथियार

*13. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए यह बताया है कि पाकिस्तान के पास अपने बल पर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार परमाणु हथियार विकसित करने के बारे में अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) जी हां। 22 सितंबर, 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र में अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा "हमने यह प्रदर्शित कर दिया है कि हमने सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी में निपुणता प्राप्त कर ली है। अब हम बाहरी आक्रमण का सामना कर सकते हैं।"

(ग) और (घ) सरकार पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय हथियार कार्यक्रम से संबंधित सभी घटनाओं पर नजदीक से दृष्टि रखे हुए है। भारत के सुरक्षा वातावरण से संबंधित सभी घटनाओं पर अपने मूल्यांकन के अनुसार अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष

*14. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री मंगलराम प्रेमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ की भूमिका और कार्य क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रकोष्ठ आम जनता द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की रिपोर्ट दर्ज कर रहा है;

(घ) क्या जनता के आरोपों की जांच करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र है; और

(ङ) इस प्रकोष्ठ को आज तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रधान मंत्री के कार्यालय में कोई भी भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध कर्मचारियों को पुनःसंगठित करके एक लघु एकक स्थापित किया गया है। यह एकक, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मॉनीटर करता है और उन पर आगे उपयुक्त कार्रवाई के संबंध में यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के पीछे लगा रहता है। मंत्रालयों/विभागों के अध्यक्ष, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, अपने मंत्रालय/विभाग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(ग) जी, नहीं। यह एकक सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता से प्राप्त सभी शिकायतें दर्ज कर रहा है।

(घ) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी सभी शिकायतें, प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में, संयुक्त सचिव के रैंक के उन पदनामित नोडल अधिकारियों को भेज दी जाती हैं जिनके पास पहले से ही संस्थागत तंत्र है जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों की अध्यक्षता में, उनके सहायक कर्मचारियों के सतर्कता संगठन शामिल हैं। अन्य एजेंसियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो हैं जो, जब कभी अपेक्षित होता है, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों की आवश्यक सहायता करती हैं।

(ङ) प्रधान मंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार निरोधी एकक को 12 नवम्बर, 1997 तक 2402 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जनसंख्या नियंत्रण

*15. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम गत दो वर्षों के दौरान अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले के दशकों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पहली अप्रैल, 1996 से देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशिष्ट तरीकों पर आधारित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। केन्द्रीय स्तर से लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली के स्थान पर सबसे निचले स्तर पर विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन की कार्य नीति अपनाई गई है जिससे परिचर्या की गुणवत्ता और सेवाभोगियों की संतुष्टि पर अधिक बल दिया जा सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन यद्यपि लक्ष्य मुक्त कार्यनीति के प्रथम वर्ष (1996-97) में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन वर्तमान वर्ष में इसमें वृद्धि का रूझान दिखाई दे रहा है।

(ग) 1971-81 और 1981-91 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक घातीय दर 2.22 प्रतिशत और 2.14 प्रतिशत थी। तथापि, नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुमानों के अनुसार जनंख्या की सहज वृद्धि दर वर्ष 1994, 1995 और 1996 में कम होकर क्रमशः 1.94 प्रतिशत, 1.93 प्रतिशत और 1.85 प्रतिशत हो गई है।

(घ) परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों का उद्देश्य देश की जनसंख्या को राष्ट्रीय विकास की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर स्थिर करना है। अवांछित गर्भ-धारण से बचने के लिए गर्भनिरोधकों और स्थाई तरीकों के उपयोग को प्रजनन आयु वर्ग के नागरिकों में प्रचारित किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि माताओं/बच्चों के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो सके। इसके परिणामस्वरूप दीर्घ अवधि में परिवार छोटे हो सकेंगे। नौवीं योजना के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में भारी सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है तथा गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन के प्रबंधों को सुदृढ़ करके गर्भनिरोधकों की उपलब्धता में सुधार लाया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इस कार्यक्रम में निकट रूप से सम्बद्ध करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रक्त की कमी

*16. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रक्त की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) समग्र रूप में रक्त विशेषतौर से स्वैच्छिक रूप से दान में दिए जाने वाले रक्त की कमी है। 6-16 यूनिटें (औसतन 10 यूनिट रक्त प्रति अस्पताल पलंग प्रति वर्ष) के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार देश में लगभग 6 लाख अस्पताल पलंगों के लिए इसकी आवश्यकता लगभग 60 लाख यूनिट प्रति वर्ष बैठती है। इस समय रक्त का कुल अनुमानित संग्रहण लगभग 30 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। अतः मौजूदा स्तर पर समग्र रूप में 50 प्रतिशत की सीमा तक रक्त की कमी है।

"आम हित बनाम भारत संघ व अन्य" के बीच जनहित के मुकदमें में हाल ही के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रक्त लेने, रखने से संबंधित सभी रक्त बैंक संबंधी कार्यकलापों का समन्वय करने और इसके अधिक से अधिक सुरक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक निदेश दो वर्षों के भीतर व्यावसायिकदाता प्रणाली का बन्द करना हैं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम में गतिशीलता लानी होगी ताकि आवश्यकतानुसार स्वैच्छिक दाताओं से पर्याप्त रूप से रक्त उपलब्ध कराया जा सके। देश में रक्ताधान सेवाओं के प्रबंध की देखभाल करने और स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय और राज्य रक्ताधान परिषदों को स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किया गया है।

स्वैच्छिक दाताओं से बहुत अधिक जरूरत वाले रक्त की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से और नियमित अंतराल पर रक्तदान के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है। भारत सरकार ने संलग्न ब्यौरों के अनुसार इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

हालांकि रक्त के संग्रहण को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, पर दुर्लभ रक्त के उपयुक्त और समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। आज के चिकित्सा परिचर्या कार्यक्रम में एकत्र किए गए रक्त के एक यूनिट को संघटकों में पृथक करके 7-8 रोगियों को दिया जा सकता है। सरकार ने देश भर में 40 रक्त संघटक प्रयोगशालाएं

स्थापित की हैं जो संघटक उपलब्ध करायेंगे। मुम्बई में एक प्लाजमा फ्रैक्शनेशन की स्थापना की गई है।

स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना

स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से रक्त की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने नीचे दिए गए कई कदम उठाए हैं :

1. अधिक संख्या में व्यक्तियों द्वारा दूरदर्शन देखे जाने वाले समय के दौरान उपयुक्त अन्तरालों पर इसके माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए टी.वी. स्पाटों को प्रसारित करके लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया है।
2. टाइम्स एफ.एम. के चेनल के कार्यक्रमों में से किसी एक संगीत कार्यक्रम के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं।
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की सहायता से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने फोल्डरों, पोस्टरों और स्टिकर्स के रूप में स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के बारे में प्रत्येक को जानकारी देने के लिए प्रोटोटाइप सूचना शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी सामग्री विकसित की है और उनके उपयोग करने तथा उन्हें स्थानीय भाषाओं में तैयार करने के लिए उन्हें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया है।
4. राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग, भारत सरकार) ने स्वैच्छिक दान के माध्यम से रक्त की मांग और उपलब्धता के बीच खाई को पाटने की दृष्टि से 50 चुनिन्दा शहरों में स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

   इस परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

   (क) जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों के मन से रक्तदान देने के बारे में मौजूदा पौराणिक कथाओं, गलत सूचना और अन्तर्बाधाओं को निकालने के लिए ध्यान देना;

   (ख) स्वैच्छिक रक्तदाता बनाने के लिए स्वस्थ लोगों को प्रेरित करने के लिए सम्प्रेषकों को प्रशिक्षित करना;

   (ग) स्वैच्छिक दाताओं और रक्त बैंक चलाने के बारे में नेटबर्क सूचना के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विकसित करना।

   विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना दी है कि रक्त संग्रहण इत्यादि की स्थिति के निर्धारण के लिए 10 शहरों में अध्ययन शुरू किए गए हैं। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए उपलब्ध साफ्टेवयर के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है और नये साफ्टवेयर के विकास के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूलों को भी विकसित किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों से रक्त बैंकों और नेटवर्किंग के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

   इस कार्यक्रम में शामिल किए गए कुछेक कार्य-कलाप स्वैच्छिक रक्त दान संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार करने, सम्प्रेषकों के प्रशिक्षण, सूचना इत्यादि की नेटवर्किंग के लिए डेटाबेस सृजित करने के लिए साफ्टवेयर (फिल्मों, स्लाइडों, पोस्टरों इत्यादि) के विकास से संबंधित हैं।
5. हर वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन प्रचार के साधनों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किए जाते हैं और रक्त संग्रहण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।
6. स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने हेतु कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है। एक व्यापक राष्ट्रीय रक्त नीति तैयार करने और अखिल भारतीय आधार पर स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। स्कूल/कालेज के शिक्षकों इत्यादि समेत सामुदायिक नेताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय रक्तदान परिषद के अंतर्गत एक योजना बनाई जा रही है ताकि उन्हें स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरकों के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके।

[अनुवाद]

म्यांमार के साथ संबंध

*17. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर में मोइह नामक स्थान पर भारत और म्यांमार की सीमा पर हुई घटनाओं के बारे में म्यांमार के प्राधिकारियों से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) म्यांमार प्राधिकारियों ने सरकार को 12 अक्तूबर, 1997 की उस वारदात के बारे में अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराया था जिसमें भारत म्यांमार सीमा पर म्यांमार में, भारत स्थित मोरेह के निकट तामू में नाम फालोंगे बाजार में 365 दुकानों के तथाकथित रूप से जल जाने और जिसमें एक म्यांमार उत्प्रवास अधिकारी सहित तीन व्यक्तियों के घायल होने की बात कही गई थी। म्यांमार की सरकार ने शिकायत की है कि इस वारदात में कुकी विद्रोहियों का हाथ था तथा उन्होंने म्यांमार में मोरेह की ओर से प्रवेश किया था और जो बाद में भारतीय प्रदेश में वापस लौट गए थे। सरकार को इन समाचारों की भी जानकारी है कि तथाकथित कुकी नेशनल आर्मी ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है।

2. म्यांमार प्राधिकारियों ने दोनों देशों के उच्च प्राधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग आयोजित करने की इच्छा जाहिर की थी। जैसे ही इस वारदात की सूचना मिली सरकार ने तत्काल कार्रवाई की तथा म्यांमार सरकार के अनुरोध का अनुपालन करते हुए दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच 15 अक्तूबर की एक बैठक आयोजित की। मणिपुर राज्य सरकार ने इस मामले की छानबीन करने के लिए जिला प्रशासन को हिदायत दी है ताकि यदि वारदात करने वाले भारत भूमि के हों तो अपराधियों का पता लगाया जा सके तथा इस क्षेत्र में अमन और शांति सुनिश्चित की जा सके।

3. सरकार इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि भारत और म्यांमार के बीच सीमावर्ती व्यापार निर्बाध रूप से जारी रह सके।

विदेशी आतंकवादी

***18. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों ने अब श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों में अपने नये ठिकाने स्थापित कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों में उनके जमाव के बाद से विदेशी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की कितनी घटनायें हुई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों में विदेशी उग्रवादियों के कोई नये ठिकाने स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, सुरक्षा बल सतर्क हैं तथा श्रीनगर और इसके बाहरी क्षेत्रों समेत जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों, विदेशी उग्रवादियों की गतिविधियों को काबू में रखने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और विदेशी उग्रवादियों के बीच अनन्य रूप से हुई झड़पों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है, तथापि, जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1997 के दौरान गिरफ्तार किए गए विदेशी उग्रवादियों अथवा मारे गए उग्रवादियों की संख्या क्रमशः 136 और 645 है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

***19. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य संबंधित संसद सदस्य से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही कराये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के ध्यान में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां ये निर्माण कार्य कराये गए हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) और (ख) जालंधर, मुरैना और भिर्जापुर के जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित संसद सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य करवाए जाने के तीन मामलों की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है।

(ग) मामला राज्य सरकारों तथा संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समुचित कार्रवाई के वास्ते उठाया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण

***20. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बहुत से राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद जनसंख्या पर नियंत्रण करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कई महत्वाकांक्षी योजनाएं केन्द्र सरकार तथा विदेशी एजेंसियों की सहायता से शुरू की गई हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करने में ये भी पूरी तरह विफल सिद्ध हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के फलस्वरूप देश में समग्र रूप से जन्म दर में काफी कमी आई है।

देश में जन्म दर 1951-61 में 41.7 प्रति हजार से कम होकर 1996 से 27.4 हो गई है। लेकिन यह प्रगति एक जैसी नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश (1996 में 34.0 जन्म दर), बिहार (32.1) राजस्थान (32.3) और मध्य प्रदेश (32.4) में अभी भी जन्म दर ऊंची है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 में निम्नलिखित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं/कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे :-

क्र॰सं॰	परियोजना अथवा कार्यक्रम का नाम	आरम्भ होने अथवा स्वीकृति की तारीख	अवस्थिति (राज्य)
1.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	15.10.97	सम्पूर्ण भारत
2.	डानिडा सहायता-प्राप्त चरण-III परियोजना।	23.08.97	तमिलनाडु
3.	ओ.डी.ए. (यूके) सहायता प्राप्त चरण-III परियोजना (स्टेज I)	05.09.97	उड़ीसा
4.	प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिला स्तर पर यू एन एफ पी ए सहायता प्राप्त अग्रगामी परियोजनाएं।	16.06.97	बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान
5.	ओ.डी.ए. (यूके) सहायता प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना।	04.11.96	पश्चिम बंगाल
6.	जर्मन सहायता-प्राप्त बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना	20.05.96	महाराष्ट्र
7.	पल्स पोलियो टीकाकरण	दिसम्बर, 95	सम्पूर्ण भारत

अल्पकालिक रूप में, जनसंख्या को आवांछित गर्भधारण से बचने हेतु गर्भनिरोधकों और स्थाई तरीकों के उपयोग के द्वारा मध्यम तथा दीर्घ अवधि में परिवारों के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाकर नियंत्रित किया जा सकता है। तदनुसार, जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम का उद्देश्य पहली श्रेणी में गर्भनिरोधकों की नियमित और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा नसबंदी के लिए दक्ष प्रबंधों का होना है और दूसरी श्रेणी में प्रसूति और मातृ परिचर्या उपलब्ध कराना तथा बच्चों के स्वास्थ्य के उपाय करना है।

आठवीं योजना में जनसंख्या की वृद्धि दर में प्रतिवर्ष 1.78 प्रतिशत की कमी आने की परिकल्पना की गई थी। वास्तव में 1996 में यह घटकर 1.85 प्रतिशत हुई है। नमूना पंजीयन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में, 1996 में जन्म दर में कमी अधिक रही है। बाधाएं ये हैं :-

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए संसाधनों की सीमित उपलब्धता;

(2) कार्यक्रम को राय कायम करने वाले नेताओं और लोगों से कम प्रचार समर्थन मिलना;

(3) कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों में राज्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दक्षता के परिवर्ती स्तर;

(4) परिवारों के साक्षरता/शैक्षिक स्तर और समुदाय में महिलाओं का स्तर।

सरकार इन बाधाओं को दूर करने और इन कारकों के सकारात्मक प्रभाव में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

1. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तत्काल निजी निवेश के लिए राज्य की कुछ विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) निजीकरण के पश्चात् प्रत्येक परियोजना द्वारा विद्युत का कुल कितना उत्पादन किया जाएगा;

(ङ) उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दर्शाई है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक चालू कर दिए जाने की आशा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को के॰स॰स्वा॰यो॰ की सुविधा

2. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री परसराम भारद्वाज :

चौधरी रामचन्द्र बैंदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद विहार, परिजात, अपार्टमेंट्स, विद्या विहार, त्रिवेणी, जयश्री और इनके आसपास की कालोनियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के

सेवानिवृत्त कर्मचारी के॰स॰स्वा॰यो॰ की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि रानीबाग में स्थित के॰स॰स्वा॰यो॰ का औषधालय इस क्षेत्र से 4-5 कि.मी. दूर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सप्ताह में तीन दिन चलते फिरते औषधालयों की व्यवस्था करने अथवा इन वृद्ध व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर गोल्डन अस्पताल में के॰स॰स्वा॰यो॰ स्कंध खोलने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन लोगों को जयपुर गोल्डन अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है कि उन्हें संबंधित के॰स॰स्वा॰यो॰ के औषधालयों द्वारा रेफर किया जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) संसद विहार, परिजात अपार्टमेंट्स, विद्या विहार, त्रिवेणी, जयशिवा और अन्य कालोनियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, शकूर बस्ती द्वारा कवर किया जाता है जो कि बिल्कुल बीच में स्थित है। यह संभव है कि औषधालय के अंतर्गत कवर सीमांकित क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को औषधालय पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ती हो क्योंकि उपरोक्त औषधालय के अंतर्गत निजी कालोनियां इधर उधर फैली हुई है जहां पर कर्मचारी (सेवानिवृत्त एवं सेवारत) एवं अन्य मिले-जुले लोग हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल औषधालय की कोई व्यवस्था नहीं हैं अतः इस प्रकार का प्रबंध करना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जयपुर गोल्डन अस्पताल एक निजी अस्पताल है जिसको केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस निजी अस्पताल में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विंग खोलना संभव नहीं होगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार केवल सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई बाह्य रोगी विभागीय औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान की जाती है। जयपुर गोल्डन अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत एक मान्यता-प्राप्त अस्पताल है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के पेंशनभोगी लाभार्थी के॰स॰स्वा॰यो॰ सरकारी विशेषज्ञ की प्रारंभिक सलाह के बाद केवल संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर किए जाने के पश्चात् इस अस्पताल से उपचार ले सकते हैं। आपात कालीन चिकित्सा के मामले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों (पेंशनभोगी एवं कार्यरत कर्मचारी दोनों) को विस्तृत ब्यौरा रिकार्ड करने के बाद आगे के प्रबंध उपचार के लिए सीधा (अर्थात् विशेषज्ञ की सलाह से पहले भी) रैफर कर सकता है।

[अनुवाद]

इन्वर्ट शूगर

3. **श्री सुरेश आर॰ जाधव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक मीठे पदार्थ (स्वीटनर) अर्थात् "इन्वर्ट शूगर" जिसे रासायनिक प्रक्रिया के स्थान पर जैविक तरीके से तैयार किया जाता है, का अविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरीके से 95 प्रतिशत "सुकरोज" ग्लूकोज तथा "फ्रुकटोज" में परिवर्तित होता है जबकि पारंपरिक तरीके से सिर्फ 65 प्रतिशत सुकरोज ग्लूकोज तथा फ्रुकटोज में परिवर्तित होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रौद्योगिकी का प्रचार करने तथा इसे देश के सभी चीनी मिलों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) एंजाइम प्रक्रिया द्वारा "इन्वर्ट शूगर" बनाने के लिए भाभा परमाणु शोध केन्द्र (बीएआरसी), मुम्बई द्वारा विकसित प्रक्रिया का लाइसेंस प्रदान कर रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन क्षमता 95 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इस प्रौद्योगिकी के लाभों तथा इसके लाइसेंसीकरण के बारे में व्यापक प्रचार किया है। अब तक यह निगम भारत में इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस छह कम्पनियों को दे चुका है। यह प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भागीदारी, विज्ञापनों, व्यक्तिगत सम्पर्कों इत्यादि के द्वारा इस प्रौद्योगिकी के प्रचार और लाइसेंस के लिए आगे और अधिक प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

समुद्री प्रदूषण

4. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्र तट पर प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या है;

(ग) क्या विदेशों का औद्योगिक अपशिष्ट भारत के समुद्री तटों के निकट समुद्र में उड़ेला जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं जहां से गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अपशिष्ट भारतीय समुद्री तटों के पास समुद्र में उड़ेला जा रहा है तथा उसकी मात्रा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी हां, श्रीमान्, महासागर विकास विभाग ने "तटीय समुद्र प्रबोधन एवं भविष्य कथन प्रणाली" (कोमैप्स) नाम से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और यह 1991 से भारत के तटीय जल से पर्यावरणीय प्राचलों का मापन कर रहा है।

(ख) तटीय समुद्र प्रबोधन एवं भविष्यकथन प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए 11 राष्ट्रीय और राज्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की सहायता से 77 स्थलों से 25 प्राचलों पर आवश्यक आंकड़े एकत्र किए गए हैं। देश के तटीय जल में समुद्री प्रदूषण की परिणाम आधारित स्थिति इस प्रकार है :

1. स्वच्छ समुद्री जल गुणवत्ता के क्षेत्र

मुम्बई को छोड़कर, भारत की समुद्री रेखा के साथ-साथ 2 कि॰मी॰ परे तक समुद्री तट स्वच्छ है और स्वच्छ जल गुणवत्ता के अनुरूप है। प्रथमतः इस तथ्य का कारण यह है कि विलीन आक्सीजन और अन्य प्राचल स्वच्छ समुद्री जल की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। मुम्बई में तट से 5 कि॰मी॰ दूर तक समुद्र स्वच्छ है।

2. महत्वहीन तटीय स्थल

निम्नलिखित क्षेत्र उत्तम से साधारण जल गुणवत्ता दर्शाते हैं, गुजरात में काण्डला, वाडीनार, द्वारिका, हजीरा; महाराष्ट्र में मुरूड, थाल, रत्नागिरी और रेड्डी; गोवा में माण्डवी और जुआरी; कर्नाटक में हन्नोवर; केरल में कासरगॉड, कन्नौर, कालीकट, पोन्ननी, ऐलप्पी, कायमकुलम और पारावुर; तमिलनाडु में कन्याकुमारी कुडनकुलम वायपारू मुहाना, गुण्डारू मुहाना, मण्डपम (पाक जलडमरूमध्य) मण्डपम (मन्नार की खाड़ी) उचीपुल्ली और ठोण्डी; पाण्डिचेरी में करायकल, यानम (गौतमी गोदावरी स्थल) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम, निजामपत्तनम, मछलीपत्तनम, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, कलिंगपत्तनम; उड़ीसा में धमारा, कोणार्क, चान्दीपुर; पश्चिम बंगाल में सप्तमुखी, दिघा, डायमण्ड बन्दरगाह, होलीडे द्वीप, डलहौजी प्वाइंट, सुन्दरबन; अण्डमान और निकोबार में पोर्टब्लेयर और लक्षद्वीप में कावारत्ती।

3. प्रदूषण के संभाव्य क्षेत्र और निरन्तर गहन प्रबोधन की आवश्यकता

प्रदूषण के निश्चित स्त्रोत के अस्तित्व और प्रदूषण के कम स्तर के प्रेक्षण के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में गहन प्रबोधन की आवश्यकता हो सकती है : गुजरात में (तापी मुहाना), ओखा (मीतापुर) और पोरबन्दर; महाराष्ट्र में ट्राम्बे और बेस्सिन; गोवा में मुर्मगाव; कर्नाटक में कारवाड़, मंगलौर; केरल में कोचीन, क्विलेन; तमिलनाडु में तूतीकोरिन, अरूमुगनेरी, नामपत्तनम, कुडालोर, कुवाम के दूरवर्ती समुद्र, इन्नौर, चेन्नई बन्दरगाह; पाण्डिचेरी; उड़ीसा में गोपालपुर, पाराद्वीप; पश्चिम बंगाल में सैण्डहैड्स भारत-बंगलादेश सीमा।

4. महत्व वाले क्षेत्र और निरन्तर गहन प्रबोधन की आवश्यकता

आन्ध्र प्रदेश की काकीनाडा खाड़ी व विशाखापत्तनम बन्दरगाह तथा उड़ीसा में पुरी में विलीन आक्सीजन का स्तर बहुत कम था। गुजरात में वेरावल पत्तन, महाराष्ट्र में वरसोवा, माहिम, उल्हास और थाणे की सकरी खाड़ी में एकत्रित नमूनों में कम ज्वार के दौरान विलीन आक्सीजन की मात्रा शून्य तक पहुंच गई तथा इससे मानव रोगजनक की असामान्य मात्रा दिखाई दी। मुख्यतः इसका कारण असंसाधित गन्दे पानी का समुद्री जल में सीधा निपटान करना है। वेली, केरल में औद्योगिक बहिःस्त्रावों के छोड़ने के कारण, कम प्रारम्भिक व द्वितीयक उत्पादकता सहित पी॰एच की बहुत निम्न मात्रा दिखाई दी।

(ग) निगरानी एजेंसियों को किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली और न ही उनके द्वारा देखी गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) हमारे समुद्रों में, अपशिष्ट फेंकने के संदर्भ में, भारतीय तट रक्षकों जैसी निगरानी एजेंसियों द्वारा अपशिष्ट फेंकने की गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित गश्त लगाई जा रही है। भूआधारित गतिविधियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल अधिनियम (1974) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के प्रावधान के अंतर्गत निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ओईसीएफ

5. **श्री येल्लैया नंदी :**
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान का ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड आंध्र प्रदेश की 990 मेगावाट की श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पनबिजली परियोजना तथा आंध्र प्रदेश की सिम्हाद्री तथा विशाखापत्तनम की विद्युत पारेषण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में ओईसीएफ द्वारा पृथकतः कुल कितनी राशि प्रदान की जानी है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) सिम्हाद्री और विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना एवं श्रीसेलम बांया तट विद्युत

केन्द्र परियोजना-3 के लिए जापान के ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फण्ड के साथ टोक्यों में 4-10 नवंबर को बातचीत हुई थी।

(ख) इन परियोजनाओं के लिए ऋण राशि संबंधी बातचीत का ब्यौरा निम्नवत् है :-

1. सिम्हाद्री एवं विजाग पारेषण - येन 10,629 मिलियन (प्रथम किस्त)
2. श्री सेलम विद्युत येन 14,499 मिलियन (तृतीय किस्त)

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

लम्बित परियोजनाएं

6. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ग) योजना आयोग की कोई भी परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ी है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र

7. **श्री अशोक प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तारीख के अनुसार कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और परिवार कल्याण केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को वर्ष-वार आवंटित राशि क्या है; और क्या यह राशि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) उत्तर प्रदेश में 907 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों की स्थान-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के विस्तार की कोई योजना नहीं है क्योंकि ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ जोड़ दिया गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) राज्य को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए आवंटित की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है। इन केन्द्रों का पूरा वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा योजना के मानदंडों के अनुसार किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण-I

ब्लाक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की जिलावार सूची

जिला/प्रभाग	जिला स्तर के सामु.स्वा. के./ प्रा.स्वा.के./ग्रा.प.क. के की जिला संख्या	
1	2	
1. आगरा	16	
2. अलीगढ़	18	
3. इटा	15	
4. फिरोजाबाद	8	
5. मैनपुरी	12	
6. मथुरा	9	
आगरा प्रभाग		78
7. इलाहाबाद	29	
8. प्रतापगढ़	16	
9. फतेहपुर	13	
इलाहाबाद प्रभाग		58
10. बरेली	15	
11. भदौन	18	
12. पीलीभीत	8	
13. शाहजहांपुर	15	
रूहेलखंड प्रभाग		56

1	2	
14. चाडा	14	
15. हमीरपुर	7	
16. महोबा	4	
17. जालौन	9	
18. झांसी	8	
19. ललितपुर	6	
बुंदेलखंड प्रभाग		48
20. बहराइच	19	
21. बाराबंकी	17	
22. फिरोजाबाद	19	
23. अम्बेडकर नगर		
24. गोंडा	26	
25. सुल्तान पुर	20	
फिरोजाबाद प्रभाग		101
26. चमोली	9	
27. देहरादून	4	
28. पौडी गढ़वाल	15	
29. टिहरी गढ़वाल	10	
30. उत्तर काशी	4	
गढ़वाल प्रभाग		42
31. आजमगढ़	22	
32. मऊ	9	
33. बलिया	17	
34. जूनापुर	21	
आजमगढ़ प्रभाग		69
35. बस्ती	20	
36. देवरिया	15	
37. पैडरोना	15	
38. गोरखपुर	19	
39. महाराजगंज	12	
40. सिद्धार्थ नगर	13	
गोरखपुर प्रभाग		94
41. इटावा	15	
42. फर्रूखाबाद	15	

1	2	
43. कानपुर (शहरी)	3	
44. कानपुर (देहात)	18	
कानपुर प्रभाग		51
45. अलमोड़ा	14	
46. नैनीताल	12	
47. उधम सिंह नगर		
48. पिथौरागढ़	11	
कुमाऊ प्रभाग		37
49. हरदोई	19	
50. खिरी	16	
51. लखनऊ	10	
52. रायबरेली	17	
53. सीतापुर	20	
54. उनाव	16	
लखनऊ प्रभाग	98	
55. बुलंदशहर	17	
56. गाजियाबाद	10	
57. हरिद्वार	5	
58. मेरठ	19	
59. मुजफ्फर नगर	15	
60. सहारनपुर	12	
मेरठ प्रभाग		78
61. बिजनौर	12	
62. मुरादाबाद	19	
63. रामपुर	7	
मुरादाबाद प्रभाग		38
64. गाजीपुर	17	
65. मिर्जापुर	12	
66. सोनभद्र	8	
67. भदोई	7	
68. वाराणसी	15	
वाराणसी प्रभाग		59
कुल उत्तर प्रदेश	**907**	

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को वर्षवार किया गया आवंटन

वर्ष	आवंटित राशि (आकड़े लाख में)
1995-96	2655.00 रुपये
1996-97	2655.00 रुपये
1997-98	3327.00 रुपये

[अनुवाद]

श्रम न्यायालयों में लम्बित मामले

8. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में 1 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार के श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में 1 जनवरी, 1990 से 1 मार्च, 1997 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुण-दोष के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम-पी- वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिक विद्यालय

9. **श्री टी- गोविन्दन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने श्रमिक विद्यालय चल रहे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों द्वारा कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान केरल में कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम-पी- वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) श्रमिक शिक्षा योजना को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है, के शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। केरल में, बोर्ड के दो श्रमिक शिक्षा केन्द्र - कोचीन तथा कोझिकोड प्रत्येक में एक-एक कार्य कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किए गए कर्मकारों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रशिक्षित किए गए कर्मकारों की संख्या
1994-95	10861
1995-96	10322
1996-97	8045

(ग) चालू वर्ष के दौरान केरल में कोई नया केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में बिजली की कमी

10. **प्रो- रासा सिंह रावत :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ कुछ नई विद्युत परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इन्हें किन-किन तिथियों को मंजूरी दी गई है तथा शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नरसिंहपुर, पालना तथा सूरतगढ़ विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण अब तक आरम्भ नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में राज्य को कितनी मात्रा में नाप्था की आपूर्ति की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के- अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नरसिंहपुर, पालना और सूरतगढ़ विद्युत परियोजनाओं का अभी प्रारंभ नहीं किया गया है।

(ङ) राजस्थान में निजी क्षेत्र में कुल 1265 मे.वा. क्षमता के लिए 9 परियोजनाओं को नाप्था का तथा कुल 150 मे.वा. क्षमता के लिए 2 परियोजनाओं को एलएसएच एंड/एफ डी का अनंतिम लिंकेज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम/ क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	टिप्पणी
के•वि•प्रा• में जांचाधीन		
बारसिंगपुर लिग्नाइट माइनिंग कम–विद्युत उत्पादन परियोजना (मै• हिन्दुजा विद्युत कार्पो• लि•)	500	22.8.97 को वापिस कर दी गई तथापि इस स्कीम पर के•वि•प्रा• द्वारा 11.11.97 को विचार किया गया परन्तु विभिन्न कारणों को वजह से इसे आस्थगित कर दिया गया।
निवेश न होने की वजह से जिन स्कीमों पर के•वि•प्रा• में कार्रवाई नहीं की जा रही है।		
मंडलगढ टीपीपी	630	24.7.85 को लौटा दी गई।
रेनुघाट चरण–3	160	2/88 को लौटा दी गई।
बांसवाड़ा ओर सवाईमाधोपुर में गैस आधारित जीटी संयंत्र	300	कार्रवाई नहीं की जा रही है।
चित्तौढ़गढ टीपीपी	500	1.8.95 को लौटा दी गई।
सूरत गढ़ टीपीपी चरण–2	500	8.2.96 को लौटा दी गई।
कोटा टीपीपी चरण–4	210	26.2.96 को लौटा दी गई।
धौलपुर सीसीजीटी मै• आरपीजी धौलपुर पावर कंपनी लि•	702.7	19.9.97 को लौटा दी गई।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक कल्याण परियोजनाएं

11. **श्री अनंत कुमार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय और गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के विभिन्न भागों में बाल श्रमिक कल्याण परियोजनाएं आर्थिक अनुदान योजना चलाने वाली उप स्वैच्छिक संगठनों का क्या ब्यौरा है जो केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे संगठनों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम•पी• वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत, श्रम मंत्रालय, बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत बाल श्रम परियोजना संबंधी समितियों के लिए निधियां जारी कर रहा है। कर्नाटक में, 3 जिलों अर्थात् बीजापुर, धारवाड़ और गुलबर्गा के लिए 5000 बच्चों की व्याप्ति के साथ बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। इन जिलों के लिए निधियां जारी किए जाने संबंधी स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	जारी की गयी निधियां
1995–96	63,10,500/– रुपये
1996–97	25,84,000/– रुपये
1997–98	27,00,000/– रुपये

इसके अलावा, एक स्वयंसेवी संगठन अर्थात् कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, बंगलौर में बाल श्रमिकों के लाभार्थ कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। संगठन ने प्रत्येक 50 बाल श्रमिकों के लाभ हेतु 3 केन्द्र संचालित किए थे। 1994–95 से आगे इस संगठन को जारी की गयी निधियां निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	जारी की गयी निधियां
1995–96	50,000/– रुपये
1996–97	50,000/– रुपये
1997–98	1,16,910/– रुपये

अप्रयुक्त उपस्कर

12. **श्री राम सागर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अस्पतालों द्वारा मंहगे उपस्कर तथा पुराने पड़ गए कंप्यूटरों की खरीद में करोड़ो रुपये खर्च किए गए तथा उन उपस्करों का उपयोग आम लोगों के लाभ के लिए नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पतालवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन मंहगे उपस्करों की खरीद के क्या कारण हैं जबकि इनका उपयोग नहीं किया जाना था; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध भारतीय आप्रवासी

13. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "अल मदिना" नामक जहाज से 1262 अवैध भारतीय आप्रवासियों का एक दल सउदी अरब से रवाना हो कर 30 सितम्बर, 1997 को मुम्बई पहुंचा;

(ख) "अल मदिना" जहाज के मालिक कौन है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार उस परिस्थिति की जांच करने का है जिसमें भारतीयों को वापस भेजा गया था; और

(घ) क्या यात्रा के दौरान वापस लौटने वाले इन यात्रियों को न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध नहीं थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां। मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि 1232 गैर-कानूनी भारतीय आप्रवासियों के एक जत्थे को "अल मदीना" जहाज के द्वारा सउदी अरब से भारत भेजा गया था।

(ख) "अल मदीना" पर मिस्र का ध्वज होता है।

(ग) और (घ) हम समझते हैं कि सउदी अरब द्वारा अपनाई जा रही सामान्य व्यवस्था यह है कि जो आप्रवासी अपनी वैध वीजा अवधि से अधिक समय वहां ठहरते हैं अथवा जो वीजा में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करके वहां रोजगार करते हैं उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित व्यक्ति यात्रा का अपना निजी साधन चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है तो सउदी अधिकारी उनके निष्कासन की व्यवस्था कर देते हैं। हाल की अवधि में सउदी सरकार निष्कासन के लिए जहाज का उपयोग कर रही है। इस विशिष्ट मामले में आप्रवासियों का निष्कासन सउदी अरब की लागत पर होने के कारण सउदी अधिकारियों के सीधे अनुदेश के अंतर्गत यात्रियों को ले जाने के लिए जहाज अनुबंधित किया था। "अल मदीना" पर सवार यात्रियों के अनुभव के आधार पर और जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कॉंसल के हस्तक्षेप पर सउदी अधिकारियों ने उसी समय यह सुनिश्चित किया था कि प्रत्येक जहाज पर ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या की एक सीमा होगी और उनके साथ चिकित्सक होंगे। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त मात्रा में पेयजल और भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उड़ीसा में बिजली की कमी

14. श्री भक्त चरण दास : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बिजली की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के औद्योगिक कार्यकलाप गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल से विद्युत आबंटन में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1997 के महीने और अप्रैल से अक्तूबर, 97 के दौरान उड़ीसा में विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा निम्नवत् है :-

ऊर्जा (मिलियन यूनिट निवल)	अक्तबूर, 97	अप्रैल-अक्तूबर, 97
आवश्यकता	960	6425
उपलब्धता	902	6159
कमी	58	266
प्रतिशत	6.0	4.1

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्योग पर किसी प्रकार की अधिसूचित विद्युत कटौती नहीं लगाई गई थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल से विद्युत आबंटन की मात्रा को बढ़ाए जाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

मरीजों का इलाज करने से इंकार करना

15. श्री केशव महन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितंबर, 1997 को "पायनियर" में "प्रीमियर हास्पिटल्स रिजेक्ट एड्स पेशेन्ट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं कि एड्स के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त इलाज हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 35 वर्ष की आयु के एक रोगी श्री प्रकाश (पुरूष) को ओ॰पी॰आई॰ओ॰डी॰एस॰ एडिक्शन के इतिहास के साथ डोप ब्रेन थ्रोमबोसिस के एक रोगी के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल को रेफर किया गया था। उनकी जांच ड्यूटी पर तैनात एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपाती संख्या 21478/97 के तहत दिनांक 24.9.97 को कैजुअल्टी

में की गई। इस रोगी को शल्य चिकित्सीय आपाती विभाग में रेफर किया गया था क्योंकि उसके दाएं निचले अंग में दर्द सहित सूजन थी। सर्जिकल इमरजेंसी तथा प्रवेश काउंटर में रोगी के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने दिनांक 3.10.97 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक बैठक की थी। सभी अस्पतालों से यह पुष्टि की गई कि एड्स से ग्रस्त किसी भी रोगी को उपचार प्रदान करने से इंकार नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण

16. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के लिए 700 मिलियन डालर का ऋण प्रदान करने के लिए इच्छुक होने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विश्व बैंक के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पुनर्गठन में कितना समय लग जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) आ॰प्र॰रा॰बि॰बो॰ की पुनर्संरचना का कार्य अप्रैल, 1998 तक आरंभ किए जाने की संभावना है।

परिवार नियोजन लागू करना

17. **श्री एन॰एन॰ कृष्णदास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने में कौन-कौन राज्य पीछे हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यान्वयन में राज्य-वार सफलता दर क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम होने के नाते, स्वैच्छिक है तथा इसकी स्वीकार्यता का स्तर राज्य सरकार के आधारभूत ढांचे, तथा क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों की प्रभावकारिता, सामाजिकार्थिक स्थितियों, साक्षरता तथा समुदाय में महिलाओं के स्तर जैसे पहलुओं पर निर्भर करती है। तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य निष्पादन कम रहा है। वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए जन्म दर के राज्यवार नमूना पंजीयन पद्धति अनुमान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना है। अनचाहे गर्भों को रोकने के लिए प्रजनन आयु वर्ग के व्यक्तियों को गर्भ निरोधकों तथा गर्भ निरोधन के स्थायी तरीके अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तथा माताओं/बच्चों के प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिससे दीर्घावधि में परिवार को छोटा रखने में मदद मिलेगी। 9वीं योजना के दौरान प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार तथा उनको सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है तथा गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ कर गर्भ निरोधकों की उपलब्धता में सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं को भी सक्रिय रूप से सहयोजित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या) के राज्यवार अनुमान

राज्य	जन्म दर		
	1994	1995	1996 (अंनतिम)
1	2	3	4
भारत	28.7	28.3	27.4
I बड़े राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	23.8	24.2	22.7
2. असम	30.8	29.3	27.7
3. बिहार	32.5	32.1	32.1
4. गुजरात	27.1	26.1	25.5
5. हरियाणा	30.8	29.9	28.8
6. कर्नाटक	25.0	24.1	23.0

1	2	3	4
7. केरल	17.4	18.0	17.8
8. मध्य प्रदेश	33.0	33.2	32.4
9. महाराष्ट्र	25.1	24.5	23.2
10. उड़ीसा	28.0	27.8	26.8
11. पंजाब	25.0	24.6	23.5
12. राजस्थान	33.7	33.3	32.3
13. तमिलनाडु	19.2	20.3	19.2
14. उत्तर प्रदेश	35.4	34.8	34.0
15. पश्चिम बंगाल	25.2	23.6	22.8
II छोटे राज्य			
1. अरूणाचल प्रदेश	28.5	23.8	21.9
2. दिल्ली	24.8	23.3	21.2
3. गोवा	14.3	14.7	14.1
4. हिमाचल प्रदेश	26.3	25.2	23.0
5. जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6. मणिपुर	21.7	20.6	19.4
7. मेघालय	29.5	29.0	30.4
8. मिजोरम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9. नागालैंड	20.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10. सिक्किम	24.6	22.5	20.0
11. त्रिपुरा	21.9	18.9	18.3
III संघ राज्यक्षेत्र			
1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	18.0	18.7	17.3
2. चंडीगढ़	19.0	19.5	16.9
3. दादरा व नागर हवेली	34.4	29.7	28.9
4. दमण व दीव	24.8	21.8	21.0
5. लक्षद्वीप	26.3	25.5	23.8
6. पांडिचेरी	18.0	20.1	18.0

क्षयरोग रोधी औषधियां

18. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी मात्रा में क्षयरोग रोधी औषधियां सप्लाई की गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में क्षयरोग के कारण कुल कितनी व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8वीं योजनावधि के दौरान सप्लाई की गई क्षयरोग-रोधी औषधियों को राशि उनके मूल्य के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है। 7वीं योजना अवधि के लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) क्षयरोग के कारण मृत लोगों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, क्षयरोग के कारण मृत्यु दर के समस्त देश भर में प्रति वर्ष प्रति लाख जनसंख्या पर 53 होने का अनुमान है।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1006.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	55.33
3.	असम	284.76
4.	बिहार	728.92
5.	गोवा	37.64
6.	गुजरात	911.16
7.	हरियाणा	218.53
8.	हिमाचल प्रदेश	156.31
9.	जम्मू व काश्मीर	166.33
10.	कर्नाटक	560.48
11.	केरल	368.81
12.	मध्य प्रदेश	783.50
13.	महाराष्ट्र	2163.48
14.	मणिपुर	31.72
15.	मेघालय	36.55
16.	मिजोरम	40.81
17.	नागालैण्ड	29.53
18.	उड़ीसा	380.59

1	2	3
19.	पंजाब	203.75
20.	राजस्थान	630.06
21.	सिक्किम	20.15
22.	तमिलनाडु	660.31
23.	त्रिपुरा	39.74
24.	उत्तर प्रदेश	1633.27
25.	पश्चिम बंगाल	995.25
26.	पांडिचेरी	17.91
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	22.15
28.	चण्डीगढ़	8.04
29.	दादरा व नगर हवेली	4.58
30.	दमण और दीव	2.42
31.	दिल्ली	340.22
32.	लक्षद्वीप	1.11

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानदेय

19. **श्री डी॰पी॰ यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाता है और देश में इस कार्य में लगे जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कुल राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को 50 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान करने की एक योजना है। इस रकम का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है।

31 दिसम्बर, 1996 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 320862 ग्राम स्वास्थ्य गाइड हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण के रूप में है।

(ख) से (घ) इस योजना की पुनरीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए कार्यरत ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	34334
2.	अरूणाचल प्रदेश**	अनुपलब्ध
3.	असम	11001
4.	बिहार	10431
5.	गोवा ***	–
6.	गुजरात	3004
7.	हरियाणा	270
8.	हिमाचल प्रदेश	3450
9.	जम्मू व कश्मीर *	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	15128
11.	केरल **	अनुपलब्ध
12.	मध्य प्रदेश	30619
13.	महाराष्ट्र	36506
14.	मणिपुर	1295
15.	मेघालय	1296
16.	मिजोरम	510
17.	नागालैंड	548
18.	उड़ीसा	21017
19.	पंजाब	9624
20.	राजस्थान	8982
21.	सिक्किम	205
22.	तमिलनाडु	अनुपलब्ध
23.	त्रिपुरा	1837
24.	उत्तर प्रदेश	90111
25.	पश्चिम बंगाल	39965
26.	चंडीगढ़	अनुपलब्ध
27.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	152
28.	दादरा व नागर हवेली	1
29.	दमण व दीव ***	–
30.	दिल्ली	–

1	2	3
31.	लक्षयद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	187
	कुल	320862

** राज्यों में वैकल्पिक स्वास्थ्य गाइड योजना कार्यरत है।*

*** वैकल्पिक स्वास्थ्य गाइड योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।*

**** ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना 1.8.1985 से बंद कर दी गई है।*

निर्धनों के लिए आवास सहायता

20. **श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनों को आवासीय सहायता प्रदान करना आधारभूत न्यूनतम सेवाओं का ही एक भाग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई आवंटन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (च) जी, हां। सभी आवासविहीन निर्धन परिवारों को आवासीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (बी एम एस) का ही एक भाग है। आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को देश में वर्ष 1996-97 से शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से आवास सहित सात पहचान किए गए आधारभूत सेवाओं तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के दिशा-निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शर्त है कि राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

इंदिरा आवास योजना जैसी वर्तमान केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अतिरिक्त आवासविहीन निर्धनों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी राज्य योजनाएं भी हैं।

राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र ने आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) आवंटित की है। जहां वर्ष 1996-97 के वास्ते सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2244 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, वहीं वर्ष 1997-98 के लिए इसे बढ़ाकर 2970 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिर भी, राज्यों को अपनी योजना प्राथामेकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सात आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का स्वयं परस्पर आवंटन करने की छूट दे दी गई है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

21. **श्री पवन दीवान** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में आज की तिथि तक कुल कितने बिजलीघर/उप बिजलीघर स्थापित किए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक बिजलीघर/उप बिजलीघर की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दोनों बिजलीघरों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) मध्य प्रदेश में 7 ताप विद्युत केन्द्र है जिनमें 2 एनटीपीसी के हैं तथा छः जल विद्युत केन्द्र (लघु एवं छोटे संयंत्रों को छोड़कर) अवस्थित हैं। मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में 1661 उप-केन्द्र (ईएचवी तथा एचवी) और 1,64,877 वितरण ट्रांसफार्मर उप-केन्द्र विद्यमान है।

गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तिथि	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)			वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	जोड़	
1	2	3	4	5
1993-94 (31.3.94)	3360	3783	7143	-

1	2	3	4	5
1994-95	3360	3863	7223	हंसदेव बांगों में 2 × 40 मे.वा. जल विद्युत यूनिटों की क्रमशः 21.11.97 और 11.1.95 को चालू किए जाने के कारण 80 मे.वा. की वृद्धि हुई है।
1995-96 (31.3.96)	3360	3863	7223	-
1996-97 (31.3.97)	3360	3863	7223	-
1997-98 (31.10.97)	3360	3863	7223	-

(ख) और (ग) राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) 210 मे.वा. प्रत्येक की दो नई यूनिटें (3 और 4) संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में निर्माणाधीन है।

(2) कोरबा-पूर्व की दो यूनिटों तथा अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रों की एक यूनिट में मरम्मत कार्य किया जा रहा है ताकि उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता को पुनः लौटाया जा सके।

(3) बाणसागर जल विद्युत परियोजना 2x15 मे.वा. चरण-2, 3x20 मे.वा. चरण-3 और 2x10 मे.वा. चरण-4 तथा राजघाट जल विद्युत परियोजना 3x15 मे.वा. पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, और

(4) सारनी, कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व और अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्रों में भी नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य किया जा रहा है ताकि इन यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिला और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

22. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य के बारे में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिये केन्द्र सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायत स्तर पर प्रसूति केन्द्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) आई•सी•डी•एस• स्कीम पूरक पोषण घटक के साथ नौवीं योजना के दौरान जारी रहेगी जिसका लक्ष्य देश भर में फैले आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषक आहार की आपूर्ति के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों में कुपोषण को कम करना और परिवार को उपयुक्त स्वास्थ्य परिचर्या और पोषणिक विधियों के बारे में शिक्षित करना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

राज्य बिजली बोर्डों की बैठक

23. श्रीमती कमल रानी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर भारत के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के साथ कोई बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वालों और उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों का पालन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के• अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

—

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए बजट का प्रावधान

24. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दवाइयों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में भारतीय चिकित्सा पद्धति की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के लिये कुल कितना बजट आबंटित किया गया था;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पैंसरियों/इकाइयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी में बहिरंग रोगी विभाग में कुल कितने रोगी आए; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा पद्धतिवार प्रत्येक मरीज के लिये दवाओं पर औसत कितना खर्च हो रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) दिल्ली के बाहर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी पद्धति की दवाइयों की खरीद के लिए अलग से कोई बजट आबंटित नहीं है। हालांकि एलोपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी दोनों पद्धतियों की दवाइयों की खरीद करने हेतु आबंटन किया जाता है जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी, दिल्ली के लिए 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान क्रमशः 85.91, 85.21 एवं 142.40 करोड़ रु॰ का प्रावधान शामिल था।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/यूनिटों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी की विभिन्न पद्धतियों में बहिरंग रोगी विभाग में 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान आने वाले रोगियों की संख्या क्रमशः 2050826, 1967885, 2238375 तक रही है।

(ग) आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी और सिद्ध पद्धतियो *के अंतर्गत 1996-97 में दवाइयों की प्रति रोगी औसत लागत क्रमशः तकरीबन 24.00, 14.00 103.00 तथा 173.00 रु॰ थी।*

पोलियों के मामले

25. श्री भीमराव विष्णुजी वडाडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 की तुलना में 1997 में पोलियो के मरीजों की संख्या में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1998 में इनकी संख्या को और घटाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1996 और 1997 (सितम्बर, 1997 तक) के ब्यौरे विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) पोलियों के उन्मूलन के लिए देश में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पोलियो के रोगियों की निगरानी को सुदृढ़ बनाने हेतु एक राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना स्थापित की गई है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा सूचित किए गए पोलियो के रोगी-1996

राज्य	पोलियो के रोगी												
	ज॰	फ॰	मा॰	अ॰	मई॰	जून	जु॰	अ॰	सि॰	अक्टू॰	नव॰	दि॰	संचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	4	3	1	0	1	3	0	3	2	1	1	1	20
असम	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10
बिहार	44	0	9	0	6	1	0	0	1	0	1	0	62
गुजरात	2	0	1	1	0	2	1	2	4	2	1	4	20
हरियाणा	2	4	1	1	2	3	6	7	10	4	2	5	47
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	5	7	7	4	2	9	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	8
मध्य प्रदेश	1	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	1	8
महाराष्ट्र	16	17	8	8	19	22	26	65	63	5	2	11	262
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
पंजाब	2	0	1	0	0	0	3	1	3	0	2	2	14
राजस्थान	1	1	3	3	1	2	2	8	6	2	1	0	30
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	4	7	8	9	14	12	11	10	6	3	7	4	95
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
उत्तर प्रदेश	3	12	3	4	3	5	17	26	36	4	12	10	135
पश्चिम बंगाल	15	11	21	4	18	9	10	6	0	3	0	0	97
अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	8	10	10	3	1	7	17	34	31	8	15	13	157
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	104	65	70	36	66	68	102	171	169	43	48	63	1005

सितम्बर, 96 तक - 851

विवरण-II

राज्यों द्वारा सूचित किए गए पोलियो के रोगी-1997

राज्य	पोलियो के रोगी									
	ज॰	फ॰	मा॰	अ॰	मई	जून	जु॰	अग॰	सित॰	संचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	0	0	10	4	1	0	0	0	0	15
असम	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	0	0	3	0	1	4	2	0	0	10
गुजरात	3	0	5	5	5	26	40	1	5	90
हरियाणा	1	0	0	1	3	2	1	0	2	10
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	9	3	2	2	1	2	7	7	6	39
केरल	1	0	3	0	0	2	2	0	2	10
मध्य प्रदेश	0	0	6	2	0	1	0	0	0	9
महाराष्ट्र	3	2	5	1	9	6	34	20	1	81
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
पंजाब	0	1	0	3	0	0	0	2	0	6
राजस्थान	0	1	0	1	1	2	0	5	0	10
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	5	4	7	6	5	12	9	0	0	48
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	8	2	3	1	5	7	119	84	57	286
पश्चिम बंगाल	0	0	5	8	0	3	1	6	3	26
अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	11	4	6	1	3	3	2	0	15	45
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन व दीव	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
कुल	43	22	55	36	34	70	217	126	91	694

रिपोर्ट अनंतिम

उत्तर प्रदेश को विदेशी सहायता

26. **लेफ्टि॰ जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों को उपकरणों की आपूर्ति करने और अस्पतालों का विस्तार करने के लिए धन प्रदान करने हेतु इन्डो-फ्रेंच असिस्टैंस प्रोटोकोल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक)/कुवैत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। 1996 से उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत फ्रांस सहायता प्रोटोकॉल और ओपेक निधि से वित्तीय सहायता के लिए तीन प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं। इन प्रस्तावों की स्थिति नीचे दी गई है :

1. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कैंसर के उपचार के लिए भारत फ्रांस वित्तीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3.56 मिलियन एफ एफ के उपस्कर का आयात करना। आर्थिक कार्य विभाग के जरिए फ्रांसीसी प्राधिकारियों को भेजा यह प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को भारत फ्रांस प्रोटोकॉल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 72 मिलियन एफ एफ के उपस्कर की सप्लाई करना। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को 16 सितम्बर, 1997 को भेजा गया है। जिसने इसे फ्रांसीसी राजदूतावास को आगे भेज दिया है।
3. ओपेक निधि से बदायूं में 3270.05 लाख रु॰ की अनुमानित लागत से 300 पलंगों वाले आधुनिक अस्पताल का निर्माण एवं स्थापना करना। यह प्रस्ताव 27.3.97 को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है ताकि इसे दाता अभिकरणों को भेजा जा सके।

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र

27. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में संविदा सूचीबद्ध करने के वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कुछ समय पूर्व एक समिति गठित की गई थी, और बाद में उसे समाप्त कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु नई समिति गठित की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) डीवीसी विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने वाले मानदंडों के एक समरूप सेट का अनुसरण करती है। ये मानदंड चन्द्रपुर डीपीएस हेतु ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने के लिए भी लागू होती है।

(ख) से (च) विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों के वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रकार की समीक्षा करने के लिए डीवीसी प्रबंधन द्वारा मार्च, 1993 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति को विद्यमान ठेकेदारों के वर्गीकरण की समीक्षा करने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार की समीक्षा हेतु मई, 1997 में एक नई समिति गठित की गई है।

हज यात्रा

28. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में हज समिति, मुम्बई के चेयरमैन तथा स्टाफ ने कितनी बार-सउदी अरब का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या रहा है तथा टिकट, आवास, परिवहन, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ते पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या ऐसे व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे खर्चों को कम करने का है जो गरीब हज तीर्थयात्रियों से जमा कराया जाता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान हज समिति के अध्यक्ष ने सात बार, कार्यकारी अधिकारी ने दो बार और 11 कर्मचारियों ने एक-एक बार सउदी अरब की यात्रा की।

(ख) ये यात्राएं हज समिति द्वारा मक्का और मदीना में भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतर संभाव्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के प्रयासों के भाग के रूप में और इस संबंध में संबंधित सउदी प्राधिकारियों से बातचीत करने के उद्देश्य से की गई थी।

केन्द्रीय हज समिति द्वारा तथा प्रस्तुत यात्राओं पर हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है।

मद	व्यय (रुपयों में)
1	2
हवाई टिकट	1,03,330/- रुपए
दैनिक भत्ता	75,600/- रुपए

1	2
आवास	45,000/- रुपए
परिवहन	80,000/- रुपए
55,000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से स्टाफ सदस्यों को प्रदान की गई विदेशी मुद्रा	6,52,080/- रुपए

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। केन्द्रीय हज समिति की सउदी अरब की यात्राओं के प्रस्तावों पर सरकार, भारतीय हज यात्रियों द्वारा हज के लिए यथासंभव उत्तम व्यवस्थाओं के लिए आवश्यकता और हज कोष में से व्यय करने में बचत की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए काफी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अनुमति देती है।

रक्त की पूर्ति

29. **श्री शिवानन्द एच॰ कौजलगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रक्त बैंक अंतरंग (इन्डोर) रोगियों के लिए रखे गए रक्त से निजी अस्पतालों और बाहर के व्यक्तियों को रक्त की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान निजी अस्पतालों और बाहर के व्यक्तियों की औसतन प्रतिमाह कितने रक्त की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रक्त बैंक द्वारा निजी अस्पतालों और बाहर के व्यक्तियों को आपूर्ति के लिए कोई मानदंड/शर्तें रखी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रक्त के विभिन्न ग्रुपों की आपूर्ति करने से अंतरंग रोगियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रक्त बैंक उन मरीजों को रक्त जारी करता है जिनके पास स्वैच्छिक कार्ड होते हैं, चाहे वे कहीं भी दाखिल हों। रक्त कार्डधारक को जारी किया जाता है। आपातकालीन स्थितियों अथवा जब रक्त एक स्वैच्छिक रक्तदाता जो स्वयं या उसका रिश्तेदार किसी निजी अस्पताल में भर्ती होता है द्वारा अपेक्षित हो, तब भी कभी कभार रक्त जारी किया जाता है।

(ख) निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले स्वैच्छिक कार्ड धारकों के लिए रक्त जारी करने की औसत 100-150 यूनिट प्रतिमाह है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए रक्ताधान सेवा संबंधी राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशों के अनुसार सभी अस्पतालों को स्वैच्छिक कार्डों का सम्मान करना चाहिए।

(ङ) अंतरंग रोगियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि संस्थान के पास रक्त का काफी स्टॉक होता है।

"डिस्पोजेबल सिरिंज" का पुनः प्रयोग

30. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "डिस्पोजेबल सिरिंज", जिन्हें सर्जिकल कचरापेटी से उठाकर अस्पतालों में पुनः प्रयोग में लाया जाता है, के कारण देश में एच॰आई॰वी॰ जीवाणु से कुछ और लोग संक्रमित हो रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है कि पुनः प्रयोग में लाए गए सिरिंजों का कितनी बार उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि डिस्पोजेबल सिरिंजों का पुनः उपयोग न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) प्रचार माध्यमों में खबरें रही हैं कि कुछ स्थानों पर डिस्पोजेबल सिरिंजों का पुनः प्रयोग किया जाता है। अभी तक इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं लगाया गया है कि यह प्रेक्टिस किस हद तक चली हुई हैं अस्पतालों और राज्य सरकारों को परिचालित अस्पताल अर्जित संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों में डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुईयों की इंसीनीरेशन/शेडिंग सहित रक्त और रक्त संदूषित सामग्री के उचित निपटान के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस पहलू को कवर किया गया है और यह सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए चलाए गए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान का एक मुख्य भाग है।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

31. **डा॰ कृपा सिंधु भोई** :
श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को किन राज्यों में शुरू किया जा रहा है;

(घ) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कब तक सहायता मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना तथा शिशु, बाल तथा मातृत्व मृत्यु तथा रुग्णता दर में कमी लाकर परिवार कल्याण कार्यक्रम की पूरी न हुई आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(ग) प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण योजना का एक भाग है तथा इसे भारत सरकार द्वारा 15.10.1997 को शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नौवीं योजना अवधि में 5112.53 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय रखा गया है।

(ङ) जी, हां। जहां विश्व बैंक मुख्य दाता है वहां अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियां भी आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम को मदद दे रही हैं।

(च) प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर चालू वर्ष 1997-98 से प्राप्त होगी।

बीड़ी मजदूर

32. **श्री एस-डी-एन-आर- वाडियार :**
श्री टी- गोविन्दन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी मजदूरों के लिए एक 20 सूत्री कल्याणकारी पैकेज की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने बीड़ी मजदूरों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने का विचार है;

(ग) 1997-98 के दौरान राज्यवार स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम-पी- वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास बीड़ी कर्मकारों के लिए 20 सूत्री कल्याण पैकेज नामक कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्रों में अनेक कल्याण उपायों को बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुमानतः 43.64 लाख बीड़ी कर्मकार हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के लिए सभी बीड़ी कर्मकार अर्ह हैं।

(ग) और (घ) कल्याण निधि योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी क्षेत्र-वार आधार पर पूरे देश में बिखरे हुए नौ क्षेत्रों को जारी की जाती है।

निधियों का क्षेत्र-वार आवंटन संलग्न विवरण पर है।

कल्याण निधि के अंतर्गत कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की केन्द्र और क्षेत्र-स्तर पर भी दोनों स्तरों पर आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां जरूरी हो उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1997-98 के लिए क्षेत्र-वार निधि आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र-सं-	क्षेत्र*	राशि (हजार रु- में)
1.	इलाहाबाद	1,74,51
2.	बंगलौर	4,99,87
3.	भीलवाड़ा	1,42,35
4.	भुवनेश्वर	1,42,25
5.	कलकत्ता	3,28,40
6.	हैदराबाद	7,06,35
7.	जबलपुर	4,50,40
8.	कर्मा	1,52,25
9.	नागपुर	2,43,90
	योग	28,40,28

* 1. इलाहाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, रा-रा- क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

2. बंगलौर क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप द्वीपसमूह शामिल हैं।

3. भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।

4. भुवनेश्वर क्षेत्र में उड़ीसा शामिल है।

5. कलकत्ता क्षेत्र में असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं।

6. हैदराबाद क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।

7. जबलपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश शामिल है।

8. कर्मा क्षेत्र में बिहार शामिल है।

9. नागपुर क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दमण व दीव और दादर व नागर हवेली शामिल हैं।

[हिन्दी]

यूरेनियम ऑक्साइड

33. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने "यूरेनियम ऑक्साइड", ईंधन जिसे परमाणु रिएक्टरों के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई प्रौद्योगिकी से प्रतिमाह कितने यूरेनियम ऑक्साइड का उत्पादन होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) हमारे परमाणु विद्युत रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन के उत्पादन की प्रौद्योगिकी स्वदेशी रूप से काफी समय पहले विकसित कर ली गई थी। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे सभी विद्युत रिएक्टरों की नाभिकीय ईंधन संबंधी आवश्यकता को 70 के दशक के शुरू में हैदराबाद में स्थापित किए गए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र द्वारा पूरा किया जा रहा है। तथापि, नई प्रौद्यागिकियों के विकास का कार्य जो कि एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है, को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ख) एक समान आकार के और उत्कृष्ट प्रवाहशीलता वाले यूरेनियम ऑक्साइड सूक्ष्म-गोलक तैयार करने की "सोल-जैल" प्रोद्योगिकी विकसित की गई है। इन सूक्ष्म-गोलकों का यूरेनियम ऑक्साइड पैलेटों जिनका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन रूप में किया जाता है, के रूप में संपीड़न किए जाने को भी इष्टतम बनाया गया हैं इस पदार्थ को अपेक्षाकृत कम तापमानों पर सिंटरित करने की संभाव्यता को भी दर्शाया गया है। ऐसे पैलेटों को काम में लाने वाले ईंधन बंडलों का इस समय विद्युत रिएक्टरों मे उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन के विकल्प स्वरूप एक नए मिश्रित ऑक्साइड (मॉक्स) ईंधन जिसका इस्तेमाल केवल तारापुर परमाणु बिजली घर (टीएपीएस) के दो बायलिंग वाटर रिएक्टरों के लिए ही किया जाता है, का उत्पादन किया गया है। यह ईंधन प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिश्रण हैं मॉक्स के थोड़े से ईंधन समुच्चयों को तारापुर परमाणु बिजलीघर के रिएक्टरों में भरा गया है।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए नई प्रौद्योगिकी पर आधारित नाभिकीय ईंधन की उत्पादन दरों की मात्रा के बारे में अभी से बताया जाना मुश्किल है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति

34. **श्री सनत मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वर्तमान भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य रक्षा पद्धति को पुनः चलन में लाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विभिन्न बीमारियों का ब्यौरा क्या है जिनका इलाज अथवा रोकथाम एलोपैथी पद्धति द्वारा नहीं किया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) सरकार ने देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा की औषध रहित थिरेपियों के विकास तथा संवर्धन के लिए मार्च, 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी का पहले ही एक अलग विभाग स्थापित किया है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अधिकांश वायरल बीमारियों के लिए कोई औषध उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियों में जैसे अति रक्तदाब, रूमेटाइड संधिशोथ, श्वसनी दमा आदि के मामले में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में कुछ रोगियों के लिए पूरा उपचार उपलब्ध नहीं है लेकिन उपचार से लक्षणों तथा रोग की आगे प्रगति पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

अंश-कालिक दाइयों (मिडवाइफ) को मानदेय के मामले

35. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अंश-कालिक दाइयों (मिडवाइफ) को दिये जाने वाले मानदेय को 50 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रार्थना केन्द्र सरकार द्वारा कब प्राप्त की गयी थी और इस पर क्या निर्णय लिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) अंतिम अनुरोध 28 जुलाई, 1997 का है। अंशकालिक नर्सधात्रियों को नियुक्ति करने संबंधी कोई केन्द्रिय अनुमोदित योजना नहीं है।

मौजूदा उपकेन्द्र योजना में प्रतिमाह 50 रु॰ के मानदेय पर उपकेन्द्र के रखरखाव हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्ता को नियुक्त करने के लिए व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार से अंशकालिक नर्स धात्रियों का पारिश्रमिक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है जिनके लिए भारत सरकार द्वारा धन नहीं दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लंबित योजनाएं

36. **डा॰ साहेबराव सुकराम बागूल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन योजनाओं पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कोई भी स्कीम इस समय स्वीकृति हेतु योजना आयोग में लंबित नहीं है।

बाल श्रमिक

37. **डा॰ राम विलास वेदान्ती :**

श्री सोहनवीर सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के बाल श्रम संबंधी सबसे अधिक मामलों वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन तथा इन श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

38. **श्री पी॰सी॰ थामस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की अनेक निजी और सरकार क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की क्षमता और अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केरल सरकार ने नौका आरूढ़ विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ईंधन सम्पर्क (फ्यूल लिंकेज) की अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने बार्ज माउंटेड विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु उनके नियमित आबंटन से 500 मे.वा. अधिक मात्रा के लिए ईंधन लिंकेज के वास्ते अनुमति मांगी थी। अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

संक्रामक बीमारियां

39. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संक्रामक बीमारियों का ब्यौरा क्या है और इस देश में पिछले वर्ष की तुलना में 31 दिसम्बर, 1996 तक इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और इनसे पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है;

(ग) क्या संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन और इनसे पीड़ित मरीजों को अच्छी किस्म की दवाइयां प्रदान करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार की बीमारियों के लिए यह अनुसंधान कार्य किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) संक्रामक रोगों के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1996 तथा 1995 के दौरान संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) संचारी रोगों के नियंत्रण के अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिनमें एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, गिनी कृमि, वैक्सीन से रोकथाम किए जाने वाले रोग, अतिसार आदि जिनमें इन रोगों से पीडित रोगियों के उपचार की व्यवस्था है जिसमें औषधों की सप्लाई भी शामिल हैं। इस समय केवल तीन ही ऐसे रोग है जिनके उन्मूलन/दूर करने का लक्ष्य है अर्थात् कुष्ठ, पोलिया और गिनी-कृमि। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपनी संस्थाओं तथा दूसरे अनुसंधान निकायों के माध्यम से पोलियों तथा कुष्ठ में अनुसंधान कर रही है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान संचारी रोगों के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र . . .	रोगी	
		1995	1996
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15170781	1599002
2.	अरूणाचल प्रदेश	371697	301707
3.	असम	–	*
4.	बिहार	–	97
5.	गोवा	45957	93768
6.	गुजरात	3477553	4676016
7.	हरियाणा	5856243	6593225
8.	हिमाचल प्रदेश	5290009	5642898
9.	जम्मू व कश्मीर	5669644	6842604
10.	कर्नाटक	9533051	10116729
11.	केरल	11261974	15541946
12.	मध्य प्रदेश	7542814	5467613
13.	महाराष्ट्र	12782007	11941459
14.	मणिपुर	336146	352837
15.	मेघालय	620288	563809
16.	मिजोरम	284630	228884
17.	नागालैण्ड	35549	69645
18.	उड़ीसा	6869842	9231719
19.	पंजाब	2861231	3033725
20.	राजस्थान	2547472	2652513
21.	सिक्किम	–	6742
22.	तमिलनाडु	3518257	1489421
23.	त्रिपुरा	588206	662776
24.	उत्तर प्रदेश	24546016	27816295
25.	पश्चिम बंगाल	2762754	622
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	594610	455510
27.	चण्डीगढ़	–	260
28.	दादर व नगर हवेली	273882	305284
29.	दमण व दीव	34451	87678
30.	दिल्ली	3741361	2763751
31.	लक्षद्वीप	169962	169339
32.	पांडिचेरी	4094101	3058394

* सूचित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

बन्द की गई परियोजनाएं

40. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री सुंदर लाल पटवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान बन्द की गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी थी और जिन्हें बन्द करने पर केन्द्र सरकार को कितना घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन परियोजनाओं पर कार्य रोक दिया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन परियोजनाओं को उनकी व्यवहार्यता के बारे में समुचित अध्ययन करने के बाद स्वीकृत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई/प्रारंभ की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के दुर्लभ स्त्रोतों को इस प्रकार की बरबादी से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग जो कि 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का प्रबोधन करता है, के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी 8 परियोजनाओं को बंद रखा गया था जिनके ऊपर एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी थी। इन बंद पड़ी परियोजनाओं के ऊपर खर्च हुई कुल धनराशि 87.57 करोड़ रुपये थी। इन 8 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन 8 परियोजनाओं को समुचित अध्ययन के बाद स्वीकृत किया गया था परंतु स्वीकृति के बाद उत्पन्न बाधाओं जैसे संसाधनों की कमी, भूस्थलीय कठिनाइयां, भूमि की अनुपलब्धता, कानून तथा व्यवस्था की समस्या इत्यादि के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्र में करवाने के लिए कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र में रोक दिया गया।

(ङ) सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बड़ी परियोजनाओं को दो चरणों वाली अनापत्ति पत्र के तहत लाया गया है ताकि बरबादी रोकी जा सके। इसके लिए तकनीकी आर्थिक मानदंडों को कठोर बनाने की जरूरत होगी तथा प्रथम चरण की अनापत्ति ग्रहण करने के बाद और अंतिम संस्वीकृति लेने के पहले परियोजना पूर्व की आवश्यक कार्रवाइयों को पूरा करना पड़ेगा।

विवरण

उन परियोजना की सूची जिन्हें 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान छोड़ दिया गया था और जिन पर एक करोड़ या उससे अधिक रुपये व्यय किए गए

क्र॰सं॰	क्षेत्र	परियोजना का नाम	(करोड़ रुपए में व्यय)
1	2	3	4
1994-95			
1.	कोयला	करमा ओ सी	1.64
2.	कोयला	बाकुलिया यू.जी	2.47
3.	विद्युत	दुलहस्ती पारवेण लाइन	41.08
4.	भारी उद्योग	बागासी बेस न्यूज प्रिंट	6.91
1995-96			
5.	कोयला	बारसिंगार लिग्नाईट माइन	24.48
6.	कोयला	बारसिंगार लिग्नाईट टीपीएस	5.06
1996-97			
7.	कोयला	गोलेटी-लोंगवाल	3.90
8.	पैट्रोलियम	हल्दिया - बज-बज पाईपलाइन	1.93
		कुल	87.57

कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना

41. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री वी॰एम॰ सुधीरन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना को कब तक पूर्ण रूप से चालू किए जाने की संभावना है;

(ख) परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत और विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या परियोजना में तेजी नहीं लाने के कोई तकनीकी कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 1310.58 करोड़ रुपये है परियोजना की क्षमता 350 मे.वा. है। परियोजना चालू करने का कार्यक्रम निम्नवत् है :-

गैस टरबाईन-1	मार्च, 1999
गैस टरबाईन-2	मई, 1999
भाप टरबाईन	मार्च, 2000

स्थल पर अवसंरचनात्मक क्रियाकलाप यथा कार्यालयों और चहार दीवारी आदि का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है। पहुंच मार्ग तथा निर्माण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है ऑफ साइट एरिया और ईंधन नियंत्रण प्रणाली समेत मुख्य पावर ब्लॉक में तलकर्षण लेवलिंग और कम्पेक्शन का कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया गया है। संपूर्ण संयंत्र के लिए पाइलिंग कार्य भी पूरा कर लिया गया है मुख्य संयंत्र के लिए नींव रखने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। परियोजना की शेष गतिविधियां कार्यक्रमानुसार

प्रगति पर है। एनटीपीसी संघनता से कार्य को मानीटरिंग कर रही है। परियोजना समय पर पूरी कर ली जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

नये विद्युत संयंत्र

42. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री अमर पाल सिंह :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी योजना के दौरान एक नये परमाणु विद्युत संयंत्र को स्थापित करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान तथा प्रस्तावित परमाणु संयंत्र पर जितना व्यय होने की संभावना है उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संदर्भ में अपनाए जाने वाले प्रस्तावित मूलभूत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. नाभिकीय विद्युत क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाओं जोकि देश में परमाणु विद्युत क्षमता के साथ सीधे जुड़ी हुई है, को भारी पानी के उत्पादन और नाभिकीय ईंधन संविचरन के क्षेत्र में मजबूत बनाना।
2. परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने सहित एक व्यवहार्य पूंजीगत ढांचा स्थापित करना।

(ग) 9वीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02) में चालू परियोजनाओं और नई नाभिकीय परियोजनाओं के मौजूदा प्रस्तावों पर खर्च किए जाने वाला व्यय नीचे दिए अनुसार हैं :-

स्कीम	चालू परियोजनाएं (करोड़ रुपए) (1996 के मूल्य स्तर पर)	नए प्रस्ताव (करोड़ रुपए)
अनुमानित लागत	1536.54	3941.23
एन पी सी हेतु अनुषंगी स्कीमें	567.75	498.66
कुल योग	2104.29	4439.89

दिल्ली में निजी विद्युत केन्द्रों की स्थापना

43. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ निजी क्षेत्र के विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निजी क्षेत्र में चार परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा एवं इनकी संक्षिप्त स्थिति निम्नवत् है :-

1. सीसीजीटी परियोजना बवाना चरण-1 (421 मे.वा.)

परियोजना के लिए मै॰ रिलायंस इंडस्ट्रीज को विकासकर्ता के रूप में चुना गया है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा प्रवर्तकों के मध्य निर्धारित किया जाता है।

2. बवाना चरण-2 (600-650 मे.वा.)

विकासकर्ता का चयन द्विखंडीय बोली प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है। पहले खंड का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा 6 पक्षों को विस्तृत बोलियां प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है जिन्हें प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरपीएफ) दस्तावेज प्रदान किए जा चुके हैं।

3. बहु-ईंधन आधारित लघु विद्युत संयंत्र (50-100.मे.वा.)

50-100 मे.वा. क्षमता के लघु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए दिल्ली में 10 स्थानों को अभिज्ञात किया गया है।

4. अपोलो ऊर्जा विद्युत केन्द्र 300 मे.वा. (कोयला आधारित)

अपोलो हस्पताल ग्रुप ने सीएफबी प्रौद्योगिकी पर 200 मे.वा. विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बाद में संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 300 मे.वा. कर दिया गया। डीवीसी द्वारा कंपनी को एक सुविधा-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। सभी निवेशों और स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने तथा पीपीए को तैयार करने के लिए अपोलो हस्पताल प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तथापि, इस बीच एमओयू को रद्द करने के लिए डा॰ बी॰एल॰ बडेरा द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लोक हित मुकदमा (पीआईएल) दायर किया गया है। 23.9.97 को अंतिम सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायालय में मामले की विचारधीनता से प्राधिकारियों के परियोजना पर और कार्रवाई किए जाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

44. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1000 करोड़ रुपए तक की राशि की विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली [ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)/आशय पत्र (एलओआई) आदि के माध्यम से ठेके दिए जाते हैं] तथा 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली (ऐसी परियोजना जिनके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से ठेके दिए जाते है) सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति

45. **कुमारी उमा भारती :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत राशि व्यय की गई है और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकारी, अर्ध-सरकारी, तथा अन्य संस्थाएं इन योजनाओं की लाभार्थी हैं जो बदले में लोगों को लाभ पहुंचाती हैं इसलिए लाभार्थियों की सही संख्या बताना कठिन है।

(घ) स्वास्थ्य परिचर्या के लिए 1997-98 के दौरान आबंटित 1997.80 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 56.80 करोड़ रुपये अर्थात् 2.84 प्रतिशत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए आबंटित हैं।

विवरण

सरकार ने देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जिनमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा भी शामिल है, के विकास तथा संवर्धन के लिए मार्च, 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का एक नया विभाग स्थापित किया है। ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करना, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी औषधों का मानकीकरण, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी औषधों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना।

(iii) सेवारत अध्यापकों, फिजिशियनों तथा अनुसंधानकर्ताओं को पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी औषधियों में प्रयोग होने वाले औषधीय पादपों का विकास तथा खेतीबाड़ी।

(ख) एग्रो-तकनीकों के विकास तथा औषधीय पादपों की खेती की योजना।

(v) इन चिकित्सा पद्धतियों में शीर्ष संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद/विद्यापीठ, दिल्ली राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे।

(vi) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में अनुसंधान की आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को विभिन्न केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

(vii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के फार्माकोपियल नामक विकसित करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फार्माकोपिया समितियों के कार्यकरण की केन्द्रीय योजना तथा औषधों का मानकीकरण और भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की गाजियाबाद स्थित फार्माकोपियल प्रयोगशाला के माध्यम से औषधों का परीक्षण।

[अनुवाद]

इसरो मुख्यालय में बाढ़

46. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में हाल ही में वर्षा के कारण जल भर गया था;

(ख) यदि हां, तो इससे वैज्ञानिक उपकरणों अथवा अन्य वस्तुओं का कितना नुकसान पहुंचा; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) अन्तरिक्ष भवन का बेसमेंट, जिसमें अन्तरिक्ष विभाग और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का बेंगलूर स्थित मुख्यालय विद्यमान है, सितम्बर, 30, 1997 की रात्रि तथा अक्तूबर 1, 1997 की प्रातः हुई अभूतपूर्व वर्षा द्वारा जलमग्न हो गया। इससे भवन में अचानक बाढ़ आ गई तथा जल भर गया। इस बाढ़ के आने का मुख्य कारण लगभग 24 घंटे की अवधि के दौरान बेंगलूर शहर में 17.98 सेंटीमीटर वर्षा का होना तथा इलाके में क्षेत्रीय जलनिकासी प्रणाली का अपर्याप्त होना था। बेसमेंट क्षेत्र, जहां पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, सेमिनार हाल, रिकार्ड और स्टेशनरी रूम तथा टेलीफोन एक्सचेंज स्थित थे, प्रभावित हो गया। तथापि, अवरूद्ध जल की शीघ्र निकासी के लिए विभाग द्वारा की गई समयोपरि कार्रवाई ने क्षति को न्यूनतम कर दिया। बेसमेंट में कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं रखा गया है। अतः उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल क्षति लगभग 16.75 लाख रुपये की हुई है।

चूंकि अंतरिक्ष भवन की बाढ़ का कारण निकटवर्ती क्षेत्रों से जल प्रवाह का आना था, क्षेत्रीय जल-निकासी प्रणाली के सुधार के लिए तथा इनकी कार्यकरण क्षमता के लिए नियमित अंतराल पर क्षेत्र के जलनिकासी नेटवर्क की सफाई और गाद की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

उपग्रह प्रक्षेपण

47. **श्री आई॰डी॰ स्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1997 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "यू.एस. ओब्जेक्ट फायरिंग लेज़र टू डिसेबल सेटेलाइट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य दिए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) समाचारपत्र में प्रकाशित पेंटागन सूत्रों के अनुसार, इस परीक्षण में मई 1996 में छोड़े गये एक पुराने उपग्रह (जो कि अब उपयोग में नहीं है) पर हाई पावर लेसर बीम छोड़कर इसे अशक्त करने का कार्य शामिल है। इस लेसर बीम को न्यू-मेक्सिको स्थित एक सुदूर आर्मी बेस से प्रेषित किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य, पेंटागन सूत्रों के अनुसार, उपग्रह को नष्ट करना अथवा इसे किसी कक्षीय मलबे के रूप में परिणत करना नहीं है; न ही इसका उद्देश्य अन्य उपग्रहों को किसी प्रकार की जोखिम पैदा करना है, अपितु इस परीक्षण का उद्देश्य, लेसर से अमरीकी उपग्रहों की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, के अध्ययन के लिए केवल आंकड़े एकत्र करना है।

(ग) इस प्रस्तावित परीक्षण को किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जिसका भारत एक पक्षकार है। तथापि, इस क्षेत्र में होने वाले विकासों की सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है।

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

48. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास राजस्थान से प्राप्त कितने विद्युत संयंत्र मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की कुल लागत और क्षमता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) राजस्थान में नरसिंहसर लिग्नाइट माइनिंग कम-पावर जेनरेशन परियोजना (प्रतिस्पर्धात्मक) बोली प्रक्रिया पद्धति अपनाकर) क्रियान्वित किए जाने के लिए मै॰ हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि॰ द्वारा के॰वि॰प्रा॰ को प्रस्तुत की गई। व्यापक परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

(ख) नरसिंहसर लिग्नाइट माइनिंग पावर जेनरेशन परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 500 मे.वा. है और इसकी अनुमानित लागत 2468.23 करोड़ रु॰ है।

(ग) जैसे ही प्रवर्तकों द्वारा लंबित निवेश सुनिश्चित कर लिए जाते हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकार एजेंसियों से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाती हैं तत्काल परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

महारानी की भारत यात्रा

49. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महारानी एलिजाबेथ ने भारत की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके तथा भारतीय नेताओं के बीच हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 12–18 अक्तूबर, 1997 को भारत की राजकीय यात्रा पर आई थीं। यह एक सद्भावना यात्रा थी और बातचीत में सामान्यतः यू.के. के साथ द्विपक्षीय संबंध तथा परस्पर हित–चिंता के अन्य विषय शामिल थे।

[अनुवाद]

गुट निरपेक्ष आंदोलन

50. श्री संदीपान थोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) को पुनर्जीवित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत द्वारा की गई पहल पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुट निरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु 1997–98 के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है/प्रस्ताव किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ पुनः सक्रिय बनाने के लिए भारत विभिन्न गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंचों पर सक्रिय और रचनात्मक रूप में भाग लेता रहा है। इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से भारत ने कई पहलकदमियां की हैं। भारत ने अप्रैल, 1997 में नई दिल्ली में 12वें "नाम" मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस सम्मेलन में गुट–निरपेक्ष देशों के मंत्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस आंदोलन की एकता में अभिवृद्धि की जानी चाहिए और इसके बातचीत करने की शक्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों की दिशा में सदस्य देशों की स्थिति को सशक्त तथा समन्वयकारी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि करार के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना, कार्रवाई के क्षेत्र का विस्तार करना, सुस्पष्ट मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित करना और इस आंदोलन के सदस्यों के बीच सिद्धांतों और सद्भाव को विकसित करना अनिवार्य है। मंत्रियों ने इस आंदोलन को निर्देश दिए थे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, निरस्त्रीकरण, विकास, मानवाधिकार, जातीय भेदभाव, आतंकवाद, पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच में अन्य राजनीतिक मुद्दों की सामूहिक स्थिति पर संयुक्त रूप से बढ़ावा दें।

इस सम्मेलन के दौरान भारत का प्रयास "नाम" को प्रक्रिया के साथ–साथ विषय वस्तु में एक आधुनिक और अग्रोन्मुखी रूप देना रहा है। हमारा प्रयास परिणामों को कार्योन्मुखी बनाना और आडम्बरों से दूर रहना रहा है। "नाम" के पारस्परिक विचारों का आदान–प्रदान करने के परम्परागत क्षेत्रों के अलावा इस सम्मेलन में उन सामाजिक क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है जहां पर दक्षिण–दक्षिण पारस्परिक क्रिया–कलाप न्यूनतम रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक मामलों के क्षेत्र में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सम्मेलन की अन्य पहलकदमी के बाद विकासशील देशों को पेश आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करने और उन पर सिफारिशें देने के लिए "नाम" ने शीर्षस्थ अर्थशास्त्रियों के एक दल का गठन किया है।

दिल्ली सम्मलेन में निर्णय लिया गया कि आगामी शिखर सम्मेलन 1998 में अफ्रीका में होगा। आशा की जाती है कि इस आंदोलन की शक्ति और प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि होगी। भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

बी॰डी॰एस॰ की डिग्री

51. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर, पुणे और अमरावती से बी॰डी॰एस॰ की दी जाने वाली डिग्रियों को कई राज्य सरकारों तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा दो–एक वर्षों से अथवा इतनी कुछ अवधि से मान्यता देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही से पूर्व इन डिग्रियों को मान्यता दी जाने लगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10(2) के अनुसार भारत का कोई प्राधिकारी या संस्था जो इन अनुसूची के भाग–1 में असम्मिलित दन्त चिकित्सीय अर्हता प्रदान करता है, ऐसी अर्हता को मान्यता दिलाने और इस भाग में

शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकती है, और केन्द्रीय सरकार, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के उपरान्त तथा ऐसी पूछताछ, यदि कोई हो, जिसे इस प्रयोजन के लिए वह उपयुक्त समझे, के बाद इस अनुसूची के भाग-I को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करते हुए संशोधित कर सकती है ताकि उसमें ऐसी अर्हता को समाविष्ट किया जा सके, और ऐसी अधिसूचना में यह भी निर्देश दे कि ऐसी दन्त चिकित्सीय अर्हता के सामने अनुसूची के भाग-I में यह घोषणा करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि इसे दन्त चिकित्सीय अर्हता की मान्यता तब मिलेगी जब इसे विनिर्दिष्ट तारीख को प्रदान किया जाए। शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, पुणे विश्वविद्यालय और अमरावती विश्वविद्यालय को बी॰डी॰एस॰ डिग्रियों की मान्यता संबंधी मामलों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

कोर्जेंट्रिक्स

52. **श्री बी॰ धनंजय कुमार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उडुपी जिले के नंदीकुर में 1000 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए मंगलौर विद्युत कम्पनी (कोर्जेंट्रिक्स) को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अंतिम स्वीकृति प्रदान करने से पहले सभी शर्तें पूरी कर ली जानी चाहिए;

(घ) क्या वायु, जल और अंतरिक्ष प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षोपाय पर विचार किया गया है;

(ङ) क्या कंपनी को निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान करने में वित्त मंत्रालय को कोई आपत्ति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) मै॰ मंगलौर पावर कंपनी द्वारा 1000 मे.वा. की मंगलौर विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसे तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजना के लिए अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) से पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है लेकिन दोनों ने कुछ शर्त लगाई हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1997 की याचिका संख्या 790 और 1996 की 28651 दायर की गई है इनमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से दी गई स्वीकृति का मुद्दा उठाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा 29 अगस्त, 1997 को दिए गए अपने निर्णय में मंगलौर विद्युत परियोजना को स्थापित किए जाने के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई गई है। तथापि, न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह कुछ एजेंसियों/व्यक्तियों की रिपोर्टों/विचारों पर ध्यान दे तथा आलोचनाएं जोकि इसमें लक्षित नहीं है, पर नोट तैयार करें तथा इस प्रतिक्रिया की सुनिश्चितता के लिए कि मंगलौर पावर कंपनी द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई से मानव जीवन और पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित होगा अथवा उस सीमा तक प्रभावित होगा जिस पर उनके द्वारा विचार नहीं किया गया और इसके कारण उठने वाले मुद्दे के बारे में निर्णय हों।

(ङ) विदेशी निवेश की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पासपोर्ट कार्यालय

53. **डा॰ जी॰आर॰ सरोदे :**
श्री सोहन वीर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) इस समय देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय है। इनकी अवस्थिति संबंधी विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्तमान समय में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गैर-योजना व्यय समिति ने 28 करोड़ रुपये की लागत पर पासपोर्ट कार्यालयों के स्वचालन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। नए कार्यालय की वृद्धि से प्रस्ताव का मापदण्ड परिवर्तित हो जाएगा तथा टेण्डर प्रक्रिया में देरी होगी।

विवरण

देश में पासपोर्ट कार्यालयों की अवस्थिति

1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	अहमदाबाद
2.	पासपोर्ट कार्यालय	बंगलौर
3.	पासपोर्ट कार्यालय	बरेली
4.	पासपोर्ट कार्यालय	भोपाल

5.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	भुवनेश्वर
6.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	मुम्बई
7.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	कलकत्ता
8.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	चण्डीगढ़
9.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	चेन्नई
10.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	कोचीन
11.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	दिल्ली
12.	क्षेत्रीय पारापोर्ट कार्यालय	गोहाटी
13.	पासपोर्ट कार्यालय	हैदराबाद
14.	पासपोर्ट कार्यालय	जयपुर
15.	पासपोर्ट कार्यालय	जालंधर
16.	पासपोर्ट कार्यालय	कोजीकोड
17.	पासपोर्ट कार्यालय	लखनऊ
18.	पासपोर्ट कार्यालय	नागपुर
19.	पासपोर्ट कार्यालय	पणजी
20.	पासपोर्ट कार्यालय	पटना
21.	पासपोर्ट कार्यालय	तिरूचिरापल्ली
22.	पासपोर्ट कार्यालय	त्रिवेन्द्रम
23.	पासपोर्ट कार्यालय	जम्मू
24.	पासपोर्ट कार्यालय	गाजियाबाद
25.	पासपोर्ट कार्यालय	विशाखापटनम
26.	पासपोर्ट कार्यालय	थाणे
27.	पासपोर्ट कार्यालय	श्रीनगर
28.	पासपोर्ट कार्यालय	पुणे (स्थापित किया जा रहा है)

रक्त की खरीद

54. श्री सुकदेव पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में शहर के सफदरजंग अस्पताल में ब्लड बैंक द्वारा दूषित रक्त खरीदने संबंधी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योग के आयोग्य रक्त की खरीद के संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताल रक्त नहीं खरीदते, क्योंकि दाताओं का रक्त ही स्वीकार्य है। जहां तक संदूषित रक्त सेटों के समाचार का संबंध है अस्पताली प्राधिकारियों ने इस मामले की जांच-पड़ताल की। यह पाया गया कि अब बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के कारण रक्त एकत्र करने के प्रयोजनों हेतु इन रक्त सेटों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सूचित किए गए इन सेटों का रक्ताधान से भिन्न प्रयोजनों के लिए अस्पताल में इस्तेमाल किया गया।

प्रति व्यक्ति आय

55. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन से पूर्व ग्रामीण शहरी प्रति व्यक्ति आय के अनुपात और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक इसके अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान समानुपाती ग्रामीण आय कम हो गई है; और

(ग) तो देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में आय के अनुमान नियमित आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) अनुमानों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्तमान मूल्यों पर, 1970-71 में 2.45 और 1980-81 में 2.32 था। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय संबंधी सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन॰एस॰एस॰ओ॰) द्वारा किए गए उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण द्वारा निकाले गए आंकड़ों में नियमित आधार पर पूर्णतः उपलब्ध है। इसके अनुसार, 1955-56 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुपात 1.43 था। नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुपात 1.63 निकाला गया है।

(ग) गरीबी के अनुमान मुख्यतः प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग और जनसंख्या के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच इसके वितरण पर आश्रित है। योजना आयोग एन॰एस॰एस॰ओ॰ द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। इस तुलनात्मक अवधि में, गरीबी की मात्रा में तुलनात्मक अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 1973-74 में 56.44 प्रतिशत से 1993-94 में 37.27 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 49.01 प्रतिशत से 32.36 प्रतिशत और सम्पूर्ण देश के संबंध में 54.88 प्रतिशत से 35.97 प्रतिशत तक की कमी को दर्शाते हैं।

भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी

56. श्री चिन्तागन वानगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय मछुआरों को सउदी अरब के जहाज से इसके सउदी अरब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से पार करते हुए ईरान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनकी रिहाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समग्र विद्युत नीति

57. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा विस्तृत विद्युत नीति के संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ग) योजना आयोग ने व्यापक विद्युत नीति विकसित करने के लिए समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने विद्युत पर एक समिति का गठन किया है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी है। चूंकि समिति का गठन एनडीसी द्वारा किया गया था, अतः रिपोर्ट को पहले उनके समक्ष रखा जाना है।

चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट का निपटान

58. श्री राम बहादुर सिंह :
श्री एस॰ रामचन्द्र रेड्डी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट वस्तुओं के सुरक्षित निपटान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सरकार द्वारा कुछ नियम अधिसूचित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है कि अस्पतालों द्वारा चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट वस्तुओं का निपटान किए जाने में किस हद तक इन नियमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा उन अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने 1.3.96 को दिए गए अपने निर्णय में दिल्ली के सभी संबंधित प्राधिकारियों को 50 या अधिक पलंगों वाले सभी नर्सिंग होमों, अस्पतालों में अस्पताली अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के लिए इंसिनरेटर स्थापित करने या अन्य विकल्प अपनाने के लिए निदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 24.4.95 को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली 1995 का प्रारूप अधिसूचित किया था ताकि संभावित प्रभावित होने वाली जनता संबंधित एजेंसियों के विचार/आपत्तियां प्राप्त हो सके। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 16.10.97 को प्रारूप नियमों को दुबारा अधिसूचित किया। उच्चतम न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंसिनरेटर स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले स्थापित किए गए इनसिनरेटरों को पूरक बनाने हेतु सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के लिए और इनसिनरेटर प्रदान करने हेतु कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विद्युत का पारेषण और वितरण

59. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत के पारेषण और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं विदेशी कंसलटेंटों ने यह सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या औचित्य है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1943 और भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के प्रावधान वितरण में निजी क्षेत्र को भागीदारी को अनुमति प्रदान करते हैं। अक्तूबर एवं दिसंबर, 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाई गई विद्युत संबंधी समान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (सीएमएनपीपी) में भी अन्य बातों के साथ-साथ वितरण का निजीकरण किए जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, इस संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान किए जाने हेतु संबंधित अधिनियम/नियमों में अपेक्षित संशोधन किए जाने के लिए एनसीएमएनपीपी में भी प्रावधान किया गया है पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और यह स्थायी समिति के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सलाह देने के लिए कोई भी विदेशी परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया गया है। विद्युत वितरण को वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक बनाने, आकर्षित बनाने के लिए वितरण के निजीकरण की व्यवहार्यता की जांच करने और मार्गदर्शी सिद्धांत/कानूनी ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए डा॰ एस॰जे॰ कोइल्हो, पूर्व अध्यक्ष गुजरात बिजली बोर्ड की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एकल सदस्य समिति नियुक्त की है।

सिरिंजों की बिक्री

60. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एम॰एन॰सीज सेलिंग सिरिंजेज प्लांटिंग लेवेलिंग लॉज" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किए गए मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि गलत ब्रान्डों/गलत लैवलों वाला निर्जीवाणुकृत एक बारगी प्रयोग की जाने वाला सीरंजों/सुइयों को देश में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करके आयात किया जा रहा है। औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा मामले की जांच करने पर यह पाया गया कि सुइयों तथा सीरंजों के प्रत्येक स्ट्रीप पैक पर बैच संख्या, मियाद खत्म होने की तारीख, विनिर्माता का नाम व पता रहता है जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य और आयात लाइसैंस संख्या प्रत्येक स्ट्रीप पर नहीं दी जाती बल्कि कार्टन बाक्स पर दी जाती है जिसमें अनेक पैक होते हैं। इसके परिणामस्वरूप सभी पोत पतन अधिकारियों को अधिक सावधानी से आयातित प्रेषित माल की जांच करने के लिए सजग कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रेषित माल को क्लीयर करने से पहले प्रत्येक स्ट्रीप पर आवश्यक लेबल अपेक्षाएं प्रिंट की जाती है या लगाई जाती है।

[अनुवाद]

इंटेलेक्चुअल स्टाकपाइल

61. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से "इंटेलेक्चुअल स्टाकपाइल" के सहयोग से देश के लिए सम्पदा के सृजन के लिए क्रांतिकारी बाजारोन्मुख योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित प्राथमिकताओं को देखते हुए क्या नीतियां तैयार की गई हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सार्थक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित चुनौतियों का सामना करने और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय आधार को सुदृढ़ करने तथा इसका विस्तार करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सौंपे गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी हां। सीएसआईआर ने अपनी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपनी कार्यक्रमों और गतिविधियों को देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं से काफी नजदीकी रूप से जोड़ते हुए अपनी योजनाएं तैयार की हैं। सीएसआईआर ने, सीएसआईआर और देश को प्राप्त होने वाले लाभांशों के ईष्टतमीकरण के आधार पर अपनी प्राथमिकता निर्धारित की है। तदनुसार, सीएसआईआर की रणनीति अपनी बाजारोन्मुख योजनाओं को निम्नवत् से जोड़ने की है :

- निर्दिष्ट अवसर क्षेत्रों, भागीदारों, उपभोक्ताओं, प्रतिस्पर्धियों, और बाजारों का पता लगाना;
- परियोजनाओं के संतुलित पोर्टफोलियों का विकास करना;
- जोखिमों और लागत को कम करते हों तथा उत्पादों पर लाभांशों और मूल्य अभिवृद्धि को ईष्टतम बनाते हों।

(ग) सीएसआईआर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सीएसआईआर ने जनवरी, 1996 में सीएसआईआर 2001: भावी परिकल्पना एवं रणनीति नामक श्वेत पत्र के माध्यम से अपनी रणनीति की घोषणा की है जिसमें स्व-निर्दिष्ट कार्यों और लक्ष्यों का निर्धारण निम्नवत् रूप से किया गया है :

- बाह्य स्त्रोतों से 700 करोड़ रुपए जुटा कर जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत औद्योगिक ग्राहकों से प्राप्त होगा, वित्तीय-आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर होना;
- कम से कम 10 अनन्य एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रौद्योगिकियों का विकास करना;
- 500 विदेशी पेटेन्टों के पेटेन्ट बैंक की स्थापना करना;
- बौद्धिक संपदा की अनुज्ञप्ति से 10 प्रतिशत प्रचालनात्मक व्यय प्राप्त करना; और
- विदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा सेवाओं के द्वारा 40 मिलियन अमरीकी डालरों की वार्षिक आय अर्जित करना।

इस प्रकार सीएसआईआर की भावी परिकल्पना के अनुसार सीएसआईआर होगा :

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक आदर्श संगठन;
- प्रतिस्पर्द्धात्मक अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च गुणता वाली विज्ञान आधारित सेवाएं जुटाने वाला एक विश्वसनीय अनुसंधान एवं विकास मंच; और
- *राष्ट्रीय सामाजिक मिशनों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्त्रोत जो प्रौद्योगिकी को मानव आधार से* जोड़ता हो।

विवरण

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान सीएसआईआर की उपलब्धियां

सीएसआईआर का प्रभाव और छाप विविध प्रकार से परिलक्षित होती है : नामशः योजना अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक उत्पादन, 800 करोड़ रुपए की उत्पादकता बचत और 80 लाख कार्यदिवसों का ग्रामीण रोजगार उत्पादन किया गया, इसके अलावा 800 प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते निष्पन्न किए गए; लाइसेंसिंग के लिए 250 नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई गई; भारत में 920 और विदेश में 120 पेटेन्ट दर्ज किए गए: 10,000 शोध पत्र तैयार किए गए जिनमें से 65 प्रतिशत से अधिक एससीआई जर्नलों में हैं; लगभग 4000 उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई, संविदागत अनुसंधान एवं विकास कार्य और परामर्श के माध्यम से मात्र 700 करोड़ रुपए का बाह्य नकद आगत जुटाया गया। उपर्युक्त को नीचे दिए गए चार्टों में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है :-

बाह्य नगद आगत

(संविदागत अनुसंधान एवं विकास तथा परामर्श से)

करोड़ रुपए

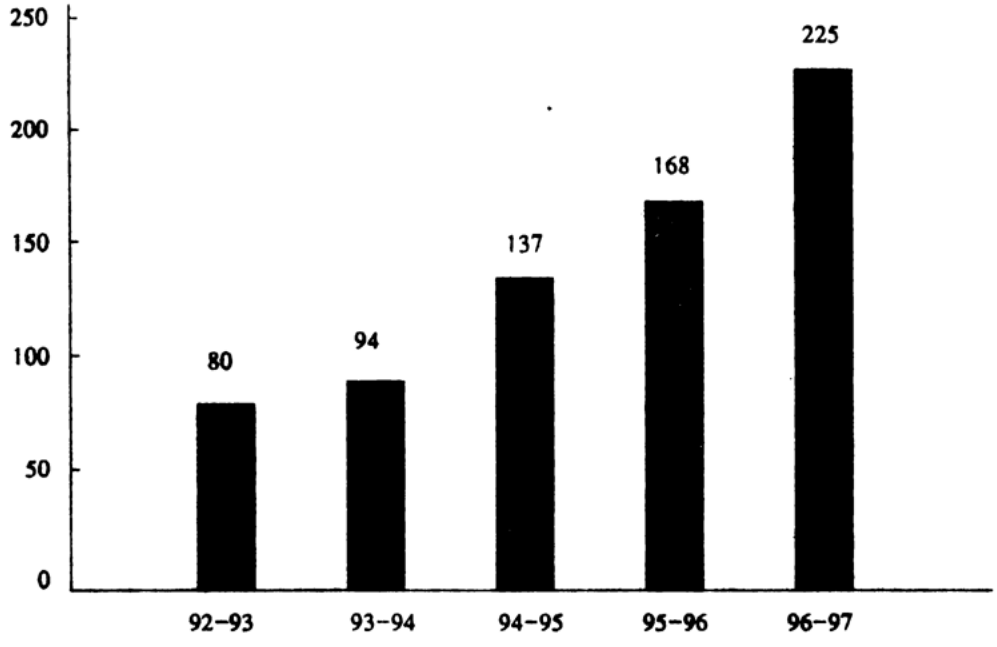

दर्ज किए गए पेटेन्ट

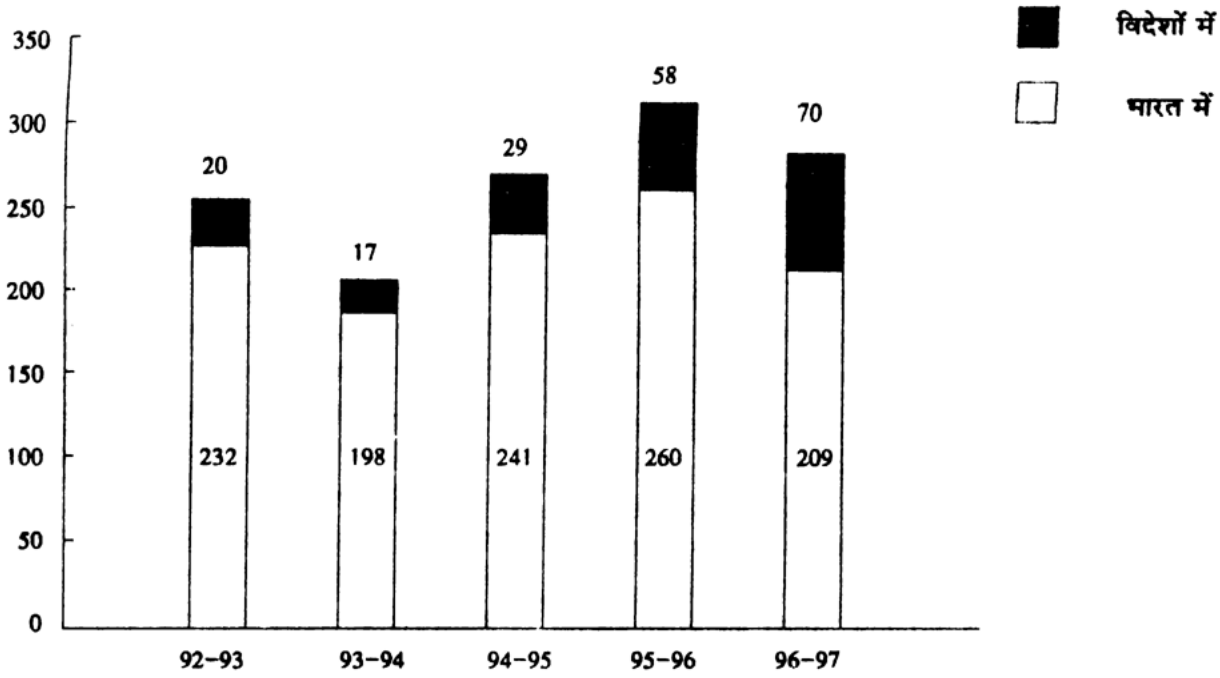

सीएसआईआर जानकारी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन

(करोड़ रुपए)

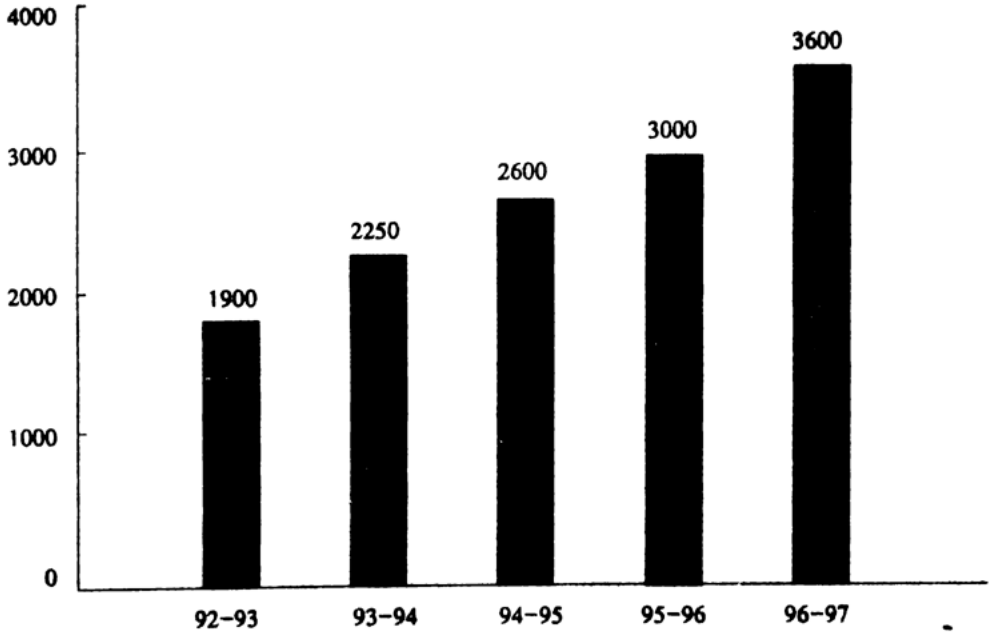

सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में वास्तविक प्रभाव छोड़ने वाली कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां निम्नवत् पैराग्राफों में दी गई हैं।

(क) वांतरिक्ष (एरोस्पेस)

एनएएल ने देश के प्रथम दो सीट वाले संयुक्त प्रशिक्षण वायुयान हंसा-2 और उसके नए इंजन प्रतिरूप हंसा-2 आर ई का डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण किया। इन दोनों ही विमानों की उड़ानों की सफलतापूर्वक जांच कर ली गई है। हंसा 3 का डिजाइन पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल) सक्रिय रूप से एमडीबी, रूस के सहयोग से 9-14 सीटर हल्के परिवहन विमान (एलटीए) को डिजाइन करने, उसका विकास करने और उसे तैयार करने के लिए भी अग्रसर है। एलटीए का डिजाइन तैयार कर लिया गया है, विंड टनल मॉडलों का निर्माण कर परीक्षण कर लिए गए हैं।

एनएएल ने हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने एलसीए के मिश्रित पंख को डिजाइन और तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलसीए के पंखों के कार्बन फाइबर मिश्रण को वांछित विनिर्देशनों तक सफलतापूर्वक डिजाइन एवं तैयार किया गया था तथा एडीए/एचएएल को इसकी आपूर्ति की गई थी। एनएएल ने सबसे बड़े आकार वाले विमान मिश्रण भागों को तैयार करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा संचालित नवीनतम आटोक्लेव को भी डिजाइन और तैयार किया है।

एनएएल की राष्ट्रीय ट्राइसोनिक वायुगतिकीय सुविधाएं (एनटीएएफ) और ध्वनिक परीक्षण सुविधाएं (एटीएफ) लॉन्च व्हीकल, एलसीए आदि राष्ट्रीय वायु आकाश कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण सहायता देना जारी रखे हुए हैं।

(ख) जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी

जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी में सीएसआईआर की उपलब्धियां निम्नवत् रही :-

- हैजे के लिए गैर-रोगजनक आनुवांशिकीय तौर पर निर्मित व्यवहार्य जीवित मुख टीका स्ट्रेन, जो कि स्थिर है, गैर रिऐक्टोजैनिक है और रीटार्ड माइल में उत्कृष्ट संरक्षण प्रदान करता है;
- उष्मस्नेही विकृति से एल्फा - अमाईलेस की क्लोनिंग और बी सबस्टीलिज में अभिव्यक्त;
- डीएनए फिंगर प्रिंटिग के लिए बीकेएम बहुविस्थल डीएनए परीक्षण;
- अत्यधिक संवदेनशील और विशिष्ट काला आजार विभेदक तथा मानव के अल्फा फैटोप्रोटिन (एएफपी) के लिए माइक्रोटाइटर प्लेट आधारित एलीसा परीक्षण;
- आनकोफैटल प्रतिजन और दुर्दमता का पता लगाने और उसके नियंत्रण के लिए चिह्नक;
- पुदीने की उच्च मीन्थौल तेल सुनम्य (25 प्रतिशत अधिक तेल) कृषिजो-प्रजातियां;
- रोसा डामासेना (बुल्गारियाई गुलाब) स्ट्रेन ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त;
- वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फुलों का जननद्रव्य बैंक तथा औषधीय और ऐरोमैटिक पौधों का जीन बैंक।

(ग) रसायन

उत्प्रेरक : सीएसआईआर के योगदानों में तेलशोधक कारखानों, पैट्रोरसायन और रसायन उद्योगों के लिए नए उत्प्रेरकों के कई प्रकार शामिल है; नामशः एनसीएल ने औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्रतिक्रियाओं के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक (निर्दिष्ट ऐनसीलाइटस) की विशिष्ट नई श्रृंखला का विकास किया है नामशः लीनियर एल्काइल बैनजीन (एलएबी द्वारा संकटमयी और संक्षारक एचएफ का विस्थापन), एक ही बार में इथाइल एल्कोहल और बैन्जीन के इथाइल बैन्जीन में परिवर्तन, मैथानोल के मध्य आसुतों में परिवर्तन, फलयूड कैटालिटिक क्रैकिंग, इथाइल बैंजीन के पी डाइथाइल में और पायरीडीन के पाइसोलाईन में परिवर्तन हेतु। साइकलो हैकजेन से एडिपिक एसिड को सिंगल स्टैप उत्पादन के लिए, पाइसोलाइनस से सयानो फाइराइडाइन के लिए मिश्रित धातु उत्प्रेरक, ओलेफीन्स के हाइडोफारमाइलेशन के लिए बाइफेसिक उत्प्रेरक प्रणाली, बैन्जीन के साइकलोहैगजेन के लिए हाइडो जैनेशन हेतु पिलर्ड क्ले उत्प्रेरक के वास्ते अन्य उत्प्रेरकों का विकास किया गया।

मौजूदा उत्प्रेरकों में हुए सुधार, जिनके कारण प्रक्रमण दक्षता, लाभों और उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी निम्नवत् हुई है: फार्मलडीहाइड के मैथानोल में परिवर्तन हेतु आयरन-मौलिबेट उत्प्रेरक, इथाइल बैंजीन के स्टाइरीन में डीहाइड्रोजैनेशेन के लिए आयरन-आक्साइड आधारित उत्प्रेरक, बैंजीन के साइकलोहैकजेन में परिवर्तन के लिए संशोधित शक्ति सहित निकल एल्यूमिना उत्प्रेरक, इथायलीनीडियामाइन और प्रोपलीन ग्लाइकोल से 2-मिथाइल थाइराजाइन, के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक, डैकसट्रोस से सोरबिटॉल के हाइड्रोजैनेशन के लिए रेनी निकल उत्प्रेरक, सी आलीफीन के एमईके आक्सीडेशन के लिए उत्प्रेरक; बैंजीन से रिसौरसीनोल के लिए उत्प्रेरक, एन्थ्रासीन से ऐन्थ्राक्यूईनोन और एल्कोहल के आलिफीन में डिहाइड्रैशन के लिए उत्प्रेरक।

पैट्रोरसायन

भारतीय पैट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसीएल) और कोचीन रिफाइनरी लि. (सीआरएल) द्वारा ऐरोमैटिक निस्सारण के लिए आईआईपी-ईआईएल प्रौद्योगिकी; मद्रास रिफाइनरी (एमआरएल) और बीपीसीएल द्वारा फूड ग्रेड हैकजेन के लिए आईआईपी प्रौद्योगिकी और ओसीएल लि. द्वारा पैट्रोरसायन ग्रेड हैकजेन प्रचालित की। इस प्रकार भारत आज इस स्थिति में है कि वह अन्यों के साथ ऐरोमेटिक निस्सारण, फूड ग्रेड हैकसेन पाइरोलिसिस गैसोलीन हाइड्रोजैनेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत कर सकता है।

जैव-रसायन

एनएमपी (तेल शोधक प्रक्रमणों में प्रयुक्त एक विलायक) उच्च ताप वाले प्रति उपचायक, ग्लायोक्सल, सल्फोलेन, 10-अनडेसेनोइक एसिड, साइट्राजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड; एल्प्राजोलन, ट्राईमिथाइल, फास्फाइट, मध्यस्थ जैसे डी एल-फिनाइल एलानाइन आदि के लिए लागत प्रभावी अभिनव प्रक्रिया का विकास।

बहुलक

समुद्र के जल में आरओ आक्सीजन समृद्धि के लिए दो घटकों वाली मैम्बेन, दो घटकों वाले पोलियूरेथेन आधारित जल प्रूफिंग यौगिक; पोलियूरेथेन प्लास्टिसाइजर, पॉलीप्रौपिलिन यौगिक आधारित ऑटो भाग, पॉलिमरिक ड्रैग अपचयन गतिशील एंजाइम और लगभग 35 औद्योगिक आसंजक प्रतिपादन के लिए टीएफसी पोल्यामाइड-पौलीसल्फोन मैम्ब्रेन का विकास;

(घ) औषधियां एवं फार्मास्यूटिकल

नवीन औषधि विकास

प्रति निषेचन :

सप्ताह में एक बार प्रयोग किए जाने वाले नए गैर स्टेरायडल महिला ओरल गर्भनिरोधक के रूप में सीडीआरआई द्वारा प्रथमतया एक नए अणु सेंचरोमन की खोज और विकास किया गया है। जिसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। सेंचरोमन को *अन्य* बीमारियों तथा रोगों के लिए चिकित्सा के रूप में प्रभावी पाया गया तथा ओस्टेओपोरोसिस और अन्य संबद्ध रोगों के लिए चिकित्सीय एजेंट के रूप में डेनमार्क की एक फर्म के साथ एक रणनीतिक सहयोग किया गया।

जैव अभिवृद्धक

आरआरएल (जम्मू) द्वारा एक देशी पौधे से वियुक्त पिपरिन का एक अभिनव जैव अभिवृद्धक के रूप में विकास किया गया है जो सामान्य तपेदिक प्रतिरोधी औषधियों, विशेषकर रिफाम्पिसिन की खुराक को लगभग 50 प्रतिशत कम कर देगा परिणामतः न केवल चिकित्सा की लागत में कमी आएगी बल्कि इससे हेपाटॉक्सीसिटी तथा न्यूरोटौक्सीसिटी जैसे साइड इफैक्ट्स में भी महत्वपूर्ण रूप से कमी आएगी। इस जानकारी का हस्तांतरण उद्योग को कर दिया गया है। अन्य आधुनिक औषधियों के साथ इसके इस्तेमाल पर कार्य किया जा रहा है।

ब्राह्मी

सीडीआरआई द्वारा ब्राह्मी से प्राप्त *"बाकोपा मोन्निएरी"* के निस्सारण को प्रशिक्षण और याददाश्त अभिवृद्धक के रूप में मानकीकृत और वैधीकृत किया जा चुका है और इसे एक कंपनी को अनुज्ञप्त किया गया है जिसने इसका उत्पादन एवं विपणन आरंभ कर दिया है।

ज्ञात/जातीय औषधियां

सीएसआईआर ने 30 औषधियों तथा चार औषधि मध्यस्थों के लिए अभिनव तथा लागत प्रभावी प्रक्रमणों का विकास किया है जिनको अनुज्ञप्त किया जा चुका है तथा उनमें से अधिकतरों को वाणिज्यिकृत कर दिया गया है यथा ऐड्स *प्रतिरोधी :* ए जेड टी (ऐजिडोथी मिडाइन); *प्रति-विषाणुकः* ऐसिकलोविर, कैंसर प्रतिरोधी: इटोपोसाइड, औन्डेस्ट्रिोन तथा लियप्रोलाइड (एलएचआरएच ऐगोनिस्ट); *प्रतिजीवाणुकः* नारफलौकसैसिन, साइप्रोफलॉक ससिन ऐंजिथ्रोमाइसिन, सुल्बाकटम, सुल्टामासिलिन टॉसिलेट; *मलेरिया प्रतिरोधी:* मैफलोक्वीन, *हृदवाहिका-तंत्रः* ऐनालाप्रिल, नाडोलोल, मैटोप्रोलोल तथा फैलोडिपाइन; *पीड़ाहारी तथा प्रति ज्वलनशील:* कैटोरोलैक; *प्रति एल्र्जीकः* ऐस्टिमिजोल तथा सिटरीजीन; प्रति अल्सर ओमिप्रेजोल तथा लैसोप्रोजोल; *प्रति ग्लॉकोमा:* बेटाकसोलोल तथा "एस" टिमोलोल तथा *प्रति ज्वलनशील:* एस-इब्यूबुफेन तथा एन-फलब्रीप्रोफेन, *प्रति-अति तनावः* एस एस - ऐनालाप्रिल।

(ङ.1) भूमिगत संसाधन तथा प्राकृतिक संकटों का प्रशमन

सीएसआईआर ने समन्वित भू-भौतिकी सर्वेक्षण किए हैं जिनमें भूकंपीय, मैग्नेटोटॅलूरिक, गुरूत्वाकर्षण तथा गहन वैद्युत सर्वेक्षण भी शामिल है जिनके कारण सबट्रैपन मैसोजोइक जो सौराष्ट्र में पाए जाने वाले संभावी पैट्रोलियमधारी अवसाद है, का पता लगा है तथा उसका निरूपण हुआ है परिणामस्वरूप देश में हाइड्रोकार्बन की संभावना में वृद्धि हुई है। महासागरीय उपान्तो पर मिथेन के भंडारों के रूप में सस्तरों वाली गैस की पहचान के लिए प्राथमिक अध्ययन किए गए थे। इस प्रकार के व्यवहार्य संस्तर पश्चिम तट पर मैंगलोर के अपटीय क्षेत्रों में भी पाए गए है।

भूकंपीय अध्ययनों के लिए आरंभ किए गए कार्य निम्नवत् थे :- अधिक विश्वसनीय डाटा बेस प्राप्त करने के लिए शील्ड क्षेत्र तथा भूकंप वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विस्तृत भूकंपीय सर्वेक्षण; कोयना-वारना क्षेत्र के आस-पास भूकंपीय उपकरणों और वैधशालाओं का उन्नयन; क्षति मूल्यांकन पर पायलट परियोजना में हिस्सा लेने सहित उत्तरकाशी और लातूर के भूकंपीय क्षेत्रों में समन्वित भू-भौतिकी अध्ययन; भूकंपीय प्रतिरोधक ढांचों को मजबूती प्रदान करना, भूकंप लक्षण-वर्णन के लिए आंकड़ों का नियमित विश्लेषण तथा त्वरण स्तरों के अधिमिलन के रूप में सामान्य प्रयोजनार्थ कुछ भूकंपीय संकट नक्शों की तैयारी; और आणविक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कुडानकुलम में भूकंप अनुवीक्षण।

(ङ 2) पारिस्थितिकी और पर्यावरण

सीए. [illegible] विधियां विविध क्षेत्रों में रही हैं नामशः पर्यावरणीय अनुवीक्षण, पर्या[illegible] जैव प्रौद्योगिकी, विष अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रणाली डिजाइन माडलिंग और इष्टतमीकरण।

पर्यावरणीय अनुवीक्षण

पेय जल में ऐन्टामोएबा हिस्टीलिटिका [illegible] लगाने के लिए डीएनए की जांच तथा जोखिम मूल्यांकन के लिए आणविक जांच

आदि, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के अध्ययन के लिए विभिन्न उपकरणों का विकास जैसे डस्ट सैम्पलर, ट्रस्टेज साइज फ्रैक्शोनटेर, माइक्रोप्रोसैसर कंट्रोल्ड सिकवॉटिपल ऐयर सैम्पलर, पेयजल विश्लेषण किट, मिलीमीटर वेव रेडियो मीटर तथा लेजर हैटरोडाइड प्रणाली।

पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी

कोयले, तेल तथा विषैली गैसों के सूक्ष्मजीवी डिसल्फराइजेशन के लिए अभिनव प्रक्रमणः सूक्ष्मजीवी डि-हमलसिफायर तथा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकस, स्टील संयंत्रों में कोक ओवन निस्सार का जैविक निदान; ऐनौकसीजिनिक फोटोट्रोफिक जीवाणु का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक अपशिष्ट जल निदान प्रणाली; तथा नगरों और औद्योगिक अपशिष्ट जल का दक्ष जैव मथेनैन।

विष अपशिष्ट प्रबंधन

क्ले लाइनर का उपयोग करने वाले प्रगालको और सिक्योर्ड लैंडफिल्स से प्राप्त संकटमय अपशिष्ट का निदान/निपटान।

पर्यावरणीय प्रणाली डिजाइन माडलिंग ईष्टतमीकरण :

लघु उद्योगों के लिए वायु प्रदूषण प्रशमन प्रणालियां; पेय जल से लोहे तथा फलोराइड का निष्कासन तथा पेय जल में अन्य संकटमयी घटकों और पैथोजन का निष्कासन तथा जल तथा अपशिष्ट जल को अत्यधिक निस्पंदन के लिए नान-सॅल्यूलोसिक झिल्ली।

(ङ 3) इलैक्ट्रानिक्स तथा उपकरणन

विकसित उपकरण तथा उपस्कर निम्नवत् थे :

माइक्रोवेव टयूबस : ट्रैवलिंग वेव टयूब (टी डब्ल्यू टी) 30 वाट (सीडब्ल्यू) टी डब्ल्यूटी, 75 केडब्ल्यू सी-बैंड पल्सड कप्लड कैविटी टी डब्ल्यू टी, गेन एंड फेस मैचड मिनी हैलिकस टी डब्ल्यू टी, टी डब्ल्यू टी के डिजाइन और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज तथा लघु टी डब्ल्यू टी का आदि प्ररूप निर्माण, एस-बैंड 2 मे.वा. मैग्नेट्रोन का आदि प्ररूप निर्माण, एस-बैंड 2 मे.वा. टयूनेबल पल्स मैग्नेट्रोन; तथा कलाइस्ट्रोन तथा 5 मे.वा. कलाइस्ट्रोन।

अर्धचालक उपकरण तथा माइक्रोइलैक्ट्रॉनिक्स

मिलेट्री ग्रेड विनिर्देशनों को पूरा करने वाला मल्टीलेयर हाइब्रिड माइक्रोसर्किट (एचएमसी) जिसकी आपूर्ति इनसेट-2 ए और इनसैट-2 बी उपग्रहों के लिए आईएसआरओ को की गई है; संशोधित डब्ल्यू-बैंड क्वार्टज रिंग एमईएसएफईटी; सी डॉट के लिए जीएए उच्च शक्ति सी बैंड और सीएमओएस-आईसी गेट कॉम्पलैकसिटी अरे। माइक्रो इलैक्ट्रानिक उपकरण के निर्माण हेतु उपस्कर यथा, एकल वेफर प्रक्रमण के लिए इलैक्ट्रान किरण नियंत्रण वाष्पीकरण प्रणाली और आणविक किरण अधिरोहण, क्रियाशील आयन इचिंग प्रणाली, 48 पिन एलएसआई/वीएलएस आई टैस्टर।

उपकरणन

मैडिकल लिनैक, 4 एमईवी ऑपथालमोस्कोप/ऑटोस्कोप डायागोनिस्टिक सैट, पल्स आक्सीमीटर, चालकों की प्रतिक्रिया जांचने वाली प्रणाली, स्कैनिंग टनलिंग (वायु एवं निर्वात में प्रचालन) तथा स्कैनिंग इलैक्ट्रौन सूक्ष्मदर्शी, यूवी-वीआईएस परमाणिक समावेशन स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, औद्योगिक गैस विश्लेषक एनालॉग तथा डिजिटल सिस्मों ग्राफ तथा भूमि आधारित भूकंपीय डाटा टेलिमीट्री प्रणाली।

मानक एवं अंशशोधन

दोहरी आवृत्ति माडूलन तकनीक पर आधारित 3.39 μm मिथेन स्थिरीकृत लेजर हाइड्रोजन मासर; 1 वोल्ट जोसफसन डीजी मानक 10 एमएचजैड से 18 एमएचजैड रेंज में प्राथमिक समाक्ष विद्युत मानक; 0.25 μm से 2.5 μm तक स्पैक्ट्रो-रेडियोमीट्रिक अंशशोधन; एक्अस प्रवाह माप हेतु मानक तथा 10^{-8} एमओएल/एस से 10^{-12} एमओएल/एस के लिए लीक मानक की स्थापना एवं विकास।

(ङ 4) ऊर्जा

कोयला खनन क्षेत्र

महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निम्नवत् का विकास शामिल है: खंडन में संशोधन तथा फलाई रॉक उत्सर्जन को कम करने हेतु नई स्फोटन तकनीकें; दीर्घभित्ति खदान की भारतीय पारिस्थितियों के अंतर्गत उचित तकनीक; पारिस्थितिक मंडल को विक्षुब्ध किए बिना पिल्र्स पर विकसित कोयले की मोटी परत का निस्सारण; भूमिगत पिल्र्स के डिजाइन के माध्यम से कोयले की प्राप्ति; कोयले की पुरानी खदानों में स्टैंडिंग पिल्र्स के द्रव्यीकरण की प्रभावी और मितव्ययी पद्धति; नदी से प्राप्त रेत के प्रतिस्थापक के रूप में उड़नराख और मिल अवशिष्ट द्वारा खदानों की पुनः भराई; सघन उड़नराख भराई हेतु प्रौद्योगिकी. भूमिगत खदान में आग के नियंत्रण के लिए दबाव संतुलन तकनीक; अधिक व्यास वाले बोरहोल्स का उपयोग करते हुए बहुक्षेत्रीय वायु संचालन प्रणाली; भूमिगत खदानों/सुरंगों में चट्टानों के फटने से होने वाले प्रभाव को सहने के लिए संशोधित स्टील आर्क; भूमिगत कोयले की खदानों में पिल्र्स के निस्सारण के लिए उपयोगी लघुभित्ति खदान हेतु संशोधित उपस्कर।

कोयला उपयोग क्षेत्र

दक्ष, मितव्ययी और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित उपलब्धि निम्नवत् हैं कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले में राख को कम करने हेतु बैनिफिकेशन पद्धतियां, कोयले का कार्बनीकरण, बिलायक परिष्कारक, कोयले का निस्सारण (एसआरसी) तथा संश्लेषित गैस/कोयले का मध्यम आश्वन में परिवर्तन।

पैट्रोलियम क्षेत्र : विभिन्न खाद्य तेल भागों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु संशोधित उत्प्रेरक जिनमें उत्प्रेरक संशोधित, फल्यूडाइजड उत्प्रेरक क्रैकिंग, मध्यम आसवन को अधिकतम करने हेतु प्रक्रिया आंकड़े जुटाने हेतु हाइड्रोक्रैकिंग पायलट संयंत्र और अवशोषक तथा झिल्लियों पर आधारित हाइड्रोकार्बन के पृथककरण

के लिए अभिनव प्रक्रियाओं का विकास शामिल हैं। विशेष उपलब्धियां निम्नवत् थीः नियंत्रित, अम्लता को प्राप्त करने हेतु वाई-जियोलाइट उत्प्रेरकों को संशोधित किया गया, एफसीसी प्रक्रिया में वांछित प्रतिक्रिया के लिए स्थूल अणुओं के वास्ते सतह को अभिगम्य बनाने हेतु अम्ल सामर्थ्य तथ रन्ध्र; विदेशी उत्प्रेरक आपूर्तिकार के साथ सहयोग करते हुए सीसीआर उत्प्रेरक संशोधन के लिए एक हाई पेयोरटी एल्यूमिना स्फीयर सपोट का विकास किया गया, जैडएसएम-5 जिओलाइट उत्प्रेरक के संशोधन के द्वारा हल्की नापथा को उच्च ऑकटेन गैसोलीन/एलपीजी में बदलना।

(च) खाद्य एवं खाद्य प्रक्रमण

सीएसआईआर को तिलहन और दालों से संबंधित प्रौद्यागिकीय मिशन की फसल के बाद प्रौद्यागिकी के लघु मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया था सीएसआईआर अपनी प्रयोगशालाओं सीएफटीआरआई, आईआईसीटी तथा आरआरएल (थिरूवनंथपुरम तथा जम्मू) के माध्यम से मिशन में भाग ले रहा है और निम्नवत् हेतु ये उपलब्धियां रहीः पाम आयल प्रक्रमण प्रौद्यागिकियां (पाम आयल/एचआर के 2-2.5 टन ताजे फलों के गुच्छे) जिनमें 5 टन एफएफबी/एचआर क्षमता के स्क्रू प्रैस शामिल हैं; टीपीडी, 10 टीपीडी तथा 50 टीपीडी क्षमताओं वाले संशोधित निष्कासक; सरसो/तोरिया/रेपसीड आयल के लिए 10 टीपीडी सौर एवं कृषि अपशिष्ट ऊर्जा शुष्कक; 15 कि.ग्रा./बैच और 25 कि.ग्रा. बैच क्षमताओं की राइस ब्रेन आयल के लिए रासायनिक स्टैवलाइजरों के डिजाइन; मंगूफली का छिलका उतारने के लिए 1टी/एचआर क्षमता का सिंग्ल रोल डैकोरटिकेटर; सूरजमुखी के बीजों का छिलका उतारने के लिए 6 टी/एचआर तथा 1टी/एचआर क्षमताओं के ट्विन रोल डैकोरटिकेटर; काली सिस्म के बीज (240 कि.ग्रा./एचआर क्षमता) का छिलका उतारने के लिए संशोधित प्रक्रिया; 100 कि.ग्रा./एचआर की यांत्रिक दाल मिल तथा 40-50 कि.ग्रा./एचआर क्षमता की हाथ से चलने वाली दाल मिल के डिजाइन।

उपरोक्त के अलावा घरेलू गतिविधियों के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनेक प्रक्रमणों का उद्योगों में हस्तांतरण तथा उनका विकास। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

खाद्य प्रक्रमण तथा फसल उपरांत प्रौद्योगिकी

स्वच्छ एवं विसंक्रमित लाल मिर्च, काली मिर्च तथा हल्दी के लिए प्रक्रमण का इष्टतमीकरण; मसाले के स्वाद वाला कनसनट्रेट तथा मसाला पेस्ट; रसायनों का उपयोग किए बिना सूखी हरी काली मिर्च तथा सफेद काली मिर्च, ताड़ों आम, सापोता, अनानास तथा अनार, निर्यात के लिए सब्जियों की संशोधित मौसमी पैकेजिंग।

खाद्य योज्य

एल्फा एमिलेस का स्थिरीकरण; मोल्डी बोन से एनजाइम का निस्सारण; फाइटेस के सूक्ष्मजैवी उत्पादन के लिए प्रक्रमणों का विकास ऐफलॅटोक्सिन और कीटनाशकों के निम्नीकरण के लिए कैटालेज और एन्जाइम; उच्च क्रियात्मकता और विशेष खाद्य पदार्थों में प्रयोग के लिए चुनिंदा तिलहन प्रोटिनों से प्रोटीन हाइड्रोलीसेट परिकल्पन।

(छ) आवास एवं निर्माण

सीएसआईआर द्वारा किए गए क्रियाकलापों ने नए आवास डिजाइन, निर्माण तकनीकों, लकड़ी के स्थान पर भवन निर्माण सामग्री तथा अपशिष्टों के उपयोग और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों के रहने के लिए मकान आदि के विकास में सहयोग दिया है।

लकड़ी के प्रतिस्थापक

अप्रैल, 1993 से नई निर्माण परियोजनाओं में लकड़ी की अनुमति न देने के सी पी डब्ल्यू डी के निर्णय के परिणामस्वरूप सीएसआईआर की आठ प्रयोगशालाओं का समन्वित अंतर प्रयोगशाला कार्यक्रम तैयार किया गया निष्कर्षतः सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दो उत्पादों का विकास किया जा रहा है और उन्हें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदन भी दे दिया गया है। नामशः ईपीएस (एक्सपैंडिड पालिस्टाइराइन) डोर शटर (सीबीआरआई) तथा रेड मड पालिमर (आरएमपी) डोर (आरआरएल, भोपाल) ये दोनों प्रौद्योगिकियां तब से निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही हैं।

आवास-व्यवस्था

कुछ अन्य मुख्य योगदानों में निम्नवत् शामिल है; मथुरा आयल रिफायनरिज; सीएसआईएफ, बहादुरगढ़ और भेल, हरिद्वार की टाऊनशिप का डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यट फार विवली हैंडिकैप्ड, देहरादून; के लिए आवासीय परिसर; सीबीआरआई के डिजाइन और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न भू-मौसमी क्षेत्रों में 300 नवोदय विद्यालयों का निर्माण। उत्तरकाशी में भूचाल से प्रभावित आबादी के पुनर्वास के लिए लागत प्रभावी संरचना हेतु सीबीआरआई ने जिन डिजाइनों का विकास किया है उनका नाम है स्टील फ्रेम की केदार कुटि और लकड़ी के फ्रेम की गौरी कुटि।

25 वर्ग मी. के क्षेत्र में ईंटों और सीमेंट का प्रयोग करते हुए सुदृढ़ीकरण के बिना पिरामिड जैसी छत प्रणाली का विकास; दरारों और बंजर भूमि में कोमल निक्षेपों की मोटी परत के लिए उपयुक्त नींव संबंधी प्रौद्योगिकियों तथा सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले (सीबीआरआई)।

भवन संबंधी घटक

उड़न राख, लाल गाद और अन्य औद्योगिक गादों, भवन निर्माण घटकों का विकास उदाहरणार्थ बहिर्वेधन प्रक्रिया द्वारा 40 प्रतिशत शुष्क राख और गंग गाद का उपयोग करते हुए खोखले ब्लॉक (एकछिद्री, चारछिद्री तथा नौछिद्री); डाइट्रोलिकली आबध उड़नराख फास्फोजिपस्म लाइम भवन ब्लॉक; हीराकुंड की 60 प्रतिशत शुष्क राख और स्थानीय मैदान की मिट्टी का उपयोग करते हुए अधिक पकी हुई ईंटे; 60-70 प्रतिशत शुष्क राख तथा 40 प्रतिशत लाल गाद का उपयोग करते हुए अधिक पकी हुई ईंटे; 80 प्रतिशत उड़न राख तथा प्लास्टिक क्ले का उपयोग करते हुए टाइल्स लाल गाद से लौह समृद्ध

सीमेंट; मिट्टी उड़न राख से निर्मित ईंटें; वोवन जूट फाइबर पालिमर हार्ड बोर्ड; सिसल फाइबर सीमेंट कोरबूगेटिड रूफिंग शीट, टाईल्स, स्लैब्स, प्रीकास्ट फैरो-सीमेंट माडयूल प्रणाली, निम्न लागत वाले घरों और छोटी समुदाय भवनों में मुख्य दीवारों, छत और अन्य घटकों के वास्ते।

सॉफ्टवेयर

पारेषण लाइन टावर के डिजाइन और विश्लेषण तथा ड्राफ्टिंग के लिए उपभोक्ता सहायक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हाईवे ब्रिज सुपर संरचनाओं का विश्लेषण और डिजाइन तथा मुक्त खड़ी चिमनियों और कूलिंग टावरों पर डिजाइन लोड का आकलन और वायु के अंतर्गत फिल्ड उपायों का रैंडम डाटा विश्लेषण तथा आरसी तथा पीसी-टी गर्डर ब्रिजों के लिए विशेषज्ञ प्रणाली और ट्रस गर्डर ब्रिजों के लिए अन्य प्रणाली।

(ज) चर्म

भारतीय चर्म क्षेत्र के सतत् विकास के लिए एक चर्म प्रौद्योगिकी मिशन के क्रियान्वयन के लिए सीएसआईआर/सीएलआरआई को नॉडल एजेंसी बनाया गया। पर्यावरण के मद्देनजर भारतीय चर्म उद्योग के विकेन्द्रीकृत और संगठित क्षेत्रों के बीच के प्रौद्योगिकी अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से जनवरी, 1995 में मिशन आरंभ किया गया था। मिशन में अन्य साझेदार हैं; जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केवीआईसी तथा अनेक गैर-सरकारी संगठन। चर्म प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम (एनएलडीपी) को पूरा करता है तथा चर्म प्रक्रमण की ओर ध्यान केन्द्रित करता है जबकि एनएलडीपी चर्म उत्पाद क्षेत्र पर बल देता हैं अन्य बातों के साथ-साथ मिशन चाहता है कि उद्योग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करें तथा विश्वव्यापी चर्म व्यापार में भारत का हिस्सा (2 प्रतिशत से बढ़कर) 10 प्रतिशत हो जाए। विकास एवं क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध 120 परियोजनाओं में से 70 कार्यक्रम आरंभ किए जा चुके हैं जिनमें देश के 11 राज्य शामिल हैं तथा जिनके उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

(क) बेहतर गुणवत्ता वाली खालों की उपलब्धता की वृद्धि।

(ख) क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रौद्योगिकी ग्रिड विकसित करना।

(ग) स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रक्रमण तकनीकों के उन्नयन के लिए ग्रामीण और लघु यूनिटों की विस्तार सेवाएं उपलब्ध करना।

(घ) गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए एक अभियान चलाना;

(ङ) नवाचार प्रशिक्षण और एचआरडी कार्यक्रमों के माध्यम से परंपरागत और नए कौशलों का सुसंगत सम्मिश्रण करना;

(च) उचित प्रौद्योगिकी वितरण प्रणालियों का विकास एवं क्रियान्वयन करना;

(छ) ग्रामीण अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के विकास को समन्वित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाओं का अध्ययन एवं उन्हें अभिज्ञात करना;

चर्म प्रक्रमण के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं उत्पाद निम्नवत् हैं : मरे हुए जानवरों से उत्पादों की प्राप्ति और बेहतर एकत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में बकशी-का-तालाब केन्द्र पर मॉडल कारकस रिकवरी सेंटर की स्थापना; अंतर संयंत्र पारिस्थितिकी में सुधार के जरिए 2 चर्मशोधन शालाओं का आधुनिकीकरण, उत्पाद निरंतरता के लिए आंशिक स्वचलन तथा प्रक्रमण नियंत्रण, स्वच्छ चर्म प्रक्रमण प्रौद्योगिकी पैकेज जिनमें एनजाइम डिहेयरिंग, अमोनिया फ्री डिलाइमिंग, क्रोम एग्जास्ट टैनिंग जैसी निदानात्मक पद्धतियां शामिल हैं। मात्रा की मान्यता से एक आधुनिक फुटवियर डिजाइन विकास, निर्माण और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जो निम्नवत् से सुसज्जित है कम्प्यूटर की सहायता से स्टक आन तथा स्टिच डाऊन प्रकार के डिजाइन तथा फुटवियर के लिए पैट्रन की लेजर कटिंग तथा कनवेयर फैब्रीकेशन सुविधा।

(झ) ग्रामीण विकास

इस अवधि के दौरान निम्नवत् उपलब्धियां रही; 80 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार जुटाना, लगभग 1.25 लाख टन कोयले के समान की उर्जा बचत तथा 100 करोड़ रुपए के उत्पादकता सुधार लाभ और लगभग 1200 गांवों में पेय जल का प्रावधान।

राष्ट्रीय पावर ग्रिड

62. **श्री एस॰ रामचन्द्र रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय बिजली ग्रिडों को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) देश की विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के अंत:संयोजन के लिए सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं इन संयोजनों में से कुछ संयोजन पहले ही प्रचालनरत है तथा अन्य निर्माणाधीन अथवा विचाराधीन हैं। केन्द्र के स्वामित्व वाले अंत: क्षेत्रीय संयोजनों की एक सूची निम्नवत् है :-

1. विद्यमान (प्रचालनरत)

(i) पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच 500 मे.वा. विन्ध्याचल उ.बो.दि.धा. सह-पृष्ठन केन्द्र।

(ii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच 220 कि.वो. बीरपाड़ा-बोंगाईगांव।

(iii) दक्षिणी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच रामगुंडम चन्द्रपुर-400 कि.वो. लाईन।

(iv) पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र के बीच चन्द्रपुर में 1000 मे.वा. उ.बो.दि.धा. सहपृष्ठन केन्द्र का प्रथम 500 मे.वा. पोल।

2. निर्माणाधीन

(i) पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र के बीच चन्द्रपुर में 1000 मे.वा. उ.बो.दि.धा. सहपृष्ठन केन्द्र का दूसरा 500 मे.वा. पोल।

(ii) पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र के बीच गजुवाका में 500 मे.वा. उ.बो.दि.धा. सहपृष्ठन केन्द्र।

(iii) उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच बोंगईगांव तथा मालदा के बीच 400 कि.वो.।

3. विचाराधीन

(i) पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच-बिहारशरीफ से रिहन्द के बीच सासाराम में 500 मे.वा.

(ii) 400 कि.वो. प्र.धा.राजपुर (प.क्षे.) से राउरकेला (पू.क्षे.)

(iii) तलचेर-2 संचारण प्रणाली के एक अंग के रूप में पूर्वी क्षेत्र में तलचेर से दक्षिणी क्षेत्र में बेंगलूर के बीच 3000 मे.वा. उ.बो.दि.धा. द्वि-स्तंभ संयोजन।

(iv) पूर्वी क्षेत्र में इब घाटी से उत्तरी क्षेत्र में जयपुर के बीच 3000 मे.वा. उ.बो.दि.धा. द्वि-स्तंभ संयोजन तथा ईब घाटी (पूर्वी क्षेत्र) से रायपुर (प.क्षे.) तक 400 कि.वो. प्र.धा. प्रणाली। ये संचारण संयोजन सीईपीए के साथ संबद्ध संचारण प्रणाली का अंग है।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के प्रत्याशित प्रचालन तारीखें निम्नवत् हैं :-

परियोजना	प्रचालन की तारीख
1	2
1. चन्द्रपुर बी/बी उ.बो.दि.धा.	11/97
2. गजुवाका बी/बी परियोजना उ.बो.दि.धा.	2/99
3. सासाराम बी/बी उ.बो.दि.धा.	3/2000
4. 400 कि.वो. बोंगईगांव-मालदा	3/93
5. तलचेर-बेंगलूर उ.बो.दि.धा.	2001/2002
6. (क) इब घाटी-जैपोर (उ.बो.दि.धा.	12/2001
(ख) इब घाटी रायपुर प्र.धा. प्रणाली	6/2001
7. 400 कि.वो. रायपुर राउरकेला	2001-02
8. चन्द्रपुर बी/बी उ.बो.दि.धा.	11/97

[हिन्दी]

बिहार में बिजली की कमी

63. **श्री रमेन्द्र कुमार :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेषकर बिहार में बिजली की कमी के कारण इस क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र को• अलघ) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में गैर व्यस्ततम अवधि के दौरान विद्युत का अधिशेष है तथापि क्षेत्र के सभी राज्यों में विद्युत की कमी है तथा भिन्न-भिन्न मात्रा में व्यस्ततमकालीन कमी है।

(ग) और (घ) अप्रैल-अक्तूबर, 1997 और अक्तूबर, 1997 के दौरान बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी तथा व्यस्ततमकालीन कमी नीचे दी गई है।

राज्य/प्रणाली	ऊर्जा की कमी प्रतिशत		व्यस्ततमकालीन कमी प्रतिशत	
	अप्रैल-अक्तूबर, 97	अक्तूबर, 97	अप्रैल-अक्टूबर, 97	अक्टूबर, 97
बिहार	22.9	22.6	43.7	43.7
डीवीसी	5.1	5.4	25.4	20.1
उड़ीसा	4.1	6.0	13.4	13.4
पश्चिमी बंगाल	1.5	1.6	7.0	7.0
पूर्वी क्षेत्र	7.2	7.9	20.0	20.0

बिहार में उद्योगों के लिए सांविधिक रूप से विद्युत की कटौती नहीं की गई है। तथापि बिहार में विद्युत की कमी के मुख्य कारण राज्य में अपर्याप्त उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क, बिहार राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत स्टेशनों का खराब कार्य निष्पादन, केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की खरीद हेतु राज्य सरकार की भुगतान संबंधी असमर्थता आदि है।

[अनुवाद]

साझा न्यूनतम कार्यक्रम

64. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सी.एम.पी.) कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या विशेष उपलब्धि हुई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं

65. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित रूप में पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की हाल ही में स्वीकृति के बाद जैसे पेंशनभोगी जो सी॰जी॰एच॰एस॰ में शामिल नहीं हैं को सेवारत कर्मचारियों के समान "इन पेशेन्ट" के रूप में इलाज के खर्चों के पुनर्भुगतान के पात्र होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिशें की हैं कि :- "केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 की एक सीमित तरीके से पेंशनरों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि इस प्रयोजन के लिए किसी सरकारी अस्पताल/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में हॉस्पिटेलाइजेशन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति को सुकर बनाया जा सके। ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे का निपटान पूर्णरूप से केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के उपबन्धों के अधीन पेंशनरों के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।"

इस प्रस्ताव का सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में सफाई

66. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या प्रधान मंत्री 6 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के अस्पतालों में रोगियों के शौचालयों में अस्पतालवार कितनी बार आकस्मिक जांच की गई.

(ख) यह आकस्मिक जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई तथा इसमें क्या त्रुटियां पायी गई; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) चिकित्सा अधीक्षक और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शौचालयों की उचित स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बाह्य रोगी विभागों तथा वार्डों में नेमी दौरों पर जाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारियों ने केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों की समय-समय पर आकस्मिक जांच की है। पाई गई कमियों को कम से कम समय में दूर किया जाता है।

[अनुवाद]

नर्मदा घाटी में भूकम्प

67. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में 22 मई, 1997 और उसके बाद भूकम्प आया था और उसे रिएक्टर पैमाने पर मापा गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर भूकम्प आया था और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) यह भूकम्प किन-किन भूकम्प वेधशालाओं में मापा गया और क्या इसमें कोई अन्तर था यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विध्वंसकारी भूकम्प आने की कोई संभावना है और क्या वहां स्थायी भूकम्प वेधशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि भूकम्प की भविष्यवाणी करने में उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो यह वेधशाला कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसकी क्षमता और लागत कितनी होगी; और

(च) इस वेधशाला में कितने किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र में और कितनी किलोमीटर गहराई तक भूकम्प की तीव्रता मापी जा सकेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर क्षेत्र में 22 मई, 1997 को एक सामान्य भूकम्प आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.0 थी जिसके परिणामस्वरूप 19.9.1997 तक 23 झटके महसूस किए गए।

(ग) 22 मई, 1997 को मुख्य झटका भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय भूकम्पीय नेटवर्क के अधिकांश केन्द्रों द्वारा रिकार्ड किया गया।

हाल ही में अजमेर, भोपाल, भुज, बिलासपुर, बोकारों, कराड, मद्रास, पुणे, तिरूवनंतपुरम तथा विशाखापतनम में लगाए गए ब्रॉड बैण्ड ग्लोबल सीस्मोलॉजिकल नेटवर्क (जी.एस.एन.) प्रकार के उपस्करों ने इस मुख्य झटके को रिकॉर्ड किया और एक अपूर्व डाटा सेट उपलब्ध कराया। इन वेधशालाओं के माप में कोई अंतर नहीं है।

(घ) से (च) स्थान, समय तथा तीव्रता के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर यथार्थता की उपयुक्त मात्रा सहित भूकम्प की भविष्यवाणी करना फिलहाल संभव नहीं है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सीस्मोलॉजिकल नेटवर्क का दर्जा विश्व बैंक की सहायता से चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत बढ़ाया जा रहा हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत ग्लोबल सीस्मालॉजिकल नेटवर्क (जी.एस.एन.) प्रकार के उपस्कर स्थापित करके भोपाल स्थित वेधशाला का दर्जा बढ़ा दिया है। जबलपुर में भी एक नयी वेधशाला स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। खण्डवा क्षेत्र में एक मल्टी एलिमेंट टेलीमीटरी सिस्टम अधिष्ठापित किये जाने का प्रस्ताव है। ये उपस्कर अधुनातन है और स्थानीय तथा दूरस्थ दोनों भूकम्पों को रिकार्ड कर सकते हैं।

विलंबित परियोजनाएं

68. **श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तयन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जो अभी भी लागू होने के लिये लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण इसकी लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) इस परियोजना को लागू करने में हुए विलम्ब के कारण सरकार पर कुल कितना अतिरिक्त भार पड़ा है; और

(घ) निर्धारित समय अवधि में इन परियोजनाओं को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) 31.3.1997 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रबोधन पर केन्द्रीय क्षेत्र की 228 विलंबित परियोजनाएं थी, ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में "परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट" में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) विलंबित 228 परियोजनाओं में से 170 परियोजनाओं में विभिन्न कारणों जिनमें कार्यान्वयन में देरी शामिल है, की वजह से 29.992 करोड़ रु॰ की लागत वृद्धि हुई।

(घ) परियोजनाएं निर्धारित समय एवं लागत सीमा के अंतर्गत ही कार्यान्वित करवाए जाएं, इसके लिए किए जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परियोजनाओं के संबंध में मूल अनुमान की तैयारी तथा उनके कार्यान्वयन संबंधी कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ताकि लागत वृद्धि में कमी लाई जा सके।

(1) चरण-2 कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभ्युपाय करने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर समुचित प्रबोधन।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यदलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संभरणकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्तर मंत्रालयीय समन्वय।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत का पारेषण और वितरण

69. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन को हाथीदह से बेगूसराय जीरो

माईल और पूर्णिया से बेगूसराय और बेगूसराय से गोरखपुर के लिए विद्युत के पारेषण और वितरण संबंधी किसी महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने हाथीदेह संपारण (हाथीदेह से बेगूसराय शून्य मील) एक राज्य परियोजना को निष्पादनार्थ पावरग्रिड को देने का प्रस्ताव किया है।

पावरग्रिड ने पूर्णिया जहां बोंगईगांव-मालदा संचारण लाईन लूप्ड इन तथा लूप्ड आउट होगी तथा जिसे अगले 3-4 वर्षों में निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है, पर 400/200 कि.वो. उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। पावरग्रिड ने मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर तक पूर्णिया उपकेन्द्र अतः संयोजन के लिए एक 400 कि.वो.डी/सी लाईन का भी प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए धन

70. **श्री नवीन पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है जिसमें राज्य में पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय या विदेशी सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से फरवरी, 1997 को प्राप्त लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत वाला संशोधित परियोजना प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के अंतर्गत सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा गया था। विश्व बैंक के एक तैयारी मिशन ने 9-14 नवम्बर, 97 को उड़ीसा का दौरा किया और अंतिम परियोजना कार्यान्वयन योजना सहित विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत की है जिसके आधार पर परियोजना को अनुमोदित किया जाएगा।

(i) सरदार वल्लभ भाई पटेल शिशु भवन, कटक को उपस्कर प्रदान करने के लिए तथा (ii) उड़ीसा में जिला मुख्यालय अस्पतालों के चिकित्सा उपस्करों के उन्नयन के लिए जीका सहायता के लिए दो प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को जापानी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए भेज दिए गये हैं। दूसरा प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 19.3.1997 को जापानी प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया जबकि पहले प्रस्ताव के संदर्भ में आर्थिक कार्य विभाग ने 10 मार्च, 1997 को राज्य सरकार को प्रस्ताव को निर्धारित प्रोफार्मा में भेजने की सलाह दी।

नए संचार उपग्रह

71. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई.आर.एस.डी. के स्थान पर एक नए संचार उपग्रह को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) द्वितीय पीढ़ी के अगले इन्सैट उपग्रह (इन्सैट-2ई) के 1998 की द्वितीय तिमाही में प्रमोचित किये जाने की आशा है तथापि, इन्सैट-2ई उपग्रह के छोड़े जाने के बाद भी, इन्सैट -2डी की विफलता के कारण हुई क्षमता की क्षति को पूरा करने के लिए इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता का आगे संवर्धन करना जरूरी होगा।

इन्सैट प्रणाली में उपयोग के लिए कक्षीय प्राप्ति/प्रेषानुकर क्षमता की लीज की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भर्ती पर प्रतिबंध

72. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती को बंद करने के लिए विभागों को कोई अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) क्या सरकार को इस मुद्दे के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली

बकाया रिक्तियों को भरने के लिए, समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चला रही थी। विशेष भर्ती अभियान वर्ष, 1989 में जारी आदेश पर आधारित थे जिसके अनुसार "पिछली बकाया" रिक्तियों को एक ऐसी अलग श्रेणी के रूप में माने जाने की अपेक्षा थी जिसमें आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं मानी जाती थी। इस मुद्दे की जांच एक पत्र के संदर्भ में की गई थी और यह पाया गया कि इन्दिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9-सदस्यीय खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर "पिछली बकाया" रिक्तियों पर अलग से कार्रवाई करना अब कानून अनुज्ञेय नहीं रहा तथा विशेष भर्ती अभियान चलाना भी कानून व्यवहार्य नहीं रहा चूंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सहित, कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। तदनुसार, 1989 के आदेशों में संशोधन के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

(ग) से (च) संशोधित अनुदेशों को वापस लिए जाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए उपर्युक्त कानून के मद्देनजर ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

तरल ईंधन का आयात

73. श्री शरत पटनायक :
श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत उत्पादन के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल में प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि का देश में बिजली के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां। विद्युत और अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के वास्ते सरकार ने एलएनजी आयात करने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया है।

(ख) सरकार ने जेएआईएल, ओएनजीसी, ओईओसी और बीपीसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेबीसी) का सृजन किए जाने का अनुमोदन किया है जो कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत धारण करेंगे और शेष वित्तीय संस्थानों तथा अन्य को प्रदान की जाएगी। जेबीसी एनौर (टीएन) कोच्चि (केरल), हजीरा/दहेज (गुजरात) और मंगलौर (कर्नाटक) प्रत्येक में लगभग 2.5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ग) प्राकृतिक गैस की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि से अधिक होने की प्रत्याशा है।

राष्ट्रमंडल देशों की बैठक

74. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्ष अपनी हाल ही की कांफ्रेंस में दक्षिण एशिया हेतु एक कोष शुरू करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धन किस स्रोत से प्राप्त हुआ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, जो राष्ट्रमंडल निजी निवेश पहलकदमियों के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय निवेश निधियों की तीसरी कड़ी है, की शुरूआत 25 अक्तूबर, 1997 को एडनबर्ग में राष्ट्रमंडल देशों के राज्याध्यक्षों की बैठक में की गई। राष्ट्रमंडल विकास निगम (सीडीसी) इस निधि का प्रबंध करेगा। इस निधि की शुरूआत 110 मिलियन अमरीकी डालर की आरंभिक पूंजी के साथ की गई। संस्थापक शेयर धारकों में सीडीसी तथा दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा हिन्द महासागर क्षेत्र के निवेशकर्ता शामिल हैं; मार्च, 1997 में दूसरी समाप्ति के साथ ही संस्थागत निवेशकों के जरिए आगे की राशि एकत्र की जाएगी।

यह निधि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कम्पनियों में दीर्घकालिक इक्विटी निवेश करेगी। इससे निजी क्षेत्र के व्यापार में अतिरिक्त पूंजी आने तथा आर्थिक विकास की संभावना है।

प्रसूति के दौरान मृत्यु

75. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक वर्ष प्रसूति के समय कितनी जच्चा/बच्चा की मृत्यु हुई है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर दूरस्थ आदिवासी बहुल गांवों में जच्चाओं तथा बच्चों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारत में मातृ एवं प्रसवकालीन मृत्यु दर का वार्षिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। 1992-93 में किए गए एक ताजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा देश में लगाया गया अनुमान इस प्रकार है :-

(i) प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 437 की मातृ मृत्यु दर, इस अनुमान के विश्वसनीय मध्यवर्ती आंकड़े 334 से 540 हैं और

(ii) प्रति हजार जीवित जन्मों पर 48.6 की नवजात शिशु मृत्यु दर (नवजात शिशु मृत्यु एक नवजात शिशु की मृत्यु है जो जन्म से पहले महीने तक जीवित रहता है।

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अगस्त, 1992 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और मातृ, नवजात और शिशु मृत्यु दरों में कमी करना हैं बच्चों के कार्यक्रम के अधीन सेवाओं के पैकेज में अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या, छह वैक्सीन निवार्य रोगों से होने वाली मृत्यु और रुग्णता की रोकथाम के लिए प्रतिरक्षण, अतिसारीय रोगों और तीव्र श्वसनी संक्रमणों के उपचार तथा रतौंधी की रोकथाम के लिए विटामिन "ए" से बचाव को शामिल किया गया। सुरक्षित मातृत्व के लिए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में माताओं और नवजन्में बच्चों में टेटनस से निवारण के लिए टी टी प्रतिरक्षण के साथ प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या, रक्तापलता के निवारण और प्रबंध, प्रसव जटिलताओं का शीघ्र पता लगाने, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रसव कराने, सास्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देने, प्रसूति विज्ञानी आपात स्थितियों के प्रबंध और जन्म अंतराल रखने का उल्लेख है। शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1996--97 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर बन्द हो गया।

1997-98 में शुरू होने वाली नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और सेवा प्रदाय पद्धति, में और सुधार करने के लिए 15 अक्तूबर, 1997 को एक राष्ट्रव्यापी प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य अधिक कुशल कार्मिक शक्ति को लगाकर आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर और उसका विस्तार करके, समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए आवश्यक औषधें और उपकरण तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करके किशारों, माताओं और बच्चों को सेवाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में जनजातीय परियोजनाओं के जरिए जनजातीय जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था भी की गई है।

एशियाई देशों के संबंध

76. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पांच सिद्धांतों के आधार पर सभी पड़ौसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाये हैं : पहला, पड़ौसियों के साथ भारत पारस्परिकता की मांग नहीं करता अपितु विश्वास और निष्ठा के आधार पर समझौता करता है। दूसरा, दक्षिण एशिया के किसी भी देश को इस क्षेत्र के अन्य देशों के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा, कोई भी देश किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए, तथा अंत में वे अपने सभी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए करेंगे।

सरकार ने दक्षिण एशिया सहयोग संगठन (सार्क) की क्षेत्रीय संरचना के जरिए कार्य करने को भी प्राथमिकता दी है प्रधान मंत्री ने माले सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर पड़ौसी राष्ट्रों के सभी प्रधान मंत्रियों से मुलाकात की तथा उनमें से कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय यात्राओं का आदान-प्रदान भी किया। पाकिस्तान के साथ फिर से शुरू की गई विदेश सचिव स्तर की वार्ता, गंगा जल के बंटवारे के लिए बंगलादेश के साथ करार पर हस्ताक्षर तथा पड़ौसी राष्ट्रों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर प्रगति का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों को संवर्द्धित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप सभी देशों के साथ आपसी विश्वास के समग्र वातावरण में एक निश्चित सुधार हुआ है तथा सभी के बीच उन्नति की कामना की गई है।

इसी प्रकार सरकार आसियान राष्ट्रों के साथ समग्र संबंधों के विकास के भाग के रूप में एक "पूर्व की ओर देखों" की नीति का सक्रियता से पालन करती रही है। द्विपक्षीय संरचना में आसियान के पूर्ण वार्ता भागीदार के रूप में, आसियान क्षेत्रीय मंत्री (ए आर एफ) में सहभागी के रूप में, तथा संस्थागत संयोजन के जरिए सरकार ने आसियान राष्ट्रों के साथ संबंधों में और अधिक सुधार करने तथा इन संबंधों को समन्वित करने का प्रयास किया है।

मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ निकट संबंध कायम करने पर सरकार ने यथोचित ध्यान दिया है। उनमें से प्रत्येक देश में आवासी मिशन स्थापित किये गये हैं और सभी देशों के साथ सर्वोच्च राजनैतिक स्तर पर द्विपक्षीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ है। व्यापार और आर्थिक संबंध और साथ ही लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों में वृद्धि हो रही है।

पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ सरकार व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, औद्योगिक सहयोग, पर्यावरण और संस्कृति सहित सभी क्षेत्र में प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान तथा सहयोग संवर्द्धित करने के प्रयासों के जरिए सभी स्तरों पर लगातार बातचीत करती रही है।

चीन के साथ हमारे संबंधों में परिपक्वता और यथार्थता आ रही हैं सर्वोच्च राजनैतिक स्तर पर यात्राओं का आदान-प्रदान जारी रहा है तथा दोनों पक्ष एक रचनात्मक एवं सहयोगात्मक संबंध बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। जापान के साथ हमारे संबंध लगातार संवर्द्धित हो रहे हैं। 1991 से भारत में आर्थिक उदारीकरण

के बाद से ही आर्थिक कार्यकलापो में तेजी से वृद्धि होती रही है। पिछले 8 वर्षों से जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है। दोनों देशों ने संसदीय मैत्री संघ गठित किए है जो संबंधों को निकट लाने की दिशा में एक और कदम है। दोनों कोरियाओं के साथ हमारे संबंध पारंपरिक एवं मैत्रीपूर्ण हैं।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी की भूमि

77. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या प्रधान मंत्री 13 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. ने भूमि और विकास कार्यालय द्वारा सी.जी.एच.एस. काम्प्लेक्स बसंत विहार में सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी के लिए निर्धारित प्लाट को अब तक अधिगृहित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधिग्रहण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सी.जी.एच.एस. द्वारा कब तक अधिग्रहण कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है और इसमें कार्य कब से आरंभ हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) यह प्लाट अभी तक भूमि और विकास कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को नहीं सौंपा गया है।

(घ) बसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मानदण्डों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

78. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**
श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी पहचान के लिये राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान किए गए कार्यरत बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है; और

(च) इस बंधन से मजदूरों को मुक्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क), (ख), (ङ) और (च) बंधुआ श्रम की व्यवस्था बॉधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश द्वारा 25.10.1975 से समाप्त हो गई है। अध्यादेश के स्थान पर बॉधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बनाया गया था। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे अधिनियम के उपबंधों को जोरदार ढंग से प्रवर्तित करें। मार्च, 1993 तक पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या 2,51,424 थी। तब से किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा बंधुआ श्रमिकों के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। तथापि, अक्तबूर, 1996 में, विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने राज्यों में अधिक से अधिक 31.12.1996 तक बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराएं। सर्वेक्षण की उपलब्धियां, जैसा कि सूचित किया गया है, निम्नानुसार है :-

1.	अरूणाचल प्रदेश	2460
2.	बिहार	106
3.	कर्नाटक	19
4.	मध्य प्रदेश	10
5.	महाराष्ट्र	2
6.	उत्तर प्रदेश	237
7.	तमिलनाडु	24918*
	कुल	27760

* बंधुआ श्रमिकों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई हैं इसका सत्यापन संबंधित जिला कलक्टरों द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त सर्वेक्षण की उपलब्धियों का सत्यापन कुछ मामलों में अभी भी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1996 के दौरान 3970 निरीक्षण किए गए जिनमें 60142 अनियमितताओं का पता चला और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में अंतर्निहित उपबंधों के अनुसार 3158 मामलों में अभियोग चलाए गए।

परमाणु खनिज

79. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1996-97 के दौरान किन-किन राज्यों में परमाणु खनिजों की संभावनाओं की खोज करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से सर्वेक्षण कराए हैं; और

(ख) उससे कौन-कौन से और कितनी मात्रा में परमाणु खनिजों की खोज की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) परमाणु खनिजों की खोज के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार ने 1996-97 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षयरोग

80. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से "एण्टी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रेजिस्टेंस इन दि वर्ल्ड" किए गए अध्ययन की जानकारी है जिसमें भारत में सर्वाधिक क्षयरोग पीड़ित क्षेत्रों की पहचान की गई है विशेष रूप से दिल्ली जो 15 प्रतिशत ऐसे क्षयरोगियों के साथ प्रथम स्थान पर है जो बहु-औषध प्रतिरोधी हैं को ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस बहु-औषध प्रतिरोधी क्षयरोग के लिए "न्यू ड्रग थेरेपी" तैयार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बहुऔषध प्रतिरोधक क्षय रोग मुख्य रूप से अनियमित और/अथवा अधूरे उपचार के कारण होता है। इस अध्ययन की सिफारिशों और परिणाम के अनुसार इसका समाधान एक अधिक कारगर क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित उपचार की कार्यनीति का इस्तेमाल करके स्पूटम पॉजिटिव पल्मोनरी क्षय रोगियों का उपचार किया जाता है, को कार्यान्वित करके बहुऔषध प्रतिरोधक क्षय रोग की रोकथाम करने में है। इस कार्यक्रम को पहले ही 20 मिलियन से अधिक की जनसंख्या में कार्यान्वित कर दिया गया है और इसे अभी तक चरणबद्ध ढंग से 271 मिलियन जनसंख्या में कार्यान्वित किया जाना है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिक्त पदों को भरना

81. **श्री वी॰वी॰ राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) नई दिल्ली की सभी वरिष्ठ प्रशासनिक पदों तथा संकाय पदों पर स्थायी चयन समिति द्वारा खुले आधार पर किए गए चयन के आधार पर तथा शासी निकाय द्वारा यथा स्वीकृत तरीकों से भर्ती करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है तथा इन सभी पदों पर भर्ती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय की अवहेलना करते हुए की गई नियुक्तियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) संस्थान ने सूचित किया है कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे विनिर्णय की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गर्भनिरोधक क्रीम विकसित करना

82. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वैज्ञानिकों ने "नीम" वृक्ष को उपयोग में लाकर नई गर्भ निरोधक क्रीम विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गर्भ निरोधक क्रीम का मनुष्यों पर भी परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्रीम को गर्भ निरोधक के रूप में उपयोगी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को यह क्रीम कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों के रक्षा संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नीम आधारित गर्भ निरोधक विकसित किया है। शरीर क्रिया विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों के रक्षा संस्थान द्वारा दी गई सूचनानुसार इस गर्भ निरोधक का परीक्षण अभी मनुष्यों पर नहीं किया गया है, किन्तु इसे पशुओं पर किए गए प्रयोगों से मैथुनपूर्व योनिक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोगी पाया गया है। ग्राहकों को इस गर्भ निरोधक की

उपलब्धता मनुष्यों पर किए जाने वाले परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

83. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश की कुछ विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने इस प्रयोजन हेतु राज्यों/केन्द्र सरकार से प्रति गारंटी की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक ने विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 1998-2000 के लिए ऋण तथा तकनीकी सहयोग हेतु अभिशात की है :-

ऋण			
1.	गुजरात पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग (एस.डी.पी.)	-	300 मिलियन अमरीकी डालर
2.	पी.एफ.सी.	-	500 मिलियन अमरीकी डालर
3.	स्टेट पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग II (एसडीपी)	-	300 मिलियन अमरीकी डालर
4.	दक्षिणी क्षेत्र विद्युत केन्द्र	-	250 मिलियन अमरीकी डालर
5.	स्टेट पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग-III (एसडीपी)	-	300 मिलियन अमरीकी डालर
तकनीकी सहयोग			
1.	दक्षिणी क्षेत्र संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र	-	0.600 मिलियन अमरीकी डालर
2.	स्टेट पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग II	-	1.000 मिलियन अमरीकी डालर
3.	स्टेट पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग III	-	1.000 मिलियन अमरीकी डालर
4.	पी.एफ.सी. के लिए समर्थन	-	1.000 मिलियन अमरीकी डालर

वास्तविक प्रतिबद्धता संबंधित राज्यों/निष्पादन अभिकरणों के साथ और मोलभाव करके निर्यात की जाएगी।

(ग) और (घ) जहां भारत सरकार उधारकर्ता है वहां पर गारन्टी/काउन्टर गारन्टी का प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे मामले में जहां एशियाई विकास बैंक सहायता भारत सरकार के अनुमोदन के साथ सीधे ही निष्पादन अभिकरण को दी जाती है वहां पर एशियाई विकास बैंक के ऋण सेवा प्रभारों के लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है।

मेजिया ताप विद्युत परियोजना

84. श्री सुनील खान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजिया ताप विद्युत परियोजना की तीसरी इकाई को भी साथ-साथ कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना को क्रियान्वित करने में सरकार द्वारा किन-किन बाधाओं का सामना किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की मेजिया ताप विद्युत परियोजना की तीसरी यूनिट को मार्च, 1998 तक तुल्यकालित किए जाने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना के निष्पादन में डीवीसी के सामने आई समस्याओं में ये समाविष्ट हैं - भूमि अधिग्रहण में विलंब उपस्कर के सम्भरकों तथा विभिन्न कर्ज पैकेजों के लिए जिम्मेवार ठेकेदारों द्वारा धीमी गति, औद्योगिक समस्याएं तथा वित्तीय बाधाएं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा डीवीसी को इन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए उपाय में हैं :-

- डीवीसी तथा बीएचईएल, जो इस यूनिट के लिए बायॅलर तथा टी.जी.सैटी की आपूर्ति तथा उत्थापन के लिए जिम्मेवार है, के बीच अनिर्णित संविदात्मक/गैर-संविदात्मक मामलों के समाधान हेतु हस्तक्षेप,
- राज्य सरकार से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य स्थलों पर एक अच्छा औद्योगिक वातावरण बनाए रखने के लिए डीवीमी को सहयोग देने का अनुरोध,

- डीवीसी को भविष्य में संविदा प्रबंधन की अपनी प्रक्रिया सुधारने के लिए अनुदेश, तथा
- 1997-98 के दौरान इस परियोजना के लिए अभिवृद्ध बजटीय समर्थन।

बेरोजगार युवक

85. ***श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की*** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवक आतंकवादी बन गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सरकार, जम्मू और कश्मीर में बेकारी की समस्या से अवगत है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा भर्ती अभियान चलाए गए हैं तथा स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुर्नवास हेतु एक योजना तैयार की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य उग्रवादियों को राजी करके एवं लाभ देकर, हिंसा का पथ छुड़वाकर मुख्य धारा में शामिल करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आत्मसमर्पित उग्रवादी पुनः उग्रवाद की ओर न लौटें। आत्मसर्पपण नीति का प्रभाव अब तक उत्साहवर्द्धक रहा है। 15 अगस्त, 1995 से 30 सितम्बर, 1997 तक अर्थात् इस नीति की घोषणा के बाद 1317 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

संशोधित अंतरिम राहत

86. **डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को संशोधित अंतरिम राहत देने का है;

(ख) क्या पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतनमानों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतरिम राहत कब से दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ बीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतनमानों आदि के संशोधन से संबंधित मामला न्यायमूर्ति आर.के. मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतन बोर्डों के पास है और बोर्डों को अभी अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूषित आई वी फ्लूड

87. ***श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने*** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में दूषित आई वी फ्लूड का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान अस्पताल-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) इस दूषित आई वी फ्लूड को किस कंपनी से किस दर पर खरीदा गया तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं के उत्पाद के संदर्भ में इसकी तुलनात्मक दर क्या है; और

(घ) सरकारी अस्पतालों द्वारा औषधियों तथा अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं, जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध हैं।

(ख) डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में संदूषित आई॰वी॰ फ्ल्यूड के तीन मामले सूचित किए गए। इन बैच संख्याओं के आई॰वी॰ फ्ल्यूडों को तत्काल वापिस ले लिया गया।

(ग) आई॰वी॰ फ्ल्यूडों को 8 रुपये 5 प्रतिशत डेक्सट्रोज की प्रति बोतल की दर पर चिकित्सा भंडार डिपु के जरिए और 14.70 रुपये एलेक्ट्रोलिट एम तथा एलेक्ट्रो-लिट पी प्रति बोतल की दर पर केन्द्रीय भंडार से खरीदा गया। कोर स्वास्थ्य परिचर्या ने इन आई॰वी॰ फ्ल्यूडों का विनिर्माण किया।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को भंडारों की खरीद करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

88. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री 5 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) संबंधित प्राधिकारियों से अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें स्मरण पत्र भेजा गया है। जैसे ही सूचना मिलेगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम मजदूरी

89. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या श्रम मंत्री 23 जुलाई, 1997 को अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अधिकांश उद्योग अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं और श्रम अदालतें विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने में विफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योगपतियों द्वारा श्रम कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) उड़ीसा में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अधिकांश उद्योग अपने कर्मकारों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अदा कर रहे हैं। अब कमी अदायगी न होने संबंधी किसी मामले की जानकारी क्षेत्र अधिकारियों को प्राप्त होती है, तो दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेलपूल बांध

90. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम की तेलपूल विद्युत परियोजना पर कार्य पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) बिहार में पंचेत में तेलपूल बांध परियोजना पर पुनः कार्य प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) से अनुरोध करने हेतु अभी वह तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति की समीक्षा बिहार सरकार, जो डीवीसी की भागीदारी सरकारों में से एक है, के विचार प्राप्त होने पर की जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स के खान सुरक्षा महानिदेशक

91. **श्री हाराधन राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कोयला क्षेत्र में विद्यालयों, कालेजों, अस्पतालों, मकानों और स्टेडियमों इत्यादि के निर्माण के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को पूर्व स्वीकृति देने के संबंध में सूचना मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांगी गई सूचना दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सूचना संभवतः कब तक दे दी जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चिकित्सा उपस्करों का आयात

92. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विभिन्न अस्पतालों के क्या नाम हैं जिसके लिए गत दस वर्षों के दौरान चिकित्सा उपस्करों तथा उपकरणों का आयात किया गया प्रत्येक उपस्कर/उपकरण की लागत क्या है तथा सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर कुल कितनी मात्रा में शुल्क लगाया गया;

(ख) क्या इन उपस्करों के आयात पर शुल्क में कोई छूट दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 63/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 और 64/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 के संदर्भ में उपकरणों के आयात हेतु सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करता आ रहा है।

अधिसूचना संख्या 63/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 को निरस्त कर दिया गया है और इसे अधिसूचना संख्या 11/97, दिनांक 1.3.97 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिसूचना सरकारी अस्पतालों संस्थाओं और उन आयातकर्ताओं को भी कवर करती है जो जीवन रक्षक औषधों/दवाओं/उपकरणों का आयात करते आ रहे हैं। अधिसूचना संख्या 64/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 को दिनांक 1.3.94 को निरस्त कर दिया गया है। इस अधिसूचना में विभिन्न प्राइवेट

अस्पतालों/संस्थाओं द्वारा चिकित्सीय उपकरणों के आयात को शामिल किया गया था।

अधिसूचना संख्या 64/88-सीमा के अधीन सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्रों को प्रोसेस किया गया और उपकरणों की 3169 मदों के आयात को कवर करते हुए 798 मामलों को जारी किया गया। उसी प्रकार अधिसूचना संख्या 63/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 और अधिसूचना संख्या 11/97, दिनांक 1.3.1997 के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में अस्पतालों द्वारा आयात किए गए उपकरणों को भी छूट दी गई है। इस सूचना के ब्यौरों को संकलित करने के लिए अपेक्षित समय और प्रयास प्राप्त किए जाने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

अधिसूचना संख्या 64/88-सीमा, दिनांक 1.3.1988 के अंतर्गत सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामला पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार और अन्यों के मामले में दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 409/96 के अधीन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षाधीन है राजस्व विभाग द्वारा उन संस्थानों से जिन्हें छूट प्रमाण पत्रों में निर्धारित किए गए अनुसार अपनी बाध्यकारिताओं को पूरा करते हुए नहीं पाया गया है सीमा शुल्क की वसूली की जानी है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

93. **श्री नीतीश कुमार :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार विद्युत की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां विद्युत उत्पादन इसकी स्थानीय मांग से कम है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों, जहां विद्युत उत्पादन स्थानीय मांग से अधिक है, से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत पारेषण की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) वस्तुतः विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर ऊर्जा की कमी रही है, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा की कमी रही है।

(ग) और (घ) संबद्धवार की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में अधिशेष क्षमता विद्यमान है। विद्यमान क्षमता का ईष्टतम सदुपयोग किए जाने के लिए पूर्वी क्षेत्र के पड़ौसी क्षेत्रों के केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों हेतु निम्नवत् विद्युत आवंटन की व्यवस्था की गई है।

(i) पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के सभी केन्द्रों से आन्ध्र प्रदेश (दक्षिणी क्षेत्र) और मध्य प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र) प्रत्येक को 150 मे.वा.

(ii) उत्तरी क्षेत्र 100 मे.वा.

(iii) कहलगॉव एसटीपीएस से मणिपुर (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) सायं व्यस्ततमकालीन के दौरान 30 मे.वा.

(iv) फरक्का और तलचेर एसटीपीएस से असम (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) को 100 मे.वा.

विवरण

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अक्तूबर, 97				अप्रैल,97-अक्तूबर,97			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चण्डीगढ़	66	66	0	0.0	575	575	0	0.0
दिल्ली	1140	1108	32	2.8	9097	8940	157	1.7
हरियाणा	985	979	6	0.6	7866	7698	168	2.1
हिमाचल प्रदेश	226	226	0	0.0	1704	1704	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	438	435	3	0.7	2794	2721	73	2.6
पंजाब	1550	1538	12	0.8	14255	14147	108	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	1435	1428	7	0.5	10830	10686	144	1.3
उत्तर प्रदेश	3460	3085	375	10.8	23807	20933	2874	12.1
उ॰क्षे॰	9300	865	435	4.7	70928	67404	3524	5.0
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	3450	3286	164	4.8	22475	21037	1438	6.4
मध्य प्रदेश	2700	2564	136	5.0	17525	16011	1514	8.6
महाराष्ट्र	5350	5246	104	1.9	35915	34394	1521	4.2
गोवा	118	118	0	0.0	767	767	0	0.0
प॰क्षे॰	11618	11214	404	3.5	76682	72209	4473	5.8
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	3750	3150	600	16.0	23880	20205	3675	15.4
कर्नाटक	2300	1796	504	21.9	15229	11714	3515	23.1
केरल	925	749	176	19.0	6636	5036	1600	24.1
तमिलनाडु	3100	2694	406	13.1	22365	19271	3094	13.8
द॰क्षे॰	10075	8389	1686	16.7	68110	56226	11884	17.4
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	840	650	190	22.6	5455	4207	1248	22.9
डीवीसी	765	724	41	5.4	5090	4830	260	5.1
उड़ीसा	960	902	58	6.0	6425	6159	266	4.1
पश्चिमी बंगाल	1400	1377	23	1.6	9585	9439	146	1.5
पू॰क्षे॰	3965	3653	312	7.9	26555	24635	1920	7.2
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	11.7	11.7	0.7	6.0	86.4	62.6	23.8	27.5
असम	250.0	248.4	1.6	0.6	1720.8	1643.1	77.7	4.5
मणिपुर	41.8	37.1	4.7	11.2	298.1	230.5	67.6	22.7
मेघालय	31.9	34.4	−2.5	−7.8	227.4	229.9	−2.5	−1.1
मिजोरम	18.5	14.5	4.0	21.6	122.9	87.1	35.8	29.1
नागालैण्ड	17.2	13.2	4.0	23.3	127.3	94.3	33.0	25.9
त्रिपुरा	43.2	40.4	2.8	6.5	301.4	246.5	54.9	18.2
उ॰पू॰क्षे॰	414.3	399.0	15.3	3.7	2884.3	1594.0	290.3	10.1
अखिल भारत	35372	32520	2852	8.1	245159	223068	22091	9.0

[अनुवाद]

साइबर कानून

94. **श्री रनजीव बिसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'साइबर कानून' की आवश्यकता की जांच करने हेतु एक विशेष अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने क्या भूमिका अदा की है;

(ग) क्या समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय सूचना मूल संरचना के निर्माण के एक भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साइबर कानून तैयार करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयी स्थायी समिति का गठन किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में निजी विद्युत स्टेशन

95. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन निजी विद्युत उत्पादकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक विद्युत स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) इन विद्युत स्टेशनों की संख्या क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) प्रत्येक विद्युत स्टेशन की कुल लागत क्या है; और

(घ) इन स्टेशनों के कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने मध्य प्रदेश में 9 निजी विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं को चालू करने की तिथि इन परियोजनाओं द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त करने की तिथि पर निर्भर करेगी।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र की वे विद्युत परियोजनाएं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान कर दी गई है।

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	स्थल (जिला)	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमानित लागत (करोड़)
क.	**ताप विद्युत परियोजनाएं**			
1.	कोरबा पश्चिम (आईटीपीएल) टीपीपी	बिलासपुर	इंडिया थर्मल पावर लि॰	1812.00
2.	पेंच टीपीपी (बौसारा)	छिंदवाड़ा	पेंच पावर लि॰	2183.50
3.	रायगढ़ टीपीपी	रायगढ़	जिन्दल पावर लि॰	2424.90 (चरण-1)
4.	कोरबा पूर्व (डेवू) टीपीपी	बिलासपुर	डेवू पावर इंडिया लि॰	4690.00
5.	बीना टीपीपी	सागर	बीना पावर सप्लाई क॰लि॰	2443.00 (चरण-1)
6.	भिलाई टीपीपी	दुर्ग	भिलाई पावर सप्लाई कंपनी	2489.71
ख.	**द्वि-ईंधन गैस/नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाएं**			
7.	गुना गैस पीपी	गुना	एस.टी.आई. पावर इंडिया लि॰	1079.40
8.	नरसिंहपुर सीसीपीपी	नरसिंहपुर	जीवीएल पावर लि॰	531.24
ग.	**हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं**			
9.	महेश्वर एचईपी	खरगौन	श्री महेश्वर हाईडल पावर कार्पो॰ लि॰	1569.27

स्वास्थ्य मेला

96. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री जयसिंह चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अक्तूबर, 1997 तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार आयोजित किए गए "स्वास्थ्य मेलों" का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ग) गुजरात में सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अलग-अलग ऐसे कितने मेले आयोजित किए गए;

(घ) इन मेलों के आयोजित करने पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मेलों को आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन किन मानदण्डों का अनुपालन करते हैं;

(च) वर्ष 1998 के दौरान ऐसे मेले आयोजित करने के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं; और

(छ) इसके लिए क्या समय-सीमा बनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) संघ सरकार कोई स्वास्थ्य मेला आयोजित नहीं करती। फिर भी, केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों को ऐसे मेलों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे बहुत से स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है।

(ग) भारतीय चिकित्सा संघ ने गुजरात के विभिन्न स्थानों पर छह स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया है।

(घ) भारतीय चिकित्सा संघ को प्रत्येक मेले के आयोजन के लिए 41,120 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) स्वास्थ्य मेले ऐसे स्थानों पर आयोजित किए जाने होते हैं जो जिला मुख्यालयों से कम से कम 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित हों।

मेले हेतु उपयुक्त स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के समीप हो सकते हैं जहां शल्य क्रियात्मक, नैदानिक, विकृतिविज्ञानी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं।

(च) और (छ) विभिन्न प्राधिकृत अभिकरणों से समय-समय पर प्राप्त विभिन्न व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर ऐसे मेलों के स्थलों और समय का निर्धारण किया जाता है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का दौरा

97. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के कार्यदल के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिनिधिमंडल ने भारत में किन-किन स्थानों का दौरा और विद्युत क्षेत्रों का आकलन किया;

(घ) क्या राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने कोई ठोस कदम सुझाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दुर्घटना के कारण मौतें

98. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना के कारण मौतों की रोकथाम के उपायों और साधनों पर विचार करने के लिये हाल ही में दिल्ली में "अपडेट आन पालीट्रामा एंड डिलीवरी क्रिटिकल केअर" विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में सुझाव दिया कि शहर में सभी अस्पतालों को जोड़ने के लिए आपाती चिकित्सा प्रणाली स्थापित करने, अर्ध-चिकित्सकों, छात्रों को प्रशिक्षित करने, बुलेटिनों की सहायता के लिए जन प्रचार के साधनों का उपयोग करने, स्वदेशी एम्बूलैंसों का निर्माण करने, अस्पतालों में विद्यमान आपाती विभागों के उन्नयन और व्यवस्थाबद्ध करने, अस्पतालों में आपात-स्थितियों और विनाश से निपटने में नयाचार स्थापित करने, परिष्कृत परिचर्या उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन करने तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये।

(ग) सरकार पहले ही दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आपाती और दुर्घटना सेवाओं में सुधार करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधीन केन्द्रीकृत दुर्घटना अभिघात सेवाएं कार्य कर रही हैं जो दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को एम्बूलैंस सेवाएं प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

परमाणु नीति

99. **श्री विजय गोयल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए हल्के पानी के रिएक्टर आयात करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार परमाणु अप्रसार संधि के कारण उक्त रिएक्टर के आयात में कुछ कठिनाईयों का सामना कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) हल्का पानी रिएक्टर को आयात करने की कोई विधिवत् स्कीम नहीं है। तथापि, तमिलनाडु में कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए दो वी.वी.ई.आर.-1000 मेगावाट के हल्का पानी रिएक्टरों का आयात करने के साथ-साथ उपयुक्त रिएक्टरों और उनसे जुड़े उपस्करों के निर्माण और स्थापना हेतु रूसी परिसंघ के साथ इस समय बातचीत चल रही है। सरकार परमाणु विद्युत के क्षेत्र में पूंजी-निवेश को बढ़ाने के लिए ठोस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

100. **श्री अनन्त कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल कितना सहायता अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सहायता अनुदान का पूर्णतः उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) कर्नाटक को 9384.68 लाख रुपए की धनराशि नकद तथा सामग्री के रूप में रिलीज की गई।

(ख) से (घ) राज्यों को अनुदान नकद तथा सामग्री के रूप में दिया जाता है। सामग्री के रूप में दी जाने वाली सहायता में औषध किटें, औषधालय किटें तथा गर्भनिरोधक आदि शामिल हैं। यह सहायता उपयोग/आवश्यकता के आधार पर दी जाती है, अतः यह कोई अधिशेष नहीं है। नकद सहायता शुरू में वेतन आदि के लिए अनुमानित आवश्यकता के आधार पर दी जाती है और इसका समायोजन अन्त में अंकेक्षित लेखों के आधार पर किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

101. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि की अदायगी के कितने मामले वर्तमान समय में जोनवार लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा बकाया राशि की अदायगी में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भुगतान की अदायगी में विलंब के लिए संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भविष्य निधि की अदायगी के लंबित मामलों की क्षेत्र-वार सूचना निम्नानुसार है :-

(30.9.1997 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र का नाम	लंबित मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	3012
बिहार	1778
दिल्ली	3745
गुजरात	19045
हरियाणा	1189
कर्नाटक	9891
केरल	3884
महाराष्ट्र	24900
मध्य प्रदेश	2541
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1112
उड़ीसा	531
पंजाब	3561
राजस्थान	4380
तमिलनाडु	14867
उत्तर प्रदेश	3940
पश्चिम बंगाल	19436

(ख) और (ग) सभी प्रकार से पूर्ण भविष्य निधि दावों को 30 दिन के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित है। तथापि, विभिन्न कारणों,

जिसमें आवेदन पत्रों में खामियां, हस्ताक्षर न मिलना, नियोजकों द्वारा विवरणियां आदि प्रस्तुत न किया जाना शामिल है, से कभी-कभी भविष्य निधि दावों को निपटाने में विलम्ब होता है। अंशदाताओं को तुरन्त सेवा मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम चलाया गया है। सार्वजनिक शिकायत निपटान तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और कार्य मानकों प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है/उन्हें सरल बनाया जा रहा है ताकि दावों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्णय की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत किया जा सके। दावों को निपटाने में विलंब को समाप्त करने के लिए सर्तकता तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भविष्य निधि दावों को निपटाने में विलंब के लिए भविष्य निधि प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए पात्र हैं। हाल ही में, योजना में एक संशोधन करके, दावों को निपटाने में, निर्धारित सीमा से अधिक समय लगने पर, विलंब के लिए आयुक्तों को वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

परमाणु विद्युत परियोजनाएं

102. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की ओर से दो परमाणु विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलंब के परिणामस्वरूप लागत में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा इस मामले को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) की तरफ से नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमति देने में कोई विलंब नहीं हुआ है। सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में विस्तृत गणनाओं और विश्लेषणों की जरूरत होती है जिनकी अनिवार्य रूप से जांच की जानी होती है। ऐसे सभी मामलों को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड सहित संबंधित पक्षों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

"सॉफ्ट ड्रिंक्स" के लिए मानक

103. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अगस्त, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "सॉफ्ट ड्रिंक्स नार्म्स लैक पंच: स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए) में यथानिर्धारित मानकों में "सॉफ्ट ड्रिंक्स" के लिए सांविधिक मानक विकसित देशों की तुलना में लचीले हैं;

(ग) यदि हां, तो विकसित देशों में निर्धारित मानकों की तुलना में हमारे मानकों की स्थिति क्या है; और

(घ) हमारे मानकों को और अधिक कठोर बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) यह प्रेस रिपोर्ट भारतीय बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटिड जल के 10 विभिन्न ब्रांडों के बारे में उपभोक्ता शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा चलाए गए अध्ययन का उल्लेख करती है। कार्बोनेटिड जल के लिए खाद्य अभिश्रण निवारण नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए धातु संबंधी प्रदूषकों की सीमाओं और भारतीय मानक ब्यूरो तथा न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं जैसी कि उपभोक्ता शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है, का एक तुलनात्मक चार्ट विवरण के रूप में संलग्न है। इस रिपोर्ट में भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले कार्बोनेटिड जल के दो ब्रांडों में कैफीन तत्व के निष्कर्ष भी बताए गए हैं। भारत में बेचे जा रहे पेयों में कैफीन तत्व खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के भीतर पाया गया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तांबे के लिए सीमा और सख्त है जबकि जस्ते के लिए वही सीमा है जैसे कि अन्य देशों में है। तथापि, सीसा एवं संखिया के मामले में भारत में यह सीमा अपेक्षाकृत कम है।

विवरण

उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा सूचित किए गए कार्बोनेटिड जल में धातु संबंधी प्रदूषकों का तुलनात्मक विवरण

	पी.एफ.ए	बी.आई.एस.	यू.के.	कनाडा	आस्ट्रेलिया	न्यूजीलैंड
1	2	3	4	5	6	7
सीसा (पीपीएम में, अधिकतम)	0.5	0.5	0.1	0.2	1.2	0.2
जस्ता (तदेव)	5.0	–	5.0	5.0	–	5.0

1	2	3	4	5	6	7
तांबा (पीपीएम में, अधिकतम)	1.5	1.5	2.0	2.0	–	2.0
संखिया (–तदेव–)	0.25	0.25	0.2	0.1	0.15	0.2

* पी पी एम : पार्टस पर मिलियन (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

104. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों में से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कामगारों और कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1997 तक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में छंटनी किये गये कामगारों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1997 तक कपड़ा मिलों में और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत उन कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें उनके भविष्य निधि बकाया उपदानों तथा अन्य लाभों से वंचित किया गया है।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तटवर्ती इलाकों में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जाना

105. श्री केशव मंहत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु तथा कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत तथा विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) तमिलनाडु अथवा कर्नाटक के तट पर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में केन्द्र सरकार के पास किसी भी पीएसयू का कोई सुनिश्चित प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है तथापि तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा यह सुझाव रखा गया है कि तमिलनाडु में कुडेक विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने पर एनटीपीसी को विचार करना चाहिए।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिये बजट

106. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 के दौरान नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की यूनानी डिस्पेंसरियों/इकाइयों के लिये यूनानी दवाओं की खरीद के लिये सरकार ने कितने बजट का आवंटन किया है;

(ख) स्वीकृत बजट में से 28 फरवरी, 1997 तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या मार्च, 1997 तक ही 40 लाख रुपये से अधिक की दवा खरीदे जाने के कारण यूनानी स्टोर आपूर्तिकर्ताओं, द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता और परिणाम की जांच नहीं कर सकता;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 1997 के दौरान इतने अधिक आदेश देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) वर्ष 1996–97 के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/यूनिटों के लिए यूनानी औषधियों की खरीद के लिए 86 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसमें से 36,66,551 रुपए की धनराशि का उपयोग अक्तूबर, 1996 तक किया गया।

(ग) से (ङ) प्रक्रिया के अनुसार मार्च, 1997 के लिए आपूर्ति के अतिरिक्त तीन माह के लिए औषधियों का भारी भंडार करना आवश्यक था। अतः इस उद्देश्य हेतु गठित समिति द्वारा औषधियों की गुणवत्ता की जांच के बाद औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक आदेश दिए गए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्रा की भी जांच की गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

107. डा॰ बलिराम :
श्री अशोक प्रधान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल कितनी मांग तथा आपूर्ति है;

(ख) वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने विद्युत गृह कार्य कर रहे हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक द्वारा कुल कितने विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या विद्युत की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) अक्टूबर, 1997 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है :-

अक्तूबर, 1997

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)	
आवश्यकता	3460	व्यस्ततमकालीन मांग	6350
उपलब्धता	3085	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	5243
कमी	375	कमी	1107
प्रतिशत	10.8	प्रतिशत	17.4

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश का केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उन निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनसे उत्तर प्रदेश में क्षमता अभिवृद्धि हो जाएगी :

क्र०सं०	परियोजना का नाम/स्थल			
1.	टांडा टीपीएस, यूनिट-4 जिला, अम्बेडकर नगर	राज्य (यूपीएसईबी)	110	12/97
2.	फिरोज गांधी ऊंचाहार टीपीपी चरण-2, यूनिट - 1 व 2 जिला रायबरेली	केन्द्रीय (एनएचपीसी)	2x210	1/2000 7/2000
3.	धौलीगंगा	केन्द्रीय (एनएचपीसी)	280	2000-05
4.	टिहरी चरण-1	केन्द्रीय (टीएचडीसी)	1000	2001-02
5.	लखवर व्यासी	राज्य (यूपीएसईबी)	420	9वीं योजना से आगे
6.	सोबला	-वही-	6	1997-98
7.	मनेरी भाली-2	-वही-	304	2001-02

विवरण

उत्तर प्रदेश में केन्द्र-वार ऊर्जा उत्पादन

ऊर्जा का उत्पादन (मि०यू०)

केन्द्र का नाम		1995-96	1996-97
	ताप विद्युत		
उत्तर प्रदेश	ओबरा	4677	3634
	पनकी	564	846
	हरदुआगंज	604	607
	यूरिया	492	543
	अनपारा	10450	11696
	टांडा	1016	1088
	जल विद्युत		
	रिहन्द	758	928
	ओबरा	283	363
	मटियाला	107	120
	गंगा नहर	146	176
	खटीमा	210	210
	रामगंगा	326	338
	यमुना 1 व 4	543	546
	यमुना 1 व 4	952	899
	चिला	661	612
	खोदरी	443	432
	मनेरीभाली	197	253
	खारा	373	376
एनटीपीसी	सिंगरौली	14985	15381
	रिहन्द	7622	6634
	एनसीआर दादरी	4439	6054
	ऊंचाहार	3108	2949
	औरैया जी०टी०	3510	3841
	दादरी जी०टी०	3795	3981
एनपीसी	नरौरा	2751	2823
एनएचपीसी	टनकपुर	445	384

[अनुवाद]

बिजली बोर्डों द्वारा देय ऋण

108. **श्री नारायण आठवले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति में अनुसार प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत वित्त निगम को लौटाए जाने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निगम द्वारा बकाया ऋण की शीघ्र वसूली के लिए उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) 31.10.1997 की स्थितिनुसार राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत यूटिलिटीज द्वारा विद्युत वित्त निगम को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पुनर्भुगतान की समय सूची के अनुसार पीएफसी अपने कर्जदारों से सामान्य रूप से ऋण की राशि वसूल कर रहा है। तथापि चूककर्ता के मामले में समुचित रूप से नोटिस देकर पीएफसी वितरण स्थगित कर देता है और अन्य बातों के साथ साथ एस्क्रो एकाउंट/राज्य सरकार गारंटी/बैंक गारंटी के लिए आह्वान करने, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को उठाना/ऋणों की पुनः समय-सूची तैयार करने/पुनः निर्धारण करने और राज्यों को देय केन्द्रीय योजना सहायता से बकाया देय राशियां वसूल करने जैसे कदम उठाता है।

विवरण

31.10.1997 को स्थिति के अनुसार विद्युत वित्त निगम की राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय ऋण की बकाया राशि का ब्यौरा

क्रम सं॰	ऋणी	ऋण धनराशि (करोड़ रु॰ में)
1	2	3
1.	हरियाणा सरकार (बीबीएमबी)	15.91
2.	एचएसईबी	62.41
3.	हि॰प्र॰ सरकार (बीबीएमबी)	1.01
4.	एचपीएसईबी	59.67
5.	पीएसईबी	329.92
6.	राजस्थान सरकार (बीबीएमबी)	7.00
7.	आरएसईबी	561.35
8.	यूपीएसईबी	104.20
9.	जीईबी	262.34
10.	जीपीसीएल	0.68
11.	एमपीईबी	360.71
12.	एमएसईबी	628.65
13.	एपीएसईबी	854.18
14.	केईबी	451.51
15.	कैपीसीएल	151.29
16.	केएसईबी	85.34
17.	टीएनईबी	348.34
18	बीएसएचपीसीएल	7.07
19.	टीवीएसएल	122.62
20.	ओपीजीसीएन	220.17
21.	ओएचपीसीएल	171.37
22.	ग्रिडको	208.95
23.	सिक्किम	2.80
24.	डब्ल्यूबीएसईबी	19.97
25.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	161.38
26.	डीपीएल	6.06
27.	मणिपुर सरकार	1.75
28.	मेघालय एसईबी	0.03
29.	मिजोरम सरकार	6.87
30.	नागालैण्ड सरकार	41.72
	जोड़	5255.27

टायफाइड

109. **श्री छीतु भाई गामीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ लोग टायफाइड से ग्रसित हैं और पूरे वर्ष यह बुखार होता ही रहता है तथा यह महामारी कभी-कभी तब फैलती है जब जलापूर्ति का अभाव होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निदान और उपचार में विलंब होने के कारण या टायफाइड बैक्टीरिया रोधी अनेक दवाओं के बावजूद भी मृत्युदर बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंत्र ज्वर (व्यापक संदर्भ में जिसमें मीयादी ज्वर भी शामिल है) के कारण मौतों (अनन्तिम) की राज्यवार/संघ राज्यवार सूचित संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह ज्वर पूरे वर्ष पाया गया है और इसकी सर्वाधिक घटनाएं वर्षा ऋतु तथा मक्खियों की अधिकता के कारण से जुलाई-सितम्बर के दौरान होती हैं। पिछले दो वर्षों में मियादी ज्वर में औषध प्रतिरोधन क्षमता रूझान बढ़ता हुआ पाया गया है और इसे रुग्णता तथा मृत्यु के कारणों में एक कारण पाया गया है।

(ग) सरकार के वर्तमान प्रयास निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं :-

(1) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा सफाई में सुधार

(2) निम्न के संबंध में आम जनता को शिक्षित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार योजना :-

(क) घर में जल की शुद्धता

(ख) व्यक्तिगत स्वच्छता सुधार तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उच्च स्तर को बनाए रखना।

विवरण

भारत में 1995, 1996 और 1997 के दौरान आंत्र ज्वर के सूचित रोगी और मौतें (अनन्तिम)

क्र-सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995		1996		1997		टिप्पणी
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	35943	51	43742	39	13589	129	मई, 97 तक
2.	अरूणाचल प्रदेश	2856	23	1472	2	26	8	जनवरी, 97
3.	असम	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	बिहार	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5.	गोवा	50	0	97	0	244	0	जुलाई, 97 तक
6.	गुजरात	2636	11	4012	0	2173	2	
7.	हरियाणा	917	1	1141	3	240	0	मई, 97 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	10000	33	13927	7	6831	1	जुलाई, 97 तक
9.	जम्मू व कश्मीर	15863	0	18914	0	3937	0	जुलाई, 97 तक
10.	कर्नाटक	19119	14	23534	12	10037	12	जून, 97 तक
11.	केरल	5859	2	5162	2	2998	0	जुलाई, 97 तक
12.	मध्य प्रदेश	49083	53	33489	150	22061	12	जून, 97 तक
13.	महाराष्ट्र	10656	42	8875	10	6442	12	अगस्त, 97 तक
14.	मणिपुर	3594	0	1889	0	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
15.	मेघालय	4293	0	2360	0	2808	0	जुलाई, 97 तक
16.	मिजोरम	333	2	495	0	152	0	जुलाई, 97 तक
17.	नागालैण्ड	1116	7	1470	0	685	0	जुलाई, 97 तक
18.	उड़ीसा	26569	21	35094	85	8606	7	अप्रैल, 97
19.	पंजाब	2506	4	1871	0	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
20.	राजस्थान	6267	11	2840	3	1218	0	अगस्त, 97
21.	सिक्किम	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
22.	तमिलनाडु	19481	94	6742	6	3497	0	अप्रैल, 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	103	0	464	0	24	0	जुलाई, 97
24.	उत्तर प्रदेश	70541	182	34885	100	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
25.	पश्चिम बंगाल	17993	100	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	118	1	629	0	113	3	अगस्त, 97
27.	चण्डीगढ़	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	दादर और नगर हवेली	262	1	260	2	167	0	जुलाई, 97
29.	दमन और दीव	16	2	0	0	4	0	जुलाई, 97
30.	दिल्ली	6012	30	6391	133	1576	9	जुलाई, 97
31.	लक्षद्वीप	462	0	173	0	32	0	अगस्त, 97
32.	पांडिचेरी	1936	4	1533	1	651	0	मई, 97
	कुल :	314583		251454	557	88033	87	

स्रोत : मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट-राज्य/संघ राज्य (स्वा-से- निदे-)

सी-जी-एच-एस- आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयां

110. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवस्थित सी-जी-एच-एस- के औषधालयों में मधुमेह के उपचार में काम आने वाले "कारनिम" कैप्सूल उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में सी-जी-एच-एस-, के आयुर्वेदिक औषधालयों में मधुमेह का इलाज करा रहे सी-जी-एच-एस- के अंतर्गत आने वाले रोगियों को यह दवा न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सी-जी-एच-एस- के लाभार्थियों के हितार्थ उपयुक्त दवाई भी आयुर्वेदिक औषधालयों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) कुल मिलाकर, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी में अधिकतर सूचीबद्ध दवाईयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों में वर्तमान में उपलब्ध हैं। कारनीम कैप्सूल, पेटेंट प्रोप्राइटरी दवाई होने के कारण संबंधित मुख्य चिकित्सा प्रभारी द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अनुमोदित केमिस्टों को मांगपत्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी को आपूर्ति की जाती है। मधुमेह रोगियों के लिए अन्य समान चिकित्सीय प्रभाव की दवाईयां नामतः "आर्मी कोर पाऊडर" की भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को आपूर्ति की जाती है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

111. **लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजलीघरों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी विद्युत खरीद संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के- अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कामिनी

112. **श्री अय्यन्ना पटरूभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायोगिक थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर "कामिनी" अब पूरी तरह से काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कार्य-निष्पादन संतोषजनक है; और

(ग) "कामिनी" की सफलता के परिणामस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के बारे में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। "कामिनी" ने अक्तूबर, 1996 में क्रान्तिकता हासिल कर ली है और अब 30 किलोवाट (के डब्ल्यू-थर्मल) के अपने पूर्ण (निर्धारित) विद्युत स्तर पर संतोषजनक रूप से काम कर रहा है।

(ग) "कामिनी" ईंधन के रूप में यूरेनियम-233 को काम में लाने वाला 30 किलोवाट (थर्मल) का एक छोटा अनुसंधान रिएक्टर है। यूरेनियम-233 एक थोरियम से निकाला गया मनुष्य निर्मित रिएक्टर ईंधन है। इस प्रकार "कामिनी" का महत्व इस तथ्य में है कि यह भारत के विशाल थोरियम भंडारों के अन्ततोगत्वा उपयोग के संदर्भ में एक छोटे किन्तु महत्वपूर्ण कदम को निरूपित करता है। जहां तक परमाणु विद्युत के उत्पादन का संबंध है भारत के कार्यक्रम में तीन चरण शामिल हैं, अर्थात् निम्नलिखित का विकास और प्रचालन :

(1) विद्युत पैदा करने और प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए यूरेनियम-235 वाले ईंधन से चलने वाले ताप रिएक्टर (अधिकांशतः दाबित भारी पानी रिएक्टर (पी एच डब्ल्यू आर);

(2) बिजली पैदा करने और थोरियम ब्लैंकेटों में यू 233 के उत्पादन के लिए प्लूटोनियम ईंधन चालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफ बी आर);

(3) यूरेनियम-233/थोरियम ईंधन चालित रिएक्टर।

इस कार्यक्रम के पहले चरण को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है जबकि दूसरा चरण विकासाधीन है। तीसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के ब्लैंकटों में काम में लाए जाने वाले थोरियम-232 में से यूरेनियम-233 का स्टाक पर्याप्त रूप से तैयार कर लिए जाने के बाद ही पहुंचा जा सकता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

113. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या प्रधान मंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में 6 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति" प्रारूप के संबंध में राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई है;

(ख) क्या विशेष लक्ष्यों सहित तथा गैर दलगत ढंग से इसके कार्यान्वयन हेतु विश्वव्यापी जनसंख्या नीति विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता के संदर्भ में राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 1 सितम्बर, 1997 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत "भारत के लिए कार्यसूची" के संबंध में संकल्प के अनुसार सम्मत जनमत के संदर्भ में "जनसंख्या नीति" का कोई पुनर्आंकलन/पुनर्सामंजस्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को तैयार करने से पूर्व परामर्श किया गया है। प्रारूप में, 1 सितम्बर, 1997 को लोक सभा द्वारा अपनाए गए संकल्प नामतः "भारत के लिए कार्यसूची" को भी शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

114. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया गया है.

(ख) क्या बिहार में भी कोई विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) वर्ष 1991 में भारत सरकार की निजी क्षेत्र नीति के आरंभ से लेकर अभी तक 68243.11 मे.वा. की उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए 127 प्रस्ताव प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें समझौता ज्ञापन (एमओयू)/आशय-पत्र (एलओआई) इत्यादि माध्यम पर 95 प्रस्ताव (100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले) तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम पर 32 प्रस्ताव (1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले) शामिल हैं।

(ख) अभी तक बिहार की किसी भी विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इन परियोजनाओं के आरंभ होने के समय का निर्धारण इनके वित्तीय समापन होने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीय

115. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान अब तक पाकिस्तानी जेलों में कथित अवैध उत्प्रवास, घुसपैठ और अन्य मामलों के आरोप में अलग-अलग कितने भारतीय कैद हैं; और

(ख) पाकिस्तान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय नागरिक रिहा किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय लगभग 1150 भारतीय एक वर्ष से पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 के युद्धों में लापता हुए 54 भारतीय रक्षा कार्मिकों के बारे में यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

अवैध उत्प्रवासन, घुसपैठ अथवा अन्य अभियोगों के लिए हिरासत में रखे गए भारतीयों की अलग-अलग संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती।

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा प्रतिवर्ष मुक्त किए गए भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :-

1994	:	84
1995		27
1996	:	-
1997 (नवंबर तक)	:	235

इनसैट-2 डी

116. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री मदन पाटिल :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरों के वैज्ञानिकों का प्रयास इन्सैट-2 डी को पुनः चालू करने में असफल रहा और अंततोगत्वा उसे त्याग दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसरो द्वारा अन्य उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां। अक्तूबर 1, 1997 को अप्रत्याशित व्यापक शार्ट सर्किट होने के बाद उपग्रह को पुनः चालू करने के सभी प्रयास किये गये थे। उपलब्ध पावर में अत्यंत कमी होने के कारण अंतरिक्षयान के तापीय प्रबंध में समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रणोदक प्रणाली में खराबी आ गई। अंतरिक्षयान अक्तूबर 5, 1997 को अकार्यशील घोषित किया गया।

(ख) अक्तूबर 1, 1997 को पावर बस-2 में हुए शार्ट सर्किट के बाद, उपग्रह में यह देखा गया कि निर्धारित पावर की तुलना में केवल 25 से 30 प्रतिशत पावर का निर्माण हो रहा है। दक्षिणी ओर का सौर व्यूह, जिससे सूर्य को अनुवर्तन करने की अपेक्षा की जाती है, को एक ही स्थिति में अटकते हुए देखा गया। पावर के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण अंतरिक्षयान के तापीय प्रबंध में कठिनाइयां पैदा हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्षयान की प्रणोदक प्रणाली में खराबी आ गई। इसके परिणामस्वरूप, ईंधन समाप्त हो गया और उपग्रह अक्तूबर 5, 1997 को अकार्यशील घोषित कर दिया गया।

(ग) कक्षीय क्षमता को लीज पर लेकर अथवा क्रय करके तात्कालिक आधार पर इन्सैट अंतरिक्ष खण्ड की क्षमता के संवर्धन के प्रयास किये जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों में प्रतिनिधित्व

117. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में वर्तमान समय में भारत का प्रतिनिधित्व नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में नियुक्ति जनसंख्या, सदस्यता और वित्तीय अंशदान के आधार पर न्याय संगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक देश के लिए "अभीष्ट संख्या" निर्धारित करते हुए की जाती है। भारत एक "अधिप्रतिनिधित्व"

देश माना जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय राष्ट्रिकों की "अभीष्ट संख्या" भारत के लिए निर्धारित संख्या से अधिक है। सरकार इस मामले की लगातार समीक्षा करती है।

हज तीर्थयात्री

118. **श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष हज के लिये सरकारी प्रतिनियुक्तों को सउदी अरब भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रवास की सरकारी अवधि क्या है;

(ग) यदि हां, तो 1996-97 में कितने प्रतिनियुक्तों को सउदी अरब भेजा गया और वहां उनके प्रवास की अवधि क्या थी;

(घ) क्या मीना आग दुर्घटना के बाद कार्य की आवश्यकता के बावजूद प्रतिनियुक्तों को वापस बुला लिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) प्रतिनियुक्ति की अवधि एक से तीन माह के बीच होती है।

(ग) हज 97 के दौरान कुल 290 अधिकारियों (97 प्रशासनिक स्टाफ, 94 डाक्टर और 99 अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ) को सउदी अरब भेजा गया था जिसमें उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि चार से आठ सप्ताह के बीच रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

119. **श्री दत्ता मेघे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितनी राशि प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 31.12.96 को उपलब्ध जानकारी के आधार पर, महाराष्ट्र में 1695 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। परिवार कल्याण सेवाएं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य पोस्टों के नेटवर्क के द्वारा भी प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में 428 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 121 प्रसवोत्तर केन्द्र, 74 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 278 शहरी स्वास्थ्य पोस्ट कार्यरत हैं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठन और रख-रखाव किया जाता है। शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य पोस्ट के लिए राज्यों को प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों को आवंटित राशि के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को आवंटित राशि

लाख रु॰ में

	1995-96	1996-97
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	7034.00	9480.00*
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1260.00	1270.00
प्रसवोत्तर केन्द्र	375.00	376.00
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	100.00	95.00
शहरी स्वास्थ्य पोस्ट	540.00	556.00

* एम एन पी/बी एम एस के अधीन आवंटन

मरीजों को ठहरने की सुविधा

120. **डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले मरीजों तथा उनके रिश्तेदारों को हस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा फुटपाथ पर ठहरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठहराने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है ताकि इन लोगों को इलाज कराने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) प्रतीक्षारत मरीजों/सम्बन्धियों को रात में ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधाएं सफदरजंग अस्पताल.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध हैं। ऐसी सुविधाएं डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। कलावती सरन शिशु अस्पताल में, रात में ठहरने के लिए एक सराय और शेड है। श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए कोई आवासीय सुविधाएं नहीं है किन्तु अस्पताल से थोड़ी दूर स्थित एक समीप धर्मशाला में रिश्तेदार रूक सकते हैं।

(ग) और (घ) कोई विशेष सैल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा प्रदान विभिन्न सुविधाओं को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उन्नयन किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों की बैठक

121. **श्री बी॰एल॰ शंकर :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एडिनबर्ग में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों की बैठक में विचार किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय प्रधान मंत्री ने किन-किन मामलों को उठाया था;

(ग) इस बैठक में भारत को राजनयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में किस हद तक सहायता मिलेगी; और

(घ) राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत को कितनी सफलता प्राप्त हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) 27 अक्तूबर, 1997 को एडिनबर्ग में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों (चोगम) की बैठक में जारी की गई एडिनबर्ग विज्ञप्ति और एडिनबर्ग राष्ट्रमंडल आर्थिक घोषणा की एक-एक प्रति I और II विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाग लेने वाले सभी शासनाध्यक्षों की ओर से भारत के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की एक प्रति विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) इस बैठक ने हमारे प्रधान मंत्री को राष्ट्रमंडल के अन्य शासनाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अवसर और मंच दोनों प्रदान किए इनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार, निवेश, विकास, पर्यावरण, सभी प्रकार का आतंकवाद, नशीले पदार्थों तथा हथियारों का अवैध व्यापार, तथा धन का लेन-देन शामिल है। इन्हें तथा भारत के हित के अन्य मुद्दों को विज्ञप्ति और आर्थिक घोषणा में प्रमुख रूप से परिलक्षित किया गया।

विवरण-I

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, 1997

बुलेटिन

राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक,
एडिनबरा, अक्तूबर, 1997
एडिनबरा

विज्ञप्ति

सम्बद्ध सम्पर्क

1. राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की 24 से 27 अक्तूबर, 1997 तक एडिनबरा में बैठक हुई। जिन 51 देशों ने बैठक में भाग लिया उनमें से 43 देशों के शासनाध्यक्षों अथवा प्रधानमंत्रियों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री परम मान्य श्री टोनी ब्लेयर ने की।

2. इस बैठक के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रमण्डल की अध्यक्षा महामान्या सम्राज्ञी एलिजाबेथ-II ने सम्बोधित किया।

3. राष्ट्रमण्डल के 54वें सदस्य राज्य के रूप में 1अक्तूबर, 1997 को फिजी के राष्ट्रमण्डल में शामिल होने पर शासनध्यक्षों ने संतोष व्यक्त किया।

4. शासनाध्यक्षों ने भारत और पाकिस्तान की सरकार और लोगों को हाल ही में अपनी-अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष में बधाई दी।

5. शासनाध्यक्षों ने ब्रिटेन की सरकार और वहां के लोगों द्वारा इस बैठक के लिए किए गए उत्तम प्रबंधों तथा हार्दिक सत्कार के लिए और बैठक को प्रशंसनीय ढंग से आयोजित करने के लिए प्रशंसा की।

6. शासनाध्यक्षों ने साझी समृद्धि के संवर्द्धन से सम्बद्ध एडिनबरा राष्ट्रमण्डल आर्थिक घोषणा अंगीकार की जिसे उन्होंने 1991 की हरारे राष्ट्रमण्डल घोषणा के अनुपूरक के रूप में देखा।

7. शासनाध्यक्षों ने अल्प विकसित देशों की विशेष समस्याओं के बारे में चिंता जाहिर की। अल्प विकसित देश सार्वभौमिकरण के लाभ प्राप्त कर सकें इसके लिए उन्होंने अल्प विकसित देशों के लिए सकल निवल लाभ का 0.15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दाताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म ऋण सुविधा की भूमिका को संबंधित करने का भी संकल्प लिया।

8. छोटे राज्यों से सम्बद्ध मंत्रिस्तरीय दल के अध्यक्ष की संलग्न रिपोर्ट पर शासनाध्यक्षों ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सलाहकार दल की रिपोर्ट, "छोटे राज्यों का भविष्य" का भी स्वागत किया। वे छोटे राज्यों की विशेष चिंताओं का समाधान करने की दिशा में एक

महत्वपूर्ण राष्ट्रमण्डल योगदान के रूप में इन चिंताओं को समाप्त करने के लिए उपायों के एक पैकेज पर भी सहमत हुए।

9. शासनाध्यक्षों ने 1991 की हरारे राष्ट्रमण्डल घोषणा में उल्लिखित राष्ट्रमण्डल के मौलिक मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता पुनः दोहरायी और यह बात जोर देकर कही कि लोकतंत्र, अच्छा शासन, सतत् विकास और मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान अन्योन्याश्रित तथा परस्पर रूप से समर्थनकारी हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्कृति तथा प्रभावी संसदीय प्रथाओं को सुदृढ़ करने के उसके कार्य के लिए राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी करने के इसके प्रयासों की प्रशंसा की।

10. संभावित अथवा वास्तविक युद्धों के समाधान में सहायता करने के लिए संबंधित सदस्य सरकारों के अनुरोध पर महासचिव ने जो अमूल्य भूमिका निभाई, उसके लिए शासनाध्यक्षों ने अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की।

11. शासनाध्यक्षों ने हरारे घोषणा से सम्बद्ध राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें तीन देश अर्थात् गाम्बिया, नाईजीरिया और सियरा लोन शामिल थे और उन्होंने उसकी सिफारिशें स्वीकार की।

12. उन्होंने गाम्बिया में असैनिक, लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक शासन के लिए चुनाव सम्पन्न होने का स्वागत किया और गाम्बिया के प्राधिकारियों से यह आश्वासन लिया कि वे हरारे सिद्धांतों के लिए अपनी पहले की वचनबद्धता सिद्ध कर दिखायेंगे।

13. शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि नाईजीरिया में सैनिक सरकार का बना रहना राष्ट्रमण्डल की एक प्रमुख चिंता है उन्होंने मौलिक मानवाधिकारों का अनुपालन करने में विफल रहने, विशेषकर कई नाईजीरियाई लोगों जिसमें प्रमुख मसूद अबिओला और जनरल ओलूसेगून ओबासानजो शामिल हैं, को लगातार नजरबंद रखने और उन्हें सजा देने के बारे में भी चिंता जाहिर की। तदनुसार उन्होंने यह निर्णय लिया कि नाईजीरिया को राष्ट्रमंडल से निलंबित रखा जाए।

14. उन्होंने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के लिए जरिए पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के समर्थन में नाईजीरिया द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उसके सकारात्मक योगदान पर भी गौर किया तथा यह उम्मीद जाहिर की कि यह उसकी घरेलू नीतियों में हरारे सिद्धांतों के अनुपालन के प्रति संकल्प को परिलक्षित करता है।

15. शासनाध्यक्षों को 1 अक्तूबर, 1998 से पूर्व की अवधि में सी एम ए जी द्वारा अनुशंसित किसी अथवा सभी उपायों का राष्ट्रमंडल व्यापी कार्यान्वयन का आह्वान करने का सी एम ए जी को अधिकार दिया गया, यदि सी एम ए जी के विचार में ये उपाय नाईजीरिया में परिवर्तन की प्रक्रिया की और अधिक एकता तथा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को प्रेरित करने का प्रयोजन सिद्ध करते हों। इनमें निम्नलिखित शामिल है :-

- नाईजीरियाई शासन-प्रणाली और उनके परिवार के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध;
- सैनिक सहचारियों को हटाना;
- सैनिक प्रशिक्षण की समाप्ति;
- हथियारों के निर्यात पर रोक;
- नाईजीरियाई शासन-प्रणाली और उनके परिवार के सदस्यों को शैक्षिक सुविधाओं से इंकार करना;
- सभी खेल करारों पर वीजा-आधारित रोक;
- सांस्कृतिक संबंधों की श्रेणी को कम करना; और
- राजनयिक मिशनों की श्रेणी कम करना।

16. शासनाध्यक्ष इस बात से सहमत हुए कि 1 अक्तूबर, 1998 के बाद सी एम ए जी इस बात का मूल्यांकन करे कि क्या नाईजीरिया ने लोकतंत्र और नागरिक सरकार की बहाली के विश्वसनीय कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया है। इसके अलावा वे इस बात से सहमत हुए कि यदि उक्त मूल्यांकन में नाईजीरिया ने लोकतांत्रिक सरकार का विश्वसनीय परिवर्तन पूरा कर लिया था तथा हरारे सिद्धांतों का अनुपालन कर लिया था तब निलंबन हटा लिया जाएगा, और यदि नहीं तो हरारे सिद्धांतों का गंभीर रूप से उल्लंघन होता रहेगा, शासनाध्यक्ष संघ से नाईजीरिया के निष्कासन पर विचार करेंगे तथा सी एम ए जी की अनुशंसा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के परामर्श से अन्य उपायों को लागू करेंगे। इस प्रकार के उपायों में अनिवार्य तेल प्रतिबंध, नाईजीरिया के साथ वायु-सम्पर्कों पर रोक तथा शासन-प्रणाली के सदस्यों तथा उनके परिवारजनों की वित्तीय सम्पदाओं तथा विदेशों में बैंक एकाउन्टों पर रोक लगाना शामिल है।

17. शासनाध्यक्षों ने मई, 1997 में सियरालोन में सैनिक शासन-परिवर्तन की कठोर भर्त्सना की जिसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उसकी सरकार गैर-संवैधानिक रूप से अपदस्थ हो गई, और उन्होंने राष्ट्रपति अहमद तेजान कब्बाह को तत्काल पुनः प्रतिष्ठित करने का आह्वान किया जिसका उन्होंने इस बैठक में स्वागत किया। उन्होंने मिलब्रोक राष्ट्रमण्डल कार्य कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार सी एम ए जी द्वारा लिए गए इस निर्णय का अनुसमर्थन किया कि वैधानिक सरकार की बहाली तक राष्ट्रमण्डल की परिषदों में सियरा लोन की अवैध शासन-प्रणाली की भागीदारी को निलंबित रखा जाए।

18. शासनाध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प सं. 1132(1997) का स्वागत किया जिसमें सियरा लोन में पेट्रोलियम, हथियारों तथा सैनिक दल पर यात्रा प्रतिबंधों का उल्लेख है और शासन-प्रणाली के विरुद्ध आर्थिक उपाय लगाने के लिए इकोवास को प्राधिकृत किया है उन्होंने सदस्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे इन

प्रतिबंधों के क्रियान्वयन में तथा राष्ट्रमण्डल और व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर फ्रीटाउन में शासन प्रणाली में सतत् पृथक्करण सुनिश्चित करने में सहयोग दें। वे सियरालोन में अपने ही देश में तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों में स्थिति से पीड़ित उन लोगों की सहायता करने के लिए सहमत हुए जो इस प्रकार की सहायता के लिए अनुरोध करें। उन्होंने सियरालोन संकट का समाधान करने में इकोवास के उपायों और इकोवास को अपने उत्तरदायित्वों को निपटाने के लिए उसे तकनीकी तथा संभार-तंत्रीय सहायता देने के लिए राष्ट्रमण्डल के समर्थन का वचन दिया। इस संकट संकल्प के बाद सियरालोन के पुनर्निर्माण में सहायता करने का भी राष्ट्रमण्डल को वचन दिया। इसी बीच तथाकथित करार पर और आगे स्पष्टीकरण चाहने की उत्सुकता जाहिर की कि सैनिक दल अपदस्थ हो जाएगा तथा छह महीने के समय में राष्ट्रपति तेजान कब्बाह को पुनः बहाली की अनुमति दी जाए।

19. शासनाध्यक्षों ने सी एम ए जी के गठन, विचारार्थ विषय तथा प्रचालन की समीक्षा की। उन्होंने निर्णय लिया कि सी एम ए जी हरारे राष्ट्रमण्डल घोषणा के सिद्धांतों के गंभीर तथा सतत् उल्लंघन को दूर करने के लिए एक स्थायी मंत्रिस्तरीय तंत्र के रूप में अपना काम करना जारी रखे। वे इस बात से सहमत हुए कि एडिनबरा राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद दो वर्ष की अवधि में बारबाडोस, बोत्स्वाना, ब्रिटेन, कनाडा, घाना, मलेशिया, न्यूजीलैंड तथा जिम्बाब्वे को मिलाकर सी एम ए जी होनी चाहिए। आगे वे इस बात से सहमत हुए कि सुस्थापित मार्गनिर्देशों के आधार पर सी एम ए जी की छूट उन सदस्यों को दी जाए जहां हरारे सिद्धांतों को गंभीर अथवा सतत् समझा गया है। उन्होंने निर्णय लिया कि राष्ट्रमण्डल महासचिव स्वयं अथवा सदस्य सरकार के अनुरोध पर प्रश्नगत स्थिति को सी एम ए जी सदस्यों के ध्यान में लाएं जिसे बाद में वह अथवा अन्यथा अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को देखते हुए अपने कार्य कार्यक्रम में शामिल करेगा।

20. राष्ट्रमण्डल सदस्यता के लिए कसौटी संबंधी अन्तर-सरकारी दल से शासनाध्यक्षों ने एक रिपोर्ट प्राप्त की तथा उसका अनुमोदन किया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने के लिए, नियमानुसार, आवेदन करने वाले देश का, किसी ऐसे वर्तमान राष्ट्रमण्डल सदस्य के साथ संवैधानिक सम्पर्क होना चाहिए, जो हरारे घोषणा में निर्धारित मूल्यों, सिद्धांतों और प्राथमिकताओं का अनुपालन करे तथा वह राष्ट्रमण्डल मानदण्डों और प्रथाओं को स्वीकार करें।

21. राष्ट्रमण्डल के साथ फिलीस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों का स्मरण करते हुए, शासनाध्यक्षों ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के लिए फिलीस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जाहिर की गई इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने इस बात को भी मान्यता दी कि ओसलो समझौते के तहत, फिलीस्तीन 1999 में सम्प्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकता है। जब फिलीस्तीन सम्प्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा, तब राष्ट्रमण्डल सदस्यता के लिए सहमत मानदण्डों के अनुसार सदस्यता का मसला विधिवत रूप से तय कर लिया जाएगा। शासनाध्यक्षों ने रवाण्डा और यमन से प्राप्त राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया तथा इस बात के लिए सहमति हुई कि उनके द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के संदर्भ में इनकी समीक्षा की जाएगी।

22. शासनाध्यक्षों ने साईप्रस गणराज्य की सम्प्रभुता स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखण्डता तथा एकता के प्रति समर्थन की पुनः पुष्टि की। उन्होंने साईप्रस से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संकल्पों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद संकल्प 365 (1974) 550 (1984) तथा 939 (1994) के क्रियान्वयन का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि समाधान संबंधी वार्ताओं में इतने लम्बे समय तक गतिरोध बना हुआ है तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मिशन के तत्वावधान में सीधी अन्तर-समुदाय वार्ताओं की प्रक्रिया का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने तुर्की द्वारा हाल ही में बल प्रयोग और अधिकृत प्रदेश के एकीकरण की धमकियों के बारे में चिंता जाहिर की तथा राष्ट्रपति क्लेरायड के विसैन्यकरण प्रस्ताव के प्रति समर्थन दोहराया। उन्होंने सभी तुर्की सेनाओं और अधिवासियों की वापसी, शरणार्थियों के अपने घरों को वापस लौट जाने तथा सभी साईप्रस वासियों के मानवाधिकारों के सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा और सभी गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में लेखा-जोखा देने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर चिंता और निराशा जताई कि तुर्की साईप्रस पक्ष की ओर से इन वार्ताओं के लिए पूर्व-निर्धारित शर्तें थोपने के प्रयासों द्वारा प्रगति में रूकावट उत्पन्न की थी तथा द्वि-सामुदायिक और द्वि-क्षेत्रीय संघ के आधार पर एक व्यापक, न्यायोचित और व्यावहारिक हल की प्राप्ति के लिए सभी पक्षों की ओर से सहयोगी रवैया अपनाने का आह्वान किया। साईप्रस से संबद्ध राष्ट्रमण्डल कार्रवाई दल की उपस्थिति पर गौर करते हुए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-प्रायोजित वार्ताओं के लिए राष्ट्रमण्डल महासचिव को एक पर्यवेक्षक नामित करने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने इस बात को माना कि ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और गारंटी देने वाली ताकत के रूप में इस मामले में विशेष दर्जा प्राप्त है।

23. शासनाध्यक्षों ने बेलिज की प्रादेशिक अखण्डता, सुरक्षा और सम्प्रभुता के प्रति अपने ठोस समर्थन की पुनः पुष्टि की। उन्होंने ग्वाटेमाला और बेलिज के बीच विश्वासोत्पादक उपायों के क्रियान्वयन संबंधी परामर्श और सहयोग का स्वागत किया और उच्चतम स्तर पर संवाद जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने ग्वाटेमाला को अपने अनसुलझे दावे के किसी शीघ्र समाधान के लिए अनुमति देने के लिए बेलिज की संवैधानिक सीमाओं को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने, जब कभी भी आवश्यक हो, बेलिज से संबद्ध राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय समिति आयोजित करने के लिए महासचिव से किए गए अपने अनुरोध को दोहराया।

24. शासनाध्यक्षों ने आतंकवाद के कृत्यों की इसके सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों में जिससे सम्प्रभु राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अस्थिर होती है, की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करने की पुनः पुष्टि की। उन्होंने आतंकवाद का चाहे वह किन्हीं व्यक्तियों, समूहों या राज्यों द्वारा चलाया जा रहा हो,

मानवाधिकारों और विधि के शासन के अनुरूप हर संभव तरीके से मुकाबला करने का अपना दृढ़ निश्चय दोहराया। उन्होंने आतंकवाद, नशीले दवाओं और हथियारों के अवैध व्यापार और धन देने के बीच सम्पर्कों को भी मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने की उभरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति का तथा विशेष रूप से आतंकवादी बम्बारी के दमन संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रति किए गए उपायों का स्वागत किया, तथा यह उम्मीद जाहिर की कि इससे एक व्यापक विधिक व्यवस्था के विकास में योगदान मिलेगा। उन्होंने आतंकवादी अपराधों के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के भीतर षडयंत्र के कृत्यों को दण्डनीय घोषित करने के संबंध में कानून बनाने के लिए भी सभी राज्यों का आह्वान किया।

25. शासनाध्यक्षों ने मानव विरोधी बारूदी सुरंगों द्वारा उत्पन्न किए गए गंभीर मानवीय संकट का जिक्र किया तथा 18 सितम्बर, 1997 को ओस्लो में स्वीकृत मानव विरोधी सुरंगों के उपयोग, भण्डारण, उत्पादन और अंतरण के निषेध और उनके विनाश से संबन्द्ध अभिसमय की वार्ता पर गौर किया। उन्होंने इस अभिसमय के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल होने पर विचार करने के लिए राष्ट्रमण्डल और अन्य देशों को उस समय आमंत्रित किया तब वह 3 दिसम्बर, 1997 को ओटावा में हस्ताक्षर के लिए प्रथम बार खुलेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव विरोधी बारूदी सुरंगों की सार्वभौमिक समस्या का कोई प्रभावी समाधान केवल अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण से संबन्द्ध सम्मेलन, क्षेत्रीय संगठनों तथा समूहों सहित सभी संगत मंचों में प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बारूदी सुरंग हटाने के लिए अभिवृद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहायता तथा सुरंगों के शिकार लोगों की देख-भाल और पुर्नवास तथा आर्थिक एकीकरण के जरिए ही संभव होगा।

26. भू-मध्यसागर को प्रभावित करने वाले बहु-आयामी समस्याओं को स्वीकार करते हुए, शासनाध्यक्षों ने 1995 में सम्पन्न यूरो-भू-मध्यसागरीय सम्मेलन तथा 1997 में माल्टा में आयोजित उसके अनुवर्ती सम्मेलन का स्वागत किया तथा भू-मध्यसागरीय क्षेत्र में अमन और सुरक्षा के संवर्धन के प्रति समर्पित अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं को अपना समर्थन देने की पुष्टि की।

27. शासनाध्यक्षों ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आई सी सी) कानून के शासन के अंतर्राष्ट्रीय सवंर्धन में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संबंध में विधान पर बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र तैयारी समिति के प्रयासों के प्रति समर्थन का जिक्र किया और इन वार्ताओं में तथा अगले वर्ष पूर्णाधिकारी सम्मेलन में अधिक से अधिक राष्ट्रमण्डल देशों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया।

28. शासनाध्यक्षों ने राष्ट्रमण्डल कार्यात्मक सहयोग के उन विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया जिससे उन्होंने सदस्य राज्यों के लिए सदस्यता के लाभों को रूपान्तरित करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने पूर्व समिति की संलग्न रिपोर्ट का अनुमोदन किया तथा सचिवालय से राष्ट्रमण्डल के तुलनात्मक लाभ पर आधारित इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकताएं स्थापित करने के अपने प्रयासों को तेज करने का अनुरोध किया।

29. शासनाध्यक्षों ने 1999 में अपनी आगामी बैठक की मेजवानी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार के प्रस्ताव की और 2001 में अपनी आगामी बैठक की मेजवानी करने के लिए आस्ट्रेलिया के प्रस्ताव को अत्यन्त प्रसन्नता से स्वीकार किया।

विवरण-II

बुलेटिन

साझी समृद्धि समुन्नत करना : एडिनबर्ग राष्ट्रमण्डल आर्थिक घोषणा

संबंधित कड़ी

1. आज के सार्वभौमिक विश्व में अवसर और चुनौतियां दोनों ही विद्यमान हैं। संवर्धित व्यापार और निवेश प्रवाह, नई तकनीकें तथा बाजार शक्तियों, का विस्तार, संवृद्धि के इंजिन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसी दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकीकरण से सभी देशों को समान लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं और बहुत से देशों के सीमांतक होने का खतरा है। अतः सार्वभौमिकीकरण की इस प्रक्रिया में निहित जोखिमों से सावधानीपूर्वक निबटने की आवश्यकता है।

2. हमें विश्वास है कि घोर गरीबी तथा बढ़ती हुई असमानता के रहते विश्व शांति, सुरक्षा तथा सामाजिक स्थायित्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको सुधारने के लिए, और विशेष तौर पर देशों एवं छोटे देशों तथा अत्यल्प विकसित देशों की सार्वभौमिक अर्थ-व्यवस्था में एकता के लिए और असमान विकास जिसका बहुत से देशों को खतरा है, पर चर्चा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि इन समस्याओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित वृहत सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अमल करना होगा :-

- विश्व अर्थ-व्यवस्था सार्वभौमिक विकास और समृद्धि को संवर्धित किया जाना चाहिए।
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक नीति निर्माण में सभी देशों की प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए।
- उन सभी बाधाओं को दूर करना जो विकासशील देशों को सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास में उनकी सम्पूर्ण भागीदारी से रोकता है; और
- देशों के बीच आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणालियों को सभी के लिए संतुलित लाभ प्रदान करना चाहिए।

3. हमें यह भी विश्वास है कि बाजार सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्धता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का खुलापन, मानवीय और भौतिक संसाधनों का विकास, लिंग समानता, और अच्छे

अभिशासन और राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मुख्य घटक हैं, और यह कि धन उपलब्ध कराने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र में भागीदारी अपेक्षित है। अपनी साझी परम्पराओं और सार्वभौमिक पहुंच सहित राष्ट्रमण्डल को अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच साझी समृद्धि विकसित करने में असमान रूप से एक अहम भूमिका निभाती है।

व्यापार

4. हाल ही के वर्षों में व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की स्थापना में हुई प्रगति का हम स्वागत करते हैं। तथापि, माल और सेवाओं के व्यापार में व्यापक प्रतिबंध अभी बाकी हैं, तथा विश्व व्यापार के प्रसार के लाभ का अभी असमान वितरण है। अतः हम :-

- अत्यल्प विकसित देशों के निर्यात के लिए लोचपूर्ण नियमों सहित शुल्क रहित बाजार पहुंच के प्रसार; लोम अभिसमय बाद के प्रबंधों के कार्य के समर्थन, जो परिणामों के पूर्वाग्रहों के बिना ए सी पी देशों, विशेषतौर पर छोटे देशों को पर्याप्त संक्रमणकालीन प्रबंधों, को प्रदान करता है और विशेष तौरपर यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संघ के सदस्यों को ए सी पी केला उत्पादकों के विधिमान्य हितों की रक्षा करता है तथा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विविधीकरण को सुकर करता है;
- विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाना ताकि क्षेत्रीय प्रबंधों को विशिष्ट व्यापार गुट बनने से रोका जा सके और सहमत स्पष्ट और न्यायसंगत नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीव्र प्रवाह बना सके और उरूग्वे दौर करारों के पूर्ण अनुपालन का समर्थन करते हैं;
- नए गैर-शुल्क प्रतिबंधों के प्रवेश और एक पक्षीय कार्रवाइयों को करने और उन द्विपक्षीय दबावों का विरोध करने का संकल्प करते हैं जो विश्व व्यापार संगठन की भावना के विपरीत हैं।
- सभी देशों के विकास के विभिन्न स्तरों पर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि और वित्तीय तथा अन्य सेवाओं में प्रगति सहित विश्व व्यापार संगठन की मूलभूत कार्यसूची तथा अन्य मसलों में दिए अनुसार बहुपक्षीय वार्ताओं के द्वारा मुक्त व्यापार पर जोर देने का संकल्प करते हैं; और
- विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बहुपक्षीय उदारीकरण के अनुरूप उन क्षेत्रीय प्रबंधों के समर्थन को जारी रखने का समर्थन करते हैं जो सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास को समुन्नत करते हैं।

विशेषतौर पर हमने.....

- समंजन की प्रक्रिया के साथ अल्प विकसित देशों को सहायता देने के लिए राष्ट्रमण्डल छत्र के अंतर्गत व्यापार और निवेश पहुंच सुविधा स्थापित करने और सार्वभौमिकीकरण के अवसरों का लाभ उठाना। नई सुविधा से देशों को वस्तुओं और सेवाओं और निवेश उदारीकरण में व्यापार के सम्भाव्य आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की पहचान करने और उनके प्रबंध करने; राजस्व के नए स्त्रोतों और बाजार अवसरों की पहचाने करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने और राष्ट्रों को विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करने। यह सुविधा व्यापार संबंधित तकनीकी सहायता के लिए प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन/यूएनसीटीएडी/आईटीसी के समेकित ढांचे के साथ समन्वयन करने का निर्णय लिया है;
- राष्ट्रमण्डल सदस्यों के बीच व्यापार संबंधों को गहन करने के लिए क्षेत्र का पता लगाने का निर्णय लिया है, और अतएव सचिवालय से यह अनुरोध करते हैं कि वह हमें 1999 में चोगम से पूर्व विश्व व्यापार संगठन और क्षेत्रीय व्यापार प्रबंधों में निहित प्रावधानों के अनुरूप तरीकों से राष्ट्रमंडल सदस्यों के बीच व्यापार सुधारने के लिए क्षेत्र संभावित पद्धति और रचना पर रिपोर्ट दें।
- तटकर प्रक्रियाओं को सरल तथा संगत बनाकर सूचना प्रसार तथा नौकरशाही और तकनीकी बाधाओं को समाप्त करके व्यापार की प्रशासनिक रूकावटों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रमण्डलीय कार्रवाई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;
- व्यापार में "इलैक्ट्रानिक कामर्स" की बढ़ती हुई महत्ता और वाणिज्यिक और वित्तीय आदान-प्रदानों के लिए साइबर-स्पेस के प्रयोग के विकासात्मक प्रभावों की जांच करने का निर्णय लिया है; और
- निर्यात और अन्य व्यापार संबंधी कौशलों में प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रमण्डलीय निर्यात प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन।

5. हम 22-23 अक्टूबर, 1997 को लन्दन में हुए सर्वप्रथम राष्ट्रमण्डल व्यापार मंच की सिफारिशों का स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि यह मंच निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है और जीवंत निजी क्षेत्र व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी प्रत्येक दो वर्षों में बैठक होती रहनी चाहिए। हम व्यापार और निवेश के संवर्धन में वृहत निजी क्षेत्र की भागीदारिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रमण्डल महासचिव के परामर्श से राष्ट्रमण्डल के विभिन्न क्षेत्रों तथा अन्य तंत्रों से प्रमुख निजी क्षेत्र के नेताओं के छोटे ग्रुपों को मिलाकर लार्ड कोरन्स तथा

श्री सिरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में एक व्यापार परिषद गठन करने का भी प्रबंध कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम तकनीकी प्रबंधन के लिए राष्ट्रमण्डलीय भागीदारिता के कार्य का समर्थन तथा संवर्धन करने के लिए भी सहमत हैं।

निवेश

6. हमें विश्वास है कि निवेश प्रवाह से सतत् लाभ प्राप्त हो सकता है और यह कि ठोस मैक्रो इकानामिक नीति तथा वित्तीय प्रणालियाँ, कठोर विनियम तथा पर्यवेक्षीय ढांचा और राजनीतिक स्थायित्व अन्तर्मुखी प्रवाह को बढ़ाना देने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि ऐसे प्रवाहों में उतार-चढ़ाव आर्थिक प्रबंधन को बहुत हद तक उलझा सकता है। वे कुछ क्षेत्रों तथा देशों में केन्द्रित रहे हैं। हम :-

- व्यापार कार्यवाहियों के लिए खुला एवं पारदर्शी निवेश तंत्र की स्थापना द्वारा तथा नौकरशाही प्रक्रिया तथा विनियमों का सरलीकरण करके निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं;
- जहां आवश्यक हो, संस्थागत निवेशकों पर रूकावटों में ढील देने के लिए विचार करने हेतु पंजी निर्यातक देशों को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हैं ताकि वे उभरते हुए तथा नए बाजारों में पोर्टफोलियो विविधता के अवसरों का लाभ उठा सकें।
- उन क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय प्रबंधों तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास को समर्थन देने के लिए सहमत हैं जो विकासशील देशों की वास्तविकताओं को ध्यान में रख सके ओर जो निजी पूंजी प्रवाह को सुकर बनाने में मदद कर सके;
- करेंसी बाजारों में हाल की घटनाओं तथा विशेषतौर पर उतार-चढ़ाव की कार्यवाहियों से पैदा हुई घटनाओं सहित बाजार में उतार-चढ़ाव के अस्थिरकारी प्रभावों से देशों को कैसे बचाया जा सकता है और किस प्रकार वर्तमान चेतावनी प्रणाली में सुधार किया जा सकता है, से सीखे जाने वाले पाठों के अध्ययन के लिए सहमत है; और
- मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव से निबटने में देशों को मदद करने के लिए सार्वभौमिक तथा क्षेत्रीय तंत्रों को सुदृढ बनाने के लिए समर्थन देने के लिए सहमत हैं।

विशेषकर हमने निर्णय लिया है कि -

- निजी पूंजी प्रवाह को समुन्नत करने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की भूमिका पर राष्ट्रमंडल कार्यकारी समूह की सिफारिशों और राष्ट्रीय नीतियों के लिए कामनवेल्थ कोड आफ गुड प्रेक्टिस जो निजी पूंजी प्रवाह को आकर्षित और नियंत्रित करता है, को शीघ्रता से अंतिम रूप प्रदान करने के लिए समर्थन करना है;
- राष्ट्रमण्डल निजी निवेश पहलकदमियाँ (सी पी आई आई) के तत्वावधान में, अफ्रीका निधि, प्रशांत के लिए कुल निधि तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि की शुरूआत का हम स्वागत करते हैं; तथा अतिरिक्त क्षेत्रों और खण्डों को उनमें शामिल करने का आह्वान करते हैं;
- एक राष्ट्रमंडल निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम की शुरूआत जो : निजी निवेश का प्रवाह आकर्षित करने के लिए उचित वातावरण तैयार करने में सहायता देगा; जोखिम बीमा और गारंटियों के लिए नये रचनातंत्र के निर्माण में प्रोत्साहन देगा; पर्यवेक्षण और विनियमन संरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा; तथा निवेश अवसरों पर सूचना के प्रवाह में सुधार लाएगा; तथा
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए जोरदार भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

विकास

7. हम उप सहाराई अफ्रीका में समुत्थान सहित विकासशील विश्व के कई भागों में सुधरे हुए विकास की संभावनाओं का स्वागत करते हैं। साथ ही कई देशों में घोर गरीबी की अवस्थिति तथा इसे कम करने की हमारी असफलता से हम चिंतित हैं। इसलिए हम लोग सहमत हुए हैं :

- वर्ष 2015 तक घोर गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात आधा करने की दिशा में कार्य करने के लिए;
- आधिकारिक विकास सहायता (ओ डी ए) प्रवाहों के पतन को रोकने का प्रयास विकासशील राष्ट्रों विशेषकर अल्प विकसित राष्ट्रों तथा छोटे राज्यों में विकास और गरीबी मिटाने के लिए भागीदारी के आवश्यक तंत्र के रूप में ओ.डी.ए. की भूमिका को पहचान प्रदान करने तथा कौशल सहित आधारभूत ढांचा के विकास और बढ़े हुए व्यापार और निवेश की स्थिति के निर्माण में सहायता देने के लिए;
- ऋण समस्या के व्यापक समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए, तथा मॉरशिस अधिदेश के अनुसार बुरी तरह ऋणग्रस्त गरीब राष्ट्र (एचआईपीसी) पहलकदमियों (के द्रुत कार्यान्वयन पर जोर देना, जिसका उद्देश्य यह है कि वर्ष 2000 तक एच.आई.पी.सी. राष्ट्र ऋण के अपने बोझ से मुक्त हो सकें; साथ ही समान स्थिति में फंसे छोटे राज्यों सहित अन्य विकासशील राष्ट्रों को भी ऐसी राहत पहुंचाने पर विचार करने; तथा

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बढ़ी हुई सहायता के जरिए सूक्ष्म ऋण योजना की भूमिका को संवर्द्धित करने के लिए सहमत हुए हैं।

8. छोटे राज्यों पर राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय दल के अध्यक्ष की रिपोर्ट तथा राष्ट्रमण्डल रिपोर्ट, "ए फ्यूचर फार स्माल स्टेट्स : ओवरवेल्मिंग वल्नरेबिलिटी" पर आधारित कार्रवाई की सिफारिशों का हम स्वागत करते हैं। विशेषकर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को अपनी अनुक्रम नीतियों की समीक्षा करने, अपने छोटे सदस्यों के विशेष दोषों पर ध्यान न देते हुए व्यापक मापदण्ड पर विचार करने तथा छोटे राज्यों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बड़े बहुपक्षीय अभिकरणों के साथ छोटे राज्यों के हितों पर चर्चा करने के लिए लघु मंत्रिस्तरीय दल की स्थापना तथा परिणाम की सरकार को यथासंभव शीघ्र सूचना देने की सिफारिशों का हम समर्थन करते हैं।

9. हम आर्थिक नीति निर्धारण में बढ़े हुए खुलेपन तथा अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के माध्यम से भ्रष्टाचार मिटाने तथा आर्थिक वित्तीय एवं कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में कानून को लागू करने के साथ-साथ अच्छे अभिशासन के महत्व को रेखांकित करते हैं। इन मसलों पर कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना के लिए हमारे वित्त मंत्रियों द्वारा राष्ट्रमंडल महासचिव को किये गये अनुरोध का हम समर्थन करते हैं।

पर्यावरण

10. पर्यावरण की सुरक्षा में हमारा साझा हित है। पर्यावरण एक सार्वभौम संसाधन है जिसमें सभी देशों का हिस्सा है। इसकी सुरक्षा का भार साझे और विशिष्टकृत उत्तरदायित्व के अनुसार वहन किया जाना चाहिए। इसलिए सतत् विकास प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक समुदाय के लिए सहयोग को मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी को सुरक्षित बना सकें। विशेषकर वातावरण परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, के पक्षकारों के लिए क्योटो सम्मेलन के सफल परिणामों की हमें प्रतीक्षा है इनमें यथार्थपूर्ण और प्राप्य लक्ष्य, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा इस की पहचान कि हम सब को भूमिका निभाने की आवश्यकता है, आदि शामिल हैं। इसलिए हम लोग

- जैसा कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में सहमति हुई है विशेषकर स्वच्छ जल, वन संसाधन तथा विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण के लिए हितकारी प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में कार्यसूची 21 के आगे कार्यान्वयन के कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं, हमें पता है कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नये और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी तथा इनके लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी;
- क्योटो में एक सफल परिणाम के महत्व पर बल देने, जिसमें बर्लिन अधिदेश के अंतर्गत सभी देशों द्वारा अपनी भूमिका निभाने, विकासशील देशों द्वारा ऐसी नीति का पालन करने जिससे किसी प्रोटोकाल या अन्य विधिक तरीकों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने;
- क्योटो सम्मेलन से यह अपील करने के लिये कि क्योटो के पश्चात् सभी देशों के लिए ऐसी नीति का पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आए क्योंकि यह एक सार्वभौमिक समस्या है जो सबको प्रभावित करती है;
- नियमित उत्सर्जन की कमी पर निगाह रखने के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्योटो में करार की मांग;
- छोटे राज्यों, जो बार-बार घटित होने वाली व्यापक प्राकृतिक विपदा के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, के तात्कालिक और पर्याप्त सहयोग के उपबंधों के लिए आपदा राहत कार्य और तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कार्रवाई आरंभ करना;
- वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर रियो करारों के कार्यान्वयन के लिये गयाना में इवोक्रमा अंतर्राष्ट्रीय वर्षा वन कार्यक्रम के योगदान का स्वागत और कार्यक्रम को स्थायी बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को और पारदर्शी बनाने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अपने बेहतर प्रयास करने के लिए सहमति।

निष्कर्ष

11. इन प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में हम सार्वभौमिक मुद्दों पर एकमत तैयार करने में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को न्यायोचित स्वरूप प्रदान करने में राष्ट्रकुल की भूमिका बढ़ाये जाने पर सहमत हैं।

12. हम अपने सदस्यों के बीच स्थायी और जहां संभव हो, द्विपक्षीय सहायता बढ़ाने के लिए सचिवालय तथा उसे विविध कोषों, विशेषकर तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए; और राष्ट्रमंडल फाउन्डेसन, कॉमनवेल्थ आफ लर्निंग और, प्रौद्योगिकीय प्रबंध के लिए राष्ट्रमंडल साझेदारी के लिए भी सहमत हैं।

13. हमें विश्वास है कि राष्ट्रमंडल व्यापार और निवेश संवर्द्धन में सक्रिय भूमिका निभा सकता है जिससे कि 21वीं शताब्दी में समृद्धि, तेज गति से आर्थिक प्रगति और विकास हो सके और गरीबी उन्मूलन किया जा सके। हमारी योजना है कि हम इसका उत्साह के साथ अनुसरण करें।

एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र
28 अक्टूबर, 1997

विवरण-III

राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल का भाषण

(चोगम)

(एडिनबर्ग 24 अक्तूबर, 1997)

महामान्य,
राजकुल मान्य
प्रधान मंत्री ब्लेयर,
महा सचिव महोदय,
शासनाध्यक्षों
महामहिम, देवियों और सज्जनों,

आज की इस बैठक में भाग लेने वाले शासनाध्यक्षों की ओर से बोलने के लिए बुलाए जाने पर मैं इसे अपना विशेषाधिकार समझता हूं।

महामान्य, संयोग की बात है कि राष्ट्रमंडल का यह शिखर-सम्मेलन भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्तियों के साथ पड़ रहा है। दक्षिण एशिया में हम ऐसी सभ्यता से सम्बद्ध हैं जिससे इतिहास की शुरूआत हुई है। हमारी उपलब्धियां साझा हैं। हमारी खुशियां साझा हैं। भारत के लिए यह गरिमा का विषय है कि इन पिछले 50 वर्षों में वह आत्म-विश्वासयुक्त समाज; संयुक्त, लोकतांत्रिक, धर्म -निरपेक्ष और आधुनिकीकरण तथा सतत् आर्थिक प्रगति के पथ पर दृढ़ता के साथ अग्रसर हुआ है।

1947 में हमारी स्वतंत्रता ने पश्च-युद्ध युग में सौ से अधिक देशों की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया हैं हम यह मानते है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हमने अपनी स्वतंत्रता पाई है वे इतिहास का संक्रान्ति-काल पराधीनता और उपनिवेशवाद समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम और समानता, न्याय तथा प्रभुसम्पन्नता के प्रति आदर-सम्मान पर आधारित नई विश्व-व्यवस्था का शुभारंभ बन गए हैं।

भारतीय गणराज्य ने राष्ट्रमंडल में रहने का निर्णय किया। हम भविष्य की आशाओं को विगत के विद्वेषों का बन्धक बनाना नहीं चाहते थे। वह हमारा दृष्टिकोण था क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आधारित सिद्धान्त सार्वभौमिक थे; ये सिद्धान्त मनुष्य के सम्मान और समानता के परिचायक थे। हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति अथवा देश के विरुद्ध न होकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध था।

महामान्य,

महामहिम,

राष्ट्रमंडल प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है जो अनेक जातियों, धर्मों और द्वीपों के लोगों को जोड़ता है। इसके सदस्यों में गुट-निरपेक्ष और गुटों वाले देश, निर्धन और समृद्ध, उत्तर और दक्षिण, और बड़े तथा छोटे देश हैं। अपने ही भीतर यह विश्व की विशाल आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतैक्य को महत्व देने के कारण यह मतभेदों को भी आत्मसात् करता है।

राष्ट्रमंडल का भी क्रमिक विकास वर्षों में हुआ है। 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का रूपान्तरण उस समय शुरू हुआ जब भारत ने स्वतंत्र राज्य राष्ट्रों के मुक्त संघ में प्रवेश किया। महामहिम, उस समय उपनिवेशवाद का अंत दिखाई पड़ रहा था किन्तु उस समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद के समय में हमें विश्व के लगभग प्रत्येक कोने को जगमगाती हुई स्वतंत्रता की रोशनी दिखाई। 1994 में बहुजातीय और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के अभयुदय से सही अर्थ में उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी।

मानव जाति के सामने से गुजरी अनेक शताब्दियों में से उल्लेखनीय इस शताब्दी के अंत में मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल ने नई शताब्दी के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने और इस शताब्दी के फलस्वरूप आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने का सुस्पष्ट कार्य किया है।

बीसवीं शताब्दी में ऐसे तनाव, विभाजन और इतनी अत्यधिक क्रूर कार्यवाहियां होती देखी गई है जो कि पहले कभी नहीं हुई। इस पर भी यह शताब्दी लाभप्रद युग रहा है। आज लगभग 200 राष्ट्र स्वतंत्र है जिनकी मानव की नियति को सुधारने में समान अधिकार के साथ बराबर का साझेदार बनने की आकांक्षा है। मानव संभावना की सीमाएं कई गुणा बढ़ी हैं और पुरूष और महिलाएं विगत की अपेक्षा आज पूरे विश्व में दीर्घ और पूर्ण जीवन जी रहे हैं।

इस पर भी क्या हम उस मानव इतिहास को भूल सकते हैं जो काफी लम्बे अरसे तक युद्ध और दमन का रहा है जिसमें, ठहर-ठहर कर, थोड़े-थोड़े समय के लिए ही शांति और स्वतंत्रता रही। वास्तव में आज यह शांति को सुदृढ़ बनाने की, स्वतंत्रता की, और ऐसे सार्वभौमिक भाईचारे के भाव और भावना, जिसका कि राष्ट्रमंडल जैसी पश्च-युद्ध संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, की चुनौती है।

कोई, किस प्रकार राष्ट्रों के बीच संबंधों की औचित्यपूर्ण व्यवस्था का सुनिश्चय करता है जिससे कि एक के हित लाभ विश्व समुदाय के हित लाभों के साथ मेल खाते दिखाई पड़े। क्या हम सार्वभौमिक लोकतंत्र को विश्वसनीय बना सकते हैं। संकीर्ण राष्ट्रवाद पर हम किस प्रकार काबू पाते हैं और सीखते हैं कि अन्ततः दूसरों को देकर ही हम पाते हैं, मिल-बांटने से हम प्रगति करते हैं और जन सेवा से ही हम वास्तव में अपनी सेवा करते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका राजनेताओं को हल खोजना ही चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उत्तरदायित्व संभालने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं : "मैं इस बात को और भी अधिक मानने लगा हूं कि जब तक हम अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक नियमों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हमें स्थायी शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम उपयुक्त साधनों के प्रति अडिग नहीं रहते तब तक अंत भी सही नहीं होगा और उसमें से नई

कुरीतियाँ पनपती रहेंगी। यह गांधी जी के संदेश का सार था और मानव जाति को सही-सही देखने और तदनुरूप कार्रवाई करने के लिए इसकी सराहना करनी होगी।"

क्या हम राष्ट्रमंडल से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नीति, नैतिकता को परिभाषित करने में अगुवाई कर सकते हैं जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के प्रति उस तरह से व्यवहार करने के लिए अमल में लाना चाहते हैं जिस तरह से कि हम अपने साथ दूसरों का व्यवहार चाहते हों; एक ऐसा विश्व जिसमें ईमानदारी का आदर किया जाता हो जहां सत्य और स्वतः न्याय को बढ़ावा दिया जाता हो।

हमारे मौजूदा शिखर सम्मेलन के मूल विषय "व्यापार, निवेश और विकास : राष्ट्रमंडल की समृद्धि के लिए पथ" के भीतर ऐसी आकांक्षा विशेष रूप से संगत है। व्यापार वित्त और प्रौद्योगिकी से लोग एक-दूसरे के अधिक निकट आए हैं जबकि उनकी वास्तविक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। अनेक विकासशील देशों को सार्वभौमिकीकरण की इस प्रक्रिया में इस गति और परिस्थितियों के भीतर अपना तालमेल बिठाने के लिए कहा जा रहा है जो उनके अनुकूल नहीं है। समान अवसर और लोकतंत्र, आदर्श, जिन्हें हम सभी स्वीकार करते हैं, प्रायः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की सीमित विचारधारा के भीतर नहीं होते और तिस पर भी मुझे इस बात में नहीं के बराबर संदेह है कि अन्ततः सार्वभौमिकीकरण सफल होगा, किंतु जब समानता और न्याय हो और समस्त मानव जाति को दिखाई भी दे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों, जो विश्व अर्थव्यवस्था का निरीक्षण करती हैं, को समान हित-संतुलन प्रदर्शित करना चाहिए। भारत और अनेक विकासशील देश आर्थिक सुधार और पुनः निर्माण की प्रक्रिया में हैं। सामाजिक और पुनर्वितरण न्याय के प्रति उनकी वचनबद्धता को सहमति और सराहना की आवश्यकता है। आज के विकासशील देश कल के उच्च प्रगति वाले आर्थिक देश बन जायेंगे। आज यदि उन्हें व्यापार और बाजार तक पहुंचने के लिए बेहतर शर्तें उनकी निर्णायक विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अधिक मात्रा और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते तो उसके परिणामस्वरूप कल सार्वभौमिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरी यह धारणा है कि राष्ट्रमंडल विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए प्रत्यक्ष संगतता रखने वाले सहयोग का माध्यम बन सकता है और बनना भी चाहिए। राष्ट्रमंडल उत्तर और दक्षिण के बीच एक प्रभावी संभाषी बन सकता है और बनना भी चाहिए। राष्ट्रमंडल सार्वभौमिक आर्थिक निर्णय लेने में और अधिक लोकतंत्र और समानता के लिए प्रयास कर सकता है। राष्ट्रमंडल यह सुनिश्चय कर सकता है और करना भी चाहिए कि इसके सभी सदस्यों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्राप्त हों।

भविष्य की ओर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन्हें हमारे विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी। आतंकवाद का भय और नशीले पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकट विशेष रूप से मेरे ध्यान में है।

आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में प्रायः घनिष्ठ संबंध होता है, और इन दोनों का सम्पर्क विश्व की एक और बुराई धन के अवैध लेन-देन के साथ होता है। यह बुराईयां मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थायित्व और सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं। *आतंकवाद का अपना प्रभाव असीमित होता है, सम्पूर्ण समुदाय को, विशेषकर उदार लोकतांत्रिक देशों में, जहां विशेष रूप से इनकी आसानी से पहुंच हो सकती है, दुष्प्रभावित कर रहा है।* इन बुराईयों से निपटने के लिए हमें प्रभावी सार्वभौमिक नीति की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हाल में मैंने एक ऐसी सार्वभौमिक प्रत्यर्पण संधि का विचार आगे बढ़ाया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने देश की सीमाओं के बाहर इन अपराधों के करने वालों का पीछा कर सकेगा और यह सुनिश्चय कर सकेगा कि वे विश्व के किसी भी भाग में शरण लेने का प्रयास न करे अथवा शरण न लें।

यदि आज की समस्याओं को हल किए बिना छोड़ दिया जाता है तो यह भविष्य के लिए संकट बन जायेंगे। हम इतिहास के महत्वपूर्ण मुकाम पर खड़े हैं। हम सबका विशेष दायित्व है कि हम यह देखें कि हमारी बैठकों में बातचीत कार्रवाई का रूप ले और सद्भावना परिणाम के रूप में परिणत हो। यह सुनिश्चिय करने का भार हम पर है कि यह अद्वितीय मंच, जिसके प्रति हम सम्मान रखते हैं और जिसे हम विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, आगामी शताब्दी में अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और अवसरों के बीच एक वास्तविक सेतु के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

महामहिम,

देवियों और सज्जनों

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं राष्ट्रमंडल में फिजी के पुनः प्रवेश और लोकतंत्र, अपक्षपात, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति उसकी वचनबद्धता का स्वागत करता हूं।

जिस अनुकरणीय रूप में महारानी ने राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है उसके लिए मैं महारानी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। हम महारानी और एडिनबर्ग के ड्यूक को विवाह की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बधाई देते हैं। हाल की उनकी भारत यात्रा की हमें हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्मृति है।

इस अवसर पर मैं यहां उपस्थित सभी शासनाध्यक्षों की ओर से एडिनबर्ग शहर और राष्ट्रमंडल के सचिवालय को इस यात्रा के लिए की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद देता हूं।

महामान्य, भारत में हमारे प्राचीन संतों ने इस कथन में विश्वास किया - "वसुधैव कुटुम्बकम्"

विश्व एक परिवार है।

राष्ट्रमंडल इस विश्वास और उस आशा दोनों का प्रतीक होगा जो इसमें निहित हैं।

मैं इस शिखर सम्मेलन को एक स्मरणीय सफलता बनाने में और राष्ट्रमंडल को उपलब्धि के नए स्तर तक ले जाने में भारत के सहयोग का वचन देता हूं।

धन्यवाद।

कलकत्ता में रहस्यमय बीमारी

122. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1997 के "स्टेट्समैन" में "मिस्ट्री डिसीज क्लेम्स फाइव चिल्ड्रेन इन कलकत्ता" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा

123. **डा॰ कृपासिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाई गई समस्याओं और उक्त योजनावधि में पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) द्वितीयक स्वास्थ्य आधारी संरचना का समेकन और उन्नयन को राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं के अधीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में उठाया गया है। कुछ अन्य राज्यों को आधारी संरचना विशेषकर जहां स्वास्थ्य सूचकांक निम्न है, को उसी प्रकार उन्नयन के लिए सहायता लेने के अवसर दिए गए हैं। परियोजनाओं में आधारी संरचना जन-शक्ति, उपस्कर, उपभोज्यों और औषधों में अधिक अंतराल भर दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रोन्नति और शिक्षा में संचारी रोगों विशेषकर जहां इसका प्रचलन अधिक है, निगरानी और महामारी सम्बद्ध पद्धतियों, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में सुधार एवं शिक्षा और संस्थानों और संगठनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है।

(ग) योजना आयोग में नौंवी योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एड्स

124. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** :
श्री सनत मेहता :
श्री अनंत गुढ़े :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "एड्स" विरोधी अभियान में पूरे देश को शामिल करने की दृष्टि से कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की जा रही इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई और इसका वास्तविक उपयोग कितना है;

(घ) एड्स परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी और कितनी धनराशि का वास्तविक उपयोग किया गया;

(ङ) क्या एड्स पीड़ितों/आम लोगों को सलाह देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कोई विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) एक समग्र नीति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एच.आई.वी./एड्स के जुड़े सामाजिक एवं नैतिक मुद्दों की बात कही गई है, निर्माण के प्रारंभिक चरण में है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 26.90 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। 84 मिलियन अमरीकी डालर के अंतर्राष्ट्रीय

विकास अभिकरण के ऋण में से भारत सरकार ने 60.59 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की है।

(ङ) और (च) जी, हां। सफदरजंग अस्पताल के यौन संचारित रोग विभाग, यू एन एड तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के माडल परामर्शी केन्द्र में एच आई वी/एड्स/यौन संचारित रोगों के बारे में एड्स रोगियों तथा सामान्य लोगों को परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में दूरभाष पर परामर्शी सुविधा भी शुरू की गई है। सरकारी स्तर पर एच आई वी/एड्स सूचना के लिए बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए निचले स्तर के परामर्शकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

कोर्जेट्रिक्स

125. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर्जेट्रिक्स एनर्जी इन्क ने संशोधित विद्युत खरीद समझौते के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कर्नाटक सरकार की ओर से संशोधित शुल्क वृद्धि का सिफारिश प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह कोर्जेट्रिक्स के लिए स्वीकार्य था; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोर्जेट्रिक्स और कर्नाटक सरकार के बीच मुद्दे के निपटारे के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) कोर्जेट्रिक्स एनर्जी इंक. द्वारा प्रवर्तित मंगलौर पावर कंपनी की 1000 मे.वा. वाली मंगलौर विद्युत परियोजना के लिए प्रारूप विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को, प्रारूप पीपीए पर भारत सरकार (जी.ओ.आई,) द्वारा किए गए निर्णय समेत, अंतिम रूप दिए जाने हेतु कर्नाटक सरकार को भेज दिया गया है। इस परियोजना के लिए प्रति गारंटी जारी करने हेतु पीपीए का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एनरॉन द्वारा विद्युत संयंत्रों का जीर्णोद्धार

126. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी "एनरॉन" ने भारत में पुराने विद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) भारत में पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी "एनरॉन" से सरकार को कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डी॰डी॰टी॰ का छिड़काव

127. **श्री सनत मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों की निष्प्रभाविता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत डी॰डी॰टी॰ का छिड़काव फिर से शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश के विभिन्न कीटविज्ञान अंचलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मलेरिया वैक्टर की रुघनता में एक जैसे रूप रूझान का पता नहीं चलता है। तथापि डेंगू वैक्टर की रुघनता नियंत्रण में रखी गई।

मलेरिया और डेंगू के फैलने के कारण इस प्रकार हो सकते हैं :-

- अनियंत्रित शहरीकरण के साथ-साथ अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि जैसे प्रमुख जनांकिकी परिवर्तन
- घटिया आवास एवं अपर्याप्त जल और अपशिष्ट निपदान प्रणाली
- संक्रमित मनुष्यों की त्वरित गतिशीलता और श्रमिकों का प्रवसन
- पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों अप्रयुक्त टायरों, गमलों, फूलदानों आदि में पानी के जमा होने से मच्छर पैदा होने वाली स्थितियां बनना।
- बड़ी संख्या में रिक्त पदों का होना और प्रशिक्षित व्यक्तियों का तेजी से स्थानान्तरण।
- विभिन्न राज्यों द्वारा रोगाणु नियंत्रण के लिए छिड़काव समय का पालन न करना।

- निगरानी कार्यकलापों में कमी।
- राज्य सरकारों द्वारा रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना समय पर तैयार करने और कार्यान्वयन में ढील; और
- पारम्परिक कीटनाशकों की रोगाणुओं और प्रायः उपलब्ध औषधों पर परजीवी की प्रतिरोधता।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोगाणु नियंत्रण के लिए घरों में छिड़काव कार्य के लिए चुनींदा रूप में डी डी टी का उपयोग किया जाना जारी है।

मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नए कीटनाशकों जैसे सिंथेटिक पाइरेथ्रयाइड और औषधयुक्त मच्छरदानी जैसे मिलेजुले उपायों को उपयोग में लाया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

128. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने संसाधनों से जारी की गई 64.63 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को उक्त राशि के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार ने इस राशि के भुगतान के लिए क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विकल के अभिलेखों के अनुसार उत्तर प्रदेश को 150.93 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान बकाया धनराशि प्रदान करने के लिए बजटीय धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। इस प्रयोजन के लिए अब वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों के लिए सम्पर्क किया गया है।

पूयामकुट्टी विद्युत परियोजना

129. **श्री पी॰सी॰ थामॅस :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अल.घ) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केरल में पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2×120 मे.वा.) को 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 1984 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाड़ी देशों से लौटे व्यक्ति

130. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री जी॰एम॰ बनातवाला :

श्री ए॰सी॰ जोस :

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन :

श्री मदन पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खाड़ी (मध्यपूर्व) के देशों ने हाल में अधिसंख्य भारतीय आप्रवासियों को देश छोड़ने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो देश-वार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) किस कारण से उन्हें देश छोड़ने के आदेश दिये गये हैं;

(घ) उन्हें भारत वापिस लाने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है; और

(ङ) इन खाड़ी देशों से लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) खाड़ी के कुछ देशों ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रिकों सहित उन विदेशी राष्ट्रिकों को दण्ड का भुगतान किए बिना उन संबद्ध देशों को छोड़ने के लिए घोषणा की थी जो उन देशों में अवैध रूप से रह रहे थे।

सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस राज के अंतर्गत लगभग 60 हजार भारतीय राष्ट्रिकों ने संयुक्त अरब अमीरात छोड़ दिया था। सउदी अरब और बहरीन से प्रस्थान करने वाले भारतीयों की सही-सही संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। सउदी अरब के रियाद और जद्दाह स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास में भारतीय राष्ट्रिकों को लगभग 42000 यात्रा दस्तावेज (आपात प्रमाण-पत्र) जारी किए गए थे और बहरीन से 2773 आपात प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

(घ) ऐसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए जो प्रबंध किए गए थे उनमें यात्रा दस्तावेज (आपात प्रमाण-पत्र) जारी करना, यदि उनके पास पहले से पासपोर्ट है तो उससे संबंधित कार्रवाई करना, अनिवार्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए हमारे मिशनों द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करना, खाड़ी और भारत क्षेत्र में हवाई सेवाओं में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने के लिए समन्वय

कार्य करना, राजक्षमा का लाभ उठा रहे भारतीयों का मार्गनिर्देशन करना तथा उनकी सहायता के लिए मिशन में विशेष काउंटर खोलना, अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने तक भारतीयों के लिये जहां भी जरूरत हो जल, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करना और राज-क्षमा प्राप्त लोगों की यात्रा के लिए मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पैसेंजर लाइनर सर्विसेज के साथ संपर्क करना और असहाय लोगों के लिए सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा के टिकट की व्यवस्था करना शामिल है। वापस आने वाले उत्प्रवासियों के साथ सहानुभूति तथा समझबूझ का आचरण करने के लिए मामले को भारतीय सीमा शुल्क एवं उत्प्रवासन अधिकारियों के साथ उठाया गया था। राजक्षमा प्राप्त लोगों की घर तक की यात्रा को सुसाध्य बनाने के लिए अथवा उन्हें गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे से अनुरोध किया गया था।

(ङ) खाड़ी के संबंधित देशों की सरकारों के साथ मामले को उठाया गया कि वे उन लोगों को वैध तरीके से अपने-अपने देश वापस जाने दें।

केरल में विद्युत की कमी

131. श्री एन॰एन॰ कृष्ण दास :
श्री रमेश चेन्निथला :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में गंभीर विद्युत संकट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय पूल से राज्य को विद्युत के आबंटन में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1997 के दौरान केरल में ऊर्जा तथा शिखर कमी, क्रमशः 19 प्रतिशत तथा 13.9 प्रतिशत थी तथा अप्रैल-अक्तूबर, 1997 की अवधि के लिए यह स्थिति क्रमशः 24.1 प्रतिशत तथा 26.4 प्रतिशत थी। विलंबित मानसून के कारण केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्न जल विद्युत उत्पादन तथा राज्य में मुख्य जलीय जलाशयों में जल की कम उपलब्धता इस राज्य में विद्युत कमी के लिए कारण हैं। मुख्य अप्रैल-अक्तूबर, 1997 के दौरान इस राज्य में जल विद्युत उत्पादन कार्यक्रम का केवल 66.2 प्रतिशत है तथा पूर्ववर्ती वर्ष की समनुरूपी अवधि के प्राप्त उत्पादन स्तर उपलब्धि का 86.1 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) केरल को दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से 414.5 मे.वा. विद्युत का आबंटन किया गया है। इसके साथ-साथ आबंटित कोटे में से केरल के हिस्से को 12.6.1997 से 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तथा पुनः इसे 1.7.97 (गंभीर कमी अवधि के दौरान) से 50 प्रतिशत से बढ़कार 65 प्रतिशत कर दिया गया है। तत्पश्चात् इस आबंटन को 1.10.97 से संशोधित करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है विद्युत मंत्री, केरल सरकार और विद्युत मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के आधार पर यह प्रस्ताव हुआ कि पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी केन्द्रों से 100 मे.वा. विद्युत केरल को अंतरित की जाए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण दोनों क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों (पूर्व क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड तथा दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड) और पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ के साथ परामर्श करके विद्युत की आपूर्ति के लिए तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्था का निर्धारण कर रहा है।

[हिन्दी]

भूकम्पों के पैटर्न

132. श्री भीमराव बिब्बुजी वडाडे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकम्प पैटर्न के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित अनेक अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए भूकम्प विषयक आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने भारत के भूकम्पीय क्षेत्र का मानचित्र प्रकाशित किया है। इस मानचित्र के अनुसार भारत को पांच (5) भूकम्प क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

क्षेत्र V में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर के भाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, कच्छ की खाड़ी, उत्तर बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। क्षेत्र IV में जम्मू और कश्मीर के शेष भाग, बिहार और हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के भाग, राजस्थान तथा गुजरात और पश्चिम तट के निकट महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग शामिल है। क्षेत्र III में केरल, गोवा, पंजाब के शेष भाग, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के भाग शामिल हैं। क्षेत्र I और II में देश के शेष भाग शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में, भूकम्प की दृष्टि से क्षेत्र V सर्वाधिक सक्रिय है जबकि क्षेत्र I सबसे कम सक्रिय है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा भूकम्पीय क्षेत्र का मानचित्र आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

[अनुवाद]

वी सैट/एन.एस.ई. पर इन्सैट-2डी का प्रभाव

133. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

श्री सुन्दर लाल पटवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-2डी अपनी विद्युत बसों की विफलता के कारण बेकार घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी विद्युत बसों की एकाएक विफलता की जांच की है.

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(घ) राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज सहित वी-सैट आपरेटरों पर इन्सैट-2डी के कार्य न करने का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वी-सैट आपरेटरों का कार्यकरण इन्सैट-2डी के कार्य न करने के परिणामस्वरूप प्रभावित नहीं होगा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विफलता के विस्तृत विश्लेषण के लिए कई तकनीकी समितियां गठित कर दी गई हैं। अनेक शैक्षिक अनुसंधान तथा विकास संस्थानों से तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त एक वरिष्ठ स्तर की समिति भी गठित की गई है। इस समिति द्वारा अपना कार्य जनवरी 1998 तक पूरा करने की आशा है।

(घ) इन्सैट-2डी की विफलता के समय केवल सात प्रेषानुकर (सामान्य सी-बैण्ड में चार तथा विस्तृत सी-बेण्ड में तीन) ही चालू किये गये थे। चार सामान्य सी-बेण्ड के प्रेषानुकर दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के बहुमुखी चैनल प्रतिवाहक (एम.सी.पी.सी.) यातायात वहन कर रहे थे। तीन विस्तृत सी-बैण्ड प्रेषानुकर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) यातायात सहित वी-सैट यातायात वहन कर रहे थे। इन्सैट-2डी की विफलता के बाद एम.सी.पी.सी यातायात को इन्सैट-1डी और इन्सैट-2सी पर पुनः नियोजित किया गया। विस्तृत सी-बैण्ड के यातायात को, इन्सैट-2सी पर तैयार रखी गई अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके तथा इन्सैट-2बी और 2सी पर प्रेषानुकर उपयोगिता को पुनः व्यवस्थित करके पुनः नियोजित किया गया। एन.एस.ई. के यातायात को फिलहाल इन्सैट-2ए पर डाल दिया गया है। तद्नुपरान्त, एन.एस.ई. का यातायात क्रमिक रूप में इन्सैट-2बी/2सी पर डाला जायेगा।

(ङ) विस्तृत सी-बैण्ड में प्रचालित प्रादेशिक टी.वी. सेवाओं को सामान्य सी-बैण्ड पर स्थानांतरित करके वी-सैट सेवाओं को, पूरक क्षमता के रूप में विस्तृत सी-बैण्ड में कुछ अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं। सामान्य सी-बैण्ड और विस्तृत सी-बैण्ड में कक्षीय क्षमता के संवर्धन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र का निजीकरण

134. **श्री ए-सी॰ जोस :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सीधे वार्ता करने की और शीघ्र पूरी होने वाली परियोजनाओं तथा पुराने विद्युत संयंत्रों को पुनः चालू करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए राज सहायता प्रदान करने की घोषणा की है;

(ग) इन घोषणा के द्वारा निवेशक को किस हद तक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है; और

(घ) इस निर्णय के पश्चात् विद्युत क्षेत्र के आगे आने वाले निवेशकों की संख्या तथा नाम क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने विदेशी एजेंसियों/कंपनियों द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत परियोजनाओं पर वार्ता करने हेतु मानदंड स्थापित करने के लिए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्षता में एक स्थायी स्वतंत्र दल का गठन किया है। इस प्रकार की परियोजनाओं, जो कि नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं होंगी, के लिए कोई आर्थिक सहायता वित्तपोषित नहीं की जाएगी। सरकार ने "त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम" जिसमें निम्नलिखित शामिल है, के तहत ब्याज आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये की एक निबल बजटीय सहायता प्रदान की है।

(क) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

(ख) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार स्कीमें

(ग) आपूर्ति और अभिवृद्धि (कैपेसिटर्स/मोटर्स और पारेषण स्कीमें

(घ) अध्ययन कार्य हेतु अनुदान

ब्याज द्वारा आर्थिक सहायता से इस वर्ष विद्युत क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश जुटाने में सहायता मिलेगी।

केरल में विद्युत की कमी

135. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत की कमी को देखते हुए राज्य को

अधिक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए केरल सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य को कुल कितनी विद्युत की आपूर्ति किए जाने की संभावना है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस दर पर विद्युत उपलब्ध करायी जायेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी केन्द्रों से केरल को 100 मे.वा. विद्युत का अंतरण करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण दोनों क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों (ईआरईबी और एसआरईबी) और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ परामर्श करके विद्युत की आपूर्ति हेतु तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का समाधान कर रहा है। दोनों राज्य सरकारें विद्युत का अंतरण किए जाने का समर्थन कर रही हैं।

बच्चों की बीमारियों में वृद्धि

136. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री नवीन पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में अनेक बच्चे संक्रामक रोगों तथा महामारियों से पीड़ित हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने बच्चे संक्रामक रोगों से पीड़ित थे तथा कितनों की महामारी के कारण मृत्यु हो गयी है;

(घ) इन बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) बच्चों की बीमारियों की घटनाओं में कमी लाने हेतु तथा पर्याप्त रूप से उनके इलाज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 1995 और 1996 के दौरान संचारी रोगों और हैजा के कारण दर्ज किए गए मामलों और मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण I और II संलग्न है। संचारी रोगों के संबंध में बच्चों की अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) टीकाकरण, गंभीर सांस की बीमारी और दस्त रोगों, नवजात शिशु की आवश्यक परिचर्या, विटामिन ए की कमी की रोकथाम और आघन्न की कमी एनिमिया की रोकथाम और पांच वर्ष से बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण–I

1995

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दस्त के गंभीर मामले	मौतें	डिप्थीरिया के मामले	मौतें	पोलियो के मामले	मौतें	टेटनस नवजात के मामले	मौतें	टेटनस के अन्य मामले	मौतें	काली खांसी के मामले	मौतें	खसरा के मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	1212646	572	755	21	6770	4	80	22	504	139	3762	3	1275	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	39155	3	0	0	0	0	0	0	5	0	498	0	339	10
3.	असम						— आं॰प्रा॰न॰ —								
4.	बिहार						— आं॰प्रा॰न॰ —								
5.	गोवा	10773	39	3	0	1	0	2	2	5	1	10	0	39	0
6.	गुजरात	190661	131	104	13	89	11	66	35	146	24	51	3	1571	28
7.	हरियाणा	366139	106	2	0	54	0	79	12	148	19	93	0	138	6
8.	हिमाचल प्रदेश	412901	83	1	0	0	0	1	0	6	0	5	1	726	0
9.	जम्मू व कश्मीर	401552	31	3	0	17	0	25	0	0	0	1316	0	4377	0
10.	कर्नाटक	646149	277	495	0	83	1	454	68	599	84	1505	5	2175	8
11.	केरल	493212	13	25	2	4	0	10	2	29	2	860	0	4810	1
12.	मध्य प्रदेश	574120	603	187	2	128	2	863	29	1323	119	7979	4	1965	7
13.	महाराष्ट्र	486138	250	78	2	85	5	65	11	560	87	48	0	4128	13
14.	मणिपुर	20592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	159	0
15.	मेघालय	97253	15	4	0	2	0	0	0	18	0	643	0	1468	1
16.	मिजोरम	11721	13	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	90	1
17.	नागालैण्ड	5771	3	123	0	47	0	32	0	294	1	656	0	437	0
18.	उड़ीसा	586755	231	45	5	142	1	176	30	676	114	2403	0	1718	0
19.	पंजाब	126095	48	4	0	42	1	40	11	119	18	0	0	40	1
20.	राजस्थान	164663	30	128	12	59	2	194	23	366	39	764	1	1777	25
21.	सिक्किम						— आं॰प्रा॰न॰ —								
22.	तमिलनाडु	130655	62	0	0	90	3	6	3	70	9	5	0	2330	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	त्रिपुरा	70470	68	3	0	0	0	2	1	8	1	273	0	476	0
24.	उत्तर प्रदेश	1750778	2047	112	20	801	26	861	228	598	147	381	0	1849	53
25.	पश्चिम बंगाल	304214	1790	2208	216	1056	16	349	133	1661	302	352	4	6787	34
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29914	4	0	0	1	0	1	1	3	0	33	0	23	0
27.	चण्डीगढ़	— आं॰प्रा॰न॰ —													
28.	दादर व नगर हवेली	44534	8	0	0	0	0	0	0	3	1	89	0	362	0
29.	दमण और दीव	8820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
30.	दिल्ली	316075	8	168	49	1061	29	126	58	115	44	215	0	1443	34
31.	लक्षद्वीप	5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
32.	पांडिचेरी	84503	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :	8592233	6449	4448	342	10532	101	3432	669	7257	1151	22382	21	40542	236

आं॰प्रा॰न॰ : आंकड़े प्राप्त नहीं।

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गंभीर सांस के मामले	मौतें	निमोनिया के मामले	मौतें	इंटेरिक फीवर के मामले	मौतें	वायरल हेपेटाइटिस के मामले	मौतें	जापानी मस्तिष्क शोथ के मामले	मौतें	मेनेन्गोकल के मामले	मौतें	रेबीज के मामले	मौतें
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	आंध्र प्रदेश	1379747	309	16840	160	35943	51	27160	104	139	28	385	126	49	49
2.	अरूणाचल प्रदेश	36152	44	588	3	2856	23	861	0	0	0	1	1	0	0
3.	असम	— आं॰प्रा॰न॰ —													
4.	बिहार	— आं॰प्रा॰न॰ —													
5.	गोवा	17692	0	355	1	50	0	93	1	4	0	0	0	3	0
6.	गुजरात	323020	112	2620	73	2636	11	3360	43	0	0	10	1	6	3
7.	हरियाणा	597355	135	6032	54	917	1	1374	8	43	2	103	5	26	0
8.	हिमाचल प्रदेश	988160	241	30249	111	10000	3	2578	10	0	0	1	0	0	0

1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9.	जम्मू व कश्मीर	284642	2	101776	7	15863	0	12394	4	32	0	146	0	596	1
10.	कर्नाटक	1227596	250	18813	106	19119	14	2935	53	424	52	238	19	2872	63
11.	केरल	2340393	92	13911	24	5859	2	6359	8	6	0	51	2	128	17
12.	मध्य प्रदेश	556903	390	29215	128	49083	53	10257	45	352	19	639	32	293	6
13.	महाराष्ट्र	309775	74	11893	515	10656	42	4006	141	0	0	367	111	88	88
14.	मणिपुर	19151	2	3850	0	3594	0	1373	0	24	1	0	0	0	0
15.	मेघालय	125258	4	1645	5	4293	0	714	1	0	0	27	0	332	0
16.	मिजोरम	22794	12	1737	9	333	2	638	4	0	0	9	1	0	0
17.	नागालैण्ड	2957	0	349	1	1115	7	208	2	0	0	0	0	46	1
18.	उड़ीसा	839101	115	17405	269	26569	21	11011	95	0	0	157	39	8	4
19.	पंजाब	213382	98	2865	26	2506	4	1778	20	7	0	10	2	2	1
20.	राजस्थान	290540	87	40286	106	6267	11	2629	37	10	1	278	20	529	2
21.	सिक्किम							— आं॰प्रा॰न॰ —							
22.	तमिलनाडु	135172	184	27187	61	19481	94	550	1	89	42	20	0	193	5
23.	त्रिपुरा	44839	56	21325	28	103	0	106	1	27	19	6	4	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1235088	561	96036	514	70541	182	489	16	0	0	0	0	566	71
25.	पश्चिम बंगाल	66431	132	4674	253	17993	100	3392	227	1265	428	1610	292	298	298
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	51120	5	218	9	118	1	409	16	3	0	1	1	0	0
27.	चण्डीगढ़							— आं॰प्रा॰न॰ —							
28.	दादर व नगर हवेली	75025	8	430	7	262	1	180	3	16	8	5	3	82	0
29.	दमण और दीव	1375	0	0	0	16	2	14	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	132523	73	27276	414	6012	30	3508	96	103	9	504	22	216	21
31.	लक्षद्वीप	13409	0	5	1	462	0	36	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	56804	0	528	0	1936	4	531	7	0	0	0	0	2	2
	योग :	11386404	2986	478108	2885	314583	659	98943	943	2544	609	5073	681	6335	632

आं॰प्रा॰न॰ : आंकड़े प्राप्त नहीं।

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिफलिस के मामले	मौतें	गोनोकोकल के मामले	मौतें	क्षय रोग के मामले	मौतें	अन्य रोगों के मामले	मौतें	योग मामले	मौतें
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.	आंध्र प्रदेश	15874	1	44681	2	153108	719	12270563	8535	15170781	10855
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	0	24	0	1222	3	289978	32	371697	119
3.	असम					— आं॰प्रा॰न॰ —					
4.	बिहार					— आं॰प्रा॰न॰ —					
5.	गोवा	13	0	16	0	1895	9	15003	2	45957	55
6.	गुजरात	97	0	328	0	14475	125	2938313	731	3477553	1344
7.	हरियाणा	91	0	3639	0	45832	244	4834178	3234	5856243	3826
8.	हिमाचल प्रदेश	34	0	275	0	17917	273	3827155	1824	5290009	2546
9.	जम्मू व कश्मीर	1093	0	1595	0	3095	1	4841122	52	5669644	98
10.	कर्नाटक	10190	3	8160	7	72835	925	7518409	9001	9533051	10936
11.	केरल	410	0	713	0	29139	182	8366055	3143	11261974	3490
12.	मध्य प्रदेश	2133	2	3338	2	51097	187	6252939	4789	7542814	6419
13.	महाराष्ट्र	1595	0	753	0	70555	851	11881217	15902	12782007	18092
14.	मणिपुर	21	0	19	0	811	0	286124	3	336146	6
15.	मेघालय	5	0	21	0	324	7	388276	530	620288	563
16.	मिजोरम	2	0	42	0	549	8	246706	383	284630	433
17.	नागालैण्ड	20	0	35	0	234	1	23225	5	35549	21
18.	उड़ीसा	681	0	1700	1	22448	200	5358847	5340	6869842	6465
19.	पंजाब	1	0	64	0	16864	95	2497412	1948	2861231	2273
20.	राजस्थान	71	0	421	1	20584	98	2017906	1069	2547472	1564
21.	सिक्किम					— आं॰प्रा॰न॰ —					
22.	तमिलनाडु	602	1	1653	0	32019	304	3168135	7559	3518257	8332
23.	त्रिपुरा	42	0	11	0	26	0	450489	735	588206	913
24.	उत्तर प्रदेश	1170	0	2119	0	303911	513	21080716	16851	24546016	21229

1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
25.	पश्चिम बंगाल	2717	0	0	0	87877	641	2259865	8572	2762754	13438
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	5	0	758	20	512003	362	594610	419
27.	चण्डीगढ़					— आं॰प्रा॰न॰ —					
28.	दादर व नगर हवेली	34	0	7	0	384	4	152469	46	273882	89
29.	दमण और दीव	0	0	0	0	389	3	23819	5	34451	10
30.	दिल्ली	165	0	997	0	65188	1667	3185666	12196	3741361	14750
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	67	0	149987	0	169962	1
32.	पांडिचेरी	112	0	170	0	30823	96	3918692	2179	4094101	2302
	योग :	37191	7	70786	13	1044426	7176	108755269	105028	130880488	130588

आं॰प्रा॰न॰ – आंकड़े प्राप्त नहीं।

विवरण–II

1996

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दस्त के गंभीर मामले	मौतें	डिप्थीरिया के मामले	मौतें	पोलियों के मामले	मौतें	टेटनस–नवजात के मामले	मौतें	टेटनस के अन्य मामले	मौतें	काली खांसी के मामले	मौतें	खसरा के मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	1290761	476	1460	26	14199	9	88	41	554	151	6494	3	1274	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	30265	0	0	0	0	0	6	1	31	0	416	0	382	0
3.	असम							— आं॰प्रा॰न॰ —							
4.	बिहार							— आं॰प्रा॰न॰ —							
5.	गोवा	9791	27	0	0	0	0	4	0	0	0	306	0	56	0
6.	गुजरात	239357	81	193	28	36	3	107	63	227	31	29	0	1676	37
7.	हरियाणा	312492	72	3	0	12	2	89	15	104	12	96	1	115	2
8.	हिमाचल प्रदेश	377839	40	0	0	0	0	1	1	5	1	4	0	568	0
9.	जम्मू व कश्मीर	491824	33	23	0	55	0	21	1	3	0	3370	0	2001	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	कर्नाटक	664389	256	181	2	69	0	190	23	779	99	1814	3	3596	3
11.	केरल	610563	110	6	1	3	0	3	0	15	7	1137	0	6525	0
12.	मध्य प्रदेश	336013	97	100	1	296	2	250	23	915	32	22448	2	39237	21
13.	महाराष्ट्र	601811	367	51	2	47	4	21	5	415	69	5	0	5248	15
14.	मणिपुर	26164	5	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	167	0
15.	मेघालय	82996	3	8	0	0	0	3	0	1	0	1030	0	1431	0
16.	मिजोरम	10649	13	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	67	0
17.	नागालैण्ड	4517	2	144	0	86	0	125	0	248	0	933	0	448	0
18.	उड़ीसा	747410	431	440	7	68	4	389	79	838	127	1902	1	1845	1
19.	पंजाब	134735	19	14	4	7	0	115	15	108	14	76	0	48	0
20.	राजस्थान	164592	32	99	2	26	1	380	25	427	31	249	3	1401	6
21.	सिक्किम	— आं॰प्रा॰न॰ —													
22.	तमिलनाडु	140564	221	0	0	31	1	6	2	22	7	0	0	662	6
23.	त्रिपुरा	68236	25	8	2	6	0	2	1	23	6	568	2	1608	0
24.	उत्तर प्रदेश	1396469	671	503	11	389	29	721	139	392	97	848	3	2256	82
25.	पश्चिम बंगाल	— आं॰प्रा॰न॰ —													
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	27274	2	0	0	133	0	34	4	0	0	36	0	69	0
27.	चण्डीगढ़	— आं॰प्रा॰न॰ —													
28.	दादर व नगर हवेली	63983	10	0	0	0	0	0	0	4	2	240	0	203	0
29.	दमण और दीव	2307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
30.	दिल्ली	264792	39	177	65	376	13	160	60	109	44	110	0	1812	64
31.	लक्षद्वीप	6097	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
32.	पांडिचेरी	83107	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :	8188997	3048	3410	151	15839	68	2716	498	5220	730	43104	18	72742	255

आं॰प्रा॰न॰ – आंकड़े प्राप्त नहीं।

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गंभीर सांस के मामले	मौतें	निमोनिया के मामले	मौतें	इंटेरिक फीवर के मामले	मौतें	वायरल हेपेटाइटिस के मामले	मौतें	जापानी मस्तिष्क शोथ के मामले	मौतें	मेनिनगोकल के मामले	मौतें	अलर्क रोगी	मौतें
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	आंध्र प्रदेश	1575838	245	20367	378	43742	39	27825	96	366	30	1073	139	85	85
2.	अरूणाचल प्रदेश	31634	15	404	18	1472	2	737	0	0	0	14	0	0	0
3.	असम	— आं॰प्रा॰न॰ —													
4.	बिहार		— आं॰प्रा॰न॰ —			97	0				— आं॰प्रा॰न॰ —				
5.	गोवा	23128	0	75	2	4012	2	71	0	12	0	0	0	12	6
6.	गुजरात	470047	80	4766	115	1141	3	5125	63	2	10	60	15	4	2
7.	हरियाणा	616314	104	7052	72	13927	7	1942	18	162	34	109	12	8	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1122617	159	29674	98	18914	0	2382	5	50	0	3	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	316663	0	128643	2	23534	12	2709	2	0	0	189	0	985	0
10.	कर्नाटक	1264450	259	59471	115	5162	2	6238	36	405	13	268	42	4437	44
11.	केरल	3408712	142	20616	25	33489	150	11721	12	106	32	78	9	130	16
12.	मध्य प्रदेश	393883	152	21180	48	8875	10	12260	31	57	5	175	15	869	5
13.	महाराष्ट्र	298567	37	15821	364	1889	0	6516	198	0	0	219	73	71	71
14.	मणिपुर	10603	0	2694	5	2360	0	1403	1	5	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	121765	7	1163	3	495	0	237	0	0	0	2	0	279	0
16.	मिजोरम	21507	7	964	12	1470	0	309	1	0	0	8	0	0	0
17.	नागालैण्ड	1262	0	37	0	35094	85	576	0	9	0	4	0	56	0
18.	उड़ीसा	1105392	205	27016	451	1871	0	26332	172	37	7	469	54	101	14
19.	पंजाब	166577	92	1746	27	2840	3	2132	26	0	0	10	1	25	0
20.	राजस्थान	317273	79	35424	110	— आं॰प्रा॰न॰ —		2392	24	758	2	134	11	308	2
21.	सिक्किम		— आं॰प्रा॰न॰ —			6742	6				— आं॰प्रा॰न॰ —				
22.	तमिलनाडु	75071	122	4377	32	464	0	610	1	82	41	19	0	20	9

1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23.	त्रिपुरा	70363	47	500	18	34885	100	382	2	111	29	38	4	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1301635	585	150743	466	— आं॰प्रा॰न॰ —		258	12	0	0	0	0	105	0
25.	पश्चिम बंगाल		— आं॰प्रा॰न॰ —			622	0				— आं॰प्रा॰न॰ —				
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	51250	9	51	0	— आं॰प्रा॰न॰ —		617	4	0	0	3	3	0	0
27.	चण्डीगढ़		— आं॰प्रा॰न॰ —			260	2				— आं॰प्रा॰न॰ —				
28.	दादर व नगर हवेली	84673	5	439	15	0	0	383	2	21	5	5	1	4	0
29.	दमण और दीव	1988	0	10	0	6391	133	2	0	0	0	1	1	0	0
30.	दिल्ली	136772	47	28741	453	173	0	3555	43	110	17	579	27	346	27
31.	लक्षद्वीप	13322	0	51	0	1533	1	41	1	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	48564	4	3241	16			1199	1	0	0	0	0	7	0
	योग :	13049870	2402	565266	2845	251454	557	117954	801	2293	216	3460	407	7852	281

आं॰प्रा॰न॰ – आंकड़े प्राप्त नहीं।

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिफिलिस के मामले	मौतें	गोनोकोकल के मामले	मौतें	क्षय रोग के मामले	मौतें	अन्य रोगों के मामले	मौतें
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	आंध्र प्रदेश	18702	8	47929	3	119788	1046	12819457	11994
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	6	48	1	960	1	235327	66
3.	असम				— आं॰प्रा॰न॰ —				
4.	बिहार				— आं॰प्रा॰न॰ —				
5.	गोवा	1	0	57	0	5671	40	50469	2
6.	गुजरात	93	0	287	6	18643	374	3934223	1241
7.	हरियाणा	65	0	1215	0	40395	235	5600522	3056
8.	हिमाचल प्रदेश	101	0	454	0	19054	239	4071232	1902
9.	जम्मू व कश्मीर	1125	0	176	0	5813	0	5865470	101

1	2	31	32	33	34	35	36	37	38
10.	कर्नाटक	7007	0	8685	3	61295	733	8048690	8695
11.	केरल	559	6	338	0	39775	239	11411170	3716
12.	मध्य प्रदेश	1763	2	69578	2	31127	203	4528587	3542
13.	महाराष्ट्र	1375	0	581	0	68663	798	10940159	10463
14.	मणिपुर	97	0	86	0	958	16	306410	148
15.	मेघालय	6	0	0	0	390	0	354003	40
16.	मिजोरम	0	0	49	0	732	10	193125	367
17.	नागालैण्ड	47	0	71	0	239	0	25749	0
18.	उड़ीसा	837	0	1367	1	34652	402	7280753	9350
19.	पंजाब	13	0	333	0	24068	48	2700878	1878
20.	राजस्थान	61	0	308	1	19867	121	210944	1190
21.	सिक्किम				— आं॰प्रा॰न॰ —				
22.	तमिलनाडु	544	1	1489	9	17677	219	1468516	8095
23.	त्रिपुरा	134	0	110	0	0	0	485802	976
24.	उत्तर प्रदेश	568	0	1057	6	313208	514	24647143	10137
25.	पश्चिम बंगाल				— आं॰प्रा॰न॰ —				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	0	94	0	2822	10	451663	352
27.	चण्डीगढ़				— आं॰प्रा॰न॰ —				
28.	दादर व नगर हवेली	25	0	15	0	488	9	154801	64
29.	दमण और दीव	0	0	0	0	752	8	76205	33
30.	दिल्ली	287	0	2063	21	60182	1760	2763669	10244
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	63	0	148207	0
32.	पांडिचेरी	51	0	19	0	24562	82	3797644	2050
	योग :	33482	17	136409	53	908844	7107	114468988	89702

आं॰प्रा॰न॰ - आंकड़े प्राप्त नहीं।

वसुंधरा कोल फील्ड के नजदीक विद्युत परियोजना को स्थापित किया जाना

137. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वसुंधरा कोयला खान के नजदीक गोपालपुर में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी निजी विद्युत उत्पादक से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला खान के नजदीक विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) वसुंधरा कोयला खानों के समीप गोपालपुर में एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) ईंधनों के अतिरिक्त विभिन्न निवेशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी विद्युत परियोजना के स्थल का निर्णय लिया जाता है। इसके बावजूद भी, एक सामान्य नीति के रूप में कोयला पिटहैड स्टेशनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को "उग्रवादी राष्ट्र" घोषित किया जाना

138. **कुमारी उमा भारती :**
श्री विजय गोयल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार द्वारा उग्रवादियों को निरन्तर उकसाने और उनका समर्थन करने की मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को "उग्रवादी राष्ट्र" घोषित करने के लिए अमरीका सहित विश्व की महाशक्तियों से अनुरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) भारत के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाईयों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन और उनका संवर्धन करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वस्तुस्थिति से लगातार अवगत कराने की सरकार की सतत् नीति रही है। आतंकवाद को पाकिस्तानी समर्थन सर्वविदित है। पाकिस्तान आधारित संगठन हरकत-उल-अंसार को अमरीकी सरकार द्वारा हाल ही में आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करना पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद में ऐसे संगठनों के शामिल होना जाहिर करता है।

सरकार ने पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के दौरान उसे आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है तथा पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वह ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को बन्द करे। सरकार भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी समर्थन से निर्देशित आतंकवाद के प्रतिकार के लिए सभी उपाय करना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

139. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल बांध और पार्वती जल विद्युत परियोजना के कार्य को पूरा करने और बिजली के बंटवारे के संबंध में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान को अभी तक इस परियोजना से उसका देय भाग प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो करार के अनुसार राजस्थान को उचित भाग दिलवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) कोल बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मध्य 1981 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा 1992 में पार्वती जल विद्युत परियोजना से संबंधित गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश के अनुसार, कोल बांध के संबंध में करार वित्तपोषण रूपात्मकताओं को सुनिश्चित करने में आई समस्याओं के कारण रद्द हो गया कोल बांध परियोजना को अब निजी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाने का प्रस्ताव है।

पार्वती जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश द्वारा इक्विटी में अपने हिस्से को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने तथा विद्युत की भागीदारी में समान लाभ प्राप्त किए जाने की मांग के पूरा न होने के कारण रुका पड़ा है।

चूंकि यह दोनों परियोजनाएं ही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा लाभभोगी राज्यों को विद्युत का आबंटन निर्धारित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1. कोल बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में नदी घाटियों में जल विद्युत शक्यता का पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मध्य सितंबर, 1981 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 1984 में, कोल बांध जल विद्युत परियोजना की जांच तथा क्रियान्वयन के लिए दोनों राज्य सरकारों के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के निवेश तथा लाभों के हिस्से हेतु निम्नवत् रूप से प्रावधान किया गया है :-

		पूंजी	लाभ
1.	राजस्थान	75 प्रतिशत	63 प्रतिशत
2.	हिमाचल प्रदेश	25 प्रतिशत	37 प्रतिशत

हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार यह करार राजस्थान से संसाधनों की सुनिश्चित उपलब्धता के संबंध में प्रतिक्रिया न प्राप्त होने के कारण असफल हो गया।

2. पार्वती जल विद्युत परियोजना

पार्वती जल विद्युत परियोजना के तीन चरणों में अन्वेषण कार्य करने और क्रियान्वित किए जाने के लिए राजस्थान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के बीच दिनांक 20.10.1992 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया था। परियोजना हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी (कुल्लू जिला) में अवस्थित है। राज्य सरकारों के बीच हुए आपसी समझौतों के अनुसार इक्विटी अंशदान निम्नवत् होगा :

1.	राजस्थान	40 प्रतिशत
2.	हरियाणा	25 प्रतिशत
3.	गुजरात	15 प्रतिशत
4.	दिल्ली	15 प्रतिशत
5.	हिमाचल प्रदेश	5 प्रतिशत

समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना से उत्पादित 12 प्रतिशत ऊर्जा हिमाचल प्रदेश को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। परियोजना के शेष उत्पादित 88 प्रतिशत ऊर्जा हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि अन्य भागीदार राज्यों के हिस्से में कटौती करके उनकी इक्विटी भागीदारी को 5 प्रतिशत बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए।

जल विद्युत उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय नीति

140. श्री संदीपान थोरात :

श्री सत महाजन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.के. साम्बामूर्ति समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव के अनुरूप जल विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली गई है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में एन.एच.पी.सी. द्वारा क्रियान्वित की जा रही चमेरा चरण-II विद्युत परियोजना के लिए निवेश संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने 26 अगस्त, 1996 को श्री एम.के. साम्बामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जो निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक अनुमोदन में सामान्य रूप से तेजी लाने के लिए उपाय सुझाए तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिविल निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा की जांच हेतु पुर्ण लागत अनुमान पद्धति विज्ञान तथा क्षेत्र को विकसित करें। इसके अलावा, इस समिति को निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को सुलभ करने के लिए अन्य किसी विषय पर विचार करना था। इस समिति ने 27 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

साम्बामूर्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार को एक राष्ट्रीय जल विद्युत नीति तैयार करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के तरीकों एवं स्रोतों का पता चलाने के लिए एक दल का गठन किया है। सरकार ने जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए टैरिफ पर एक कार्य दल का भी गठन किया है। तथा एक निदर्श विद्युत क्रय करार (पीपीए) विकसित करने के लिए भी कार्य दल का गठन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II के लागत अनुमान पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड अपनी 28.7.97 को हुई बैठक में सहमत नहीं हुआ है। लागत अनुमान की उपलब्धता की जांच निष्पादन के टर्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा इसके साथ-साथ इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि 75 प्रतिशत परियोजना लागत निष्पादन कंसोर्टियम द्वारा मुहैया करवाई जानी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद ही निवेश अनुमोदन मांगा जाएगा।

दन्त चिकित्सा स्नातक

141. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई आकलन किया गया है कि देश में दन्त रोगों के संतोषजनक उपचार के लिए कितने दन्त चिकित्सा स्नातकों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजनावधि के दौरान राज्य तथा जनसंख्यावार कितने दन्त चिकित्सा स्नातकों की आवश्कता है; और

(ग) 1 सितम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में बी.डी.एस. और एम.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कालेजवार संख्या क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय दन्त परिषद ने सूचित किया है कि 1991 में दन्त चिकित्सक जनसंख्या अनुपात लगभग 1:43,000 था। 2004 ई० के अनुमान के अनुसार, लगभग 100 करोड़ जनसंख्या के लिए 50,000 दन्त सर्जन होंगे जिसका अर्थ है कि उस समय दन्त चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 1:20,000 होगा। दन्त कालेजों की संख्या और प्रवेश की वर्तमान दर में वृद्धि से 2010 ई० तक अनुपात कम होकर 1:15000 होने की आशा है।

(ग) देश में बी डी एस को प्रवेश देने और एम डी एस पाठ्यक्रमों को दर्शाने वाले दन्त कालेजों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संस्थाओं की सूची

क्र०सं०	संस्था का नाम व पता	मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित	सरकारी	मंजूर की गई बीडीएस सीटें
1	2	3	4	5
1.	डा० आर. अहमद डेंटल कालेज एवं अस्पताल, 114 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-14	मान्यता प्राप्त	सरकारी	50
2.	नायर अस्पताल डेंटल कालेज 12, डा० ए एल नायर रोड, वाइक्यूले, बम्बई-8	मान्यता प्राप्त	सरकारी	60
3.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, पी डी माल्या रोड़ फोर्ट बम्बई-1	मान्यता प्राप्त	सरकारी	100
4.	डेंटल कालेज एवं अस्पताल, के जी मेडिकल कालेज, लखनऊ-3	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
5.	पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अमृतसर-1	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
6.	तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कालेज, फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने, मद्रास-3	मान्यता प्राप्त	सरकारी	45
7.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, पटियाला-1	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
8.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज, फोर्ट, बेंगलूर-2	मान्यता प्राप्त	सरकारी	60
9.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैंपस, त्रिवेंद्रम-1 केरल	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
10.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अफजलगंज, हैदराबाद-12 (आ० प्र०)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40

1	2	3	4	5
11.	पटना डेंटल कालेज एवं अस्पताल, पटना	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
12.	कालेज आफ डेंटिस्टरी, इन्दौर-1 (म प्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
13.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, न्यू सिविल हॉस्पीटल कंपाउंड, असर्वे, अहमदाबाद-16 (गुजरात)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	50
14.	कालेज आफ डेंटल सर्जरी, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल-119 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
15.	गर्वनमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, नागपुर-3	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
16.	बापूजी डेंटल कालेज एवं अस्पताल, दावणगेरे-4 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
17.	राजा मुथिया डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अन्ना मलई नगर-2 (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	60
18.	गोधा डेंटल कालेज एवं अस्पताल, रिबान्दर हॉस्पीटल काम्प्लेक्स, पी ओ-रिबान्दर-6 (गोवा)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
19.	डेंटल कालेज, मेडिकल कैंपस, रोहतक-1 (हरियाणा)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20
20.	डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज पी ओ कालीकट-8 (केरल)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
21.	रीजनल डेंटल कालेज गुवाहाटी-2 (असम)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
22.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एवं अस्पताल, मेडिकल कालेज कैंपस, औरंगाबाद-1 (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
23.	डेंटल विंग, एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक-7 (उड़ीसा)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20
24.	डेंटल विंग, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर-1 (राजस्थान)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20
25.	डेंटल विंग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली-2	मान्यता प्राप्त	सरकारी	20
26.	गवर्नमेंट डेंटल कालेज एस.एम.एच.एस. अस्पताल परिसर, श्रीनगर (कश्मीर)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	10
27.	बुद्ध इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंस, पत्रकार नगर, कांकरबाग, पटना-20	मान्यता प्राप्त	निजी	40
28.	के.एल.ई. सोसायटी डेंटल कालेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज कैंपस, बेलगाम-10 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
29.	ए.बी. शेट्टी मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, बंट्स हॉस्टल रोड, मैंगलौर-2 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100

1	2	3	4	5
30.	जगतगुरू की शिवरात्रेश्वर डेंटल कालेज, बन्नीमंटप, मैसूर-15 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	60
31.	विनायक मिशन शंकराचार्य डेंटल कालेज 44, वित्तीय अग्राहरम, सलेम-1, (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
32.	जे.के.के. नटराज डेंटल कालेज, कोमारपालायम-183 (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	40
33.	एस.डी.एम. कालेज ऑफ डेंटल साइंस, धवलगिरी, धारवाड़-2 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
34.	एस.जे.एम. डेंटल कालेज एवं अस्पताल, चित्रदुर्ग-2 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	60
35.	एच.के.ई. सीसावटीज डेंटल कालेज, गुलबर्गा-5 (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	40
36.	कालेज आफ डेंटल सर्जरी, के.एम.सी., मैंगलोर (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	100
37.	वी एस डेंटल कालेज, के.आर. रोड, वी वी पुरम, बंगलौर-4	मान्यता प्राप्त	निजी	60
38.	राजू डेंटल कालेज, न्यू राजा नगर, वडकांगुलम-110 (त्रिनेलवेल्ली) (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	60
39.	एम.आर.ए. डेंटल कालेज, 1/36, क्लाइन रोड़ कूक टाउन, बैंगलोर-4	मान्यता प्राप्त	निजी	60
40.	डी ए वी सेंटेनरी डेंटल कालेज मॉडल टाउन, यमुना नगर-1 (हरियाणा)	मान्यता प्राप्त	निजी	40
41.	रागाज डेंटल कालेज, 116, डा॰ राधाकृष्णन सेलई, मद्रास-4	मान्यता प्राप्त	निजी	60
42.	सविता डेंटल कालेज, पूनमाल्ली, मद्रास-56	मान्यता प्राप्त	निजी	100
43.	सरजुग डेंटल कालेज हास्पिटल रोड, लेहरिया सराय, दरभंगा (बिहार)	अनुमोदित	निजी	40
44.	पी.एम. नाडागुडा डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, बगालकोट-101 जिला-बीजापुर (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	निजी	40
45.	भारतीय विद्यापीठ डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, पुणे	मान्यता प्राप्त	निजी	100
46.	श्री बालाजी डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल,-बालाजी नगर, नारायणपुरम	मान्यता प्राप्त	निजी	40
47.	मीनाक्षी अम्माल डेंटल कालेज, चेंगेई-अन्ना जिला (तमिलनाडु)	मान्यता प्राप्त	निजी	40
48.	डेंटल कालेज विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	अनुमोदित	सरकारी	40
49.	प्रवर रूरल इंस्टि॰ आफ डेंटल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लोनी, महाराष्ट्र	मान्यता प्राप्त	निजी	60

1	2	3	4	5
50.	दी नार्थ बंगाल डेंटल कालेज सिलीगुडी (प॰ बंगाल)	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
51.	पाण्डिचेरी डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल, पांडिचेरी	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
52.	विदरभा यूथ कल्याण सोसायटी डेंटल कालेज अमरावती (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	निजी	50
53.	महात्मा गांधी विद्या मंदिर दन्त्य कालेज एवं अस्पताल पंचवटी, नासिक (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40
54.	क्रिश्चियन दन्त्य कालेज लुधियाना (पंजाब)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40
55.	दन्त्य विज्ञान कालेज दावनगेरे (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100
56.	पदमश्री डा॰ डी.वाई. पाटिल दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, डा॰ डी॰वाई॰ पाटिल विद्या नगर सैक्टर-7, नोरूल नोडो नवी मुम्बई	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	60
57.	के॰वी॰जी॰ दन्त्य कालेज सुल्लिया (दक्षिण कन्नड़) कर्नाटक	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	60
58.	वसन्त दादा पाटिल दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, दक्षिण शिव नगर, सांगली (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40
59.	जमनालाल गोयनका दन्त्य कालेज एवं अस्पताल अकोला, महाराष्ट्र	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40
60.	योनोपोया दन्त्य कालेज जुलेखा कम्प्लेक्स, बीबी अलाही रोड मंगलूर	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	60
61.	श्रीमती राधिकाबाई मेघा मेगोरियल ट्रस्ट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, सवंगी (मेघे) वर्धा (महाराष्ट्र)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100
62.	छत्रपति शाहु महाराज शिक्षण संस्था का दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, लक्ष्मी निर्माण भवन, प्लाट नं॰ 4, सिडको औरंगाबाद	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	50
63.	गवर्नमेंट डेंटल, कालेज, जामनगर	मान्यता प्राप्त	सरकारी	40
64.	बी.आर.एस. डेण्टल कालेज एंड हास्पिटल,	अनुमोदित	निजी	60
65.	बंगलौर इंस्टि॰ आफ डेंटल साइंस एण्ड हास्पिटल, बंगलौर	मान्यता प्राप्त	निजी	60
66.	दयानन्द सागर कालेज आफ डेंटल सांइस, बंगलौर	मान्यता प्राप्त	निजी	40
67.	श्री एस॰ निजलिंगप्पा इस्टि॰ आफ डेंटल साइंस, हासन, बंगलौर कर्नाटक	मान्यता प्राप्त	निजी	40
68.	एम.एस. रमैया डेंटल कालेज, बंगलौर	मान्यता प्राप्त	निजी	40
69.	श्री रामचन्द्र डेंटल कालेज, मद्रास	अनुमोदित	निजी	60

1	2	3	4	5
70.	श्री गुरू राम दास इंस्टिट्यूट आफ डेंटल साइंस एण्ड रिचर्स, श्री अमृतसर	मान्यता प्राप्त	निजी	60
71.	हिमाचल डेंटल कालेज सुन्दर नगर (हि॰ प्रदेश)	अनुमोदित	निजी	60
72.	के॰जी॰एफ॰ कालेज आफ डेंटल साइंस, कोलार गोल्ड फिल्ड्स	अनुमोदित	निजी	40
73.	के॰जी॰एफ॰ कालेज आफ डेंटल सांइस, कोलर फिल्ड्स	अनुमोदित	निजी	40
74.	एस॰डी॰ पाटिल दन्त चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नौबाद, पोस्ट बाक्स सं॰ 52, बीदार-585402	अनुमोदित	निजी	40
75.	थाई मूगमबिगई दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल-1, थिरूमति कन्नमल, शैक्षणिककननमल, शैक्षणिक न्यास, 121 जी.एन. चेट्टी रोड़, टी.नगर, मद्रास-600017	अनुमोदित	निजी	40
76.	अल-अमीन दन्त चिकित्सा कालेज 3, मिल्लर टैंक बंड रोड, बंगलूर-560052	मान्यता प्राप्त	निजी	
77.	श्री राजीव गांधी दन्त चिकित्सा विज्ञान चोलानगर, हब्बल, बंगलूर-560032	अनुमोदित	निजी	40
78.	आक्सफोर्ड दन्त चिकित्सा कालेज, 1-फेस, जे.पी.नगर, बेंगलूर-560078	मान्यता प्राप्त	निजी	100
79.	संतोष दन्त चिकित्सा कालेज संतोष नगर, गाजियाबाद-201009 (उ॰प्र॰)	अनुमोदित	निजी	40
80.	डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर दन्त चिकित्सा विज्ञान एवं अस्पताल, न्यू बैले रोड, पटना-801503			
81.	डा॰ श्यामला रेड्डी दन्त चिकित्सा कालेज, 298, 7वां क्रास, डोमलुर लेआउट बैंगलूर-560071	अनुमोदित	निजी	40
82.	डा॰ एस॰ एम॰ नकवी इमाम, दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, बहेश-847201, जिला-दरभंगा दरभंगा, (बिहार)	अनुमोदित	निजी	60
83.	आर॰वी॰ दन्त चिकित्सा कालेज, 9वां मेन, 4 ब्लाक जयानगर, बंगलूर	मान्यता प्राप्त	निजी	40
84.	एच॰के॰डी॰ई॰टी॰ दन्त चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, हुमनाबाद	मान्यता प्राप्त	निजी	40
85.	अल-दोदर रूरल डेंटल कालेज एवं हास्पिटल, गुलबर्गा (कर्नाटक)	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	40
86.	रामा डेंटल कालेज एंड हास्पिटल रोड, कानुपर	अनुमोदित	प्राइवेट	100
87.	फरूजिया डेंटल कालेज, तिलक नगर, मैसूर	अनुमोदित	प्राइवेट	40
88.	दामोह इंस्टिट्यूट आफ रिसर्च एण्ड डेंटल साइंसेज, फरीदकोट	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	60

1	2	3	4	5
89.	सरदार पटेल इंस्टिट्यूट आफ डेंटल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	अनुमोदित	प्राइवेट	60
90.	श्री सिद्धार्थ डेंटल कालेज, तुमकुर	अनुमोदित	प्राइवेट	40
91.	कृष्णादेवरामा कालेज आफ डेंटल साइंसेज बंगलौर	अनुमोदित	प्राइवेट	40
92.	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर	अनुमोदित	प्राइवेट	60
93.	सुभारती डेंटल कालेज, मेरठ	अनुमोदित	प्राइवेट	60
94.	दरभंगा डेंटल कालेज, दरभंगा	अनुमोदित	प्राइवेट	40

विवरण

क्र॰सं॰	संस्था का नाम	प्रो॰	पेरिओ	ओरल सेक्स सर्जरी	कन.	अर्थो.	ओरल पैथो	कम्यूनिटी डेंट	पेड एंड प्रिवेंटिव	मडिसिन एंड रेडियो -लोजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	डा॰आर॰ अहमद दन्तय कालेज, कलकत्ता	2	2	2	2	2	2	–	2	–
2.	नायर अस्पताल दन्तय कालेज, मुंम्बई	3	3	3	3	3	3	–	2	3
3.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, मुम्बई	6	4	4	2	3	3	–	–	2
4.	दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ	4	4	–	–	4	–	–	4	–
5.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, अमृतसर	3	3	3	3	–	–	–	4	–
6.	तमिलनाडु गवर्नमेंट दन्त्य कालेज, मद्रास	2	–	4	3	4	2	–	3	2
7.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, पटियाला	2	2	–	1	–	–	–	–	–
8.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज, बैंगलूर	–	3	3	3	3	–	–	–	3
9.	दन्त्य खंड मेडिकल कालेज	3	3	3	4	3	3	–	2	–
10.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, हैदराबाद	2	2	2	2	2	–	–	2	2
11.	पटना दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, पटना	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	दन्त्य कालेज, इन्दौर	1	–	–	–	1	–	–	–	–
13.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, अहमदाबाद	2	3	3	3	4	1	–	–	2
14.	दन्त्य शल्य चिकित्सा कालेज	4	4	2	4	3	2	2	2	2
15.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, नागपुर	4	2	2	2	2	3	–	–	2
16.	बापूजी दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, दावेनगेरे	6	6	6	6	6	–	–	6	4
17.	राजा रूतिया दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, अन्ना मलाई नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	दन्त्य कालेज, रोहतक	1	–	–	–	1	–	–	1	–
19.	दन्त्य कालेज एवं मेडिकल कालेज, कालीकट	–	–	2	–	–	–	–	–	–
20.	क्षेत्रीय दन्त्य कालेज गुवाहटी	–	2	–	2	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	ए•ई• शैट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ दन्त विज्ञान, बेंगलूर	10	5	8	8	9	2	5	6	2
22.	दन्त विज्ञान कालेज	8	4	7	6	6	4	2	–	–
23.	दन्त कालेज, बेंगलूर	–	–	–	–	2	–	–	4	–
24.	श्री रावभाई दन्त कालेज, बेंगलूर	2	2	–	–	–	–	–	–	1
25.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़	–	–	–	–	2	–	–	4	–
26.	आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी	1	–	–	1	–	–	–	–	–
27.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	–	–	–	–	2	–	–	–	–
28.	आनंद मेडिकल कालेज, पुणे	2	2	–	–	2	–	–	–	–
29.	गवर्नमेंट दन्त्य कालेज एवं अस्पताल, औरंगाबाद	3	3	–	3	–	3	–	–	3
30.	जे•एस•एस• दन्त कालेज, मैसूर	2	–	–	–	2	–	–	–	2
31.	एस•आर•ए• दन्त कालेज, बेंगलूर	1	2	–	2	2	–	–	–	2
32.	सविता दन्त कालेज, मद्रास	6	–	–	6	7	–	–	–	–
33.	बुद्ध दन्त विज्ञान संस्थान, पटना	2	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	गोवा दन्त कालेज एवं अस्पताल	3	–	–	–	2	–	–	–	–
35.	के•एल• सोसायटी दन्त विज्ञान संस्थान, बेलगाम	6	4	3	4	6	2	–	–	–
36.	दन्त कालेज एवं अस्पताल, बागलकोट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.	रागस दन्त कालेज, मद्रास	–	–	–	–	4	–	–	–	–

[हिन्दी]

लोक शिकायत

142. **श्री डी•पी• यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 के दौरान लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग में पेंशन तथा अन्य शिकायतों से संबंधी कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) कितने मामलों को निपटाया गया है तथा इस समय कितने मामले लंबित पड़े हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस•आर• बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशन-भोगी कल्याण विभाग में 1.1.1997 से 31 अक्तूबर, 1997 तक प्राप्त हुई और निपटाई गई पेंशन संबंधी तथा अन्य शिकायतों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

प्राप्त शिकायतों की संख्या	*निपटाई गई शिकायतों की संख्या*	*लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या*
7500	7076	424

[अनुवाद]

खराब पड़े उपस्कर

143. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश पर सरकार ने शहर के सरकारी अस्पतालों में खराब पड़े उपस्करों के मामले की जांच करने के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों ने, यदि कोई हो, अपनी रिपोर्टों में क्या निष्कर्ष निकाला; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 5.9.1997 के आदेश में दो समितियां गठित की हैं। एक समिति दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कार्य न कर रहे चिकित्सीय उपस्करों के मामलों को देखने के लिए है और दूसरी सफदरजंग अस्पताल में 1990-92 के दौरान IV फ्लूड्स की खरीद की जांच के लिए गठित की गई है जिन्हें 20.9.97 से कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया गया

था। पहली समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा प्रक्रियाओं/प्रणालियों में अन्तर और कमियों का पता लगाना, यह पता लगाना कि क्या अस्पतालों द्वारा खरीदे गए उपस्कर लम्बे समय से अप्रयुक्त पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं और इस बारे में उपचारी उपाय सुझाना शामिल है।

मूलभूत सुविधाएं

144. **श्री पृथ्वीराज दा॰ चौहान :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997 के दौरान मंत्रिमंडल समिति द्वारा विद्युत क्षेत्र की स्वीकृत मूलभूत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मूलभूत क्षेत्र में सतत् निवेश की सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) एनटीपीसी की फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना (400 मे.वा.) सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) और पावरग्रिड के उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र को मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 1997 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) विद्युत क्षेत्र में निवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान करने की पद्धति को सफल एवं कारगर बना दिया है। नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र वित्तपोषण हेतु एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हेतु विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। विधेयक का अधिनियम करने से राज्यों को निवेश हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा आईपीपी को उच्च संतुष्टि स्तर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी मानदंडों में छूट प्रदान करने के वास्ते वित्तीय संस्थानों से भी अनुरोध किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

145. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में राज्यवार, विशेषरूप से केरल में कितने व्यासायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूरी प्रदान की है और ऐसे संस्थानों को अब तक कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने मंजूरी के लिए आवेदन किया है और सरकार के पास कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) लंबित मामलों को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने हेतु मंजूरी अथवा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे केन्द्रों का अनुमोदन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, विश्व बैंक सहायि्यत वर्तमान में चल रही व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना में मैचिंग आधार पर, 89 नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त स्कंध खोलने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केरल में महिलाओं हेतु ऐसे पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी अस्पतालों में खरीद प्रणाली

146. **श्री भक्त चरण दास :**
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री आई॰डी॰ स्वामी :
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में दवाइयों, पट्टियों, गेज और दूसरी मदों की खरीद में अत्यधिक भ्रष्टाचार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए हैं और प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में अस्पतालों से पट्टियों, दवाइयों आदि के नमूने परीक्षण के लिए एकत्र किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन नमूनों के परीक्षण से क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) दिल्ली के अस्पतालों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों की रोकने के लिए दवाइयों और दूसरी मदों की खरीद प्रणाली को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या अस्पताल नामी विनिर्माताओं अथवा केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार से चादरों और तौलियों की खरीद करने की बजाए उनके लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा मदवार अस्पतालों द्वारा अस्पतालवार तथा मद-वार कितनी चादरें और तौलिए खरीदे गए और खरीदी गई मदें किस कम्पनी की थीं और उन्हें किस दर पर खरीदा गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है।

(ख) हाल ही में एक समाचार पत्र में गेज, पट्टियों और अन्य मदों की खरीद में अनियमितताओं के आरोप की ओर ध्यान आकृष्ट

किया गया था। सफदरजंग अस्पताल द्वारा तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की गई थी जिसमें पाया कि अस्पताल में कोई अनियमितता नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अस्पताल से किसी अन्य मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से पट्टियों और गेज के नमूने लिए।

(घ) नमूनों के ब्यौरे और परीक्षण के परिणाम इन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया को अपनाने के बाद खरीद की जाती है।

(छ) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	मद का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	खरीदी गई मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सफदरजंग अस्पताल				
1.	**पलंग चादरें**			
	1994-95	शून्य	शून्य	
	1995-96	एन.टी.सी.	1000 (155/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी (खुली निविदा द्वारा)
		मे॰ एस.एल राम एंड कंपनी	3284 (145/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी (खुली निविदा द्वारा)
	1996-97	मे॰ एस.एल राम एंड कंपनी	4216 (145/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी (खुली निविदा द्वारा)
		मे॰ केन्द्रीय भंडार	3000 (168/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी (खुली निविदा द्वारा)
2.	**हेण्ड टावल्स**			
	1994-95	शून्य	शून्य	
	1995-96	मे॰ सोनी सर्जिकल्स	2000 (7.40 रुपये के हिसाब से)	(खुली निविदा द्वारा)
	1996-97	शून्य	शून्य	
3.	**बाथ टावल्स**			
	1994-95	शून्य	शून्य	
	1995-96	एन.टी.सी.	300 (55/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी
	1996-97	एन.टी.सी.	100 (55/- रुपये के हिसाब से)	सरकारी एजेंसी (खुली निविदा द्वारा)
डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल				
1.	**पलंग चादरें**			
	1994-95	मे॰ एन.टी.सी.	2739	
		मे॰ हरियाणा राज्य लघु उद्योग		
	1995-96	-तदैव-	4800	
	1996-97	मे॰ गुजरात राज्य	5500	
		एंड औद्योगिक शक्ति परिषद		
		मे॰ केन्द्रीय भंडार		
2.	**टावल्स**			
	1994-95	शून्य	शून्य	
	1995-96	मे॰ खादी ग्रामोद्योग भवन	3100	
	1996-97	मे॰ सेनी सिंगर	1599	
		मे॰ मेडिकल एजेंसी		

1	2	3	4	5

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल

लेडी हार्डिंग कालेज में पलंग की सफेद चादरों को मेसर्स खादी भंडार से 48/- रुपये प्रति मीटर के हिसाब से सीधे खरीदे जाने के बाद उनकी दर्जियों द्वारा सिलाई की जाती है। प्रत्येक चादर के 2.74 मीटर लम्बी ओर 1.50 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में 10700 चादरें सिली गई। तौलिए केन्द्रीय भंडार से 36/- रुपये के हिसाब से मेसर्स खादी भंडार से खरीदे गए। पिछले तीन वर्ष में कुल 2200 तौलिए खरीदे गए।

कलावती सरन शिशु अस्पताल

1. पलंग चादरें

1994-95	मेसर्स खादी भंडार	4000 (प्रत्येक 130/- रुपये के हिसाब से)
1995-96	-तदैव-	6000 (प्रत्येक 130/- रुपये के हिसाब से)
1996-97	शून्य	शून्य

2. तौलिए

1994-95	शून्य	शून्य
1995-96	शून्य	शून्य
1996-97	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

फिजी के साथ संबंध

147. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी सरकार ने भारत से राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1989 में उत्पन्न स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारतीय दूतावास कब से वहां काम करना शुरू कर देगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) फीजी के प्रधान मंत्री एस.एल. राबुका ने सितम्बर, 1997 में प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा था जिसमें सुवा में अपना मिशन पुनः खोलने के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और सुवा में शीघ्र ही भारतीय उच्च आयोग पुनः खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) भारत सरकार ने फीजी की सरकार को अपनी इस आशा और विश्वास से अवगत करा दिया है कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं असामान्य थी जिन्हें हमेशा के लिए नजर-अंदाज कर दिया जाएगा ताकि फीजी के सभी लोग ऐसी लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जिसमें फीजी के सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के निर्माण में समान साझीदारी, अवसर और उत्तरदायित्व प्राप्त हों, शान्ति, प्रगति और स्थायित्व का लाभ मिल सके। यह आशा भी वयक्त की गई है कि फीजी के नए संविधान, जिसमें पूर्व के संविधान के सभी भेदभाव पूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, को अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा। हमने राष्ट्रमण्डल की हरारे घोषणा में निर्दिष्ट लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता के आधार पर राष्ट्रमंडल के उसके पुनः प्रवेश पर फीजी का समर्थन किया है।

(घ) सरकार सुवा में शीघ्र ही अपना उच्चायोग पुनः खोलने के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

148. **श्री रमेन्द्र कुमार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50,000 गांवों के विद्युतीकरण तथा 25 लाख पंपसेटों की बिजली की पूर्ति हेतु 40,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का केवल 30 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50000 गांवों का विद्युतीकरण करने तथा 25 लाख पंपसैटों का ऊर्जन करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया था। तथापि इस अवधि के दौरान आरईसी को किया गया आबंटन निम्नवत था :-

वर्ष	करोड़ रुपए में
1992-93	510.00
1993-94	600.00
1994-95	654.85
1995-96	799.83
1996-97	783.00
जोड़	3347.68

(ग) जी, नहीं। 8वीं योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और पंपसैट ऊर्जन के लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। विद्युतीकरण हेतु 14872 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 17114 गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया था। पंपसैटों के ऊर्जन के संबंध में 1208178 पंपसैटों के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 1689371 थी।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सरकार गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और पंपसैटों के ऊर्जन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इन गांवों का तीव्र विद्युतीकरण करने के लिए भारत सरकार रियायती शर्तों व निबंधनों पर आरईसी के जरिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

यूरेनियम और थोरियम का उत्पादन

149. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में यूरेनियम और थोरियम का कितना उत्पादन होता है और ये खनिज संसाधन कहां से प्राप्त किये जाते हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम और थोरियम पाये गये हैं और देश के अन्य उन स्थानों पर जहां उक्त खनिजों के भंडार मिले हैं, ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इन खनिज पदार्थों के भंडारों में से कब तक कर्षण कार्य शुरू करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार विदेशी सहायता से कुछ नये रिएक्टरों को स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनकी सहायता से इस वार्षिक योजना के दौरान नये रिएक्टरों को स्थापित किया जायेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) इस यूरेनियम का दोहन बिहार के सिंहभूम जिले में जादुगुडा, भाटिन, नरवा-पहाड़ के यूरेनियम निक्षेपों में से, तथा बिहार के सिंहभूम जिले में ताम्र की खानों में से निकली ताम्र पछोड़नों में से किया जा रहा है। मोनोजाइट के एक हिस्से के रूप में थोरियम मुख्यतः तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय बालुका निक्षेपों में पाया गया है। देश में यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन के बारे में सूचना देना राष्ट्र हित में नहीं है।

(ख) और (ग) यूरेनियम खनिजीकरण उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में सोनराय-पिसनारी में पाया गया है। तथापि, किए गए विस्तृत मूल्यांकन से यह पता चला है कि इनका खनन/दोहन करना तकनीकी रूप से संभव और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

देश में यूरेनियम के निक्षेप निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं :

स्थान	जिला
जादुगुडा, भाटिन, नरवापहाड़	जिला सिंहभूम, बिहार
तुरमडीह, मोहलडीह, बगजाता,	जिला सिंहभूम, बिहार गाराडीह, कन्यालिका
डोमियासियात	जिला पश्चिम खासी पहाड़ियां, मेघालय
लाम्बापुर	जिला नालगोंडा, आंध्र प्रदेश
तुमलापल्ली	जिला कुड्डपा, आंध्र प्रदेश

(घ) और (ङ) जी हां। रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 1000 मेगावाट वाले हल्का पानी रिएक्टरों के दो यूनिट लगाना प्रस्तावित है। तथापि, ये इसे वार्षिक योजना (1997-98) के दौरान स्थापित नहीं किए जाएंगे।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का अंतरण

150. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित 179 योजनाओं को राज्यों को उनके सीधे कार्यान्वयन के लिए अंतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए मुहैया कराई गई धनराशि का समुचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा एक योजना से दूसरी योजना के लिए धनराशि का उपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ङ) केन्द्र रूप से प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को राज्यों को अंतरित करने के प्रश्न पर योजना आयोग में एक प्रयोग किया गया था। इस विषय पर एक नोट संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु भिजवाया गया था। प्राप्त उत्तरों के आधार पर इस विषय पर एक संशोधित नोट पूर्ण योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) के अनुमोदन हेतु तैयार किया जा रहा है। एप्रोच पेपर के अनुक्रम में, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त योजना प्रतिपादन और संयुक्त मानीटरिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

विभिन्न रोगों के लिए उपचार योजनाएं

151. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत कैंसर, गुर्दा और दिल की बीमारियों तथा अन्य लाइलाज गंभीर रोगों के उपचारार्थ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) इससे अनुमानतः कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) योजनाओं (क) राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि (ख) स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ख) मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त राशि के ब्यौरे इस प्रकार है –

(1) रुग्णता सहायता निधि

यह निधि 1996-97 में बनाई गई है और राज्य रुग्णता सहायता निधि के अंतर्गत अवमुक्त अनुदान इस प्रकार हैं –

	राज्यों के नाम	अवमुक्त निधि
1.	कर्नाटक	5 करोड़ रुपये
2.	मध्य प्रदेश	5 करोड़ रुपये
3.	त्रिपुरा	2 करोड़ रुपये
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	50 लाख रुपये

(2) स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान

अनुदान राज्यों को रिलीज नहीं किया जाता है बल्कि अस्पतालों को दिया जाता है जहां पर रोगी इलाज प्राप्त कर रहे हैं/इलाज कराने का प्रस्ताव है। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत राशि इस प्रकार है –

वर्ष	अवमुक्त राशि
1994-95	9.63 लाख रुपये
1995-96	29.97 लाख रुपये
1996-97	44.06 लाख रुपये

(ग) इन योजनाओं से लाभान्वित योजनाएं इस प्रकार हैं –

(1) राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के अंतर्गत

	राज्य	लाभान्वित व्यक्ति
1.	कर्नाटक	1134
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	35
3.	मध्य प्रदेश	शून्य
4.	त्रिपुरा	शून्य

(2) स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान

वर्ष	लाभान्वित व्यक्ति
1994-95	104
1995-96	257
1996-97	366

विवरण

राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 13.1.97 के संकल्प के तहत की गई थी जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I खंड I में (सं॰ 9) में प्रकाशित किया गया है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) रुग्णता सहायता निधि स्थापित करे जो कि पंजीकृत सोसाइटी होगी। राज्य सरकार के संघ राज्य प्रशासन

से इस सोसाइटी को प्राप्त दान को राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा किए गए अंशदान के 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान से सम्पूरित किया जाएगा, जो कि ऐसे राज्यों के मामले में अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी। जहां की अधिकांश आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही हो। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह राशि 2 करोड़ रुपए होगी। गरीबी रेखा योजना आयोग द्वारा परिभाषित की जाएगी। इस निधि में व्यक्तियों, निगमित निकायों और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानवप्रेमी संगठनों द्वारा अंशदान किया जा सकता है। इस निधि में प्राप्त अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के अंतर्गत आयकर के भुगतान से छूट होगी। सोसाइटी के खातों का अंकेक्षण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखाकार द्वारा किया जाएगा।

इस निधि से गरीबी रेखा के नीचे के ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो प्राणघातक रोगों से पीड़ित हों और सुपर स्पेशियलिटी वाले अस्पतालों/संस्थाओं अथवा इस योजना में सहभागी अन्य सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना हो। सहायता एक बारगी अनुदान के रूप में होगी और यह उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को अवमुक्त की जाएगी जहां उपचार प्राप्त किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान अवमुक्त करने के लिए 1996-97 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बजट अनुदान में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1997-98 के बजट में भी इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है लेकिन बाद में इसे घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 5 करोड़ रुपए के आरम्भिक दान से राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि की स्थापना की जानी चाहिए। इस निधि में भी व्यक्तियों, निगमित निकायों और गैर-निगमित निकायों द्वारा अंशदान किया जा सकेगा। इस निधि में किया गया अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के अंतर्गत, आयकर से मुक्त होगा। राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होगी। यह निधि एक पंजीकृत सोसाइटी होगी और इसके खाते का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष अंकेक्षण किया जाएगा।

निर्धन रोगी के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा 1.5 लाख रुपए से कम है। धनराशि राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र स्तर पर अवमुक्त की जाएगी और यदि सहायता राशि व्यक्तिगत मामले में 1.5 लाख रुपए से अधिक है, तो उस मामले की संस्तुति केन्द्र में राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि को की जाएगी।

राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को इसी प्रकार के सहायता अनुदान के लिए बजट परिव्यय पर निर्णय लेगी।

(ख) स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान निधि

निर्धन रोगियों को विशेषज्ञ उपचार पर चिकित्सीय खर्चों के कुछ भाग को वहन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता प्रत्येक मामले में 20000 रुपए तक सीमित होगी।

[अनुवाद]

अमरीकी शिष्टमंडल का दौरा

152. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 1997 में भारत का दौरा किया था और भारत के विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता किस हद तक सफल रही;

(ग) क्या अमरीका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में चयनित आधार पर सदस्यता का प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी और राज्य में आतंकवादी तैयार करने तथा उसकी मदद करने में पाकिस्तान के संलिप्त होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां। राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री थॉमस पिकेटिंग के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर, 1997 में भारत यात्रा पर आया था। प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श किया और प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से मुलाकात की।

(ख) द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर अमरीका के साथ व्यापक एकीकृत और अग्रोन्मुखी बातचीत के परिप्रेक्ष्य में यह वार्ता अत्यन्त सफल रही है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी बातचीत हुई। अमरीकी पक्ष ने जर्मनी और जापान तथा विकासशील देशों में से तीन अन्य देशों को स्थायी सदस्यों के रूप में समर्थन देने की अपनी स्थिति स्पष्ट की। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भेदभाव रहित दृष्टिकोण और विकासोन्मुख मानदण्ड की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की।

(घ) और (ङ) पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवाद को निरंतर समर्थन दिए जाने और नियंत्रण रेखा तथा जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अकारण गोलीबारी किए जाने की ओर भी अमरीकी नेताओं का ध्यान आकृष्ट

किया गया। अमरीकी पक्ष ने कहा कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को गंभीरता से लिया है। अमरीकी सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान आस्थानी संगठन हरकत-उल-अंसार को अमरीकी कानून के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इन वार्ताओं से द्विपक्षीय सहयोग तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए तौर-तरीकों को बेहतर पारस्परिक समझबूझ का निर्माण करने में सहायता मिली है।

चीनी उद्योग वेतन ढांचा

153. श्री नवीन पटनायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग में नियोजित लोगों का वेतन ढांचा संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार चीनी उद्योग में नियोजित लोगों की लगभग संख्या कितनी है;

(ग) प्रति कर्मचारी प्रतिदिन का प्रति माह किस दर से वेतन निर्धारित किया गया है; और

(घ) प्रस्तावित संशोधित वेतन ढांचा का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके 3.10.97 को चीनी उद्योग संबंधी एक त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति गठित की है। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, चीनी उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मजदूरी ढांचे के बारे में जांच-पड़ताल करेगी।

(ख) चीनी उद्योग में नियोजन के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1994-95 में कर्मचारियों की कुल संख्या 3.805 लाख थी।

(ग) चीनी उद्योग के कर्मकारों को सामान्यतया मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के उपबंधों के द्वारा शासित किया जाता है। प्रति कर्मकार की प्रतिदिन/प्रतिमाह मजदूरी की दर के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) चीनी उद्योग में मजदूरी ढांचे के संबंध में अभी तक कोई सिफारिश नहीं दी है।

आयुर्वेद के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान

154. श्री कोडीक्कुनील सुरेश :
श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम, केरल में स्थित आयुर्वेद के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को बंद करने और इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया और इसे कहां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अपने निर्णय की समीक्षा करने और संस्थान को केरल में ही बनाए रखने का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां;

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा करने तथा पुनर्संरचना तथा पुनर्संगठन की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था क्योंकि क्षेत्र स्टेशनों अर्थात् 86 की वर्तमान संख्या पर उनके स्थान, पर्यवेक्षण नियंत्रण आदि की दृष्टि से नियंत्रण रखना और कठिन हो गया है।

अनेक इकाइयां अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सहायता के कारण नहीं चल रही हैं। अनेक इकाइयां लागत प्रभावी नहीं हैं। शासी निकाय तथा सरकार द्वारा यथास्वीकृत समिति की सिफारिशों के आधार पर उपरोल्लिखित निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को, इसके औषध मानकीकरण प्रभाग को छोड़कर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, चेत्थुरूथी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के औषध मानकीकरण प्रभाग को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सिद्ध) चेन्नई के साथ मिलाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां। क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) त्रिवेन्द्रम को इसके मौजूदा स्थान पर रहने देने के लिए केरल के माननीय मुख्य मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ङ) परिषद के प्रस्तावित पुनर्संगठन तथा पुनर्संरचना के कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालय, चेन्नई द्वारा रोक लगा दी गई है।

विद्युत क्षेत्र हेतु अतिरिक्त बजटीय सहायता

155. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए

केन्द्र सरकार द्वारा पहले से नियत किये आवेदन से 12,155 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त बजटीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आयोग द्वारा पहले से आवंटित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) नौवीं योजना को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। नौवीं योजना हेतु लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वदेशी बजटीय सहायता (डीबीएएर) के लिए विद्युत मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है जिसके कारण निम्नवत् है :-

1. केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को गति प्रदान करना।
2. केन्द्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना।
3. विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य करना।
4. महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय तथा अन्तःक्षेत्रीय लिंकों का निर्माण करना।
5. दसवीं योजना तथा इसके बाद चालू किए जाने वाली ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं पर अग्रिम रूप से कार्रवाई करना।

प्रधानमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विद्युत क्षेत्र को निधियां आवंटित किए जाने के लिए अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

पनबिजली का उत्पादन

156. **प्रो॰ रासा सिंह रावत** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पनबिजली के उत्पादन संबंधी क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में पनबिजली का उत्पादन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार चालू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं में अलग-अलग केन्द्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में आर्थिक दृष्टि से दोहन योग्य पन बिजली शक्यता 60 प्रतिशत भार घटक पर 84044 मे.वा. आकलित की है।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) को योजना आयोग में अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार की निजी क्षेत्र विद्युत नीति के वर्ष 1991 से चालू हो जाने के बाद समझौता ज्ञापन/आशय पत्र के माध्यम से 11 जल विद्युत परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) और अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया माध्यम से 10 स्कीमों (1000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) की स्थापना किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उपरोक्त उल्लिखित 21 स्कीमों की कुल क्षमता 37141.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10970 मे.वा. इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा रखे गए प्रस्ताव (7.11.97 की स्थिति के अनुसार)

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अंनतिम लागत (करोड़ रु॰)	प्रकार	समझौते की तिथि	के.वि.प्रा. की स्वीकृति	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
	जम्मू व कश्मीर						
1.	सावलकोर्ट	3×200	2000.000	जल विद्युत			बोली के अधीन
2.	पकलडूल एचईपी	1000	2000.000	-वही-			-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बुरसर एचईपी	1020	2000.000	जल विद्युत			बोली के अधीन
4.	किशनगंगा एचईपी	3×110	1000.000	–वही–			–वही–
	कुल 4	2950	7000.000				
	हिमाचल प्रदेश						
5.	धामवाड़ा एचईपी	70	385.000	जल विद्युत	28.08.93	आईपीसी	मैसर्स धामवाड़ी पावर क०, यूएसए
6.	हीबरा एचईपी	231	1162.910	–वही–	28.08.93	आईपीसी	धामवाड़ा पावर क० प्रा० लि०
7.	बासपा चरण–II	300	949.230	–वही–	23.11.92	टीईसी	जय प्रकाश इन्डस्ट्रिज लि०
8.	ऊहल–III एचईपी	2×50	469.300	–वही–	10.02.92	आईपीसी	बेल्लारपुर इन्डस्ट्रिज लि०, दिल्ली
9.	करचाम वांगटू	1000	4397.000	–वही–	29.08.93	आईपीसी	जय प्रकाश इन्डस्ट्रिज लि०
10.	एलियन दुहागन	192	777.190	–वही–	28.08.93	आईपीसी	राजस्थान सीपिनिंग व वेविंग मिल्स लि०
11.	मलाना एचईपी	86	380.000	–वही–	28.08.93	आईपीसी	–वही–
12.	कोल डाम	800	2800.000	–वही–			बोली के अधीन
13.	रामपुर	680	2380.000	–वही–			बोली के अधीन
	कुल 9	3459	13700.630				
	उत्तर प्रदेश						
14.	विष्णु प्रयाग एचईपी	4×100	1614.600	जल विद्युत	14.10.92	टीईसी	जय प्रकाश इन्डस्ट्रिज लि०
15.	तपोवन विष्णु गढ़	360	1260.000	–वही–			बोली के अधीन
16.	पाला मलेरी एचईपी	460	1610.000	–वही–			बोली के अधीन
17.	श्रीनगर एचईपी	5×66	1510.000	–वही–	27.08.94	आईपीसी	मैसर्स डुनकन, कलकत्ता/शायरनियसी, यूएसए
18.	मैबेरी भाली–II	304	1064.000	–वही–			बोली के अधीन
	कुल 5	1854	7058.600				
	मध्य प्रदेश						
19.	महेश्वर एचईपी	10×40	1582.000	–वही–	28.07.93	टीईसी	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि०/पीएसी जीईएन, यूएसए
	कुल 1	400	1582.000				
	कर्नाटक						
20.	अलमाटी एन थनमाकल	1107	3600.000	–वही–	15.07.92	आईपीसी	मैसर्स चामुण्डी पावर क० लि०, यूएसए
	कुल 1	1107	3600.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
	सिक्किम						
21.	तीस्ता-III	1200	4200.000	जल विद्युत			बोली के अधीन
	कुल 1	1200	4200.000				
	कुल जोड़ 21	10970.00	37141.230				

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

157. **श्री शरत पटनायक :**
श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की सेवा अवधि को 20 वर्ष से कम करके 15 वर्ष करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुलहस्ती विद्युत परियोजना

158. **श्री के॰एस॰ रायुडू** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कम्पनी का ब्यौरा क्या है जिसे दुलहस्ती विद्युत परियोजना का ठेका दिया गया है और ठेके को अंतिम रूप किस वर्ष दिया गया था;

(ख) इस समय इस परियोजना की मूल और अनुमानित संशोधित लागत कितनी है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) फ्रेंच कंसोर्टियम ऑफ फर्मस जिनमें मै॰ कोयन एट बेलियर (सीओबी), मै॰ डुमेज, सोगे एंड बोरिए (डीएसबी) मै॰ सीईजीईएलईसी, मै॰ कोमलेक्स और मै॰ एसईआईटीपी शामिल हैं, दुलहस्ती परियोजना को इसके द्वारा टर्न-की आधार पर क्रियान्वित किए जाने हेतु 1989 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) परियोजना की मूल स्वीकृत लागत (अक्तूबर, 1988 के मूल्य स्तर पर) 1262.97 करोड़ रुपये थी। परियोजना की संशोधित लागत (1996 के मूल्य स्तर पर) 3559.77 करोड़ रुपये है। फ्रेंच सिविल ठेकेदार (मै॰ डीएसबी) के हट जाने के पश्चात् डीएसबी के संयंत्र और मशीनरी को एनएचपीसी ने अपने हाथ में ले लिया और विभागीय तौर पर सिविल कार्य की शुरूआत कर दी ताकि शेष सिविल कार्यों को पूरा किया जा सके। एनएचपीसी ने एक नये सिविल ठेकेदार (भारतीय एवं नार्वेजियन फर्मों के कंसोर्टियम) को ठेका दे दिया। परियोजना को पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराई जायेंगी। बांध क्षेत्र में 96 प्रतिशत खुदाई कार्य और 25 प्रतिशत कंक्रिटिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। 10.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत हैडरेस सुरंग का 35.8 प्रतिशत खुदाई कार्य पूरा हो गया है। भूमिगत विद्युतघर क्षेत्र में विद्युतघर गुफा तथा ट्रांसफार्मर गैलरी का खुदाई कार्य प्रायः पूरा हो गया है। वैद्युत, यांत्रिकी तथा जल विद्युत यांत्रिकी उपस्करों के सप्लाई कार्य में 93% प्रगति हुई है। अन्य कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है क्योंकि मूलतः इसे जुलाई, 1994 तक पूरा किया जाना था। तथापि, कथित अशांत सुरक्षा वातावरण के कारण फ्रेंच कंसार्टियम द्वारा अगस्त, 1992 में परियोजना का कार्य आस्थगित कर दिया गया था। शेष सिविल कार्य के क्रियान्वयन हेतु ठेका पत्र मार्च, 1997 में नई एजेंसी को दिया गया था। यह अनुमान है कि परियोजना को पूरा होने में मार्च, 2001 का समय लगेगा।

[हिन्दी]

कृत्रिम हृदय वाल्व

159. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृत्रिम हृदय वाल्व का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परीक्षण किया गया है, और फिर इसे उपयुक्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में विकसित कृत्रिम हृदय वाल्व पर अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) हृदय रोगियों के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर इस वाल्व पर विकास करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। श्री चित्रा तिरूनल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल द्वारा एक कृत्रिम हृदय वाल्व विकसित किया गया है और इसका परीक्षण किया गया है और यह सुरक्षित तथा नैदानिक क्षेत्र में अन्य समान वाल्व के बराबर पाया गया है।

(ग) और (घ) चित्रा वाल्व की लागत, 12,500 रु॰ तथा 14,500 रु॰ क बीच है। एक फार्मास्युटिकल कम्पनी ने यह वाल्व पहले ही विकसित कर लिया है।

जन्म दर

160. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबंदी आपरेशन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1996 से लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के अंतर्गत गर्भ-निरोधक के साथ परिवार नियोजन के सभी उपायों को देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। बंध्यीकरण शल्य-चिकित्सा सहित परिवार नियोजन के केन्द्रीय निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था का स्थान अब प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में निचले स्तर तक सेवाओं की गुणवत्ता, परिचर्या की गुणवत्ता एवं ग्राहकों के संतोष पर अधिक बल देते हुए विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना में ले लिया है।

[अनुवाद]

संसाधनों की कमी की समस्या

161. **श्री वी॰ए॰ चरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा उपलब्ध संसाधनों के बारे में और उन संसाधनों के बारे में जिनके कम होने की संभावना है, कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) योजना आयोग के नवीनतम आकलन के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के "दृष्टिकोण पत्र" में इंगित 875 हजार करोड़ रु॰ की सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के वित्तपोषण में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

162. **श्री सुनील खान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को केवल 50 रु॰ प्रतिमाह दिया जा रहा है तथा उन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां। ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर समुदाय की सेवा करने के लिए एक स्वयंसेवक का चयन किया जाता है और उसे राज्य सरकार के माध्यम से 50/- रु॰ प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है। स्वयंसेवक के चयन का मानदंड इस प्रकार है: कि उसके पास छठी कक्षा की बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए और सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक, यदि उपलब्ध हो, तो उसे वरीयता दी जायेगी। उसे अपनी भूमिका को आय के स्रोत के रूप में अथवा सरकार के अधीन भविष्य में रोजगार पाने के एक कदम के रूप में मानने की आशा नहीं की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है।

बाल श्रमिक

163. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी :
श्री मुरलीधर जेना :
श्री ए॰जी॰एस॰ राम बाबू :
श्री सुरेश आर॰ जाधव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम को और अधिक कठोर तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण राज्यवार कितने मामलों में कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 के अधिनिर्णय और सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जिसमें बाल श्रम को उसके सभी स्वरूपों में समाप्त करने की परिकल्पना की गई है, को मद्देनजर रखते हुए, बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करके इसे और अधिक कठोर और प्रभावकारी बनाने से संबंधित मुद्दे पर जुलाई, 1997 में आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों में (क) अपराध को संज्ञेय बनाया जान्र (ख) शास्तियों का और अधिक कठोर एवं निवारक बनाया जाना, और (ग) बालक की आयु को साबित करने के लिए नियोक्ता को जिम्मेदार बनाया जाना शामिल है। तदनुसार अधिनियम में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सी॰जी॰एच॰एस॰ औषधालय में घोटाला

164. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी एजेंसी ने विशेष रूप से नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली स्थित सी॰जी॰एच॰एस॰ आयुर्वेदिक औषधालय में हुए घोटाले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1996 से लेकर आज तक कितनी बार जांच की गई है;

(ग) इन जांचों के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालय, नार्थ एवेन्यू से संबंधित कोई घोटाला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

आधुनिक औषधियों का लाभ

165. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है कि अधिकांश आधुनिक औषधियों का लाभ आम लोगों को पहुंचे;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अन्य कोई संस्थान भी यह सुनिश्चित करने हेतु क्रियाशील है कि औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान का लाभ आम लोगों को प्राप्त हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है एवं संबंधित राज्य सरकार इस संबंध में अपनी योजना बनाती है। भारत सरकार ने प्रमुख संचारी एवं असंचारी रोगों के नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बनाये हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा अत्यावश्यक दवाईयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। भारत सरकार भारतीय औषध महानियंत्रक की अनुमति से देश में अनुपलब्ध दवाईयों को आयात करने की अनुमति देती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अतिरिक्त यूनीसेफ, सीडा, यू एस एड, विश्व बैंक, ओ डी ए एवं डेनिडा जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण भी दवाईयों को उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरीकरण

166. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की दिशा में पहल के रूप में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न विभागों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इन राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) पूर्ण किए गए और कार्यान्वयनाधीन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या परियोजना के कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ङ) सूचना संकलित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नाभिकीय क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक

167. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन यूनिटों में कुल कितने भारतीय वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ग) क्या इन यूनिटों में कोई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं अथवा परामर्श प्रदान कर रहे हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इनमें से किसी यूनिट को रूस अथवा अमरीका द्वारा तकनीकी रूप से सुसज्जित किया गया है अथवा सहायता प्रदान की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) इस समय भारत में प्रचालनाधीन परमाणु बिजलीघर पांच हैं।

(ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इन बिजलीघरों को चलाता है, में आज की तारीख में काम कर रहे वैज्ञानिकों की कुल संख्या लगभग 2630 है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर, चिकित्सक, भौतिकीविद, रेडियालॉजिस्ट्स, आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर की यूनिट-I और II को क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा द्वारा तकनीकी रूप से सहायता प्रदान की गई थी/सुसज्जित किया गया था। बाकी सभी यूनिटों को स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

168. **डॉ॰ बलिराम :**

श्री शरत पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग प्रबंधन की समीक्षा करने और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लाए गए गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों को वापिस भेजने का है ताकि इस संवर्ग में अवरोध को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी नही।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न सेवा से संबंधित अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत एक निर्धारित समयावधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए, उन्हें समय से पहले उनके संवर्गों में वापस भेजना संभव नहीं होगा।

नदीम अख्तर का प्रत्यर्पण

169. **श्री नारायण आठवले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत निदेशक नदीम अख्तर के लंदन से प्रत्यर्पण के लिए कोई रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई है जैसा कि दिनांक 21 अक्तूबर, 1997 के मुम्बई से प्रकाशित "टाइम्स ऑफ इंडिया" में रिपोर्ट सीकिंग नदीम्स एनट्राडीशन इज सेन्ट टू दिल्ली" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भारत सरकार के विशेषज्ञों ने इसकी जांच की। उनकी सिफारिशों के आधार पर रिपोर्ट में संशोधन किया गया तथा राजनयिक माध्यम से शीघ्र ही ब्रिटिश क्राउन प्रोसीक्यूशन कार्यालय, लंदन को भिजवा दी गई।

(ग) दि ब्रिटिश क्राउन प्रोसीक्यूशन काउंसिल के कार्यालय ने उसकी जांच करके ब्रिटिश प्रत्यर्पण अधिनियम, 1989 तथा भारत-ब्रिटिश प्रत्यर्पण संधि, 1992 के कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया। यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि उपयुक्त तरीके से संशोधित प्रत्यर्पण दस्तावेज सुनवाई के लिए समय पर ब्रिटिश न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं, भारत सरकार ने मामला यथा संभव, विधिक तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में ब्रिटिश प्राधिकारियों को बता दिया है।

सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

170. श्री रनजीव बिसवाल :
श्री गंगा चरण राजपूत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय स्थापित सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 की अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र द्वारा कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है तथा इनकी क्षमता क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का इनमें से कुछ संयंत्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) "सुपर ताप विद्युत संयंत्र" शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बड़े केन्द्रों, अर्थात् 1000 मे.वा. या इससे अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाले केन्द्रों को प्रायः सुपर ताप विद्युत केन्द्र कहा जाता है। एनटीपीसी ने अभी तक सात (7) सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं (एसटीपीपी) की स्थापना की है। इन परियोजनाओं के अपेक्षित ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

(मि.यू. में विद्युत उत्पादन)

	परियोजना का स्थल तथा क्षमता	1994-95	1995-96	1996-97
1.	सिंगरौली एसटीपीपी (2000 मे.वा.) उ॰प्र॰	14290	14983	15362
2.	कोरबा एसटीपीपी (2100) म॰प्र॰	13990	15397	15895
3.	रामागुंडम एसटीपीपी (2100 मे.वा.) आ॰प्र॰	14496	14742	15674
4.	विन्ध्याचल एसटीपीपी (1260 मे.वा.) म॰प्र॰	8646	9272	9273
5.	रिहन्द एसटीपीपी (1000 मे.वा.) उ॰प्र॰	6475	7621	6685
6.	फरक्का एसटीपीपी (1600 मे.वा.) प॰बं॰	5402	6512	6392
7.	तलचेर एसटीपीपी (1000 मे.वा.) उड़ीसा	4.5	701	929

(ग) और (घ) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित दो सुपर ताप विद्युत केन्द्रों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना स्थल और क्षमता	9वीं योजना में प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि
विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण-2 म॰प्र॰ (2x500 मे.वा.)	1000
तलचेर एसटीपीपी चरण-2 (उड़ीसा) (4x500 मे.वा.)	500

उग्रवादी गतिविधियां

171. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने दोनों पक्षों द्वारा की गई फ्लैग बैठकों के बावजूद जम्मू और कश्मीर सीमा पर गोलीबारी जारी रखी;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा अपनी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं तथा इनके द्वारा अनेक निर्दोष व्यक्तियों की प्रतिदिन हत्या की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में गोलीबारी तथा उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) वर्ष 1997 के दौरान जम्मू व कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण गोलीबारी की छोटी-मोटी और बड़ी कई घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ख) यद्यपि, सरकार को कुछ उग्रवादी ग्रुपों, जिन्हें सीमा पार से समर्थन प्राप्त है, के आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उग्रवादियों ने राज्य में अपनी गतिविधियां तेज करने में सफलता प्राप्त की है। आंकड़ों की दृष्टि से घटनाओं की संख्या तथा निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की संख्या में कमी आई है तथा समग्र स्थिति में, कुल मिलाकर, उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ग) राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए गए अभियान, जिनमें सीमा/नियंत्रण रेखा पर गहन गश्त लगाना, आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था

में तालमेल करना, इत्यादि शामिल है। राज्य की विकास आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र शांति और सामान्य हालात की बहाली हो सके। गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सीमा पर गोलीबारी की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में अधिक गहन गश्त लगाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए अतिरिक्त बटालियनों की स्वीकृति, निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, सैनिकों को दूरबीनें, धूप के चश्में, ट्विन टैलिस्कोप, इत्यादि जैसे उपकरण उपलब्ध कराना, तथा आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, शामिल हैं।

आरोपित अधिकारी

172. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री मदन पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिव ने सभी मंत्रालयों/विभागों को उन अधिकारियों का पता लगाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है;

(ख) यदि हां, तो आरोपित अधिकारियों का पता लगाने के लिए जारी अनुदेशों और मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की जांच करने के लिए किसी सतर्कता आयोग का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग ने गठन के बाद से क्या जांच की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि ये मार्गनिर्देश गोपनीय स्वरूप के हैं, अतः ऐसा समझा जाता है कि इन्हें सार्वजनिक करना हितकर नहीं होगा।

(ग) कोई ऐसा सतर्कता आयोग, जैसा कि प्रश्न में संदर्भित है, भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की जांच करने के लिए गठित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन भ्रष्टाचार निरोधक संबंधी समिति (सथानम समिति के नाम से विख्यात) की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के दिनांक फरवरी 11, 1964 के संकल्प संख्या-27/4/64-ए.वी.डी. के अंतर्गत किया गया था। इस आयोग को ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले में, जिसमें लोक सेवक के बारे में संदेह हो अथवा उस पर ये आरोप लगाया गया हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्ट तरीके से किया है अथवा किसी ऐसी शिकायत जिसमें किसी लोक सेवक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से किया या करने से विरत रहा अथवा किसी लोक सेवक की ओर से किए गए किसी कदाचार अथवा सत्यनिष्ठा के अभाव अथवा अवचार अथवा अपराध की किसी शिकायत की जांच करने अथवा जांच करवाने के की अधिकारिता एवं शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) उपर्युक्त "ग" के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र का निजीकरण

173. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी निवेशकों के नाम और विवरण क्या हैं जिन्होंने देश में विद्युत क्षेत्र में पहले से ही निवेश किया हुआ है;

(ख) उन परियोजनाओं में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है जिनमें विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति देने में प्रक्रियात्मक बाधाएं और नीति संबंधी अनिश्चितताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) आज तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए जो 61 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें, निजी प्रवर्तकों की विदेशी निवेश बोली बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं जिनके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू/साख पत्र) (एलओआई) आदि की पद्धति अपनाई गई है और इनकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा जिन परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाई गई है इनकी लागत 1000 करोड़ रुपये से अधिक है तथा प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 36142.67 मे.वा. है, शामिल है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	कंपनी का नाम
1	2	3	4
	दिल्ली		
1.	बवाना जीबीपीपी चरण-I	421	रिलायंस दिल्ली प्राइवेट पावर लि॰

1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
2.	धामवारी एचईपी	70	मै॰ धामवारी पावर कं॰, यू.एस.ए
	उत्तर प्रदेश		
3.	*रोजा टीपीएस*	*2x283.5*	*इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर एंड कैमिकल इंडिया एंड पावर जेनरेशन, यू. के.*
4.	श्रीनगर एचईपी	5x66	मे॰ डन्कन कलकत्ता/ सिनर्जिक, यू.एस.ए
5.	जवाहरपुर टीपीएस	800	पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा
6.	परतापुर	2000	आईएसएन इंटरनेशनल, यूएसए
7.	अनपारा "सी"	1000	हुन्डइ हैवी इंडस्ट्रिज कं॰ लि॰, कोरिया
	गुजरात		
8.	पगुथन जीबीपीपी	655	टोरेंट ग्रुप गुजरात पावर कार्पो. लि॰, सोमेन्स एजी, जर्मनी
9.	हजीरा सीसीपीपी	1x515	एस्सार पावर लि॰/प्राइम हजीरा लि॰, मारीशस
10.	जामनगर	2x250	रिलांयस पावर लि॰
	महाराष्ट्र		
11.	भद्रावती टीपीएस (चरण-1)	1072	इस्पात एलॉय लि॰/जीईसी, यू.के. ईडीएफ, फ्रांस
12.	डाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2015	एनरॉन डेव. कार्पो., जीई एंड बैकटेल यू.एस.ए.
13.	पाताल गंगा जीबीपीपी	447	रिलायंस इंडस्ट्रिज लि॰
14.	खापरखेड़ा यूनिट 3 व 4	2x250	मै॰ बल्लारपुर इंडस्ट्रिज लि॰
	मध्य प्रदेश		
15.	रायगढ़ टीपीपी (चरण-1)	550	जिन्दल स्ट्रीप प्रा.लि., जेनटिंग पावर होल्डिंग, मलेशिया
16.	भाण्डेर द्वि-ईंधन टीपीपी	342	एस्सार इन्वे. लि. बम्बई, मारीशस
17.	कोरबा ईस्ट टीपीपी	2x535	डेवू कार्पोरेशन दक्षिण कोरिया
18.	बीना टीपीपी	2x289	बीना पावर सप्लाई कं. लि./ पावर जेनरेशन, यू.के.
19.	महेश्वर एचईपी	10x40	श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पो. लि॰/पीएसी जेनरेशन, यूएसए
20.	पेंच टीपीपी	2x250	सोरोस फण्ड मैनजमेंट, यू.एस.ए/पेंच पावर होल्डिंग, मारीशस
21.	भिलाई टीपीपी	574	सेल का संयुक्त उद्यम, एल एंड टी कम्युनिटी एनर्जी अल्टरनेटिव यू.एस.ए.
22.	ग्वालियर-2 डीजीपीपी	122	ग्वालियर पावर कं. लि. (वर्टसिला डीजल, फिनलैंड
23.	रतलाम डीजीपीपी	120	जीवीके पावर रतलाम लि./वार्टसिला डीजल, ओवाई, फिनलैंड
24.	झाबुआ डीजीपीपी	360	केडिया डिस्टलरिज लि./जनरल मेडिटेरियन होल्डिंग
25.	गुना द्वि-ईंधन टीपीपी	347	एसटीआई, इंदौर, यू.एस.ए.
26.	पीथमपुर डीजीपीपी	119	शापुरजी पलोनजी काम्प./वार्टसिला डीजल, ओवाई, फिनलैंड
27.	नरसिंहपुर डीजीपीपी	166	ग्लोबल बोर्डस लि./ ओगडन पावर सिस्टम, यूएसए
	कर्नाटक		
28.	मंगलौर टीपीपी	4x250	कोर्जेट्रिक्स यूएसए, वाइना लाईट एंड पावर एंड जीई पावर, मारीशस
29.	तोरांगल्लू टीपीपी	2x130	जिन्दल टैक्टेबल पावर कं.लि./ट्रैक्टेबल, बेल्जियम

1	2	3	4
30.	अलमट्टी एन.थानमकल एचईपी	1107	चामुंडी पावर कं.लि. यूएसए
31.	अंकोला कोमता (होस्पेट) टीपीपी	2×250	डेकन पावर कार्पो. लि., यूएसए
32.	कान्नीमिन्के सोसीपीपी	100	पीनिया पावर कंपनी लि./कॉस्टल पावर कंपनी, यूएसए
33.	बीजापुर सीसीपीपी	150	केईआई एनर्जी लि., हैदराबाद एंड के एल टी पावर कंपनी, कानसास सिटी, यूएसए
34.	नंजनगुडुआ सीसीपीपी	110	इन्डिपेन्डेन्ट पावर सर्विस कं., यूएसए
35.	धारवाड़ टीपीपी	300	चालाइस होल्डिंग्स, यू.के. खोड़े, बंगलौर, बेसकोर्प, मलेशिया
36.	बंगलौर टीपीपी	500	एनआरआई केपिटल कोरपोरेशन यूएसए पुलाकेसी पावर कारपोरेशन
	केरल		
37.	पालक्काड सीसीजीटी	330	पालक्काड पावर जेनेरेटिंग कं./इंसर्च इंट. लि., यू एस ए
38.	कासरगोड सीसीजीटी	500	फिनोलैक्स एजर्नी कारपोरेशन लि./टारमक ब्लैक, यूके/टीईआई, यूएसए
39.	कासरगोड सीसीजीटी	468.77	कासरगोड पावर कारपोरेशन लि.
40.	वाईपीन सीसीजीटी	693	सियासिन एनर्जी प्राइवेट लि., यू एस ए
	तमिलनाडु		
41.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी, III	500	त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा. लि./पेंबिनान रेडजाई एसडीएन, मलेशिया
42.	कुड्डालोर टीपीपी	2×660	कुड्डालोर पावर कंपनी लि.
43.	जीरो यूनिट (एनएलसी) टीपीपी	250	एसटी-सीएमएस इलैक्ट्रि कं./सीएमएस एनर्जी एसटी होल्डिंग्स इंक, यूएसए
44.	बेसिन ब्रिज स्टेज-II डीजीपीपी	196	रोजी ब्ल्यू ग्रुप, लक्समबर्ग/हरूनडाई ग्रुप कोरिया
45.	पिलैपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी	330.5	देना विजन ऑफ रेडी ग्रुप, जापान
46.	नॉर्थ मद्रास-II टीपीपी	2×525	विडियोकोन पावर लि./एडिसन मिशन एनर्जी, यूएसए
	आंध्र प्रदेश		
47.	गोदावरी जीबीपीएस	208	स्पैक्ट्रप टेक. यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
48.	जेगरूपाडु जीबीपीएस	216	जीवीके इंडस्ट्रीज लि./आईएफसी, एडीबी/एबीबी, यूएसए
49.	विशाखापत्तनम टीपीपी	2×520	एचएनपीसीएल, अशोक लिलैंड मद्रास, नेशनल पावर, यू.के.
50.	कृष्णापत्तनम "बी" टीपीपी	500	बेसीकोर्प. इंट. पावर यू एस ए
51.	कोंडापल्ली टीपीपी	355	लांको इंडस्ट्रीज लि., थर्ड पिल्लेनियम, यूएसए
52.	वेमागिरि टीपीपी	468	निप्पन डेनरो इस्पात लि., मारसिस
	उड़ीसा		
53.	इंब वैली टीपीपी-यूनिट ए एंड बी	420	इंब वैली कोरपोरेशन/ एईएस ट्रांस पावर, यू एस ए
54.	डुबुरी टीपीपी	2×500	कालिंगा पावर कोरपोरेशन (एन ई पावर, यू एस ए)
55.	लापांगा टीपीपी	500	सामलाई पावर (लापांगा) कंपनी लि. पांडा एनर्जी इंक, यूएसए

1	2	3	4
56.	बोमलाई टीपीपी	500	गैलैक्सी पावर कं. यू एस ए एंड इंडेक ऑफ शिकागो
57.	हीरमा टीपीपी एसटी-I	6x660	सीईपीए, यूएसए
	पश्चिम बंगाल		
58.	बाकेरश्वर टीपीपी (4 एंड 5)	420	बीपीजीसीएल/ सीएमएस जेनेरेशन, दॅ कुल्जियन कोर्प. यू एस ए
59.	सागरडिगही टीपीपी	2x500	दॅ कुल्जियन कोरपोरेशन, सीएमएस जेनेरेशन, यू एस ए
60.	बालागढ़ टीपीपी	2x250	बालागढ़ पावर कं. लि. (सीईएससी)/एडीबी/ टीएफसी), यू एस ए
61.	गौरीपोर टीपीपी	1x150	डब्ल्यूबीएसईबी, भेल, बीटीएस/थर्मो इंको, यू एस ए

विद्रोहियों की सहायता

174. **श्री राम नाईक :**
श्री सिद्दैया कोटा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितंबर, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया", मुंबई में "बंगलादेश इज अण्डर प्रैशर टू हैल्प एन.-ई. रिबेल्सः महन्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को उन देशों के बारे में जानकारी है जो पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों को शरण देने के लिए बंगलादेश सरकार पर दबाव डाल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन देशों से इस प्रकार की गतिविधियों को बंद करने की बात करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) 2 सितम्बर, 1997 को टाइम्स आफ इंडिया में छपी खबर "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहियों को मदद देने के लिए बंगलादेश पर दबावः महन्त" की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहियों को मदद देने के लिए बंगलादेश सरकार पर किसी अन्य देश के दबाव के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि बंगलादेश के भीतर से पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंगलादेश क्षेत्र का भारतीय घुसपैठियों द्वारा दुरूपगोग के बारे में भी पता है। सरकार को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंगलादेश क्षेत्र का भारतीय घुसपैठियों द्वारा दुरूपयोग के बारे में भी पता है। ऐसी गतिविधियों के प्रति सरकार की चिंताओं को लगातार उच्च स्तर पर उठाया गया है। बंगलादेश की सरकार ने कहा है कि वह बंगलादेश क्षेत्र का किसी भी घुसपैठिये का शरण स्थान, पारगमन, कैम्प लगाने तथा भारत में हथियार ले जाने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

पन बिजली के उत्पादन का निजीकरण

175. **डॉ॰ कृपासिन्धु भोई :**
श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के वास्ते कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी अनिवासी भारतीय ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह कितनी विदेशी मुद्रा का है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पन बिजली क्षेत्र के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां। मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी उपक्रमों द्वारा अधिकाधिक निवेश किए जाने को प्रोत्साहित किया है। इस संबंध में विद्युत विकास हेतु निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में एक नीति तैयार की है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सिद्धांत रूप में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संलग्न विवरण में शामिल निम्नलिखित परियोजनाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित किया गया है।

(i) धामवाडी सुंडा (2x35 मे.वा. - हिमाचल प्रदेश)

(ii) अपर कृष्ण (1107 मे.वा.) कर्नाटक

(iii) हिब्रा (3x77 मे.वा.) हिमाचल प्रदेश

(ग) और (घ) भारत सरकार जल विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव रखती है और इस संबंध में

श्री एम॰के॰ साम्बामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, साम्बामूर्ति समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं।

(i) जल विद्युत शक्यता, जो कि कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित है, का पुनर्मूल्यांकन और दोहन किया जाना चाहिए।

(ii) प्रारम्भिक तौर पर बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आरंभ की जानी चाहिए और निजी क्षेत्र को छोटी परियोजनाओं पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।

(iii) जटिल जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में समझौता ज्ञापन का माध्यम अपनाया जाना चाहिए।

(iv) छोटी और कम जटिल परियोजनाओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और ये यूनिट विद्युत/ऊर्जा लागत पर आधारित होनी चाहिए।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vi) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि जल विद्युत पर लाभांश ताप विद्युत परियोजनाओं के समान हो सके।

(vii) व्यस्ततमकालीन विद्युत के लिए अतिरिक्त लाभांश की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(viii) उत्तर पूर्व में जल विद्युत शक्यता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए एक जल विद्युत विकास निधि का सृजन किया जाना चाहिए।

समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु अर्थोपाय का पता लगाने के वास्ते एक दल का गठन किया है और जेल विद्युत परियोजनाओं की टैरिफ के संबंध में एक कृतिक बल तथा एक नए माडल का विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) तैयार करने के लिए भी एक कृतिक बल का गठन किया है।

विवरण

उन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जिनके लिए के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट के.वि.प्रा./आईपीसी में प्राप्त हो गई है।

क्रम सं॰	परियोजना का नाम राज्य (क्षमता)	प्रवर्तक	स्थिति
1	2	3	4
1.	महेश्वर, एम.पी. (10×40 मे.वा.)	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कारपोरेशन, मैसर्स एस.कुमार लि॰ द्वारा प्रवर्तक	के.वि.प्रा. द्वारा 30.12.96 को स्वीकृत।
2.	बासपा चरण–II एच.पी. (3×100 मे.वा.)	मैसर्स जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमि॰	के.वि.प्रा. द्वारा 19.4.94 को स्वीकृति प्रदान की गई तथापि 14.6.96 को के.वि.प्रा. द्वारा टीईसी वापस ले ली गई क्योंकि वित्तीय पैकेज सुनिश्चित किए जाने थे।
3.	वासप्पारंग्या यू.पी. (4×100 मे.वा.)	–वही–	के.वि.प्रा. द्वारा 30.6.97 को स्वीकृत।
4.	श्रीनगर यू.पी. (5×66 मे.वा.)	मैसर्स दक्कन इन्डरस्ट्रीज लिमि॰	परियोजना प्राधिकारियों को 29.6.97 को लौटा दी गई।
5.	मालना, एच.पी. (2×43 मे.वा.)	मैसर्स राजस्थान सीपनिंग व वेविंग मिल्स लिमि॰	जांचाधीन
6.	कारबी लागपी, असम (2×50 मे.वा.)	मैसर्स भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमि॰	परियोजना प्राधिकारियों को 27.7.95 को लौटा दी गई केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तांतरित की जा रही है।
7.	एलाइन डूहांगिन एच.पी. (2×96)	मैसर्स राजस्थान सीपनिंग व वेविंग मिल्स लिमि॰	परियोजना प्राधिकारियों को 30.9.96 को लौटा दी गई।

1	2	3	4
8.	कारचम वानगूट एच.पी. (4x250 मे.वा.)	मैसर्स जय प्रकाश इन्डरस्ट्रिज लिमि॰	परियोजना प्राधिकारियों को 30.9.96 को लौटा दी गई।
9.	उकई चरण-III एच.पी. (2x50 मे.वा.)	मैसर्स बैलारपुर इन्डरस्ट्रीज लिमि॰	-वही-
10.	धामवारी सनडा एच.पी. (2x35 मे.वा.)	हरजा इंजिनियरिंग कम्पनी इंटरनेशनल एलपी, यूएसए धामवारी पावर कम्पनी द्वारा प्रवर्तक	परियोजना प्राधिकारियों को 30.9.96 को लौटा दी गई।
11.	अपर कृष्णा कर्नाटक (1107 मे.वा.)	चामुण्डा पावर कारपोरेशन लिमि॰, (टीएपीसीआ.-यूएसए) चरण-I अलमाटी के संबंध में 297 मेवा के लिए डीपीआर प्राप्त हो गई है।	परियोजना प्राधिकारियों को नवम्बर, 1996 में लौटा दी गई।
12.	हबरा, एचपी. (3x77 मे.वा.)	हरजा इंजिनियरिंग कम्पनी इंटरनेशनल एलपी, यूएसए धामवारी पावर कम्पनी द्वारा प्रवर्तक	परियोजना प्राधिकारियों को 6.5.97 को लौटा दी गई। डीपीआर अभी प्राप्त की जानी है।
13.	टीवा, एम.पी. 2x6	हाइड्रो इलैक्ट्रानिक गेपाहिट लिमि॰	निर्माणाधीन

उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ

176. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी की आड़ में आधुनिकतम हथियारों से लैस कई घुसपैठियों ने केरन और मुरी क्षेत्रों से भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गिरफ्तार किए गए कुछ उग्रवादियों ने यह बताया है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी प्रशिक्षित उग्रवादियों को इन सीमाओं से भारत में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया गया है;

(ग) क्या इन उग्रवादियों की गतिविधियां और भी बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो जम्मू-कश्मीर राज्य से उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत की ओर से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) वर्ष 1997 के दौरान उडि सेक्टर तथा गुरेज के माध्यम से घुसपैठ की घटनाओं से संबंधित कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। घुसपैठ को सुलभ बनाने हेतु पाकिस्तानी फौजें फायर कवर प्रदान करती हैं।

(ख) गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि पाकिस्तान भारत में अधिक से अधिक उग्रवादियों की घुसपैठ करना चाहता था।

(ग) सुरक्षा बलों द्वारा सतत् दबाव रखने तथा सरकार द्वारा अन्य अनेक उपाय किए जाने के कारण इस राज्य की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है।

(घ) सुरक्षा बलों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा आंतरिक क्षेत्रों में निकट से निगरानी रखी जा रही है। इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रबंध किए गए हैं, इनमें शामिल हैं : गहन गश्त, नाइट विजन डिवाइसेस आदि सहित निगरानी उपस्करों की व्यवस्था और उपयोग नियंत्रण रेखा/सीमा दोनों पर तथा भीतरी क्षेत्र में सुभेद्य क्षेत्रों में बलों की तैनाती, सीमा के निकट कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन करना तथा सभी संबंधित सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों आदि के बीच निकट से और समन्वय करना। इन प्रबंधों की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार इन्हें मजबूत/सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

नौंवी योजना के लिए परिव्यय

177. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी योजना के लिए परिव्यय निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नौंवी योजना में ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1997-98 के लिए आवंटित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 1997-98 के दौरान ग्रामीण रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के संबंध में, नामतः जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), मिलियन्स वेल्स स्कीम (एम डब्ल्यू एस), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टी आर वाई एस ई एम), ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डी डब्ल्यू सी आर ए), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार की आपूर्ति (टी ओ ओ एल के आई टी एस), गंगा कल्याण योजना (जी के वाई), तीवीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम (सी आर एस पी) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों हेतु किए गए राज्यवार आबंटनों के ब्यौरों को दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1997-98 हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रु०)

क्र-सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेआरवाई	आईएवाई	एमडब्ल्यूएस	ईएएस*	आईआरडीपी	ट्राईसेम	डीडब्ल्यूसी आरए	टूलकिट्स	जीकेवाई	एआरडब्ल्यू एसपी	सीआर एसपी	एनएसएपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	15528.39	8970.34	3473.71	8370.00	4306.11	342.46	362.25	274.00	1515.57	7964.00	642.00	6111.01	57859.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	159.37	80.71	35.66	480.00	322.03	25.61	22.55	37.80	113.34	1444.00	15.00	67.13	2803.20
3.	असम	5111.22	2952.83	1143.53	0.00	1417.12	112.70	143.01	82.85	498.77	2438.00	243.00	1154.88	15297.91
4.	बिहार	30458.60	17597.09	6813.55	5680.00	8377.40	637.24	383.29	493.61	2948.50	9380.00	1129.00	8564.27	92462.55
5.	गोवा	172.20	87.63	38.53	140.00	73.29	5.83	4.54	6.30	25.79	227.00	9.00	18.77	808.88
6.	गुजरात	5699.44	3292.97	1275.13	1370.00	1580.22	125.67	130.16	85.75	556.17	4672.00	290.00	1111.69	20189.20
7.	हरियाणा	1369.22	790.96	306.30	820.00	379.83	30.20	73.84	53.55	133.69	1746.00	105.00	422.89	6231.48
8.	हिमाचल प्रदेश	547.18	276.72	122.43	770.00	123.86	9.90	38.30	37.80	43.59	1568.00	101.00	128.14	3766.92
9.	जम्मू व कश्मीर	1111.89	562.66	248.79	700.00	516.08	70.00	110.88	44.10	181.64	4395.00	140.00	300.91	8381.95
10.	कर्नाटक	10427.12	6024.43	2332.44	2890.00	2890.00	229.92	195.05	169.00	1017.16	7325.00	520.00	3424.10	37444.22
11.	केरल	3793.66	2191.85	848.57	2600.00	1051.75	83.64	90.72	61.43	370.17	3724.00	401.00	1494.52	16711.31
12.	मध्य प्रदेश	19677.78	11368.58	4401.69	5258.43	5457.47	433.98	352.17	318.94	1920.80	8817.00	751.00	6441.39	65199.23
13.	महाराष्ट्र	16927.42	9779.75	3786.82	2440.00	4694.20	373.32	288.29	274.37	1652.17	10602.00	822.00	3153.82	54794.16
14.	मणिपुर	204.27	103.77	45.71	260.00	232.24	18.47	30.87	15.75	81.74	529.00	30.00	130.56	1682.38
15.	मेघालय	239.02	121.07	53.48	60.00	246.68	19.62	55.44	22.05	86.82	568.00	32.00	130.58	1634.76
16.	मिजोरम	100.69	50.73	22.53	400.00	104.25	8.29	8.57	9.45	36.69	406.00	9.00	50.63	1206.83
17.	नागालैण्ड	256.21	129.14	57.33	0.00	172.40	13.79	15.37	22.05	61.03	422.00	19.00	87.79	1257.11
18.	उड़ीसा	12597.20	7277.74	2817.99	4544.58	3493.81	277.86	204.50	204.12	1229.68	4173.00	451.00	3337.43	40608.91
19.	पंजाब	973.75	562.66	217.82	1740.00	269.39	21.50	83.54	53.55	94.81	1330.00	107.00	422.75	5876.77
20.	राजस्थान	8175.55	4723.84	1828.74	3020.00	2266.59	180.26	155.99	132.46	797.75	8732.00	388.00	1433.33	31834.51
21.	सिक्किम	93.28	47.27	20.87	0.00	28.90	2.30	21.92	12.60	10.17	372.00	9.00	29.62	647.93
22.	तमिलनाडु	14037.96	8110.20	3140.18	9380.00	3893.25	309.62	245.83	227.40	1370.26	6314.00	680.00	5091.32	52800.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	त्रिपुरा	265.32	134.90	59.37	720.00	331.32	26.34	11.34	9.45	116.61	503.00	49.00	200.86	2427.51
24.	उत्तर प्रदेश	37841.25	21863.19	8465.31	8092.89	10494.33	834.56	512.57	613.30	3693.57	14775.00	1595.00	11766.90	120547.87
25.	पश्चिम बंगाल	13916.74	8039.87	3112.95	3590.00	3859.71	306.92	227.56	225.54	1358.46	5704.00	608.00	3913.77	44893.52
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	94.31	47.27	21.11	80.00	73.29	11.74	7.31	4.20	25.79	12.50	5.00	49.2	387.44
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85
28.	दमन और द्वीव	51.18	25.37	11.46	0.00	15.49	4.62	4.03	2.28	5.45	12.50	5.00	4.60	141.98
29.	दादरा एवं नगर हवेली	30.16	14.99	6.76	0.00	28.90	2.48	3.53	0.00	10.17	12.50	5.00	3.63	118.12
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	207.75	217.75
31.	लक्षद्वीप	47.28	24.21	10.58	0.00	7.22	1.16	4.03	3.15	2.54	12.50	5.00	2.65	120.32
32.	पांडिचेरी	92.34	47.27	20.66	60.00	59.87	5.00	4.03	3.15	21.10	5.00	5.00	16.64	340.06
	अखिल भारत	200000.00	115300.01	44740.00	63465.90	56768.00	4525.00	3791.48	3500.00	19980.00	108190.00	9175.00	59268.10	688703.49

चूंकि राज्यवार आवंटन निश्चित नहीं है, जारी की गई निधियां दी गई हैं।

[हिन्दी]

नाभिकीय रिएक्टर का निरीक्षण

178. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
कुमारी उमा भारती :
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :
श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सभी नाभिकीय रिएक्टरों का निरीक्षण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेट्रस (डब्ल्यू ए एन ओ) का एक सदस्य है, स्वदेशी रूप से निर्मित ककरापार परमाणु बिजलीघर की डब्ल्यू ए एन ओ के विशेषज्ञों से दृष्टिगत समीक्षा (पीयर रिव्यू) विश्वसनीयता पैदा करने के उपाय स्वरूप स्वैच्छा से करा रहा है। इस तरह के दृष्टिगत निरीक्षणों (पीयर इन्सपेक्शन) का उन सुरक्षोपायों संबंधी निरीक्षणों से कोई संबंध नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा किए जाते हैं और विश्व स्तर पर परमाणु विद्युत संयंत्रों में किए जाते हैं। भारतीय विशेषज्ञों ने भी डब्लयू ए एन ओ की अन्य देशों में की गई दृष्टिगत समीक्षाओं (पीयर रिव्यूज) में हिस्सा लिया हैं इस तरह की दृष्टिगत समीक्षाओं (पीयर रिव्यूज) से परमाणु विद्युत के क्षेत्र में भारत की छवि को बढ़ाने में मदद मिलेगी और परमाणु सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहकार की प्रक्रिया में ये सहायक होगी।

[अनुवाद]

योजना का इस्तांतरण

179. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1997 के वीकेंड आब्जर्वर (आब्जर्व आफ बिजिनेस एंड पालिटिक्स), नई दिल्ली में "फलॉज एंड कोनट्राडिक्शन्स इन सेन्टरर्ज प्रोपोज्ल्स ट्रांसफर आफ स्कीम्स टु स्टेट्स हिट्स रोड ब्लॉक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें पेश किये गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय यह मामला किस चरण पर है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) को राज्यों को अंतरित करने के प्रश्न पर योजना आयोग में एक प्रयोग किया गया था। इस विषय पर एक नोट संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु भिजवाया गया था। प्राप्त उत्तरों के आधार पर इस विषय पर एक संशोधित नोट पूर्ण योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) के अनुमोदन हेतु तैयार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अतिथि गृह में कमरे

180. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अतिथि गृह में कितने कमरे हैं;

(ख) उपर्युक्त अतिथि गृह के कमरों के आबंटन के लिये क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस अतिथि गृह में कमरों का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हो, क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पिछले कुछ वर्षों से अतिथि गृह में रह रहे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(च) निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अतिथि गृह में दो बिस्तरों वाले सात शयन कक्ष हैं।

(ख) अतिथि गृह में कक्षों के आवंटन के लिए निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश लागू किए जाते हैं जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता है। सामान्यतः कक्षों का आवंटन "प्रथम आओं, प्रथम पाओ" के आधार पर किया जाता है। तथापि जनवरी, 1996 में

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा फैसला किया गया है, आरक्षण के अनुरोधों के लिए प्राथमिकता के विभिन्न स्तरों को मंजूरी दी गई है। संस्थान के निकाय सदस्यों के अनुरोधों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। असाधारण परिस्थितियों में स्थान की उपलब्धता की शर्त पर संस्थान के निकाय सदस्यों के अनुरोध पर भी आरक्षण किए जाते हैं। ऐसे अतिथियों को संस्थान के रूप में नहीं माना जाता है और वे उन्हें दिए गए बिल के निर्धारित प्रभारों का भुगतान करते हैं।

(ग) से (घ) सामान्यतः अतिथि-गृह में स्थान के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कोई व्यक्ति वर्षों तक लगातार अतिथि-गृह में नहीं ठहरा है।

पासपोर्ट आवेदन पत्र

181. **श्री ए.सी. जोस :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अनेक पासपोर्ट कार्यालयों में । जनवरी, 1997 से 31 अक्तूबर, 1997 की अवधि के दौरान पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन लंबित आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) सारणीबद्ध विवरण संलग्न है।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में विलंब होने के कारण आमतौर पर संबंधित प्राधिकारियों से नकारात्मक अथवा अधूरी रिपोर्टें प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों विशेषरूप से डाक के जरिए प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित दस्तावेजों में खामियां होना, जिन आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है उनसे उत्तर न मिलना होते हैं।

(ग) सरकार लंबित पासपोर्ट आवेदनों के निपटान की बात को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक आधार पर पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य निष्पादन पर नजर रखती है। इस दिशा में कुछ उठाए गए कदम इस प्रकार हैं: (i) जिन मामलों में अधूरी रिपोर्टें प्राप्त होने के कारण लंबित आवेदन का संचय हो जाता है उन मामलों में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट और नियमित समन्वय रखना, (ii) जिनके आवेदन पत्रों में खामियां रह जाती हैं उन आवेदकों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजना तथा इस कारण से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के उद्देश्य से जहां कही अपेक्षित है। अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध करना, (iii) लंबित मामलों को कम करने तथा निपटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में अभिवृद्धि करना, (iv) आवेदन पत्रों की जल्दी जांच और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन करना, (v) इस प्रकार की देरी से बचने के लिए जिनके कारण बकाया काम इकट्ठा हो जाता है प्रणालियों और क्रिया-विधियों की समीक्षा करना, (vi) पासपोर्ट के आकार और वैधता अवधि बढ़ाना, (vii) सत्यापन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार करना, (viii) बकाया मामलों के निपटान और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के एक मात्र उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए सीपीवी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण, और (ix) जनता की शिकायत सुनने के लिए मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक जन शिकायत निवारण की स्थापना करना।

विवरण

31.10.1997 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या

क्र॰ सं॰	कार्यालय	कुल लंबित मामलें	एक माह से अधिक समय से लंबित मामलें
1.	कोचीन	9948	2022
2.	कोझीकोड़	24337	11764
3.	त्रिवेन्द्रम	10644	3095

कामगारों को विदेश भेजने वाली एजेंसियां

182. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कामगारों को विदेश भेजने वाली अनेक एजेंसियां अवैध रूप से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन एजेंसियों की गतिविधियों को रोकने/उन पर नियंत्रण के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(ग) क्या उचित दस्तावेजों/कागजातों के न रहने के कारण विभिन्न खाड़ी देशों में फंसे व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ एजेंसियां श्रम शक्ति के गैर कानूनी निर्यात के कार्य में लगी हुई हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में ऐसी एजेंसियों के कार्यकलापों को रोकने/नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कानूनी और दण्डात्मक प्रावधान हैं। अधिनियम

के अधीन सभी अपराध संज्ञेय है। राज्य सरकारों और पुलिस प्राधिकारियों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे विवेकहीन भर्ती एजेंटों के विरुद्ध जरूरी कार्रवाई करें। अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में 32 ऐसे एजेंटों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेश स्थित भारतीय मिशन विभिन्न खाड़ी देशों में रोके गए कर्मकारों के संबंध में सूचना रखते हैं। किसी कर्मकार को विदेश में रोके जाने की स्थिति में संबंधित भारतीय दूतावास और कांसुलेट भारतीय उत्प्रवासियों को सभी तरह की संभावित सहायताएं प्रदान करते हैं जिनमें कर्मकारों को आवास और भारत में उनके प्रत्यावर्तन की भी व्यवस्था है।

राजस्थान में गैस आधारित विद्युत संयंत्र

183. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में गैस आधारित विद्युत संयंत्र कितने हैं;

(ख) इन संयंत्रों की वार्षिक गैस आवश्कता कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन संयंत्रों को रियायती दरों पर गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा परिवहन लागत भी वहन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत मंत्रालय ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ यह मसला उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) राजस्थान में विद्युत संयंत्रों के लिए गैस लिंकेज का ब्यौरा निम्नवत् है :-

1.	अन्ता	1.75 एमसीएमडी
2.	रामगढ़	0.55 एमसीएमडी

(ग) से (च) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) के रामगढ़ विद्युत संयंत्र के लिए ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल), भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ (जीएआईएल) के माध्यम से गैस की आपूर्ति करता है। ओआईएल का यह विचार है कि ओआईएल द्वारा आरएलईबी को सप्लाई की गई गैस के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए और यह प्रति 1000 एससीयूएम के लिए 15000 रुपये उत्पादक की कीमत पर जीएआईएल के लिए बिल तैयार करता है और शुल्क यथा रायल्टी तथा बिक्री कर समेत कलोरिफिक वैल्यू हेतु इनको समायोजित किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

184. **श्री अनन्त कुमार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कर्नाटक राज्य में विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का विचार है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आईडीबीआई समेत भारतीय वित्तीय संस्थानों ने कर्नाटक की निम्न विद्युत परियोजनाओं के बारे में वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रवर्तक मैसर्स	क्षमता (मे.वा.)
1.	तोरेतालू टीपीपी	जिन्दल ट्रैक्टेबल	260
2.	वुनबनकट्टे एचईपी	ग्रेफाइट इंडिया लि.	15
3.	रायचूर टीपीपी	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन	420
4.	सुभाष काबिनी पावर कंपनी लि.	सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्किटिंग लि.	20

इन चार परियोजनाओं के लिए भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल मिलाकर लगभग 1600 करोड़ रु॰ की सहायता का आश्वासन दिया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

185. **श्री संदीपान थोरात :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार राज्य विद्युत बोर्डों को बाजार मूल्य पर बिजली आपूर्ति की नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका औचित्य क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के विद्युत स्टेशनों के लिए टैरिफ भारत सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43(ए) के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है। एन.टी.पी.सी. ने अपने

विद्यमान विद्युत केन्द्रों की प्रतिफल दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने तथा प्रोत्साहन स्तरों को भी बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

विद्युत उत्पादन के लिए कार्य बल

186. डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में 10.00 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए और विद्युत परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त कार्य बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य बल द्वारा क्या सुझाव किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत उत्पादन का अंततः क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस कार्यदल ने परियोजनाओं को नौवीं योजना में पूर्णता की सम्भाव्यता के आधार पर क्षेत्र-वार वर्गीकृत किया है तथा इनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट उपायों को अभिज्ञात किया है। कार्यदल द्वारा कुल 52310.2 मेगावाट की परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं जिसमें से 11868 मेगावाट राज्य क्षेत्र में, 14069 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 26373 मेगावाट निजी क्षेत्र में हैं। नौवीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि पर कार्यदल द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है :-

(1) इन परियोजनाओं को के.वि.प्रा में विशिष्ट अधिकारियों के बीच वितरित कर दिया जाएगा जो इन परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विचार विनिमय करेंगे। इस प्रयोजन के लिए के.वि.प्रा. को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जाएं।

(2) ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिए सरकारी स्तर पर हस्तक्षेप अपेक्षित होगा उनको विद्युत मंत्रालय के ध्यान में लाया जाए ताकि तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. द्वारा द्विमासिक बैठकें बुलाई जाएगी जिनमें संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृहद परियोजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी।

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग से नौवीं योजना के दौरान परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रबोधन तंत्र रखने का अनुरोध किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग से अतिरिक्त परियोजनाएं, जिन पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके ताकि उनमें दसवीं योजना के दौरान तथा और आगे की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किए जा सकें, अभिज्ञात करने का भी अनुरोध किया जाए।

(5) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तेलशोधकों को सभी निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ उनके अधिशेष विद्युत के निष्क्रमण के लिए समीक्षा करने हेतु के.वि.प्रा. तथा विद्युत मंत्रालय से प्रतिनिधियों के एक दल के गठन हेतु अनुरोध किया जाए।

(6) राज्य क्षेत्र में परियोजनाएं, जो पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं, के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाए ताकि यह देखा जा सके कि क्या ऐसी परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जा सकती हैं।

(7) एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनजेपीसी तथा नीपको जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास परियोजनाओं के शेल्फ रखने की आवश्यकता है जिन पर सीधे ही अग्रिम कार्रवाई शुरू की जा सके ताकि दसवीं योजना में लाभ उपलब्ध हो सकें।

(8) सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति संरचना को आशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस स्त्रोत से अधिकतम क्षमता अभिवृद्धि की जा सके।

(घ) योजना आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

चालू परियोजनाओं को बंद करना

187. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत चल रही कुछ परियोजनाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितना कार्य किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने या इनके स्थान पर नई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर) : (क) सरकार निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती रही है, धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं की समीक्षा सरकार द्वारा सदस्य सचिव योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की जाती है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति ने निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में आगे व्यय बंद/स्थगित करने की सिफारिश की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है।

नाम	31.03.1997 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
(1) कोइल कारो एच ई पी	17.87
(2) फरक्का एस टी पी पी, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	0.00
(3) कोडूर-हरिहर नई रेल लाइन	0.24
(4) गोलेटी लौंगवाल परियोजना	3.90

असम में जड़ी-बूटियां

188. **श्री केशव महन्त** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैन्ट्रल फार्मास्युटिकल एंड ऐरोमैटिक इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों की मांग पूरी करने और उनसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पूर्वी क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। तभी से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक भारत के उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसमें असम का संपूर्ण क्षेत्र भी शामिल है। असम में मौजूद जड़ी-बूटियों पर अनेक शोध पत्र पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। वनस्पति के रूप में असम के पादपों का व्यापक लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान (सिमैप) ने विविध प्रकार के औषधीय और संगंध पौधों के लिए कृषि और प्रक्रमण प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जिन्हें वाणिज्यिक दोहन के लिए कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रयासों से कुछेक औषधीय व संगंध पादपों की कृषि तथा प्रक्रमण में वृद्धि हुई है जिनसे आंतरिक आश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही उनका निर्यात भी किया जाता है, उदाहरणार्थ : मैन्थॉल पुदीना, जिसकी अब उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है तथा जिससे लगभग 9000 टन तेल की पैदावार होती है जिसका मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए बैठता है।

बिस्तरों का आरक्षण

189. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए बिस्तरों का आरक्षण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ-भोगियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) चूंकि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के साथ-साथ आम रोगी केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अंतरंग उपचार लेते हैं इसलिए इन अस्पतालों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए पलंग आरक्षित करना कठिन होगा क्योंकि रोगियों को इस बात का ध्यान रखे बिना कि वे आम रोगी हैं अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारी/केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किए पेंशनभोगी हैं, उनके मामले पर गंभीरता/तात्कालिकता के आधार पर दाखिल किए जाते हैं। तथापि, डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपचर्या ग्रह सुविधा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पात्र लाभभोगियों को मुख्य रूप से प्रदान की जाती है।

आई आर एस-1डी

190. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन** :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री के॰सी॰ कोंडय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में प्रक्षेपित पी.एस.एल.वी.-सी.1 राकेट ने

एक परिचलनात्मक दूर संवेदी उपग्रह आई.आर.एस.-1डी को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ तथा उपग्रह प्रक्षेपण की सुविधायुक्त विश्व की बड़ी शक्तियों में भारत का स्थान बनाने में इससे कितनी मदद मिली है;

(ग) क्या प्रक्षेपण के पश्चात् हुए संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत रक्षा के मामले में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में किसी देश द्वारा डाले जा रहे दबाव के आगे नहीं झुकेगा; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों द्वारा ऐसा प्रतिरोध दर्ज किया गया या दबाव डाला गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। पी.एस.एल.वी ने सितम्बर 29, 1997 को 817 कि.मी. की ध्रुवीय कक्षा में 1200 कि.ग्रा. श्रेणी के आई.आर.एस. उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। इस मिशन से, मार्च 96 में पूर्ववर्ती मिशन में 922 कि.ग्रा. भार के आई.आर.एस.-पी3 की नीतभार क्षमता को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के अलावा भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के लिए सामान्य जांच-पड़ताल सुविधाएं तथा प्रणोदक सर्विसिंग सुविधाएं जैसी अपेक्षित अनेक भू-प्रणालियों को भी वैध बनाया गया है। उन्नत प्रथम दो चरणों को भी सफलतापूर्वक उड़ान में प्रमाणित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती उड़ानों में अर्जित अनुभवों के परिणामस्वरूप विलोम-गणना (काउंट डाउन) समय को पूर्ववर्ती लगभग 72 घंटे से कम करके 52 घंटे कर दिया गया है। इस सफलता से, भारत सातवां ऐसा देश बन गया है, जिनके पास 817 कि.मी. की कक्षा में 1200 कि.ग्रा. भार के ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकाली उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों में अमरीका, रूस, उक्रेन, यूरोप, चीन और जापान शामिल हैं।

पी.एस.एल.वी.-सी.1 की लागत 60.00 करोड़ रुपये के लगभग तथा आई.आर.एच.-1डी की लागत 62.00 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री जी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, रक्षा, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा तथा अनुसंधान जैसे विविध क्षेत्रों को आवृत करते हुए बहु-आयामीय बना रहेगा। वैज्ञानिक समुदाय के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि प्रत्येक अवरोध भारत के लिए अपनी स्वदेशी क्षमताओं का विस्तार करने का एक अवसर है तथा उन्होंने सभी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए अनुरोध किया।

विकसित पश्चिमी देशों द्वारा मुख्य रूप में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अहस्तांतरण की व्यवस्था परिचालित की जा रही है। इनका उद्देश्य भारतीय उद्योग को ऐसे उपकरण और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं करना है जिनसे हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का विकास करना संभव हो।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961

191. **श्री भीमराव विष्णुजी वडाडे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 7 (सात) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों ने शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। जांच करने के पश्चात् यह पाया गया कि, ये पाठ्यक्रम, शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत व्यापार शिक्षुओं हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी न किसी विषय के रूप में पहले से ही उपलब्ध है। अतएव यह अनुभव किया गया कि इन्हें यथाप्रस्तावित पुनः सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं थी।

[हिन्दी]

औषधियों को पेटेंट करना

192. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि निर्माण को पेटेंट करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक पेटेंट की गई औषधियों का नाम क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत औषध सूत्र पर्स पेटेंट पत्र की स्वीकृति के उपयुक्त नहीं होते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रेड एक अधिकारियों की शिकायतें

193. **डॉ॰ बलिराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों

सहित विभिन्न क्षेत्रों से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग-1 अधिकारियों की शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी हां।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों में उल्लिखित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी॰एस॰एस॰) के ग्रेड-1 अधिकारियों की शिकायतें मुख्यतः अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करने और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड । और उससे ऊपर के स्तर पर पदोन्नतियों के संबंध में है।

(ग) 1986 की प्रवर सूची के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में नियमित पदोन्नतियों के लिए कोई प्रवर सूची, सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में लंबे समय से चल रही मुकदमेंबाजी के कारण तैयार नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप-सचिव ग्रेड में होने वाली पदोन्नति भी प्रभावित हुई है। अनुभाग अधिकारियों की अंतिम सामान्य वरिष्ठता सूची, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 22.3.1995 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 15.5.1996 को जारी की गई थी जिसे पुनः उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.5.97 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया। कुछ विशेष अनुमति याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.5.97 के आदेश के अनुसार सूची को पुनः तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 तथा इससे ऊपर के स्तर पर पदोन्नतियों की पुनरीक्षा/पदोन्नतियां केवल, सामान्य वरिष्ठता सूची को नए सिरे से अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् की जा सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली

194. **श्री रनजीव बिसवाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछेक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों को देश में विद्युत परियोजना की स्थापना के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली से छूट प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं, निवेशकों और प्रत्येक परियोजना में निवेश की जाने वाली पूंजी का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत उत्पादन

195. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी :**
श्री एल॰ रमना :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
डा॰ कृपासिन्धु भोई :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
डा॰ अरविन्द शर्मा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान निजी तथा सरकारी स्तर पर राज्यवार विद्युत क्षेत्र में कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; ओर

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) विद्युत क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) को योजना आयोग में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना में विद्युत क्षेत्र हेतु वास्तविक योजना परिव्यय योजना आयोग द्वारा लक्ष्यों एवं संपूर्ण योजना आकार को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा।

(घ) और (ङ) विद्यमान क्षमता के समुपयोजन को बेहतर बनाने तथा मांग में प्रक्षेपित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए सरकार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात को बढ़ाना, पुराने संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, नये केपेसिटर्स का निर्माण करना तथा विद्युत क्षेत्र में कीमत तथा संस्थागत सुधारों को करना शामिल है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य/रा.बि.बो. की जिम्मेवारी है।

प्रत्यर्पण संधि

196. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री प्रमोद महाजन :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सनत मेहता :
श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि के लिए आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय मूल के उन अपराधियों, आतंकवादियों, नशीली दवाओं के व्यापारियों और अपराध जगत के सरगनाओं की देशवार संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अन्य देशों में शरण ली है;

(घ) अब तक कितने लोगों का प्रत्यर्पण हो चुका है और अन्य के प्रत्यर्पण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) भारत ने किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के साथ भी प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) जी हां। प्रधान मंत्री ने 15 अक्तूबर, 1997 को नई दिल्ली में आई सी पी ओ-इंटरपोल की 66वीं महासभा में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान विश्वव्यापी प्रत्यर्पण संधि को अंतिम रूप देने का आह्वान किया।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारत ने बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(च) जी हां।

(छ) बल्गारिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कजाकस्तान, मलेशिया, मारीशस, ओमान, रोमानिया, रूस, स्पेन, थाईलैंड, उक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधियां सम्पन्न करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है।

चीनी उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय समिति

197. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
चौधरी रामचन्द्र बैंदा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के लिए एक त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की संरचना विचारार्थ विषय क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति में चीनी का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(च) उक्त समिति चीनी उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन ढांचे और कार्य संबंधी दशाओं में सुधार लाने के बारे में अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समिति, उसके संघटन, विचारार्थ विषय, प्रतिनिधियों आदि के विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(च) समिति की बैठक अभी आयोजित नहीं की गई है।

विवरण

यू-14012/6/93-एल.सी. 3.10.97

सेवा में : 1. सचिव, खाद्य मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. राज्य सरकारें, नियोक्ता, कर्मकार संगठन (संलग्न सूचीनुसार)

विषय : चीनी उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का गठन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी उद्योग से संबंधित त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :-

I.	**अध्यक्ष**	:	**श्रम राज्य मंत्री**
(क)	*केन्द्रीय सरकार*		
	(1) श्रम मंत्रालय		1 सीट
	(2) खाद्य मंत्रालय	:	1 सीट

(ख) राज्य सरकारें

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु	6 सीट
बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की सरकारें (प्रत्येक की एक सीट)	

II. नियोक्ता

1.	भारतीय नियोक्ता परिषद		2 सीटें
2.	अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन	:	1 सीट
3.	नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लि॰	:	1 सीट
4.	इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन	:	1 सीट
	कुल	:	5 सीटें

III. कर्मकार दल

1.	भारतीय मजदूर संघ	:	1 सीट
2.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	:	1 सीट
3.	हिन्द मजदूर सभा	:	1 सीट
4.	सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स	:	1 सीट
5.	नेशनल शुगर वर्कर्स कोआर्डिनेशन कमेटी	:	1 सीट
	कुल	:	5 सीटें

2. औद्योगिक समिति का कार्य पक्षकारों के बीच समस्याओं की बेहतर सूझबूझ बनाने, समस्याओं को हल करने के लिए सलाह प्रदान करने और विचारों में एकता स्थापित करने के लिए सामान्यत ऐसी समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर विचार-विमर्श करना है जो संबंधित उद्योग के लिए विशिष्ट हैं।

3. समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी।

4. इसे श्रम राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय
ह॰/-
(शिंगारा सिंह)
अवर सचिव
टेलीफोन नं. 3718921/2316

न्यूनतम मजदूरी

198. श्री ए॰सी॰ जोस :
श्री टी॰ गोविन्दन :
श्री सुनील खान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के आगामी सत्र के दौरान न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक कल्याण विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यूनतम मजूदरी कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) देश में कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध के अंतर्गत पहले ही शामिल किया गया है। तथापि, कृषि कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान करने और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों को वित्तपोषित करने के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना हेतु एक व्यापक कानून बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा वह सरकार के विचाराधीन है। एक विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने तथा इसे संसद् में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत की कमी

199. श्री अनन्त कुमार :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा कर्नाटक में विद्युत की अत्यंत कमी है तथा दोनों राज्यों ने विद्युत की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक उपर्युक्त राज्य को विद्युत संबंधी वास्तविक मांग और पूर्ति क्या है तथा इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय क्या है;

(ग) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से इस राज्य में चलायी जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में विद्युत की पूर्ति कब तक बढ़ायी जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं

200. श्री संदीपान थोरात : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा मंजूर की गई फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ फास्ट ट्रैक परियोजनाएं अपने समय से अब भी पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र में विदेशी सीधे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई नीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने मैसर्स हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि॰ (एचएनपीसीएल) को 1040 मे.वा. वाली विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना तथा मै॰ मंगलौर पावर कं. लि. की (एमपीसीएल) की 1000 मे.वा. वाली मंगलौर ताप विद्युत परियोजना को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की है। पूर्ववर्ती मामले में संबद्ध समझौतों समेत कोयला सप्लाई समझौते के बारे में महानदी कोल फील्डस लि. तथा एचएनपीसीएल के बीच बातचीत चल रही है। परवर्ती मामले में प्रति गारंटी जारी किए जाने से पूर्व कर्नाटक सरकार और कर्नाटक बिजली बोर्ड के लिए भारत सरकार को अंतिम विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) भेजा जाना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रारंभिक 8 फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं में से शेष के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी को अंतिम रूप देने में लगे समय के लिए मुख्य कारण समेत अन्य कारण अंतिम पीपीए को प्रस्तुत करने में लगा समय, कोयला सप्लाई और परिवहन समझौते को अंतिम रूप न दिया जाना, निकासी प्रणाली को अंतिम रूप देना तथा कोयले का मूल्य निर्धारण करना है।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति में परिवर्तनशील अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर संशोधन किया जा रहा है। नीति को अधिक उदार बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए कुछ उपायों में, जिन स्कीमों के लिए सी.ई.ए. की सहमति अपेक्षित है इनके लिए पूंजीगत व्यय की सीमा को बढ़ाना तथा जिन मामलों में समग्र इक्विटी में विदेशी इक्विटी की मात्रा 74 प्रतिशत से कम होती है विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान किया जाना शामिल है।

विद्युत क्षेत्र के लिए फास्ट ट्रैक नीति

201. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए फास्ट ट्रैक की नीतियों को क्रियान्वित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में तत्परता से सुधार किए जाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, मांग संबंधी बेहतर प्रबंध करना, ऊर्जा संवर्द्धन उपाय करना, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना और यदि किसी क्षेत्र में अधिशेष विद्युत है तो अन्तः क्षेत्रीय लिंकों के माध्यम से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण करके विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रभावी रूप से सदुपयोग करना। इसके अतिरिक्त परियोजना विकास/स्वीकृति की अवधि को कम किए जाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और स्वीकृति प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाया गया है। राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारी निगम/राज्य विद्युत विभागों को रियायती दर पर ऋण देने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्कीम के अधीन ऐसे कार्यक्रम जिनमें नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा क्रियाशील अवधि में विस्तार/पुनर्स्थापना, पूरा होने की स्थिति में निर्माणाधीन परियोजनाएं, लुप्त पारेषण लिंक और प्रणाली सुधार शामिल होंगे, इसके लिए 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

असम को ऋण/सहायता

202. श्री केशव महन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार असम में अस्पताल परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी ऋण राशि/सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ख) ऐसे आबंटन किन-किन शर्तों पर किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को असम सरकार की ओर से राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के विकास और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई और अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) "स्वास्थ्य" चूंकि एक राज्य का विषय है, इसलिए अस्पताल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाना राज्य सरकार का कार्य है। तथापि, योजना आयोग ने 1996-97 के दौरान गुवाहाटी चिकित्सा कालेज के उन्नयन के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 200.00 लाख रुपये विमुक्त किए हैं।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ दल ने इसके उन्नयन के लिए तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए गुवाहाटी चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी का दौरा किया। इस दल ने इस कालेज के चरणबार विकास की संस्तुति की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर 10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुरोध पर असम चिकित्सा कालेज डिबरूगढ़ का दौरा करने और तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजा गया था। इस दल ने 71.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस कालेज के उन्नयन के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कदम उठाने की संस्तुति की। इस मंत्रालय में कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत चिकित्सा कालेजों के उन्नयन के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जा सके। तथापि, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र योजना बजट के माध्यम से अतिरिक्त निधियों का प्रावधान करने के लिए विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट योजना आयोग को भेजी जा रही है।

के॰स॰स्वा॰ योजना औषधालयों में चिकित्सक

203. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के॰स॰स्वा॰यो॰ के नियमों के अनुसार प्रत्येक के॰स॰स्वा॰ योजना यूनानी औषधालय/एकक में एक पुरूष और एक महिला चिकित्सक को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में के॰स॰स्वा॰यो॰ यूनानी औषधालय महिला चिकित्सक के बिना कार्य कर रहा है, यदि हां, तो कब से; और

(ग) सरकार द्वारा इस औषधालय से महिला चिकित्सक कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालय में एक महिला चिकित्सक को तैनात किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधाएं

204. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्टरनेट सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) क्या उपर्युक्त सुविधा प्रदान करने के लिये भारत में विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या विदेशी स्वैच्छिक संस्थानों को आमंत्रित किया जा रहा है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। देश में विशेषज्ञता उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता

205. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री बी॰ एल॰ शंकर :
श्री सनत मेहता :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री सुरेश प्रभु :
श्री अमर पाल सिंह :
प्रो॰ रासा सिंह रावत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अन्य सदस्य राष्ट्रों की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने इस उद्देश्यार्थ भारत को अपना समर्थन दिया है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी की बात दोहरायी और इसके परिणामत: आने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारियां को स्वीकार करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग के देशों में से कई देशों ने या तो द्विपक्षीय तौर पर या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद सुधारों पर चर्चा चल रही है और सरकार ने सदस्य राज्यों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

206. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री नवीन पटनायक :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अब तक कितने गांवों में बिजली सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक खराब है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन राज्यों के गांवों में बिजली सप्लाई कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के इन सभी गांवों में बिजली सप्लाई करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अब तक राज्यवार कितने गांवों में बिजली सप्लाई की गई है; और

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, 31.8.97 तक 87817 आबाद गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) गैर-विद्युतीकृत गांवों का लगभग 93.7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में संकेन्द्रित है। अधिकांश गैर-विद्युतीकृत गांव उन राज्यों में स्थित हैं जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के गांवों का तीव्रता से विद्युतीकरण किए जाने के लिए भारत सरकार रियायती शर्तों एवं निबंधनों पर आरईसी के द्वारा राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(च) 1991 की जनगणना के अनुसार, 31.8.97 की स्थितिनुसार 498776 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसे कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध से देखा जा सकता है।

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु भौतिक तथा वित्तीय दोनों रूपों में लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा अभी किया जाना है।

विवरण

अगस्त, 1997 तक गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति (अनंतिम)

क्रम संख्या	राज्य	गांवों की कुल संख्या (1991 की जन-गणना)	31.8.97 के अंत तक कुल उपलब्धि	31.8.97 तक गैर-विद्युतीकृत गांव	प्रतिशत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26586		100.0	अनंतिम, 91 की गणना के अनुसार पुष्टि की जानी है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2061	1588	56.5	
3.	असम	24685	18999	5686	77.0	3/97 के अंत तक दर्ज की गई प्रगति
4.	बिहार	67513	47837	19676	70.0	1981 की गणना के अनुसार उपलब्धि

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	360	360		100.0	अनंतिम, 91 की गणना के अनुसार पुष्टि की जानी है।
6.	गुजरात	18028	18028		100.0	
7.	हरियाणा	6759	6759		100.0	
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	16635	362	97.9	1981 की गणना के अनुसार 100 प्रतिशत विद्युतीकृत
9.	जम्मू व कश्मीर	6477	6301	176	97.3	71 की गणना के अनुसार उपलब्धि, 1991 की गणना नहीं हुई है।
10.	कर्नाटक	27066	26446		100.0	पूरी तरह से विद्युतीकृत शेष व्यवहार्य नहीं है
11.	केरल	1384	1384		100.0	
12.	मध्य प्रदेश	71526	67516	4010	94.4	
13.	महाराष्ट्र	40412	40412		100.0	अनंतिम, 91 की गणना के अनुसार पुष्टि की जानी है।
14.	मणिपुर	2182	1892	290	86.7	
15.	मेघालय	5484	2467	3017	45.0	71 की गणना के अनुसार उपलब्धि 7/97 अंत तक दर्ज की गई प्रगति।
16.	मिजोरम	698	672	26	96.3	3/97 अंत तक दर्ज की गई प्रगति।
17.	नागालैंड	1216	1088	128	89.5	3/97 अंत तक दर्ज की गई प्रगति।
18.	उड़ीसा	46989	32825	14164	69.9	3/97 अंत तक दर्ज की गई प्रगति।
19.	पंजाब	12428	12428		100.0	
20.	राजस्थान	37889	33608	4281	88.7	
21.	सिक्किम	447	405		100.0	अनंतिम (पुष्टि की जानी है) वन्य क्षेत्र के गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है।
22.	तमिलनाडु	15822	15822		100.0	
23.	त्रिपुरा	855	788	67	92.2	
24.	उत्तर प्रदेश	112803	87079	25724	77.2	3/97 के अंत तक दर्ज की प्रगति।
25.	पश्चिमी बंगाल	37910	29288	9622	77.3	1981 की गणना के अनुसार उपलब्धि। 7/97 के अंत तक दर्ज की प्रगति।
	कुल	586165	497686	97917	34.9	
	संघ राज्य क्षेत्र	1093	1090		100.0	पूरी तरह से विद्युतीकृत शेष व्यवहार्य नहीं है।
	कुल जोड़	587258	498776	97917	84.0	

स्रोत: अगस्त, 97 की के.वि.प्रा. की रिपोर्ट

अपूर्ण परियोजनाएं

207. श्री अनंत कुमार :
श्री टी॰ गोविन्दन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कई केन्द्रीय परियोजनाएं अभी भी पूरी की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला सवानूर) : (क) 31.3.1997 तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना की 233 केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना था।

(ख) और (ग) मार्च, 1997 को समाप्त तिमाही के लिए ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की "परियोजना कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट" में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। परियोजना को विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप समय एवं लागत में वृद्धि होती है। ऐसे विभिन्न कारणों जिनसे समय एवं लागत में वृद्धि होती है की सूची संलग्न विवरण में दे दी गई है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम परियोजना-दर-परियोजना एवं अलग-अलग समय पर अलग-अलग होते हैं। तथापि, सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए सामान्य तौर पर किए गए उपायों के बारे में विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

परियोजनाओं के संबंध में मूल अनुमान की तैयारी तथा उनके कार्यान्वयन संबंधी कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ताकि लागत वृद्धि में कमी लाई जा सके

(1) चरण-2 में कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभ्युपाय करने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर समुचित प्रबोधन।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकेजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यदलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संभरणकर्ताओं, ठेकेदारों परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्तर मंत्रालय समन्वय।

विवरण-II

परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा अभिज्ञापित विभिन्न कारणों जो परियोजनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण से पता चले हैं, को संक्षेप में निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. भूमि अधिग्रहण में विलंब
2. वन/पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति मिलने में देरी तथा आधार ढांचा के विकास के लिए अग्रिम कार्रवाई का न होना
3. पर्याप्त धनराशि और धनराशि के स्रोतों (बजटीय आंतरिक संसाधन, अतिरिक्त बजटीय और बाहरी सहायता के ऊपर रोक के कारण विलंब।
4. विस्तृत अभियंत्रण के बारे में अंतिम निर्णय लेने और रेखाचित्र प्राप्त होने में विलंब तथा अग्रभाग के उपलब्ध होने में विलंब।
5. कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में बार-बार परिवर्तन।
6. निविदा देने तथा आदेश देने एवं उपस्करों की पूर्ति में विलंब।
7. औद्योगिकीय संबंध एवं कानून तथा व्यवस्था की समस्या।
8. निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब और अनिश्चितता।
9. आंरभिक कठिनाइयां।
10. तकनीकी समस्याएं।
11. भूस्थलीय कठिनाइयां।

लागत में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :-

1. विदेशी मुद्रा विनिमय की दरों एवं सांविधिक करों में परिवर्तन।
2. पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी उपायों की अधिक लागत।

3. भूमि अधिग्रहण की लागत में बढ़ोतरी।
4. परियोजना के कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में परिवर्तन।
5. कतिपय क्षेत्रों में बोली लगाने वाले ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत करना।
6. वास्तविक लागत अनुमान में यथार्थ से कम अनुमान लगाया जाना, और
7. सामान्य मूल्य वृद्धि।

एकल संतान वाला परिवार

208. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आजादी की पचासवीं सालगिरह पर चलाये जाने वाले एकल संतान वाले परिवार की अवधारणा को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) परिवार कल्याण विभाग एक बच्चे के परिवार की अवधारणा को स्वैच्छिक आधार पर प्रोत्साहित कर रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं

209. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
डा॰ कृपासिन्धु भोई :
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :
श्री जी॰एल॰ कनौजिया :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री संतोष मोहन देव :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर, और अक्तूबर, 1997 में नई दिल्ली और एडिनबरा में सचिव स्तर की वार्ताएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वार्ता के दौरान उठाए गए तथा सुलझाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वार्ताओं में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू और कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर की गई अकारण गोलीबारी मुख्य विषय रहा;

(घ) यदि हां, तो भारत द्वारा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने तथा पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) दोनों देशों द्वारा कश्मीर मुद्दे सहित अन्य सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) अगली सचिव स्तरीय वार्ता कहां और कब होंगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (च) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर पर फिर से शुरू की गई तीसरे दौर की बातचीत 15-18 सितम्बर, 1997 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस दौर की वार्ताओं को दोनों पक्षों ने यह निर्णय लेते हुए स्थगित कर दिया कि परस्पर रूप से सुविधाजनक तारीखों को वार्ता पुनः आयोजित की जाए। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के निदेशों के अनुसार, दोनों देशों के विदेश सचिवों की 25 अक्तूबर, 1997 को एडिनबरा में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भी मुलाकात हुई।

जून, 1997 में इस्लामाबाद में हुई बैठक के बाद, दोनों विदेश सचिवों ने आठ मुद्दों की पहचान की थी, अर्थात् (क) विश्वासोत्पादक उपायों सहित अमन और सुरक्षा, (ख) जम्मू और कश्मीर, (ग) सियाचिन, (घ) तुलबुल नौवहन परियोजना, (ङ) सर क्रीक, (च) आतंकवाद और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, (ज) दोनों देशों के बीच चर्चाओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण विचार विनिमय का संवर्धन। उन्होंने यह भी फैसला किया था कि इन मसलों को एक एकीकृत तरीके से सुलझाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए और विश्वासोत्पादक उपायों और जम्मू तथा कश्मीर सहित अमन और सुरक्षा के मसलों को दोनों देशों के विदेश सचिव परस्पर रूप से चर्चा करके सुलझाएंगे तथा अन्य अभिज्ञान विषयों पर विचार-विमर्श का समन्वयन और मानीटरिंग करेंगे। तीसरे दौर पर एडिनबरा की वार्ताएं संवाद के इन तौर-तरीकों पर केन्द्रित रही हैं।

इन वार्ताओं के दौरान, हमने कश्मीर में पाकिस्तान की दखलन्दाजी होने के बारे में तथा इस प्रकार की भारत विरोधी गतिविधि को रोकने की आवश्यकता के संबंध में अपनी चिंता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया था। पाकिस्तान द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अकारण गोलीबारी, जिसके फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा तथा वातावरण भी दूषित हुआ, के बारे में भी अपनी हित-चिंता से अवगत करा दिया था।

विचार-विमर्श के दौरान, हमने पाकिस्तान के सामने विश्वास, मैत्री और सहयोग के संबंध स्थापित करने तथा आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृति, लोगों से लोगों के बीच तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों सहित बृहत्तर संबंध विकसित करने की अपनी इच्छा का प्रस्ताव पाकिस्तान के समक्ष प्रस्तुत किया।

गैर राजनयिक कर्मचारियों का निष्कासन

210. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**
श्री जी॰एल॰ कनौजिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 14 सितम्बर, 1997 को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के दो भारतीय गैर-राजनयिक कर्मचारियों को अपने देश से निकलने के लिए कह दिया जब कि अगले दिन भारत द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के दो पाकिस्तानी कर्मचारियों को देश से बाहर भेज देने के मामले पर भारत और पाकिस्तान की सचिव स्तरीय बैठक होने वाली थी;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के मिशनों से राजनयिक और गैर-राजनयिक कर्मचारियों को देश से निकाल देने संबंधी काई आचार संहिता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों मिशनों से निष्कासन होता रहता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) 21.8.1997 को सरकार ने पाकिस्तान को 4.9.97 तक नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग के दो सदस्यों को उनके पद के अननुकूल गतिविधियों में शामिल होने के कारण वापस बुला लेने के लिए कहा। 3.9.97 को पाकिस्तान की सरकार ने बदले की भावना से इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग के दो सदस्यों को 17.9.97 तक वापस बुला लिये जाने की मांग की।

(ख) और (ग) 19 अगस्त, 1992 को भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक/कांसल कार्मिकों के व्यवहार के लिए एक आचरण-संहिता तैयार की जो राजनयिक/कोंसल कार्मिकों की गरिमा और व्यक्तिगत अलंघनीयता सुनिश्चित करता है तथा उनके परिवारों और मिशन कार्मिकों के परिवारों की सुरक्षा को भी दोनों देशों के लिए बाध्यकारी बनाता है। इसमें अगला अनुबंध यह है कि मिशन के कार्मिकों तथा उनके परिवारों का अंतर्वेधी और आक्रामक निगरानी, मौखिक तथा देहिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। हमने उस आचरण संहिता के उपबंधों का कड़ाई से पालन किया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1994 से) पाकिस्तान ने झूठे आरोपों के आधार पर इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग के आठ अधिकारियों तथा कराची स्थित पूर्व के महावाणिज्य दूतावास के दो अधिकारियों को वापस बुला लिये जाने की इच्छा जाहिर की। यह बेहद खेद तथा गंभीर चिंता का विषय है कि दो मामलों में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने शारीरिक हिंसा का सहारा लिया। पाकिस्तान की सरकार को यह बता दिया गया है कि ऐसी अस्वीकार्य, हिंसक एवं डराने वाली कार्रवाइयां सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा द्विपक्षीय आचरण संहिता का खुला उल्लंघन हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

211. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जनसंख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक विज्ञप्ति जारी की और राज्यों में मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रम की निगरानी पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इन राज्यों में परिवार नियोजन और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सूचकों की विपरीत स्थिति पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए 30 सितम्बर, 1997 को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्रियों का मानीटरिंग और संवीक्षा सहित परिवार कल्याण और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सहयोग मांगा गया है।

प्रधान मंत्री का अमरीका का दौरा

212. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :**
श्री आनंद रत्न मौर्य :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री सत्य देव सिंह :
श्री सुरेश प्रभु :
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1997 में अपने अमरीकी दौरे के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विशिष्ट द्विपक्षीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) उनके दौरे के दौरान अमरीका के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति के क्या विचार थे;

(ङ) अमरीका भारत को किस विशिष्ट क्षेत्र में रखने पर सहमत हुआ है; और

(च) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आगे और सुदृढ़ संबंध बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) भारत अमरीकी संबंधों को दिशा और गति प्रदान करने के आशय से दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। यह बैठक विशिष्ट करार सम्पन्न करने के लिए नहीं हुई थी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को महत्व दिए जाने पर बल दिया और भारत की अपनी भावी यात्रा की बात कही। द्विपक्षीय मुद्दों, विशेषकर भारत और अमरीका के बीच बढ़ते हुए आर्थिक और वाणिज्यिक सम्पर्क और विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में भारत-अमरीकी मामलों के अतिरिक्त दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान भी किया। प्रधान मंत्री ने क्षेत्र के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध बनाने के लिए भारत द्वारा हाल में की गई पहलकदमियों का उल्लेख किया। अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति में नए दृष्टिकोण की राष्ट्रपति ने सराहना की। चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से मसलों को अपने बीच ही सुलझाने के लिए इस क्षेत्र के देशों की आवश्यकता को समझा। अमरीकी पक्ष ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन करते है और इन बातचीतों में सम्मिलित न होने का प्रयास किया।

(च) चर्चा का प्रमुख केन्द्र आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बदला हुआ सहयोग था। दोनों पक्ष इस प्रक्रिया को और गति देने पर सहमत हुए। प्रधान मंत्री की राष्ट्रपति क्लिन्टन के साथ न्यूयार्क में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के बीच पारस्परिक क्रिया-कलापों में तेजी आई है। अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं और अनेक का कार्यक्रम निर्धारित है। अण्डर सैक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पालिटिकल अफेयर्स, थोमस पिकटिंग अक्तूबर में दिल्ली आए थे। अमरीका के सैक्रेटरी आफ स्टेट 18-19 नवम्बर, 1997 को दिल्ली आ रहे हैं। अमरीका के कामर्स सैक्रेटरी और सैक्रेटरी हैल्थ तथा ह्यूमन सर्विसेज भी इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व भारत यात्रा पर आएंगे।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/राज्य बिजली बोर्ड

213. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण राज्य बिजली बोर्डों से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किसी विद्युत स्टेशन को अपने अधीन ले लिया है;

(ख) क्या अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड एन.टी.पी.सी. को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड पर आज तक एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बकाया राशि की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि॰ की फिरोजगांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना तथा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के तलचेर ताप विद्युत केन्द्र को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि॰ (एन.टी.पी.सी.) द्वारा उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों से क्रमशः 919 करोड़ रुपये तथा 356 करोड़ रुपये की देय राशियों के समायोजन प्रति अपने अधिकार में ले लिया गया है।

(ख) और (ग) 31 अक्टूबर, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड के प्रति एन.टी.पी.सी. की बकाया राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बकाया राशियों की वसूली के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये उपाय समाविष्ट हैं- संबंधित राज्यों के लिए योजना सहायता से विनियोजन द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशियों, की वसूली, अग्रिम अदायगी अथवा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अप्रतिसंहर्य साख पत्रों पर ही भावी विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

विवरण

31.10.1997 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य लाभ-प्राप्तकर्त्ताओं के प्रति एन॰टी॰पी॰सी॰ की बकाया राशियां

(लाख रुपये में)

राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) संगठन	बकाया राशि	लगाया गया अधिभार	कुल बकाया
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश एसईबी	92935	32943	125878
राजस्थान एसईबी	1337	5761	7098
दिल्ली विद्युत बोर्ड	85058	30412	115470
पंजाब एसईबी	2017	0	2017
हरियाणा एसईबी	2741	24224	26965
हिमाचल प्रदेश एसईबी	1622	1186	2808
जम्मू व कश्मीर	13117	25233	38350
संघ राज्य चण्डीगढ़	231	0	231
पावरग्रिड (एनआर व एनसीआर)	317	0	317
मध्य प्रदेश एसईबी	16554	25216	41770

1	2	3	4
महाराष्ट्र ईबी	12494	10721	23215
गुजरात ईबी	10949	9124	20073
गोवा	395	84	479
दादर व नगर हवेली	-2	0	-2
दमन व दीव	257	92	349
पावरग्रिड (डब्ल्यू आर)	191	60	251
आन्ध्र प्रदेश एसईबी	16477	6522	22999
कर्नाटक ईबी	5503	3795	9298
तमिलनाडू ईबी	2510	5347	7857
केरल एसईबी	2110	2682	4792
गोवा	228	67	295
पाण्डिचेरी	-71	2	-69
पश्चिमी बंगाल एसईबी	30108	10863	40971
बिहार एसईबी	66670	35063	101733
ग्रिडको (उड़ीसा)	18979	2357	21336
डीवीसी	16498	11580	28078
सिक्किम	499	154	653
असम	41	0	41
कुल	399765	243488	643253

संक्षिप्तियां :

एस·ई·बी· : राज्य विद्युत बोर्ड

ग्रिडको : ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि·

गुटके पर प्रतिबंध

214. **श्री भक्त चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटका उद्योग में प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है;

(ख) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत इस मद को मानकीकृत किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को गुटके के उपयोग और उत्पादन पर रोक लगाने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के अनुरोध पर कार्रवाई करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पान मसाला और गुटका उद्योग का 1992 में अनुमानित उत्पादन 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997 में 1000 करोड़ रुपये हो जाने की सूचना है।

(ख) गुटका चबाने वाले तम्बाकू के साथ पान मसाले का मिश्रण है। पान मसाले के मानक खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम संबंधी नियमावली, 1935 के अधीन निर्धारित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम संबंधी नियमावली में यह भी दिया गया है कि चबाने वाले तम्बाकू के साथ-साथ पान मसाले के प्रत्येक पैकेट पर पान मसाले/तम्बाकू के चबाने के हानिकारक प्रभाव को बचाने की चेतावनी लिखी जायेगी।

(ग) महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों ने गुटके के उपभोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन विशेषज्ञ समिति द्वारा सम्पूर्ण मुद्दे की जांच की गई है। विशेषज्ञ समिति की इन सिफारिशों की अब खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति (सी सी एफ एस), खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 के अधीन गठित एक सांविधिक सलाहकार समिति, अपनी बैठक में जो कि नवम्बर, 1997 के अंत तक संपन्न होने की आशा है, द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन

215. **श्री भक्त चरण दास** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का विचार चीन के विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के शिष्टमंडल ने भारत का हाल ही में दौरा किया है और इस मामले पर भारत सरकार के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया किन-किन देशों को उनके विद्युत क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इस प्रकार के कितने प्रस्ताव इसके पास है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के· अलघ) : (क) और (ख) पावरग्रिड के एक तकनीकी दल ने अगस्त, 1997 में चीन में आयोजित सी आई जी आर ई सम्मेलन में भाग लिया था और हाल के वर्षों में चीन द्वारा विद्युत क्षेत्र में की गई प्रगति के बारे में चीन प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। तथापि किसी भी प्रस्ताव को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। 14.10.97 से 18.10.97 तक चीन के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने विचार-विमर्श किया और एनटीपीसी, पावरग्रिड एवं सीपीआरआई, बंगलौर की कुछ स्थापनाओं का दौरा भी किया था। विद्युत क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए उन्होंने पावरग्रिड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। तथापि अभी तक चीन सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा निम्नवत् है :-

(i) लगभग 100-120 मेगावाट विद्युत भारत से बंगलादेश को आदान-प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) भारत सरकार और नेपाल के बीच हुए महाकाली समझौते के अनुसार परवर्ती को 70 मिलियन यूनिट ऊर्जा वार्षिक रूप से निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। टनकपुर से महेन्द्रनगर (नेपाल) तक की 132 के.वी. पारेषण लाइन के भारत वाले हिस्से का भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा और पावर ग्रिड द्वारा इसका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) भारत सरकार ने पाकिस्तान से अधिशेष विद्युत खरीदने की पुष्टि कर दी है।

कुडन कुलन परमाणु विद्युत संयंत्र

216. **श्री अन्ना साहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1997 के "द ऑब्जर्वर" में "कुडन कुलन ऐटोमिक पावर प्रोजेक्ट-स्नेग ओवर पेयमेंट मोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या तमिलनाडु में रूस द्वारा निर्मित की जाने वाली कुडन कुलन परमाणु विद्युत परियोजना (के.ए.पी.पी.) के भुगतान के तरीके के बारे में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश में परमाणु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) जी, हां। भूतपूर्व यू एस एस आर और भारत की सरकार के बीच हुए 1988 के अन्तःसरकारी करार (आई जी ए) की शर्तों के अनुसार रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2x1000 मेगावाट के वी वी ई आर किस्म के हल्का पानी रिएक्टर वाले परमाणु बिजलीघर के क्रियान्वयन के संदर्भ में रूसी परिसंघ के साथ उस अन्तःसरकारी करार के अनुपूरक पर बातचीत चल रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना का वित्त पोषण करने की शर्तें भी शामिल होंगी।

(घ) परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 1997-98 हेतु अनुमोदित कुल पूंजीगत परिव्यय 860 करोड़ रुपए है जिसमें सरकारी बजटीय सहायता के रूप में 325 करोड़ रुपए, आंतरिक संसाधन उत्पादन स्वरूप 35 करोड़ रुपए और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) द्वारा बाजार से लिए जाने वाले ऋण स्वरूप 500 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुडानकुलम परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 83 करोड़ रुपए और तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 के लिए 64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अनाक्रमण संधि

217. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए भारत से अनाक्रमण संधि की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) 22 सितंबर, 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने एक-दूसरे पर आक्रमण न करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि संपन्न करने के बारे में बातचीत शुरू करने का सरसरी तौर पर जिक्र किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच अनाक्रमण संधि का मसला कोई नया विचार नहीं है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए वक्तव्य का कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिकी दल की यात्रा

218. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के सत्र के संबंध में प्रधान मंत्री की अमेरिकी यात्रा की पूर्व संध्या पर अमेरिकी विदेश उपमंत्री के नेतृत्व में एक अमेरिकी दल सितम्बर, 1997 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली आया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रटरी आफ स्टेट इन्दरफर्थ 2 से 4 सितम्बर, 1997 को दिल्ली आए। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा थी।

(ख) उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय हित के बहुत से मसलों के साथ-साथ क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों में सहयोग पर भी बातचीत की गई। विधि-प्रवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, आर्थिक और वाणिज्यिक सम्पर्क, पर्यावरण, आतंकवाद आदि प्रमुख विषय थे।

(ग) अमरीका के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर व्यापक और अग्रवर्ती वार्ता काफी लाभदायक रही।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 20 नवम्बर, 1997/29 कार्तिक, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।